द्वादश माला, खंड 4, अंक 22

बुधवार, 15 जुलाई, 1998
24 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 59
Date 15.7.99

दूसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 22, बुधवार, 15 जुलाई, 1998/24 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 402 से 404	1-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 405 से 421	39-107
अतारांकित प्रश्न संख्या 4103 से 4249	107-356
सभा पटल पर रखे गए पत्र	356-368
जैन जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	369-385
डाक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में	385-414
नियम 377 के अधीन मामले	414-425
(एक) उत्तर प्रदेश में सारनाथ तीर्थ स्थल और पर्यटक केन्द्र का चहुमुखी विकास करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री आनन्द रत्न मौर्य	414
(दो) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेलीफोन बिलों में हो रही अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री अमर पाल सिंह	415
(तीन) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे जिलों के किसानों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्जों को माफ किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामेश्वर पाटीदार	416
(चार) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों का उचित पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	420
(पांच) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मलेरिया को फिर से न फैलने देने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री विजय हान्दिक	421

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कालम

(छह) बिहार में मधुबनी में अधवारा समूह की नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. शकील अहमद 422

(सात) पर्यावरणीय प्रदूषण जिससे पुरूष अनुर्वरता हो रहा है, पर गम्भीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता

डा. सरोजा वी. 422

(आठ) उत्तरी बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किए जाने तथा गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह 423

(नौ) रुग्ण चीनी मिलों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 423

(दस) कलकत्ता की परिक्रमा रेल के संरक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री सुदीप बंधोपाध्याय 424

(ग्यारह) देश में जल के समुचित उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. सुशील इन्दौरा 425

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998

विचार करने के लिए प्रस्ताव... .... 425–475, 476–480

श्री यशवंत सिन्हा 425

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण 428

श्री भगवान शंकर रावत 441

श्री रूपचन्द पाल 449

श्री शांतिलाल चपलोत 453

श्री मोहन सिंह 457

श्री रामराजन 463

श्री लालू प्रसाद 465

श्री कोनिजेटी रोसैया 470

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 476

विशिष्ट दर्शक दीर्घा से एक दर्शक द्वारा सभा की अवमानना किए जाने के बारे में प्रस्ताव... 475–476

लोक सभा

बुधवार, 15 जुलाई, 1998/24 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

जैव उर्वरक

***402. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जैव उर्वरकों के उत्पादन में लगी कम्पनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो कृषि के लिए उर्वरकों का उत्पादन कर रही है; और

(ग) देश में जैव उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जैव उर्वरकों के उत्पादन में लगे संगठनों के राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में है।

(ख) गुजरात में मुख्य उर्वरक उत्पादक हैं:- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव (इफको) कृषक भारती कोपरेटिव (कृभको), गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी लि. (जी.एस.एफ.सी.) और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी लि. (जी.एन.वी.एफ.सी.)। इसके अलावा, राज्य में सिंगल सुपर फास्फेट के पांच निर्माता नामश: किसान इंडस्ट्रीज मौरिया, रामा फर्टिलाइजर्स, जूनागढ़, लिबर्टी फास्फेट्स लि. बड़ौदा, मार्डिया केमिकल्स सुरेन्द्रनगर और धर्मसी मौरारजी केमिकल्स कंपनी लि., अमरेली हैं।

राज्य में इफको, कृभको, जी.एस.एफ.सी., गुजरात स्टेट कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा जैव उर्वरक का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इन संगठनों ने राज्य में 975 मी. टन जैव उर्वरकों की उत्पादन क्षमता स्थापित कर ली है।

(ग) भारत सरकार जैव उर्वरकों के विकास एवं उपयोग के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक स्कीम क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अधीन प्रति वर्ष 150 मी. टन तक की जैव उर्वरक उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता दी जाती है। देश में जैव उर्वरकों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों और विस्तार कार्मिकों के लिए खेतों पर प्रदर्शनों और प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है।

अनुबंध

देश के जैव उर्वरक उत्पादन एककों का ब्यौरा

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एकक		अन्य	
एकक	क्षमता (मी. टन)	एकक	क्षमता (मी. टन)
1	2	3	4
		आन्ध्र प्रदेश	
1. एम.एफ.एल. विजयवाड़ा	75	1. ए.एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय अमरावथी, गून्टूर	70

	1	2		3	4
2.	ए.पी.ए.यू. हैदराबाद	75	2.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हैदराबाद	07
3.	जी.एफ.एल., सिकन्दराबाद	100			
		असम			
1.	असम कृषि उद्योग कार्पोरेशन गुवाहाटी	150			
2.	एच.एफ.सी., नामरूप	75			
	सिलचर	150			
		बिहार			
1.	एस.सी.ए.डी.ए.	150	1.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची	11
2.	पी.पी.सी.एल., अमजेहोर	75			
3.	एन.एफ.सी., सिन्दरी	75			
4.	एच.एफ.सी., बरौनी	75			
		गुजरात			
1.	कृभको, सूरत	225			
2.	गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ अहमदाबाद	125			
3.	जी.एस.एफ.सी., बडोदरा	475			
4.	गुजरात राज्य कृषि उद्योग कारपोरेशन	150			
		हरियाणा			
1.	सी.सी.एस.एच.ए.यू., हिसार	75			
2.	आर.बी.डी.सी., हिसार	50			
		हिमाचल प्रदेश			
1.	कृषि विभाग, शिमला	75			

1		2	3		4
			कर्नाटक		
1.	कर्नाटक कम्पोस्ट विकास निगम	150	1.	ए. जैड ओ. फर्टीलाइजर्स लि., मैसूर	375
2.	कर्नाटक राज्य कृषि उद्योग निगम	150	2.	के.सी.डी. कारपोरेशन बंगलौर	150
3.	आर.बी.डी.सी. बंगलौर	50	3.	यू.ए.एस. धारवाड	05
4.	एम.एफ.एल. बंगलौर	75	4.	यू.ए.एस. (जी.के.वी.के.) बंगलौर	50
			5.	कादुर कृषि मैधासंधू बंगलौर	100
			केरल		
1.	कृपि विभाग पट्टाम्बी	75			
2.	एफ.ए.सी.टी., त्रिवनकोर	150			
			मध्य प्रदेश		
1.	एम.एफ.एल., इन्दौर	100			
2.	एम.पी. एग्रो इन्डस्ट्री कार्पो. भोपाल	450			
3.	एच.एफ.सी., ग्वालियर	75			
4.	एच.एफ.सी., भोपाल	75			
5.	नैफेड जैव उर्वरक, इन्दौर	200			
6.	ए.पी. ऑयल सीड, धार	150			
7.	आर.बी.डी.सी., जबलपुर	50			
			महाराष्ट्र		
1.	बी.ए.आई.एफ., पुणे	1000	1.	इण्डियन आर्गेनिक कैमिकल्स कार्पो. लि. रायगढ़	300
2.	आर.सी.एफ. चेम्बूर	75	2.	कुमार कृषि मित्र पा. लि., पुणे	2400

1	2	3	4
3. आर.बी.डी.सी., नागपुर	50	3. अजय बायोटेक (इंडिया), पुणे	1500
		4. एम.पी.ए.यू., पुणे	36
		5. एम.ए.आई.डी.सी., चिंचवाड, पूणे	300
		6. के. फ्रेट्स प्रयोगशाला नादेड	60
	मणिपुर		
1. आर.बी.डी.सी., इम्फाल	50		
	मिजोरम		
1. कृषि विभाग, आईजोल	75		
	नागालैंड		
1. कृपि विभाग. नागालैंड	150		
	उड़ीसा		
1. ओ.ए.आइ.सी.. भुवनेश्वर	75		
2. ओ.ए.आई.सी., सम्बलपुर	150		
3. ओ.ए.आई.सी.. रायगढ़	150		
4. एच.एफ.सी.. कटक	150		
5 आर.बी.डी.सी., भुवनेश्वर	50		
	पंजाब		
1. पी.ए.आई.सी.. लुधियाना	75	1. पी.ए.यू., लुधियाना	03
	राजस्थान		
1. आर.ए.आई.सी., जयपुर	75	1. आर.सी.एल. कृषि विभाग दुर्गापुर	50
2. एम.एफ.सी.आई., सूरतगढ़	150	2. राजस्थान कृषि विद्यालय उदयपुर	02
		3. जयपुर जैव-उर्वरक, जयपुर	1000

1	2	3	4
		तमिलनाडु	
1. एम.एफ.एल., चेन्नई	75	1. लक्ष्मी बायोटेक, कुड्डालौर	150
2. कृषि विभाग, सलेम	250	2. ई.एस.वी.आई.एन. बायोसिस्टम, ईरोड	20
3. कृषि विभाग, कुड्डूमियामलाई	75	3. मैगनम एसोसिएट चेन्नई	250
4. टी. स्टेन्स एण्ड कम्पनी, कोयम्बटूर	925	4. मैन बायोकन्ट्रोल रिसर्च लैब, चैंगलपट्टू	300
5. एस.पी.आई.सी. बायोटैक डिवी. चेन्नई	75	5. मोनार्क बायो एण्ड रिसर्च चेन्नई	22
6. सीमा कोटन डैवलपमेंट रिसर्च एसोशिएसन, कोयम्बटूर	75	6. कृषि विभाग, पुड्डूकोट्टई	250
		7. टी.एन.ए.यू. कोयम्बटूर	17
		उत्तर प्रदेश	
1. इफको, फूलपुर	75	1. कृषि विभाग, मेरठ, अलीगढ़ लखनऊ, बदायूं, इटावा, सुल्तानपुर, बांदा, झांसी, आजमगढ़ और वाराणसी	300
2. कृषि विभाग, एटा, बहराइच और औरई	150		
3. एन.बी.डी.सी., गाजियाबाद	75		
		पश्चिम बंगाल	
1. बी.सी.ए.बी., कल्याणी	75	1. नाइट्रोफिक्स लैब कलकत्ता	150
2. एच.एफ.सी., दुर्गापुर	75	2. माइक्रो बैक इण्डिया श्यामनगर	84
3. एच.एफ.सी. सिलीगुडी	150		
		पाण्डिचेरी	
1. पी. एग्रो सर्विस एवं इन्ड. कार्पो., पाण्डिचेरी	75		

1	2	3	4
		दिल्ली	
		1. आई.ए.आर.आई., पूसा नई दिल्ली	03
		त्रिपुरा	
1. कृषि विभाग, त्रिपुरा	10		
योग	8360		7965
कुल योग			16325

[हिन्दी]

श्री जयसिंहजी चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके ...नीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस ... किया है कि जैव उर्वरक किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हुए भी देश के किसानों द्वारा उनका समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि हां, तो सरकार द्वारा तत्संबंधी कदम क्या उठाये गये हैं और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गये निदानों का ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो इसका क्या कारण है और भविष्य में सरकार की इस दिशा में क्या अवधारणा होगी?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण और खेती के टिकाऊ विकास और कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जैविक खादों की भूमिका निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता के कारण मृदा और पर्यावरण में कई प्रकार के असंतुलन पाए जाते हैं। इसलिए जैविक खादों का उपयोग निश्चित रूप से वांछनीय है तथा सरकार इसके प्रति पूर्णत: सचेत है। इनके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई प्रकार के अनुसंधान किए हैं और उनकी कृषकों को जानकारी भी दी है। इनके उपयोग को प्रोत्साहित करने और उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने एक योजना भी चला रखी है जिसमें प्रत्येक जैव खाद की उत्पादक इकाई को 20 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। वर्तमान में 10 हजार टन के करीब इनका उत्पादन भारत में है और सरकार इनको प्रोत्साहित करना चाहती है, न प्रोत्साहित करने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री जयसिंहजी चौहान : अध्यक्ष जी, विगत तीन वर्षों के दौरान जैव उर्वरकों का कृषि में विधिवत उपयोग करने हेतु देश के अशिक्षित किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस दिशा में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है? यदि ऐसा नहीं है तो इसके क्या कारण हैं? कृषि कार्य के लिए जैव उर्वरक उत्पादन कर रही कंपनियों, जो जैव उर्वरकों के समुचित उत्पादन हेतु किसानों को प्रेरित कर उनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने हेतु बाजार विस्तार भी कर रही हैं, का राज्यवार और विशेष रूप से गुजरात का ब्यौरा क्या है और राज्य में कंपनीवार इस दिशा में हुई प्रगति और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों को जैव उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे 28 कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत आने वाले सारे अनुसंधान केन्द्र, संस्थान तथा राज्य सरकारें इस काम को करती है। जहां तक गुजरात का संबंध है, गुजरात में भी इसका उत्पादन हो रहा है और चार इकाइयां – कृभको, सूरत; गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ, अहमदाबाद; जी.एस.एफ.सी. बडोदरा तथा गुजरात राज्य कृषि उद्योग कॉर्पोरेशन इनका उत्पादन कर रही हैं जिनकी प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता क्रमश: 225, 125, 475 और 150 मी. टन है। वहां इनका उत्पान बराबर किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया : कुछ लोगों का मानना है एवं विशेषज्ञों की भी यह राय है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से अन्तत: फसल नष्ट होती है। क्या सरकार ने इस बात की जांच की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात की जांच करेगी?

श्री सोमपाल : महोदय, यह कहना गलत है कि उर्वरक फसलों को नुकसान पहुंचाते है बल्कि उनसे फसलों की वृद्धि में सहायता मिलती है। परन्तु वायुमण्डल की निचली सतह में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कतिपय असंतुलन पाए गए हैं और कुछ कीड़ों के प्रजनन से उनकी संख्या में वृद्धि हुई है जोकि फसलों के लिए नुकसानदायक है। उर्वरक की ज्यादा मात्रा से रोग प्रवणता बढ़ती है। मृदा की उत्पादकता और मृदा की प्रकृति; उसकी स्थिति, उसकी रासायनिक, भौतिक साथ ही जैविक संरचना में कतिपय असंतुलन पाए गए हैं। इस बात से हम परिचित हैं। अनुसंधान एक सतत् प्रक्रिया है और इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है और जैव उर्वरकों सहित अन्य उर्वरकों और एक संतुलित एन.पी.के. का संवर्द्धन और संतुलित रूप से प्रयोग के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस : उत्तर में जैव उर्वरकों का उत्पादन करने वाले प्रमुख उद्योगों के नामों का उल्लेख किया गया है। चालू योजना के अन्तर्गत 150 टन तक जैव उर्वरकों का उत्पादन करने वाले संस्थापनाओं को सहायतानुदान के रूप में 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। नगर निगमों, विशेषकर केरल में जहां पर जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है और व्यर्थ पदार्थों को नष्ट करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है को ठोस व्यर्थ पदार्थों को नष्ट करने में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है इसीलिए कई नगर निगम हाल ही में खोजे गए कृमियों का प्रयोग कर ठोस व्यर्थ पदार्थों से जैव उर्वरक बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री ए.सी. जोस : इन जैव उर्वरकों की उत्पादन की प्रक्रिया में इन नगरपालिकाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैव उर्वरकों को प्रचारित करने के लिए मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी नगरपालिकाओं और निगमों को राज सहायता और अनुदान देने पर विचार करेगी जो ठोस व्यर्थ पदार्थों से जैव उर्वरक का उत्पादन करने के लिए तैयार हैं।

श्री सोमपाल : हमारी अनुसंधान संस्थाएं नए प्रकार के जैव उर्वरकों के उत्पादन की नई विधियों को ढंढ़ने की कोशिश कर रही हैं और इस माध्यम का अभी उपयोग नहीं किया गया है। मेरे विचार से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आदेश देकर हम ग्रामीण और शहरी इलाकों के ठोस व्यर्थ पदार्थों सहित कुछ अन्य वस्तुओं को सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि नई बिधियां ज्ञात हो जाती है तो निश्चित रूप से ठोस पदार्थों को उपयोग में लाया जा सकता है।

श्री ए.सी. जोस : मेरा प्रश्न सटीक है। क्या आप ऐसी नगर पालिकाओं और निगमों को अनुदान देने के लिए तैयार हैं जो ठोस व्यर्थ पदार्थों को जैव उर्वरकों में बदलने के कार्य को कर रहे हैं?

श्री सोमपाल : जब तक कि यह वैज्ञानिक रीति से स्थापित नहीं हो जाता है कि उनमें कतिपय माइक्रोव होते हैं जिन्हें उर्वरकों का उत्पादन करने में प्रयोग में लाया जा सके? ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : इसका केरल में उत्पादन किया जा रहा है। कई नगर पालिकाएं ठोस व्यर्थ पदार्थों को लेकर जैव उर्वरकों का उत्पादन कर रही है।

श्री सोमपाल : महोदय, यदि उनके पास सटीक सूचना है तो वे मुझे प्रदान कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : उन्हें उत्तर देने दीजिए। प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मैंने एक सटीक प्रश्न पूछा है।

श्री सोमपाल : इसका स्पष्ट उत्तर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां जैविक खादों से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वही कैमिकल फर्टिलाइजर से जमीन की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे कम होती है। क्या इस विषय में सरकार की किसानों को कोई प्रशिक्षण देने की योजना है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं। यह एक सतत् प्रक्रिया है। कुछ असंतुलन जरूर मृदा में ऐसे पाए जाते हैं जिनका पर्यावरण पर कुछ कुप्रभाव पड़ता है। इसकी जांच की जा रही है। इसके सम्बन्ध में किसानों को लगातार जानकारी दी जाती है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : महोदय, इस समय एक पूरी तरह विकसित वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध है जिसके द्वारा एक्सेल इण्डस्ट्रीज नामक कम्पनी जैव उर्वरक का उत्पादन कर रही है। केरल की कई नगरपालिकाओं और निगमों ने ठोस व्यर्थ पदार्थों के निपटारे या इसको दूसरी तरह से प्रयोग में लाने के लिए इस प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने और संयंत्रों को स्थापित करने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। आपको सारी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में सूचना देंगे।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं प्रश्न पर आ रही हूं। मैं इसका सटीक उत्तर चाहता हूं। कालीकट निगम से प्राप्त आवेदन लम्बित पड़े है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित ऐसे संयंत्रों को प्रोत्साहन देगी।

श्री सोमपाल : यह अनुदान, जोकि जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए दी जाती है, यह निजी संगठनों सहित उन सभी संगठनों को दिया जाता है जिनके प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर प्रस्ताव पारित किया जाता है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : मैं कम्पनियों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं परन्तु मैं उन स्थानीय निकायों के बारे में पूछ रहा हूं जो जैव-प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री सोमपाल : स्थानीय निकाय भी इनमें शामिल हैं।

[illegible] त्रा **महाजन** : माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि हम बायो फ़र्टिलाइज़र को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन स्टैंडर्ड प्रॉडक्ट के रूप में हो, क्या सरकार इसके लिये उनको आई.एस.आई. मार्क देने पर विचार कर रही है? हो सकता है कि 3-4 महीनों में ये बायो-प्रॉडक्ट्स खराब हो जायें लेकिन यूरिया की थैली साल भर तक रखी रहे तो भी खराब नहीं होती। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इनकी शैल्फ लाईफ वैल्यू बढ़े, इस दृष्टि से सरकार क्या सोच रही है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक जैव उर्वरकों की गुणवत्ता के नियंत्रण का प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने इसके लिये कुछ मानक निर्धारित किये हैं। उन्होंने यह काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को दिया था। इस परिषद् की एक टीम ने सारे नार्म्स और मानक को संशोधित करके भारतीय मानक ब्यूरो को दे दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो उन स्पैसिफिकेशन्स को संशोधित करने का कार्य कर रहे हैं।

जहां तक उसकी शैल्फ लाईफ वेल्यू बढ़ाने का प्रश्न है, यह बात सही है और जैसा मैंने कहा क्योंकि ये सूक्ष्म जैविक संरचनायें होती हैं, उनको किसी खास तापक्रम और खास माध्यम साधन से रखा जा सकता है। उनकी आयु निश्चित होती है। इस संबंध में भी सतत् अनुसंधान चलता रहता है कि किस प्रकार शैल्फ लाईफ़ बढ़ाई जाये और उनकी गुणवत्ता पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सके।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : हमारे किसान नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फेट के उपयोग के सम्बन्ध में सामान्यत: परिचित नहीं हैं। एक प्रकार से किसानों को नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश को कुछ अनुपात में प्रयोग में लाना होता है। मेरे विचार से यह शायद 4 : 1 : 1 है। इसीलिए किसानों को सामान्य रूप से जागरूक बनाने के लिए क्या माननीय मंत्री महोदय और सरकार किसानों को शिक्षित करेगी जिससे कि वे उचित प्रकार से इन जटिल उर्वरकों को उपयुक्त फसलों के लिए उपयोग में ला सके?

श्री सोमपाल : यद्यपि मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले के प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं यद्यपि यह जैव उर्वरकों से सम्बन्धित नहीं है – यह एन.पी.के. अर्थात् रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से सम्बन्धित है – फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार साथ ही राज्य सरकारें अपने सभी विस्तार अभिकरणों और राज्य कृषि और केन्द्रीय कृषि विभागों के माध्यम से इस विषय पर किसानों को शिक्षित करने का कार्यक्रम पहले ही से चला रही हैं और सूचना सतत् रूप से किसानों को उपलब्ध करायी जाती है। इन्हें के.वी.के. में और केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य केन्द्रों में दर्शनों प्लाटों, जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बागवानी को बढ़ावा देना

*403. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** :
श्री सोहनवीर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बागवानी के विकास के लिये कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में सहकारिता क्षेत्र को भी शामिल करने के लिये कोई कार्य-योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कृषि और सहकारिता विभाग पूरे देश में फलों, सब्जियों, कन्द एवं मूल फसलों, खुम्भी, पुष्पकृषि, नारियल,

काजू, कोको, मसाले, बागवानी में प्लास्टिक का प्रयोग, औषधीय एवं सुगंधित पौधों के समेकित विकास एवं मधुमक्खी के पालन के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न केन्द्रीय योजना स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है। अनुबंध-I के ब्यौरे के अनुसार, 1998-99 के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के लिए आबंटन 300 करोड़ रु. है। विभिन्न बागवानी कार्यक्रमों के लिए राज्यों को किया गया आबंटन अनुबंध-II में है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने बागवानी उत्पादों के विपणन एवं कटाई उपरांत सहायता में सहकारी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निरूपित की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य सरकारों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को विपणन एवं कटाई उपरांत सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता देता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ सहकारी संस्थाओं को भी समेकित परियोजनाओं एवं कटाई उपरांत सुविधाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण देता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्कीमों के अन्तर्गत बागवानी सहकारी विपणन समितियों के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता का उपयोग करें।

अनुबंध I

वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न बागवानी स्कीमों के लिए आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	स्कीमें	संशोधित बजट आबंटन 1998-99
1	2	3
1.	फलों का समेकित विकास	2500.00
2.	सब्जी बीजों का समेकित विकास	2000.00
3.	कन्द एवं मूल फसलों का समेकित विकास	200.00
4.	खुम्भा का समेकित विकास	475.00
5.	पुष्पकृषि का विकास	1000.00
6.	मसालों का समेकित विकास	3750.00
7.	काजू का समेकित विकास	2000.00
8.	कोको का समेकित विकास	70.00
9.	औषधियों एवं सुगंधित पौधों का विकास	200.00
10.	मधुमक्खी पालन का विकास	250.00
11.	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहन	11000.00
12.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम	2800.00
13.	नारियल विकास बोर्ड	2300.00
14.	फलों एवं सब्जियों की देख-रेख एवं विपणन के लिए समेकित परियोजनाएं	60.00
15.	बागवानी में मानव संसाधन विकास	410.00
16.	बागवानी के लिए अवसंरचनात्मक सहायता	40.00
17.	मानव पोषण के लिए बागवानी हस्तक्षेप	200.00
18.	जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में बागवानी विकास	300.00
19.	उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन	445.00
	योग	30000.00

टिप्पणी:-

(1) 1 से 13 तक की स्कीमें चल रही हैं।

(2) 14 से 19 तक की स्कीमें नई हैं। इनके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

अनुबंध II

1998-99 के दौरान विभिन्न बागवानी स्कीमों के लिए राज्यवार आबंटन

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	1998-99 के दौरान सभी स्कीमों के लिए कुल आबंटन
1	2
आंध्र प्रदेश	2107.55
अरूणाचल प्रदेश	253.07
	144.90
बिहार	446.20
गोवा	234.83
गुजरात	454.84
हरियाणा	387.87
हिमाचल प्रदेश	291.22
जम्मू व कश्मीर	785.37
कर्नाटक	3232.29
केरल	1936.98
मध्य प्रदेश	665.18
महाराष्ट्र	4028.17
मणिपुर	264.84
मेघालय	188.60
मिजोरम	183.14
नागालैंड	207.63
उड़ीसा	958.17
पंजाब	287.68
राजस्थान	640.42
तमिलनाडु	1648.86
त्रिपुरा	161.89
उत्तर प्रदेश	307.27
पश्चिम बंगाल	234.91
सिक्किम	239.03
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	36.19
चण्डीगढ़	2.50
दादरा व नगर हवेली	13.71
दमन व दीव	15.56
दिल्ली	122.70
लक्षद्वीप	19.95
पाण्डिचेरी	67.48
योग	20569.00

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी : माननीय अध्यक्ष जी, आज सब्जियों और फलों आदि की बहुत बड़ी कमी महसूस की जा रही है जिसको लेकर सब्जियों आदि के दाम बाजार में बहुत बढ़ गये हैं। सुना है कि सरकार सब्जियों का निर्यात करने पर विचार कर रही है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश में सब्जियों और फलों

के उत्पादन के लिये, अपने देश की आवश्यकता और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में फलों और सब्जियों के निर्यात की संभावनाओं को देखते हुये क्या सरकार सब्जियों और फलों के उत्पादन की दृष्टि से कोई विशेष कार्य योजना बनाना चाहेगी?

मेरे प्रश्न का भाग ख यह है कि आज वनौषधियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत बड़ी मांग दिखाई पड़ती है। क्या सरकार वनौषधियों की उपज बढ़ाने के लिए विशेष अनुसंधान या विशेष कार्य योजना तैयार करना चाहेगी? इसी का भाग ग है कि प्रतापगढ़ जनपद में आंवले का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, उसकी संभावनाएं भी अच्छी हैं। क्या सरकार आंवले और अमरूद की उत्पादकता को और बढ़ाने के लिए, उनके फलों के रख-रखाव के लिए और उनके विपणन के लिए कोई विशेष अनुसंधान केन्द्र या कृषि विज्ञान केन्द्र उस क्षेत्र विशेष में स्थापित करना चाहेगी।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का कृषि और सहकारिता विभाग कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को पहले से ही क्रियान्वित कर रहा है जिसके माध्यम से फलों, सब्जियों, मशरूम, ट्यूबर क्रॉप्स और सुगन्धिदायक तथा औषधीय पौधों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है। जहां तक प्रतापगढ़ में आंवले का प्रश्न है, इसकी मुझे सीधी जानकारी नहीं है कि वहां कितनी खेती होती है किन्तु यह बात निश्चित है कि जितनी भी बागवानी की क्रॉप्स हैं, चाहे आंवला हो या दूसरे फल हों उनके प्रोत्साहन के लिए केन्द्र सरकार का कृषि विभाग सेन्ट्रली स्पॉनसर्ड स्कीम्स और सेन्ट्रली प्लाण्ड स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहा है। जहां तक औषधीय पौधों के निर्यात की बात है, यह बात माननीय सदस्य ने सही कही है कि इसकी बहुत गुंजाइश है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को मान्यता प्राप्त हो रही है और औषधीय पौधों के अनुसंधान के लिए, उनको उगाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी नस्लें सुधारने के लिए और उनकी खेती करने के लिए कार्य किया जा रहा है। क्योंकि पहले वह पौधे वनों से एकत्रित किये जाते थे, अब सरकार उनको प्रोत्साहित करना चाहती है। जितने भी अनुसंधान केन्द्र और विश्वविद्यालय हैं, सबको यह काम दिया गया है और बहुत ही अच्छा काम लखनऊ का एक संस्थान और ट्रॉपिकल बॉटैनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में बलोद में इस संबंध में कर रहा है जिसमें इसके औषधीय गुणों और उनके उत्पादन की व्यवस्था करने के लिए अनुसंधान और प्रोत्साहन का कार्य किया जा रहा है।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : मैं आपके माध्यम से जो बात जानना चाहता था, उस प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि प्रतापगढ़ में आंवले की एक विशेष फसल होती है, उसके रख-रखाव, विपणन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विशेष अनुसंधान केन्द्र की आवश्यकता है। इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां आंवले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, रख-रखाव और विपणन के लिए कोई विशेष अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना चाहेंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष जी, अभी ऐसी कोई योजना केन्द्र के विचाराधीन नहीं है, पर उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार अपना योगदान दे रही है।

श्री सोहनवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना, चावल और गेहूं के साथ-साथ आम का विशेष तौर से उत्पादन होता है। पिछले कुछ वर्षों से आम की खेती बहुत अलाभकर हो गई है और किसान आज आम की खेती को समाप्त करने पर मजबूर है। आम को काटकर किसान गेहूं की खेती कर रहे हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं। अगर बागवानी का क्षेत्रफल देश में कम हुआ तो पर्यावरण पर इसका भयंकर प्रभाव पड़ेगा। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सौ-सौ फुट नीचे भी पानी नहीं मिलता है। किसानों को पानी नहीं मिलता है और उस क्षेत्र की बुरी हालत हो गई है। जो क्षेत्र पचास साल पहले हरा-भरा था, आज वह बिल्कुल सूखा हो गया। देश में बागवानी का क्षेत्र सुरक्षित रखने के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम की खेती बचाने के लिए जिससे किसान को आम की खेती से लाभ मिले, इस दिशा में सरकार की क्या योजना है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही मैं आता हूं और इस बात से मैं पूर्णतः अवगत हूं। माननीय सदस्य की चिन्ता व्यक्त करना बिल्कुल ठीक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम के उत्पादन को बहुत आघात पहुंचा है। उसके मुख्यतः तीन कारण हैं-एक यह कि भूमिगत जल स्तर भयावह दर से नीचे गिर रहा है क्योंकि गन्ना और धान जैसी फसलों के लिए भूमिगत जल का दोहन आवश्यकता से अधिक कर लिया गया है। दूसरे, आम में कुछ इस प्रकार की बीमारियां लगी है जिनकी जानकारी किसान को नहीं है। हमारे केन्द्रीय फल अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने इस दिशा में जो अनुसंधान किये हैं, इस वर्ष से हमने इसकी जानकारी पहले से बेहतर पैमाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देने का कार्यक्रम बनाया है। मेरठ में आम और दूसरे फलों की पौध किसानों को आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया गया है, जो अगले वर्ष से वहां चालू हो जायेगा। एक अन्य कारण यह रहा है कि बागों की यहां जो पापुलेशन थी, जो वृक्ष थे, वे बहुत पुराने हो गये थे। उन वृक्षों के किसी एक हिस्से से काटकर उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है जिससे कि प्रति वृक्ष फलों का उत्पादन बढ़

सके। ये चारों योजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।

श्री सोहनवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलों और साग-सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री जी ने जिन फलों और साग सब्जियों के नाम लिए हैं; उसके लिए तीन सौ करोड़ रुपया आपने वर्ष 1998-99 के लिए रखा है जिसमें उसके विपणन और खरीद की सुविधा का भी उल्लेख किया है। मैं [illegible]त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के [illegible]ढ़ इलाके में फलों का उत्पादन, पंचमढ़ी में आम का उत्पादन और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड इलाके में सेब का उत्पादन बहुत बड़ी तादाद में होता है, लेकिन उसको ले जाने की उचित व्यवस्था नहीं है, गरीब, छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपने फलों को बाजार तक पहुंचाने के लिए गांव से सड़क तक पहुंचने की सुविधा नहीं है। फलों का उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को देखें कि जो हिंदीभाषी राज्य है, उनमें बिहार में केवल 446.20 लाख रुपये, मध्य प्रदेश में 665.18 लाख रुपये, राजस्थान में 640.42 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 307.27 लाख रुपये की राशि रखकर आपने यह दर्शाया है कि हिंदीभाषी राज्यों में फलों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। माननीय मंत्री जी मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप बाकी राज्यों को कितना भी दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि हिंदीभाषी राज्यों के साथ इस प्रकार का दुर्भाव क्यों किया जा रहा है, यह आप बतायें?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है कि किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष के साथ किसी प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जाए।

श्री मोतीलाल वोरा : यह आंकड़े आपके ही है, मेरे नहीं हैं ...*(व्यवधान)* योजनाओं के अंतर्गत जो आबंटन किया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करनी दीजिए।

[हिन्दी]

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, योजनाओं के अंतर्गत जो आबंटन किया जाता है, वह कई बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है जिसमें राज्य सरकारों को कितनी मांग है, पहले उनको कितना आवंटन किया गया था, उन्होंने उसका कितना उपयोग किया है। इस आबंटन में स्प्रिंकलर सैट और ड्रिप इरीगेशन के लिए अलोकेशन भी इनक्लूडिड है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जितने हिंदीभाषी राज्यों का आप नाम ले रहे हैं, नेशनल होर्टीकल्चर बोर्ड से जितनी सहायता मिलती है, वह केवल पांच राज्य ले जाते हैं। किसी ने आज तक मांग ही नहीं की, किसको दिया जाए। इस प्रकार की बातों में राज्य सरकार की तरफ से किस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं, उनको विचाराधीन रखकर ही उस पर निर्णय किया जाता है। राज्य सरकारों को इस संबंध में कुछ ज्यादा सक्रिय भूमिका अदा करनी पड़ेगी और जो उन्होंने मांगा है, उसी अनुपात में सबको दिया गया है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, बागवानी का ग्रामीण इलाकों में इंट्रोडक्शन नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि हम फलों को कैसे उगाये, कैसे उनकी खेती करें, कैसे उनकी सिंचाई करें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में किसानों को बागवानी के विषय में प्रशिक्षित करने के लिए ताकि वे और अच्छे ढंग से बागवानी कर सके, फलों की खेती कर सकें, क्या प्रावधान किया जा रहा है।

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बागवानी तो प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है। दिल्ली में तो बागवानी के लिए स्थान है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ही ज्यादातर बागवानी होती है।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पन्ना, दमोह और उस पूरे इलाके में चले जाइये वहां पर आपको कहीं बागवानी नहीं मिलेगी। मेरा निवेदन यह है कि बागवानी के विषय में किसानों को समझाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, सरकार क्या कोई कार्रवाई कर रही है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए और इन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करने और प्रशिक्षण देने का जो मुख्य काम है वह राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार उसमें वित्तीय सहायता करती है। अनुसंधान करके जो जानकारी प्राप्त होती है उसे उन्हें उपलब्ध कराने का काम करती है। अब पन्ना, दमोह या एक-एक गांव में जाकर जो काम करना है वह प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग को करना है। यदि राज्य सरकार इस प्रकार की कोई योजना हमारे समक्ष रखेगी, तो उसके लिए अनुदान और सहायता देने की बात अवश्य की जा सकती है।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रश्न किए गए, माननीय मंत्री महोदय बात बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं और उन्होंने बात बनाकर ही उन सब प्रश्नों के उत्तर दे दिए। मैं यह जानना चाहूंगा कि बिहार और विशेषकर उत्तर बिहार में शाही लीची बहुत होती है। महोदय, उत्तर बिहार, बिहार का बगीचा है। ट्राइबल इलाका छोटा नागपुर में पपीता, कटहल और बडहल बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं और सर्वोत्तम लीची पैदा होती है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : ज्यादा नाम मत लीजिए, मुंह में पानी आ रहा है।

श्री लालू प्रसाद : अरे पानी नहीं हम तो आपको दूध पिलाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि लीची और पपीतों को खेतों से सड़कों तक लाने और मंडियों में पहुंचाने तथा विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए कृषि विभाग ने कौन से प्रबन्ध किए?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष पूरे देश में मैंगों का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ और जो थोड़ा हुआ, वह आंधी, पानी और तूफान के कारण कच्चा ही पेड़ से झड़कर नीचे गिर गया। इस साल आम बाजार में आया ही नहीं। क्या जो आपका कृषि अनुसंधान विभाग या रिसर्च सेंटर है जिस पर आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसने कोई ऐसा उपाय किया कि प्रत्येक साल आम आए, हड़ताल नहीं करे। इसके लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्नों का उत्तर बात बनाकर देने का है, तो उसमें कुछ श्रेय तो लालू जी को भी जाता है क्योंकि हमने प्रशिक्षण इन्हीं के हाथों से प्राप्त किया है। जहां तक उत्तर बिहार की संभाव्यता का प्रश्न है, यह निर्विवाद रूप से माना जाता है कि उत्तर बिहार में फल और सब्जी उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं। वहां इतना अच्छा जल और वर्षभर सूर्य प्रकाश का उपलब्ध होना, वहां की मृदा की उर्वरकता और परंपरागत रूप से वहां की मिट्टी में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों से बागवानी करके बहुत फल उगाए जा सकते हैं जिनमें लीची और दूसरी चीजें भी आती हैं जिनका लालू जी ने अभी नाम लिया है। मखाना भी उनमें से एक है, परन्तु इसमें हमें राज्य सरकार के सहयोग की अपेक्षा है। जैसा कि मैंने अभी कहा उनके निर्यात की, उनके विपणन की, उनके प्रसंस्करण की, उनके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए जो हमारे चारों विभाग हैं वे काम करते हैं। एन.सी.डी.सी., नैशनल हार्टीकल्चर बोर्ड और भारत सरकार काम कर रही है। बिहार सरकार की तरफ से जो उनको एलोकेशन की जाती है, उसका यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट भी प्राय: प्रतीक्षित रहता है।

श्री लालू प्रसाद : हम बिहार सरकार पर दबाव देंगे ताकि वहां से जो सहयोग आप लेना चाहते हैं वह आपको मिले।

श्री सोमपाल : बिहार सरकार के ऊपर दबाव डालने की क्षमता तो आपकी निसंदेह है, आप दबाव दे ही सकते हैं।

यह सर्वविदित तथ्य है कि लालू जी बिहार सरकार को सतत् दबाए रखने में सक्षम हैं और मैं चाहूंगा कि लालू जी उसका प्रयोग बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए करें।

श्री अब्दुल गफ़ूर : अगर लालू जी बिहार गवर्नमैंट को न दबायें तो आप खुद वहां प्रेजीडैंट रूल करके दबाव दे सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : लालू जी के होते, वहां कौन दबाव देगा?

श्री सोमपाल : इन फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनके प्रसंस्करण और उनके भंडारण की सुविधा की संरचना करने के लिए जो हमारे चार विभाग हैं, जिनकी मैंने पहले चर्चा की है, उनसे बिहार सरकार ने यदि कोई भी सहायता मांगी तो हम उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : इस बात को सरकार को समझना चाहिए कि देश को अब बागवानी फसलों की आवश्यकता है और देश में बागवानी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी जनसंख्या का पैंसठ प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित हैं। इसीलिए कृषि की समस्या कृषि पर निर्भर रहने वाले किसान है। हमें कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों की संख्या को कम करना होगा और उन्हें दूसरी चीजों को उत्पादित करने के कार्य में लगाना होगा। इसका एकमात्र विकल्प बागवानी है। यह सच है कि बलराम जाखड़ के समय बागवानी को प्रोत्साहन दिया गया था। इस बात पर कोई भी विवाद नहीं कर सकता। श्री सोमपाल जी विद्वान, कृषक टेक्नोक्रैट, सब कुछ हैं। बिहार के बारे में श्री लालू प्रसाद जी ने और मध्य प्रदेश के बारे में श्री मोतीलाल वोरा ने प्रश्न पूछे थे। मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में नहीं पूछूंगा, मैं पूरे देश के बारे में पूछूंगा। आपकी कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकियों के विपणन के बारे में क्या भावी योजना है? जब कभी भी आपके पास कोई शीत भण्डारण को निर्मित करने के लिए आता है तो आप उन्हें एक या दो लाख रुपये दे देते हैं। इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। श्री राजीव गांधी ने देश को 27 कृषि जलवायु अंचलों में बांटा था।

अध्यक्ष महोदय : कई अन्य सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : परन्तु महोदय, आपने कभी भी मुझे प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं बैठ जाऊंगा। यह क्या हो रहा है महोदय? हर कोई अपना प्रश्न पूछ रहा है, परन्तु जब मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपसे यह सारी सूचनाएं देने की अपेक्षा जाती है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए कहा गया था। वह सम्भव नहीं था। मुझे कम से कम एक प्रश्न पूछने की अनुमति मिलनी चाहिए।

मेरा प्रश्न यह है क्या भारत सरकार ने फलों या फूलों, जिनका कि विकास किया जाना है, पर आधारित किसी दूरगामी योजना को बनाया है? शीत भण्डारण, प्रशीतलित परिवहन यह सारी चीजें आवश्यक हैं। क्या आपने कोई योजना बनाई है या आप राज्य सरकारों को कुछ ऋण देते हैं और बाद में कहते है कि आपने आन्ध्र प्रदेश को 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। क्या आप बागवानी विकास, फसल विकास, कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी और विपणन के लिए भी किसी समेकित दृष्टिकोण के विकास के बारे में सोच रहे हैं?

श्री सोमपाल : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, यह देश में बागबानी के समेकित विकास के लिए व्यापक योजना से संबंधित है। निःसंदेह उत्पादन को बढ़ावा देना ही काफी नहीं है। इसे भंडारण सुविधा, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, पूर्व-प्रशीतन सुविधा की स्थापना, सड़क संपर्क, उत्पादक क्षेत्र में समुचित बाजार व्यवस्था, फ्रीजर वाहनों में उसकी ढुलाई की अग्र संपर्क सुविधा और यदि इस उत्पाद का निर्यात किया जाना है तो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग जैसी आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होंगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारी फलों और सब्जियों की देख-रेख के लिए समेकित परियोजना है, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने, पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में बागवानी के समेकित विकास, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों सब्जियों के प्रौद्योगिकी मिशन और बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन हैं। हमारे यहां अनुसंधान आदान सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण, फसल कटाई उपरान्त प्रबंधन, विपणन और निर्यात की सतत् व्यवस्था है और चार एजेंसियों जिनका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के कोंकण रीजन से आता हूं जो कि पूरा पहाड़ी इलाका है। पिछले कुछ वर्षों से पहाड़ी इलाके में रहने वाले किसान अपनी पारम्परिक अनाज की खेती को छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ गये हैं। हमारे इलाके में ज्यादातर आम, काजू, नारियल और सुपारी की बहुत बड़ी खेती होती है। जो फल एक्सपोर्ट किए जाते है, वे ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पैदा होते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्या हमारी सरकार ने पहाड़ी इलाकों के लिए कोई विशेष योजना बनाई है या नहीं?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी रेड्डी जी के प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि पहाड़ी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। जहां तक कोंकण का प्रश्न है, वहां काजू की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं और जिन फलों ने उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रगति की है, उसमें काजू भी एक है। विश्व का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में होता है। वैसे भारत फलों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है, सब्जियों के मामले में दो नम्बर पर है और काजू में इनके क्षेत्र और केरल आदि राज्यों में उसके लिए सहायता दी जाती है। आप जानकर प्रसन्न होंगे कि जहां पहले इनकी प्रोडक्टिविटी .57 टन हुआ करती थी, अब वह बढ़कर .71, लगभग डेढ़ गुना से ज्यादा हो गई है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय ने मेरा नाम पुकारा है ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपना प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूं। वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न बागवानी योजनाओं के लिए आबंटित राशि दर्शाने वाले विवरण देखकर मुझे यह हैरानी हुई है और मैं इसका कारण जानना चाहती हूं कि इन उन्नीस योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए कुल आबंटन में से 110 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राशि कृषि में प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए आबंटित की गई है जबकि औषधियों और सुगंधित पौधों के विकास के

लिए केवल 2 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहन देने की पारिस्थिति के प्रतिकूल इस योजना के लिए अधिक राशि आबंटित क्यों की गई है जबकि अन्य सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को लगभग नजरन्दाज किया गया है। क्या यह प्लास्टिक लॉबी के दबाव के कारण किया गया है और यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय इन सब प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय जिन लोगों को कृषि और बागवानी के बारे में जानकारी है उन सभी को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि बागवानी में प्लास्टिक का उपयोग पानी के समुचित और किफायती उपभोग के लिए किया जाता है जिसकी भारत में कमी है। प्लास्टिक का उपयोग खेतों को उर्वर करने के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है। इसे अधिक स्थायी आधार पर किया जाता है, पानी के धीरे-धीरे रिसाव से उसी पानी को अधिक बड़े क्षेत्र में और अधिक पौधों को दिया जाता है ताकि हमेशा हरियाली रहे। इसकी सलाह सभी विशेषज्ञों ने दी है। इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। यह काफी उपयोगी है और इसका उपयोग जारी रहेगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय लालू जी ने पूछा था परन्तु माननीय मंत्री जी ने आम की फसल के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया। यह पूरे देश का सवाल है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। आज लखनऊ जिले के मलिहाबाद शहर का दशहरी आम देश में ही नहीं, विश्वविख्यात है। आम की और भी कई तरह की किस्में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता होगा, आप भी आम खाने जाते रहे हैं। लेकिन मैं जब आम खाने गया तो पता लगा कि इस साल केवल बीस फीसदी आम आया है! मलिहाबाद जो आम के लिए विश्वविख्यात है, उसके लिए कई बार योजनाएं बनीं। मैं जानना चाहता हूं कि आम की फसल बचाने के लिए अभी तक उन योजनाओं में मंत्री जी ने क्या किया है? 3-4 साल से तो लगातार आम कम आ रहा है और उसका नतीजा यह है कि गरीब आदमी जो आम का फल ही खाते हैं, उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है। एक आम अब कई रुपये का आने लगा है, मलीहाबादी आम की यह हालत हो गई है। ...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी तो करेंगे ही, क्या प्रधान मंत्री जी भी थोड़ा बहुत दबाव देंगे? मलीहाबाद आपका क्षेत्र है। आप लखनऊ का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन असली सौन्दर्यीकरण तो मलीहाबाद से होगा। हम प्रधान मंत्री जी से भी अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम और आप आम खाने जाते रहे हैं, उसे कुछ याद करो। आपने मलीहाबाद के लिए, आम की फसल बचाने के लिए, इन किसानों के लिए क्या किया है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का यह कहना ठीक है कि आम के विषय में जो सवाल पहले पूछा गया था, उस समय मैंने उसका उत्तर नहीं दिया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं।

जहां तक इस साल आम के कम उत्पादन का प्रश्न है, जिस समय हमारी सरकार आई थी, आम की फसल उससे पहले खराब हो चुकी थी, पर इसका उत्तरदायित्व किसी सरकार के ऊपर नहीं है। यह एक आनुवांशिकीय ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मंत्री जी, इसको गम्भीरता से लीजिए। यह सरकार के आने-जाने का प्रश्न नहीं है। वहां पर करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो गई।

श्री मोतीलाल वोरा : मलीहाबाद का आम लगातार तीन वर्षों से खराब हो रहा है। उसमें कीड़े लग रहे हैं, कई बीमारियां लग रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करें।

[अनुवाद]

श्री सोमपाल : वैकल्पिक वर्ष में फसल कम आना और अगले वर्ष ज्यादा फसल आना आम की आनुवंशिक विशेषता है।

[हिन्दी]

वैकल्पिक वर्ष में कम फसल आना और एक वर्ष में ज्यादा फसल आना, यह आम का नैसर्गिक स्वभाव है। इस वर्ष कम उत्पादन वाला वर्ष था, पर उसके बावजूद जिस प्रकार का मौसम का ढंग रहा, जिस समय आम के ऊपर फूल आता है, उसी समय उसका सारा बौर खत्म हो गया था। इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, वे कभी-कभी हुआ करती हैं। उसमें मुख्य योगदान मौसम की गड़बड़ी का रहा है। पर आपकी यह बात सही है कि इसके ऊपर अनुसंधान किया जाना चाहिए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बागवानी विभाग इस प्रकार की आनुवांशिकी को खोजने का प्रयास कर रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष उसी तरह के फल आया करे। आपके लखनऊ में ही समशीतोष्ण फल अनुसंधान संस्थान है, उसमें इस बात की खोज की गई है। ऐसे जो कुछ पेड़ हैं, उनको अभी चिन्हित किया गया है, जो प्रतिवर्ष उतने ही फल देंगे। हम उसके पौधे बनाने का एक कार्यक्रम बनाने वाले हैं। वहां 700

किस्मों का संकलन किया गया है। जीन्स बैंक भी लखनऊ में बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से लखनऊ और उसके आसपास मलीहाबाद, जो न केवल दशहरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बल्कि लंगड़ा, चौसा और दूसरे आमों के लिए भी प्रसिद्ध है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, नर्सरी उपलब्ध कराने के लिए, उसकी बीमारी की रोकथाम करने के लिए और प्रतिवर्ष उतने ही फल देने वाली किस्मों का विकास करने के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाइए। यह प्रश्नकाल है।

[हिन्दी]

[illegible] क्वश्चन ऑवर है, यह डिस्कशन नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे हाथ में दर्द हो गया।

श्री राजेश पायलट : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, जहां कृषि मुख्य व्यवसाय है। माननीय मंत्री जी कृषि में रुचि भी बहुत लेते हैं। जब वे सरकार में नहीं थे तो हम लोगों को बहुत समझाया करते थे कि यह करना है, वह करना है और सेमीनार्स में बहुत ज्यादा मजबूत भाषा बोला करते थे। आज मैं दो मुद्दों पर मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और प्रश्न पूछूंगा। आज किसान मुख्य फसलों से दूर होता जा रहा है, चाहे वह गेहूं की हो, गन्ने की हो, जो भी मुख्य फसलें हैं, उनसे उसका ध्यान दूर जा रहा है, क्योंकि इनमें इनपुट इतनी बढ़ गई की आउटपुट उसको संभाल नहीं पा रही है। आज किसान को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हार्टीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही दो पहलू बच गये हैं। अगर इन दोनों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल के बाद किसान अपनी आवाज उठाने लायक भी रहेगा या नहीं। जो बजट सरकार ने अबकी बार दिया है, उसमें एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री पर थोड़ा भार दिया है। अगर सरकार की यह नीति है तो एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री भी ऊपर नहीं आएगी। माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए है, मेरी उनसे प्रार्थना है, आज वक्त है कि सरकार एक टास्क फोर्स इन दोनों पहलुओं के लिए बनाकर होर्टिकल्चर भी बढ़ाए और जैसा अभी हमारे सब माननीय सदस्यों ने कहा कि फूल-फल भी बढ़ाएं। शरद पवार जी बता रहे थे कि दुनिया में हमारा शेयर 0.25 प्रतिशत है। दशहरी आम दुनिया में नहीं जा रहा है और हम एक प्रतिशत भी फूल-फल, 50 बरसों की मेहनत के बावजूद दुनिया में नहीं भेज सके, जबकि हम ऐसा कर सकते हैं। मेरा सवाल है कि एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जाए, होर्टिकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए और किसान की सांस टूटने से कैसे रोकी जाए, क्या प्रधान मंत्री जी इस सम्बन्ध में टॉस्क फोर्स बनाने की पहल करेंगे?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और राज्य सरकारों के इन विभागों में जितनी बड़ी फौज उपलब्ध है, उसको देखते हुए टॉस्क फोर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहले से विद्यमान फौज का प्रयोग करने की बात है, जिसकी राजनैतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति आप कभी जुटा नहीं पाए, हम उसी का प्रयोग करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 404

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न की संख्या कही है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें मौका नहीं मिला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : जब से प्रश्नकाल शुरू हुआ है, हम भी हाथ उठा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग दें। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आपको भी मौका मिलेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप हमारे अधिकारों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। समय बहुत कम है कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए यह प्रश्नकाल है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो श्री मुकुल वासनिक कह रहे है उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया बैठ जाइए। यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

डेयरी विकास

***404. श्री मुकुल वासनिक :**
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार के पास पशुपालन और डेयरी विकास क्षेत्र, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, को आगे और बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डेयरी विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रशीतन संयंत्र, शीत भंडारण और प्रशीतन वाहन प्रदान करने की कोई योजनाएं बनाई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) यद्यपि पशुपालन और डेयरी विकास का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का है, फिर भी इस संबंध में राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देने की भारत सरकार की योजना है।

केन्द्र सरकार ने नौवीं योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष बल दिया है:-

- अनुवांशिक संसाधनों का विकास,
- आहार और चारा विकास,
- पशु स्वास्थ्य देख-रेख और प्रबंधन,
- पशुधन उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन, और
- पशुपालन सांख्यिकी और सूचना प्रणाली का विकास।

(ग) से (ङ) "गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए समेकित डेयरी विकास परियोजना" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत डेयरी विकास में वृद्धि करने के लिए, प्रशीतन संयंत्रों, शीतागारों और रेफ्रीजरेटेड वाहनों तथा अन्य बुनियादी ढांचों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की जाती है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, श्री राजेश पायलट के प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पर उंगुली उठाई है, इसका क्या कारण है, मैं बताना चाहूंगा। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय योजना निधि में पशुपालन और डेयरी

विकास के लिए आबंटन का प्रतिशत 1.1 प्रतिशत था जबकि इस योजनावधि के दौरान केन्द्रीय योजना निधि का यह प्रतिशत घटकर 0.3 प्रतिशत है। अब हम समझेंगे कि राजनीतिक इच्छा क्या है और क्या नहीं है।

इसके अलावा, मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में प्रत्येक सदस्य किसानों की और कृषि और सहायक कार्यकलापों के विविधीकरण की आवश्यकता की बात करेगा। इस योजनावधि के दौरान पशुपालन और डेयरी विकास विभाग ने 3151.57 करोड़ रुपये के आबंटन की मांग की थी किंतु केवल 1980 करोड़ रुपये आबंटित किए गए।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभाग द्वारा की गई मांग से कम राशि के आबंटन के कारण किन योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सरकार किन कदमों को उठाने की योजना बना रही है ताकि ये योजनाएं विफल न हो और इन कार्यक्रमों पर आवश्यक बल दिया जाए।

श्री सोमपाल : महोदय कोई भी योजना प्रभावित नहीं होगी और जहां तक आबंटन का संबंध है भारत सरकार के आंकड़ों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सभी पिछली योजनाओं में संपूर्ण कृषि क्षेत्र का आबंटन न केवल कुल योजना राशि आबंटन की दृष्टि से अपितु वास्तविक अर्थों में कम हुआ है। इस वर्ष हमने आबंटन में एक वर्ष में 58 प्रतिशत वृद्धि करने का निर्णय किया है जो एक रिकार्ड है, डेयरी क्षेत्र के आबंटन में पहले से अधिक वृद्धि की गई है। इसलिए योजनाओं के प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मुकुल वासनिक : प्रश्न के 'ग', 'घ' और 'ङ' भागों के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि "गैर आपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए समेकित डेयरी विकास परियोजना" के अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जाती है, जब मंत्री महोदय ने कहा है कि आबंटन राशि में वृद्धि की गई है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विशेष योजना के लिए पिछली योजनावधि में 200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे और इस वर्ष भी केवल 200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। तथापि, मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के साथ उस विशेष योजना में सिंचाई सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।

मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग 'ख' यह है कि स्थायी समिति, जिसने पिछले वर्ष की अनुदानों की मांगों पर विचार किया था, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पशुपालन और डेयरी विकास विभाग में घटती रुचि और इस विभाग के आबंटित राशि में कमी के कारण सरकार को तत्काल पशुपालन और डेयरी विकास विभाग नामक एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए। इस बिन्दु पर मैं माननीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की अपेक्षा करता हूं। स्थायी समिति की इस विशेष सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री सोमपाल : महोदय पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र डेयरी विकास के बारे में प्रौद्योगिकी मिशन के संचालन के अन्तर्गत पहले ही शामिल कर लिए गए है। गैर-आपरेशन फ्लड क्षेत्रों को इसमें पहले ही शामिल किया जा चुका है।

श्री मुकुल वासनिक : मैंने सिंचाई सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के बारे में प्रश्न पूछा है।

श्री सोमपाल : मेरे विचार से जब हम पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करते हैं तो यह निर्णय करने के लिए कि क्या यह पिछड़ा क्षेत्र है या नहीं सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता को भी एक मानदंड के रूप में लिया जाता है। ऐसा होना चाहिए, किंतु इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों की पहचान विभिन्न मानदंडों के आधार पर की जाती है, इसके लिए एक विशेष योजना है और गैर आपरेशन फ्लड क्षेत्रों में उसे डेयरी विकास के बारे में प्रौद्योगिकी मिशन देख रहा है।

जहां तक मंत्रालय बनाए जाने का संबंध है पशुपालन और डेयरी विकास विभाग एक अलग विभाग है इस विभाग का एक मंत्री होता था अब यह कृषि मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में इस विभाग के लिए अलग मंत्रालय बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मुकुल वासनिक : मैं कह रहा था कि स्थायी समिति ने पृथक मंत्रालय की सिफारिश की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी इस मंत्रालय का गठन करेंगे क्योंकि आबंटन राशि व्यय कर दी गई है और इस ओर रूझान की भी कमी है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम तीन चरणों में पूर्ण हुआ, जिसमें 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए। डेयरी विकास के लिए एक जिला और एक राज्य में 1800 करोड़ रुपए में से 468 करोड़ रुपए खर्च हुए और अन्य राज्यों में कहीं 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ और 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा आपरेशन फ्लड स्कीम में 270 जिलों को कवर करना था, लेकिन 200 जिलों में ही यह स्कीम लागू हुई और 70 जिले छूट गए। तीसरी बात, 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए और 76 विलेज डेयरी को-आपरेटिव बनीं, जिनमें से 22 हजार नॉन-फंग्शनिंग है और 15 हजार में आर्टिफिशियल इन्सैमिनेशन का प्रावधान है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि

क्या सरकार आपरेशन फ्लड स्कीम को फिर शुरू करना चाहती है? आपरेशन फ्लड की योजना में जिन जिलों को लेना था जिन जिलों को आपरेशन फ्लड में कवर नहीं किया गया और इनटेग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी कवर नहीं किया गया, जबकि वहां इसकी पोटेंशियलिटी है, क्या सरकार जो जिले इन दोनों स्कीमों में छूट गए हैं, उनको भी आपरेशन फ्लड योजना में लेना चाहती है और जो जिले आपरेशन फ्लड स्कीम और इन्टेग्रेटेड डेयरी डवेलपमेंट में छोड़ दिए गए हैं, उनको डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में लेना चाहती है? इसके साथ ही 76 हजार विलेजेज जिलों में से जो 22 हजार विलेजेज नॉन फंग्शनिंग है, उनका क्या सरकार फिर से पुनर्वास करना चाहती है? नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख विलेजेज...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए। अन्यथा, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक लाख विलेजेज जो डेयरी कोआपरेटिव प्रोग्राम, विलेज डेयरी प्रोग्राम चालू करने और नॉन फंग्शनिंग डेयरी कोआपरेटिव को फंग्शनिग करने के लिए आपरेशन फल्ड और इन्टेग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो छूट गए हैं, उनको क्या आपरेशन फल्ड नं. 4 में चालू करना चाहती है?

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल में एक सवाल के अन्तर्गत छ:-छ: और सात-सात सवाल पूछने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, लिखित उत्तर असंतोषजनक है और इसीलिए डेयरी विकास से संबंधित प्रश्न मैंने पूछा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपरेशन फल्ड संख्या 1, 2 और 3 का सवाल है, ये तीनों पूर्ण हो चुकी है। जो गांव इनमें कवर नहीं हुए, उनको दूसरे कार्यक्रमों में जैसे सघन डेयरी विकास कार्यक्रम में कवर किया जाएगा। आपरेशन फल्ड संख्या 4 कार्यक्रम को अभी प्रारम्भ करने की कोई योजना अभी नहीं है। माननीय सदस्य स्वयं मंत्री रहे हैं *...(व्यवधान)* पुराने संस्कार हैं, उनको मंत्री बने देखा है, इसलिए मुंह से मंत्री निकल जाता है। माननीय सदस्य स्वयं मंत्री रह चुके हैं और जितनी प्रगति उन्होंने की है, उसके बाद हमें यह व्यवस्था विरासत में मिली है, इसलिए उनको बेहतर जानकारी है कि वे क्यों नहीं कर पाए। जो काम रह गया है, उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जो सहकारी संस्थायें ग्रामीण और जनपदीय स्तर पर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको पुनर्वास करने के लिए योजना है। इनको अभी समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चालू रहेगी और उनका पुनर्वास किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा. संजय सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. संजय सिंह : महोदय, पर्यावरण संतुलन के लिए मानव जनसंख्या और पशु संख्या के औसत को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। रिपोर्ट के आधार पर गोहत्या एवं गोवंश हत्या की वजह से पशुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कोई कार्य योजना है? और अगर कोई योजना है, तो क्या वह कार्य कर रही है?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सोमपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कथन बिल्कुल सही है कि पर्यावरण संतुलन में पशुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। उनसे न केवल पोष्टिक पदार्थ मिलते है बल्कि गोबर जैसी कम्पोस्ट खाद भी मिलती है, जिससे मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है। जहां तक उनकी घटती संख्या का प्रश्न है यह बात सही है और कई चिन्तकों ने इस विषय में चिन्ता व्यक्त की है कि पशुओं की संख्या घट रही है, परन्तु पशु संवर्धन और विशेषकर गो संवर्धन के लिए भारत

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार के पास निश्चित योजनाएं हैं और उनको सदा प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

***405. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किन-किन फसलों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने उन फसलों के लिए जिनका अभी तक बीमा नहीं कराया गया है, बीमा योजनाओं को लागू करने के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांग के प्रत्युत्तर में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां, केन्द्रीय सरकार ने बृहत फसल बीमा स्कीम की समीक्षा करने के लिये 1986 में कृषि और सहकारिता विभाग में तत्कालीन अपर सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चशक्ति प्राप्त दल गठित किया था। इस दल की सिफारिशों के अनुसरण में, इस स्कीम में खरीफ, 1988 के मौसम से कुछ परिवर्तन किए गए थे। ये परिवर्तन इस प्रकार थे:-

1. बीमे की राशि 10,000/- रुपये प्रति किसान तक सीमित कर दी गई (जबकि पहले यह धनराशि 15,000/- रुपये थी) भले ही किसान द्वारा लिए गए ऋण की रकम कुछ भी हो।

2. बीमें की कुल धनराशि फसल ऋण के 100 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई (जबकि पहले यह 150 प्रतिशत थी)।

इन परिवर्तनों के अतिरिक्त (1988-89 के रबी मौसम से) विभिन्न फसलों के लिये क्षतिपूर्ति का स्तर भी निम्नानुसार बदल दिया गया था:-

वर्ष	पैदावार में अंतर	क्षतिपूर्ति
निम्न	15 प्रतिशत तक	90 प्रतिशत
मध्यम	16-30 प्रतिशत	80 प्रतिशत
उच्च	30 प्रतिशत से अधिक	60 प्रतिशत

कार्यान्वयन करने वाले राज्यों की मांगों को देखते हुए वर्ष 1992 में यह निर्णय लिया गया कि वृहत फसल बीमा योजना को सुधारा जाये ताकि इसे वित्तीय रूप से व्यवहारिक और बड़े आधार वाली योजना बनाया जा सके। सरकार ने विभिन्न वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार किया। एक समय, बृहत फसल बीमा योजना में सुधार के बारे में राज्य सरकारों तथा संसद सदस्यों से भी सुझाव मांगे गये थे। उनके सुझावों के आधार पर और कृषक समुदाय के कम संसाधनों वाले वर्गों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिये एक प्रायोगिक फसल बीमा योजना रबी 1997-98 मौसम से आगे आरम्भ की गई जिसमें सभी छोटे और सीमांत किसान (ऋणी और गैर ऋणी दोनों छोटे और सीमांत किसान) शामिल किए गए। इस योजना की स्वीकृति की शर्त के तहत अपेक्षा के अनुसार हाल ही में इस योजना की समीक्षा की गई।

(ग) वृहत फसल बीमा स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित फसलें हैं-गेहूं, धान, कदन्न, (मक्का सहित), तिलहन और दलहन।

(घ) और (ङ) वृहत् फसल बीमा स्कीम के अन्तर्गत और अधिक फसलों को शामिल करने के लिये राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं हैं। लेकिन, कार्यान्वयन करने वाले राज्य समय-समय पर और अधिक फसलों तथा किसानों को शामिल करने का अनुरोध करते रहे हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वृहत् फसल बीमा स्कीम में सुधार का प्रस्ताव है ताकि किसानों और फसलों के मामले में कवरेज बढ़ाई जा सके।

[हिन्दी]

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास

***406. श्री महेश कनोडिया :**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) देश के विभिन्न राज्यों आदि में औद्योगिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट स्कीमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा प्रतिपादित और कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) जबकि 'पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना मुख्यत: संबंधित राज्य का दायित्व है, केन्द्र सरकार ने भी देश में ग्रामीण क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास हेतु कई स्कीमें शुरू की हैं, जैसे विकास केन्द्र स्कीम, परिवहन सब्सिडी स्कीम, एकीकृत आधारसंरचना विकास केन्द्र स्कीम, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम।

[अनुवाद]

भारत-पाक वार्ता

***407. श्री नरेश पुगलीया :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को कश्मीर सहित द्विपक्षीय मुद्दे से संबंधित सभी बातों पर सार्थक और निरन्तर वार्ता करने के लिए आगे आने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1972 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित शिमला समझौते की भावना के अनुरूप पाकिस्तान के साथ वार्ता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) 14 जून, 1998 को प्रधान मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने और सहयोग की एक स्थायी संरचना को विकसित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पत्र लिखा। प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से यह भी कहा कि सार्क शिखर सम्मेलन के लिए कोलम्बो में उनकी उपस्थित परस्पर हित के सभी मसलों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करने तथा यह निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी कि बातचीत की प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने 23 जून, 1998 को अपने उत्तर में कोलंबों में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बातचीत करने के हमारे प्रधान मंत्री के सुझाव पर सहमति व्यक्त की है। यह बैठक भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच इस प्रकार की द्विपक्षीय बैठकों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए होगी।

शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान अपने मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने पर सहमत हुए थे। भारत पाकिस्तान के साथ सभी अनसुलझे मामलों को सीधी द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से हल किए जाने के प्रति कृतसंकल्प है।

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.

***408. श्री थावरचंद गेहलोत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. का विस्तार करने और उसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 को छोड़कर 1970-71 से लेकर 1997-98 तक लाभ कमा रहा है। उपर्युक्त अवधि के दौरान कंपनी के कारोबार तथा लाभ और हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

संलग्न तालिका से पता चलेगा कि कंपनी को वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में हानि हुई। यह भी पता चलेगा कि कंपनी का कारोबार जोकि उसके प्रचालन के प्रथम

वर्ष अर्थात् 1968-69 में 1.64 करोड़ रु. था वर्ष 1997-98 में लगभग 178 करोड़ रु. हो गया। लेकिन मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि., के डबलरोटी बनाने वाले 14 संयंत्र-डबलरोटी इसका प्रमुख उत्पादन है-बहुत-पुराने हो गए हैं। इन संयंत्रों में से 9 की स्थापना वर्ष 1965-70 के दौरान की गई थी जबकि 4 अन्य संयंत्रों की स्थापना वर्ष 1975 से 1979 के दौरान की गई थी। इसलिए, कंपनी ने सितम्बर, 1996 में आंतरिक अध्ययन का कार्य शुरू किया जिसमें इसकी प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण, उन्नयन और पुराने तथा घिसे-पिटे उपकरणों को बदलना शामिल था। यह अध्ययन जनवरी 1997 में पूरा हुआ। उससे पता चला कि उपर्युक्त कार्यों के लिए 85 करोड़ रु. के पूंजी निवेश की आवश्यकता है। जबकि कंपनी के पास उस समय केवल 6 करोड़ रु. के लगभग आतंरिक संसाधन ही उपलब्ध थे, इसलिए वित्तीय संस्थानों से 25 करोड़ का कर्जा लेने के बावजूद कंपनी के लिए अपने आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु 85 करोड़ रु. की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया।

इसी दौरान, सितम्बर 1997 में सरकार ने एक स्ट्रेजिक पार्टनर के रूप में मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. में अपनी इक्विटी का 50% विनिवेश करने का निर्णय लिया। तब से उपर्युक्त निर्णय को प्राप्त करने हेतु सरकार ने एक ऐसे विश्व सलाहकार का चयन किया है जो एक ऐसे स्ट्रेटजिक पार्टनर का पता लगाएगा जो उपयुक्त मूल्यांकित कीमत और आपूर्ति, समकालीन प्रक्रिया तथा उपकरण वाली कंपनी की 50% सरकारी इक्विटी को खरीदेगा ताकि संयुक्त उद्यम मिलकर हमारे उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न किस्म के बेकरी और सहायक का उत्पाद बना सके।

उपर्युक्त विनिवेश और स्ट्रेटजिक पार्टनर के चयन के बावजूद भी कंपनी अपने वर्तमान संयंत्र उपकरणों, प्रौद्योगिकी और कार्यदल से हर संभव निष्पादन को प्राप्त करने हेतु अग्रसर है। उदाहरणतः , वर्ष 1998-99 के लिए कंपनी द्वारा सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में प्रौद्योगिकी के उन्नयन, विपणन क्षमता को मजबूत करना और कार्यक्षमताओं एवं आंतरिक संसाधनों के विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं।

ये वस्तु उद्देश्य हैं जिनका समझौता ज्ञापन के तहत कंपनी के कुल निष्पादन स्कोर 14% के स्कोर सहित, कंपनी के निष्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। समझौता ज्ञापन के तहत इस स्कोर में, कंपनी के बेकरी उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की संतुष्टि के स्तर की गणना, लेखा एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण और मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिए जाने हेतु अध्ययन शामिल हैं।

विवरण

मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि.
कारोबार एवं लाभ और हानि का विवरण

(लाख रु. में)

वर्ष	कारोबार	लाभ/हानि
1967-68	0.00	-6.84
1968-69	163.81	-2.34
1969-70	243.81	-9.29
1970-71	408.43	8.42
1971-72	596.20	52.93
1972-73	764.32	62.45
1973-74	866.02	77.02
1974-75	1273.38	103.14
1975-76	1294.03	17.59
1976-77	1380.79	43.19
1977-78	1466.66	57.21
1978-79	1485.79	46.51
1979-80	1745.60	49.67
1980-81	2085.98	45.69
1981-82	2621.46	185.64
1982-83	3080.17	204.73
1983-84	3389.12	223.29
1984-85	3424.65	139.13

वर्ष	कारोबार	लाभ/हानि
1985-86	3420.20	153.14
1986-87	4224.73	175.20
1987-88	4639.48	110.07
1988-89	4851.35	-68.16
1989-90	5279.57	-50.61
1990-91	5775.04	-256.64
1991-92	6550.69	-302.34
1992-93	8225.29	141.68
1993-94	8128.35	65.19
1994-95	11264.78	573.99
1995-96	14022.13	1151.59
1996-97	16682.25	1645.30
1997-98 (अनंतिम)	17836.00	648.41
कुल	137190.8	5284.96

पदोन्नति के लिए मानदण्ड

***409. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :**
श्री के.एच. मुनियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की प्रणाली समाप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के संघों, अन्य एसोसियेशनों तथा व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली पर आधारित पदोन्नति के विरुद्ध अनेक मामले केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण तथा अन्य न्यायालयों में लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय का विचार वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जो पक्षपातपूर्ण असंगत, अविश्वसनीय और अप्रामाणिक होती है, पर निर्भर रहने की बजाय कर्मचारियों की पदोन्नतियों के समय उनके कार्यनिष्पादन का आकलन करने हेतु वस्तुनिष्ठ, परीक्षा प्रणाली लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी सूचना केन्द्रीकृत आधार पर नहीं रखी जाती।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय, पदोन्नति की मौजूदा प्रणाली में परिवर्तन करने के बारे में सरकार की कोई योजना नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

ट्रैक्टरों की खरीद और ड्रिप सिंचाई प्रणाली

***410. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने और देश में ड्रिप सिंचाई प्रणाली लागू करने के लिये राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में ड्रिप सिंचाई प्रणाली द्वारा राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है;

(घ) क्या बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है और किसानों को कितनी राजसहायता दी;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या महाराष्ट्र सरकार ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिये केन्द्रीय सहायता की धनराशि 100 करोड़ रुपये तक बढ़ाने और इसे मंजूर करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ज) क्या इस योजना से केवल बड़े किसानों को लाभ मिल रहा है; और

(झ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और [illegible] जी. हां। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम छोटे किसानों में कृषि [illegible] को प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल लागत के 30% की दर से [illegible] पावर आफटेक हार्स पावर वाले प्रति ट्रैक्टर 30,000 रु. अधिकतम की सीमा तक राज सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार कृषि में प्लास्टिक का उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत के 90% की दर से किन्तु 25000 रु. प्रति है. अधिकतम एवं अन्य कृषकों को लागत के 70% की दर से किन्तु 25000 रु. प्रति है. अधिकतम तक राजसहायता दी जा रही है। इसी प्रकार की राज सहायता (1) गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास एवं (2) तेल पाम विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत दी जा रही है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-। में, दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1998-99 के दौरान कृषकों में वितरण के लिए बजट प्रावधानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है।

(च) और (छ) महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 100 करोड़ रु. के अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। कुल 81.00 करोड़ रु. के बजट प्रावधान में से राज्य सरकार को 24.47 करोड़ रु. पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं जो वर्ष 1997-98 के दौरान किसी राज्य के लिए अधिकतम आवंटन है। कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के दौरान 110.00 करोड़ रु. के कुल आवंटन में से महाराष्ट्र को 28.19 करोड़ रु. आबंटित किए जा चुके हैं।

(ज) और (झ) जी, नहीं। इस स्कीम में छोटे, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों के लिए लागत के 90% की दर से अधिकतम राजसहायता की परिकल्पना की गई है। महाराष्ट्र राज्य में, वर्ष 1997-98 के दौरान ड्रिप सिंचाई पर कुल राजसहायता का 45% से भी अधिक अंश इन वर्गों के किसानों को वितरित किया गया।

विवरण I

आठवीं योजना के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	शामिल किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	14606
2.	अरूणाचल प्रदेश	75
3.	असम	38
4.	बिहार	0
5.	गोवा	300
6.	गुजरात	4451
7.	हरियाणा	1404
8.	हिमाचल प्रदेश	85
9.	जम्मू एवं कश्मीर	33
10.	कर्नाटक	31967
11.	केरल	4688
12.	मध्य प्रदेश	2526
13.	महाराष्ट्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	45879
	महाराष्ट्र (राज्य क्षेत्र)	56195
14.	मणिपुर	184

1	2	3
15.	मेघालय	16
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	252
18.	उड़ीसा	1778
19.	पंजाब	1086
20.	राजस्थान	1706
21.	सिक्किम	98
22.	तमिलनाडु	18563
23.	त्रिपुरा	0
24.	उत्तर प्रदेश	689
25.	पश्चिम बंगाल	9
26.	दादरा व नागर हवेली	3
27.	दमण व दीव	24
28.	दिल्ली	4
29.	लक्षद्वीप	0
30.	चण्डीगढ़	0
31.	अण्डमान व निकोबार	0
32.	पाण्डिचेरी	60
	योग	186718

विवरण II

वर्ष 1998-99 के दौरान कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत परिव्यय एवं प्रथम किस्त के रूप में निर्मुक्त धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	कुल परिव्यय	ड्रिप स्थापना के लिए परिव्यय	निर्मुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1410.75	1370.25	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	69.75	29.25	24.00
3.	असम	32.15	16.65	0.00
4.	बिहार	73.28	46.13	0.00
5.	गोवा	28.83	13.95	14.00
6.	गुजरात	226.63	216.00	0.00
7.	हरियाणा	105.43	74.25	52.00
8.	हिमाचल प्रदेश	39.68	2.66	0.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	534.05	11.93	83.00
10.	कर्नाटक	2452.93	2389.50	1400.00
11.	केरल	415.65	380.25	290.00
12.	मध्य प्रदेश	245.38	228.38	70.00
13.	महाराष्ट्र	2818.65	2733.75	700.00
14.	मणिपुर	100.80	71.55	50.00
15.	मेघालय	78.38	48.38	36.00

1	2	3	4	5
16.	मिज़ोरम	65.63	31.73	32.00
17.	नागालैंड	96.60	63.23	0.00
18.	उड़ीसा	239.00	231.75	0.00
19.	पंजाब	156.80	131.18	60.00
20.	राजस्थान	384.90	368.10	130.00
21.	सिक्किम	53.30	6.98	0.00
	[illegible]नाडु	1060.00	1026.00	625.00
23.	त्रिपुरा	52.30	27.27	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	61.13	51.75	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	11.80	5.18	0.00
26.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	2.90
27.	दमण व दीव	0.00	0.00	0.00
28.	दिल्ली	5.59	4.45	0.00
29.	लक्षद्वीप	1.10	0.95	2.90
30.	चण्डीगढ़	5.86	4.45	0.00
31.	अण्डमान व निकोबार	5.86	4.45	0.00
32.	पाण्डिचेरी	6.44	5.75	0.00
33.	एन.सी.पी.ए.	161.40	0.00	53.00
	योग	11000.00	9596.05	3624.80

[हिन्दी]

अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव

***411. श्री विजय गोयल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) भारत के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में अमेरिका कितनी सहायता करता रहा है;

(ग) क्या उक्त प्रतिबंधों की घोषणा के बाद सरकार ने अन्तरिक्ष कार्यक्रम के लिए दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो अनुदान में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) आगामी एक वर्ष में प्रमोचन के लिए निर्धारित विद्यमान उपग्रह एवं प्रमोचन परियोजनाओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विभाग का आकलन यह है कि अनुसूची और लागत विस्तार के संदर्भ में अमेरिकी प्रतिबंधों का भावी मिशनों पर नाममात्र का प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, विभाग ने महत्वपूर्ण मदों के स्वदेशी विकास के संदर्भ में वैकल्पिक कार्य योजनाओं का पहले ही विस्तार कर दिया है, जोकि पहले ही पर्याप्त प्रगति में है।

(ख) अमेरिका की भूमिका लागत-प्रभावोत्पादकता के कारणों से भारतीय अन्तरिक्ष परियोजनाओं के लिए मुख्य रूप से कुछ उपस्करों की वाणिज्यिक आपूर्ति तक ही सीमित है। हाल ही में, पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक सहयोग के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा) और राष्ट्रीय समुद्रविज्ञानीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (एन.ओ.ए.ए.) तथा भारत सरकार के अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के बीच एक सहयोगी व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त, अमेरिका की एक कम्पनी मेसर्स स्पेस इमेजिंग-इयोसैट, यू.एस.ए. एक वाणिज्यिक समझौते के अन्तर्गत मेसर्स एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन, जोकि अन्तरिक्ष विभाग का एक वाणिज्यिक अंग है, के साथ भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का विदेशों में विपणन करती है।

(ग) जी, नहीं। वर्ष 1998-99 में उपलब्ध कराई गई निधि अन्तरिक्ष कार्यक्रम की योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुरूप है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) चालू वर्ष के लिए प्रतिबंध का मूल्य प्रभाव अधिक होने की संभावना नहीं है। इसलिए, प्रतिबंधों की घोषणा के बाद विभाग ने चालू वर्ष के बजट में किसी वृद्धि की मांग नहीं की है।

[अनुवाद]

एशियन रीजनल फोरम में पाकिस्तान का प्रवेश

***412. श्री भुवनेश्वर कालिता :**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के एशियन रीजनल फोरम में प्रवेश करने की अनुमति देने के कुछ देशों के प्रस्ताव पर भारत ने कड़ी आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अपनी प्रतिक्रिया इसके सदस्य देशों को बता दी है;

(ग) यदि हां, तो भारत की मुख्य आपत्तियां क्या हैं; और

(घ) सदस्य देश इससे किस हद तक सहमत हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) एशियाई क्षेत्रीय मंच में नए सदस्यों के प्रवेश के लिए सदस्यों की सर्वानुमति अपेक्षित होती है। पाकिस्तान की भागीदारी के बारे में सदस्य देशों के बीच ऐसी कोई सर्वानुमति नहीं है। तदनुसार एशियाई क्षेत्रीय मंच ने इस माह के अन्त में होने वाली अपनी बैठक के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित न करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से औपचारिक तौर पर हमें 18 जून, 1998 को नई दिल्ली में अवगत कराया गया था।

जल प्रबंधन

***413. श्री डी.एस. अहिरे :**
डा. सरोजा वी. :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल संसाधनों में वृद्धि तथा उनका दोहन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता पहुंचाने हेतु देश में क्रियान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इनमें से प्रत्येक योजना के लिए प्रत्येक राज्य विशेष रूप से महाराष्ट्र को वर्षवार कितना आबंटन किया गया तथा कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) अतिरिक्त जल का संरक्षण करने तथा जल संसाधनों का दोहन करने के संबंध में प्रत्येक राज्य की क्या उपलब्धि रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में जल संसाधनों को बढ़ाने और उन्हें काम में लाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के वास्ते नौ केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनाएं हैं:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय	प्रचालन के तहत योजनाएं
1. जल संसाधन मंत्रालय	1. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम
	2. लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण
	3. सतलुज-यमुना संपर्क नहर
2. कृषि और सहकारिता मंत्रालय	4. नदी-घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण
	5. बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण
	6. वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना
3. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	7. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
	8. मिलियन वेल्स स्कीम
	9. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

इन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-। पर दिए गए हैं।

(ख) राज्यों को संबंधित योजनाओं की अनुमोदित वित्तीय पद्धतियों के आधार पर केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों की महाराष्ट्र सहित राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण II (क) से II (ज) में दी गई है। सतलुज-यमुना संपर्क नहर योजना के मामले में राज्य सरकार द्वारा कार्य रोके जाने के कारण इस अवधि के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) जल संरक्षण और जल संसाधनों को काम में लाने के संबंध में विभिन्न कार्यकलापों का प्रभाव कई कारणों से होता है, और इसलिए इसकी मात्रा का निर्धारण करना कठिन है। तथापि, खेत संबंधी विकास की मुख्य मदों अर्थात् खेत चैनलों का निर्माण, वाराबन्दी और भूमि समतलन के अंतर्गत सिंचाई जल का संरक्षण करके कुशल जल प्रबंधन के लिए कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त सुविधाएं मुहैय्या कराने के वास्ते प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

विवरण I

I. देश में जल संसाधनों को बढ़ाने तथा काम में लाने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजना के ब्यौरे

क्र.सं.	योजना का नाम	स्कीम को कार्यान्वित करने वाला मंत्रालय	प्रारंभ करने का वर्ष/योजना	मुख्य घटक	वित्त पोषण स्वरूप	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	जल संसाधन मंत्रालय	1974-75	(1) खेत चैनलों का निर्माण	50:50	इस योजना में सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन को ईष्टतम करने के लिए खेत स्तर पर
				(2) वाराबंदी	केन्द्र: राज्य	कुशल सिंचाई जल उपयोग की कल्पना
				(3) भूमि समतलन	अभिज्ञात मुद्दों के लिए ऋण और अनुदान	की गई है। इसमें 23 राज्यों और 2 संघ शसित क्षेत्रों में फैले हुए 21.78 मिलियन हेक्टेयर की कृषि कमान क्षेत्र वाली 218 परियोजनाएं सम्मिलित हैं।
2.	लघु सिंचाई सांख्यिकी का युक्तिकरण	जल संसाधन मंत्रालय	आठवीं योजना	युक्तिकरण/आंकड़े तैयार करना	राज्य को 100% केन्द्रीय अनुदान	यह योजना भविष्य में उपलब्ध जल संसाधनों को बढ़ाने और काम में लाने के लिए आयोजना में अप्रत्यक्ष रूप में मदद करेगी।

1	2	3	4	5	6	7
3.	सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना	जल संसाधन मंत्रालय	1982	पंजाब के लिए जरिए 121 कि.मी. लंबी नहर का निर्माण	100% केन्द्रीय सहायता	इस योजना में रावी-व्यास जल में से हरियाणा के हिस्से की आपूर्ति की कल्पना की गई है। यह कार्य 1990 में स्थगित हो गया। इस समय यह मामला न्यायाधीन है।
4.	नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्र के मृदा संरक्षण	कृषि और सहकारिता मंत्रालय	III योजना	(1) जल कृषि संरचनाओं और खेत तालावों का निर्माण (2) अवसाद रोकना (3) जांच बंधों और ड्राप स्पिलवे आदि को जारी रखना (4) कृषि वानिकी, बागवानी और अन्य जैव उपाय	(1) 100% केन्द्रीय सहायता (राज्य का 50% अनुदान : 50% ऋण) (2) डी.वी.सी. के लिए बराबर बराबर आधार पर 50% अनुदान।	इस समय महाराष्ट्र सहित 18 राज्यों में 31 आवाह क्षेत्र सम्मिलित हैं।
5.	बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह में मृदा संरक्षण	कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय	VI योजना	कंटूर ग्रेडिड बंडिग (रुपरेखा ग्रेडिड बांध) वृक्षारोपण, कृषि वानिकी, जल कृषि संरचनाओं आदि जैसे मृदा एवं जल संरक्षण उपाय	100% केन्द्रीय सहायता 50% अनुदान एवं राज्यों को 50% ऋण	इस समय इस योजना के अंतर्गत 8 राज्यों में फैले हुए 10 आवाह हैं। इस योजना को नौवीं योजना के प्रथम वर्ष में नदी घाटी परियोजना में शामिल कर लिया गया है।
6.	वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना	-तदैव-	1990-91	(1) नवी संरक्षण उपायों के जरिए कृष्य और अकृष्य भूमि का सुधार (2) वृक्षारोपण, घास और चारा कृषि आदि।	75% अनुदान और राज्यों को 25% ऋण	यह योजना महाराष्ट्र सहित 25 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है। इस योजना को नौवीं योजना में कार्यान्वित किया जा रहा है।
7.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	1980	भूजल के उपयोग सहित विभिन्न उपायों के माध्यम के ग्रामीण लोगों की निर्धनता उन्मूलन संबंधी क्रिया कलाप	उपयुक्त (मैचिंग) आधार पर 50% केन्द्र और 50% राज्य तथा अभिज्ञात समूहों को आर्थिक सहायता।	यह बहुत लोकप्रिय ग्रामीण विकास कार्यक्रम है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	मिलियन वेल्स स्कीम	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय	आठवीं योजना	(1) गरीब किसानों को खुले सिंचाई कुआं मुहैया कराना (2) जल कृषि संरचनाओं का निर्माण	80:20 केन्द्र:राज्य	संघ शासित क्षेत्रों के लिए शत प्रतिशत व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है।
9.	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	-तथैव-	प्रथम योजना	ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति।	50:50 केन्द्र:राज्य	वर्ष 1990-91 में इस योजना को राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के नाम से पुनर्नामित किया गया।

विवरण II

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा

(इकाई : लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि			
		1995-96	1996-97	1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	190.81	99.40	3839.57	4129.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	62.00	0.00	124.00	186.00
4.	बिहार	100.00	0.00	0.00	100.00
5.	गोवा	13.81	39.00	20.00	72.81
6.	गुजरात	550.14	444.38	97.11	1091.63
7.	हरियाणा	1060.00	1247.18	1116.85	3424.03
8.	हिमाचल प्रदेश	4.00	44.02	73.07	121.09

1	2.	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	277.61	252.23	189.90	719.74
10.	कर्नाटक	681.80	845.59	437.87	1965.26
11.	केरल	774.46	466.96	200.00	1441.42
12.	मध्य प्रदेश	70.00	65.00	6.25	141.25
13.	महाराष्ट्र	1446.69	1439.92	298.30	3184.91
14.	मणिपुर	102.04	130.69	86.91	319.64
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	362.82	353.99	231.47	948.28
18.	राजस्थान	2925.27	3948.17	2226.65	9100.39
19.	तमिलनाडु	1212.94	2081.99	552.46	3847.39
20.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	2204.13	2022.60	3057.83	7284.56
22.	पश्चिम बंगाल	206.57	112.19	90.00	408.76
23.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	अध्ययन और अन्य	164.77	142.53	319.88	727.18
	कुल	12410.16	13835.84	12968.12	39214.12

विवरण II(ख)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान लघु सिंचाई सांख्यिकी के युक्तिकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र द्वारा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अवधि के दौरान जारी की गई धनराशि 1995-96	1996-97	1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.450	12.210	10.000	37.660
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	0.000
	असम	3.930	4.180	5.080	13.190
4.	बिहार	7.960	-	-	7.960
5.	गोवा	-	-	-	0.00
6.	गुजरात	10 490	13.580	12.910	36.980
7.	हरियाणा	3.130	3.850	-	6.980
8.	हिमाचल प्रदेश	6.250	6.390	5.196	17.836
9.	जम्मू और कश्मीर	3.460	8.340	7.660	19.460
10.	कर्नाटक	-	-	-	0.000
11.	केरल	5.800	-	-	5.800
12.	मध्य प्रदेश	6.260	8.470	9.940	24.670
13.	महाराष्ट्र	-	-	-	0.000
14.	मणिपुर	-	-	-	0.000
15.	मेघालय	-	-	-	0.000

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	–	–	–	0.000
17.	नागालैंड	2.910	2.890	–	5.800
18.	उड़ीसा	6.730	6.670	8.480	21.880
19.	पंजाब	4.440	4.640	9.270	18.350
20.	राजस्थान	7.850	5.250	3.650	16.750
21.	सिक्किम	–	–	–	0.000
22.	तमिलनाडु	–	–	–	0.000
23.	त्रिपुरा	–	–	–	0.000
24.	उत्तर प्रदेश	18.460	–	–	18.460
25.	पश्चिम बंगाल	–	35.130	9.380	44.510
	कुल राज्य	103.120	111.600	81.566	296.286
26.	अंडमान और निकोबार	–	–	–	0.000
27.	दादर और नगर हवेली	1.210	–	1.870	3.080
28.	दमन और दीव	–	–	–	0.000
29.	दिल्ली	–	–	–	0.000
30.	लक्षद्वीप	–	–	–	0.000
31.	पांडिचेरी	–	–	–	0.000
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1.210	–	1.870	3.080
	कुल अखिल भारत	104.300	111.600	83.436	299.366

विवरण II(ग)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान नदी घाटी परियोजनाओं के आवाहों में मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि			कुल
		1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	525.000	773.000	668.000	1966.000
	असम	23.000	20.000	20.000	63.000
3.	बिहार	0.000	50.000	50.000	100.000
4.	गुजरात	299.000	333.000	266.000	898.000
5.	हिमाचल प्रदेश	546.000	430.000	400.000	1376.000
6.	जम्मू व कश्मीर	358.520	364.000	458.000	1180.520
7.	कर्नाटक	767.000	751.000	950.000	2468.000
8.	केरल	211.000	92.000	0.000	303.000
9.	मध्य प्रदेश	478.000	650.000	900.000	2028.000
10.	महाराष्ट्र	0.000	600.000	820.000	1420.000
11.	उड़ीसा	140.000	260.000	100.000	500.000
12.	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000
13.	राजस्थान	694.000	765.000	870.000	2329.000
14.	सिक्किम	240.000	0.000	0.000	240.000

1	2	3	4	5	6
15.	तमिलनाडु	522.000	600.000	600.000	1722.000
16.	त्रिपुरा	0.000	0.000	31.000	31.000
17.	उत्तर प्रदेश	453.480	360.000	100.000	913.480
18.	पश्चिम बंगाल	664.000	400.000	500.000	1564.000
	कुल	6648.000	6498.000	6733.000	19879.000

विवरण II(घ)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान बाढ़ प्रवण नदी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवधि जिसके दौरान राशि जारी की गई			कुल
		1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	303.00	50.00	48.00	401.00
2.	हरियाणा	138.00	70.00	90.00	298.00
3.	हिमाचल प्रदेश	219.00	150.00	250.00	619.00
4.	मध्य प्रदेश	230.00	450.00	694.00	1374.00
5.	पंजाब	50.00	40.00	30.00	120.00
6.	राजस्थान	957.00	758.00	747.00	2462.00
7.	उत्तर प्रदेश				
	(क) कृषि	1243.00	1396.00	1600.00	4239.00

1	2	3	4	5	6
	(ख) वन	202.00	240.00	400.00	846.00
	उप-जोड़	1445.00	1636.00	2000.00	5081.00
8.	पश्चिम बंगाल	101.00	15.00	0.00	116.00
9.	मुख्यालय	–	10.00	20.00	30.00
	कुल	3443.00	3179.00	3879.00	10501.00

विवरण II(क)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता की राज्यवार निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि			कुल
		1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	320.000	700.000	1020.000
2.	अरूणाचल प्रदेश	80.000	–	10.000	90.000
3.	असम	512.000	–	15.000	527.000
4.	बिहार	–	–	15.000	15.000
5.	गोवा	46.000	–	5.000	51.000
6.	गुजरात	–	332.000	700.000	1032.000
7.	हरियाणा	55.000	60.000	80.000	195.000
8.	हिमाचल प्रदेश	265.000	60.000	120.000	445.000
9.	जम्मू व कश्मीर	118.000	–	108.000	226.000

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	476.000	1095.000	2100.000	3671.000
11.	केरल	–	700.000	500.000	1200.000
12.	मध्य प्रदेश	1977.000	3700.000	1750.000	7427.000
13.	महाराष्ट्र	3290.000	2754.000	2500.000	8544.000
14.	मणिपुर	75.000	100.000	250.000	425.000
15.	मेघालय	55.000	–	15.000	70.000
16.	मिजोरम	–	–	225.000	225.000
17.	नागालैंड	–	18.000	160.000	178.000
18.	उड़ीसा	1580.000	1000.000	1200.000	3780.000
19.	पंजाब	–	–	40.000	40.000
20.	राजस्थान	2855.000	3016.000	2850.000	8721.000
21.	सिक्किम	10.000	41.000	90.000	141.000
22.	तमिलनाडु	420.000	240.000	900.000	1560.000
23.	त्रिपुरा	–	4.000	130.000	134.000
24.	उत्तर प्रदेश	2215.000	1000.000	1000.000	4215.000
25.	पश्चिम बंगाल	1157.000	–	10.000	1167.000
26.	दादर व नगर हवेली	–	–	2.000	2.000
27.	अंडमान व निकोबार	50.000	50.000	25.000	125.000
	कुल	15236.000	14490.000	15500.000	45226.0C

विवरण II(च)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत की गई निर्मुक्तियों को दर्शानेवाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई राशि			कुल
		1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8221.720	12065.740	9634.210	29921.670
	अरूणाचल प्रदेश	582.880	471.590	651.300	1705.770
3.	असम	3186.620	2400.470	2038.380	7625.470
4.	बिहार	8297.840	10999.780	9090.270	28387.890
5.	गोवा	128.250	90.330	120.890	339.470
6.	गुजरात	3153.110	3213.830	3850.610	10217.550
7.	हरियाणा	1411.520	767.800	938.040	3117.360
8.	हिमाचल प्रदेश	212.260	242.500	386.040	840.800
9.	जम्मू व कश्मीर	680.710	766.690	777.170	2224.570
10.	कर्नाटक	5766.370	4072.570	4695.630	14534.570
11.	केरल	2654.580	2061.120	2226.810	6942.510
12.	मध्य प्रदेश	12846.520	9929.210	9328.360	32104.090
13.	महाराष्ट्र	7785.500	7281.260	8541.070	23607.830
14.	मणिपुर	355.710	501.560	235.150	1092.420

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	383.470	497.860	323.100	1204.430
16.	मिजोरम	286.040	206.070	240.560	732.670
17.	नागालैंड	445.230	451.400	208.710	1105.340
18.	उड़ीसा	7058.800	6129.850	6178.520	19367.170
19.	पंजाब	401.260	516.810	716.310	1634.380
20.	राजस्थान	3924.240	4020.590	3743.080	11687.910
21.	सिक्किम	169.990	81.750	126.920	378.660
22.	तमिलनाडु	5936.320	4517.820	6981.610	17435.750
23.	त्रिपुरा	850.000	959.870	779.580	2589.450
24.	उत्तर प्रदेश	23220.920	20212.390	18884.170	62317.480
25.	पश्चिम बंगाल	4544.130	3577.380	4525.150	12646.660
संघ शासित क्षेत्र					
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.000	51.940	41.700	93.640
27.	दादर व नगर हवेली	7.490	14.990	31.130	53.610
28.	दमन व दीव	13.980	13.980	28.910	56.870
29.	लक्षद्वीप	4.080	6.990	17.780	28.850
30.	पांडिचेरी	28.980	50.130	83.520	162.630
	कुल	102558.520	96174.270	95424.680	294157.470

टिप्पण : 1. कुल निर्मुक्तियों में अब तक जारी राज्य का हिस्सा शामिल है। वर्ष 1997-98 के लिए राज्य निर्मुक्तियां अनन्तिम हैं।

2. जल से संबंधित मदों सहित निस्सरण आंकड़े आई.आर.डी.पी. का कार्य है।

विवरण II(छ)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान मिलियन वेल्स स्कीम के तहत जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई राशि 1995-96	1996-97	1997-98	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4342.130	4342.140	4280.930	12965.200
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.280	25.560	28.610	90.450
3.	असम	1429.410	1312.680	1512.780	4254.870
4.	बिहार	8516.940	5811.980	5836.150	20165.070
5.	गोवा	48.160	24.080	13.130	85.370
6.	गुजरात	1593.910	1442.700	1216.180	4252.790
7.	हरियाणा	382.880	267.010	225.790	875.680
8.	हिमाचल प्रदेश	153.040	112.150	120.430	385.620
9.	जम्मू और कश्मीर	236.280	294.760	241.180	772.220
10.	कर्नाटक	2915.550	2635.640	2550.560	8101.750
11.	केरल	1910.340	880.940	1029.530	3820.810
12.	मध्य प्रदेश	5502.110	4296.140	4221.400	14019.650
13.	महाराष्ट्र	4733.530	4128.540	4096.460	12958.530
14.	मणिपुर	47.060	52.250	33.760	133.070

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	52.750	37.680	42.100	132.070
16.	मिजोरम	28.160	28.160	28.190	84.510
17.	नागालैंड	71.660	61.760	71.660	205.080
18.	उड़ीसा	3522.490	2373.350	3581.610	9477.450
19.	पंजाब	0.000	243.840	107.710	351.550
20.	राजस्थान	2285.930	1272.960	1630.980	5189.870
21.	सिक्किम	52.160	21.700	26.090	99.950
22.	तमिलनाडु	3925.200	3459.710	3925.230	11310.140
23.	त्रिपुरा	111.330	74.210	74.210	259.750
24.	उत्तर प्रदेश	13706.630	8666.260	9669.410	32042.300
25.	पश्चिम बंगाल	4041.180	3381.560	2170.890	9593.630
संघ शासित क्षेत्र					
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.560	10.550	0.000	27.110
27.	दादर व नगर हवेली	4.160	11.070	5.730	20.960
28.	दमन व दीव	6.760	3.380	0.000	10.140
29.	लक्षद्वीप	10.600	5.290	5.290	21.180
30.	पांडिचेरी	10.320	10.320	0.000	20.640
	कुल	59693.480	45288.370	46745.960	151727.810

विवरण II(ज)

वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अवधि में त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत जारी की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जारी की गई राशि			कुल
		1995-96	1996-97	1997-98	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	63.803	66.722	88.068	218.593
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.920	12.000	24.760	47.680
3.	असम	22.450	23.535	23.765	69.750
	बिहार	35.495	31.130	0.000	66.625
5.	गोवा	2.550	5.504	1.965	10.019
6.	गुजरात	40.500	41.970	58.866	141.336
7.	हरियाणा	16.691	25.500	32.592	83.783
8.	हिमाचल प्रदेश	16.612	19.340	17.090	53.042
9.	जम्मू एवं कश्मीर	38.939	37.350	46.940	123.229
10.	कर्नाटक	65.440	67.207	99.377	232.024
11.	केरल	29.190	32.637	35.647	97.474
12.	मध्य प्रदेश	66.730	73.136	83.457	223.323
13.	महाराष्ट्र	74.749	91.810	120.872	287.431
14.	मणिपुर	4.010	4.786	9.070	17.866

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	2.208	5.720	7.432	15.360
16.	मिजोरम	3.400	4.289	5.836	13.525
17.	नागालैंड	2,110	4.220	2.110	8.440
18.	उड़ीसा	33.760	41.538	50.384	125.682
19.	पंजाब	15.060	12.890	17.140	45.090
20.	राजस्थान	100.390	115.870	137.832	354.092
21.	सिक्किम	5.720	4.720	4.356	14.796
22.	तमिलनाडु	52.620	53.330	58.344	164.294
23.	त्रिपुरा	7.600	8.500	7.620	23.720
24.	उत्तर प्रदेश	113.344	117.282	151.827	382.453
25.	पश्चिम बंगाल	34.956	45.213	44.115	124.284
संघ शासित क्षेत्र					
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	दादर एवं नगर हवेली	0.000	0.030	0.000	0.030
28.	दमन एवं दीव	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	दिल्ली	0.000	0.000	0.000	0.000
30.	लक्षद्वीप	0.000	0.000	0.000	0.000
31.	पांडिचेरी	0.600	0.100	0.100	0.800
	कुल	868.846	946.329	1129.563	2944.738

विवरण III

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए ऑन फार्म विकास कार्यों के संबंध में वास्तविक उपलब्धियों का विवरण

(इकाई : '000 हेक्टे.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	फील्ड चैनल			वाराबन्दी			भूमि समतलन		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.09	0.03	-	11.04	11.49	5.96	7.41	6.00	3.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-
3.	असम	0.74	0.15	0.21	0.00	0.02	0.30	0.00	-	-
4.	बिहार	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-
5.	गोवा	0.27	0.10	-	1.50	1.50	0.60	0.01	-	-
6.	गुजरात	22.04	10.53	15.28	7.06	12.43	8.36	0.00	0.05	0.05
7.	हरियाणा	33.95	35.79	31.03	9.58	2.17	1.50	0.65	0.51	1.79
8.	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.55	0.60	0.13	0.25	0.40	0.00	शून्य	-
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3.95	4.52	5.58	28.37	30.92	31.17	2.27	1.91	1.90
10.	कर्नाटक	13.04	23.75	11.02	9.63	7.49	16.24	0.00	-	4.24
11.	केरल	17.75	14.39	4.32	3.97	11.15	2.88	0.20	0.08	0.11
12.	मध्य प्रदेश	8.95	1.41	3.56	8.48	-	0.38	0.00	-	-
13.	महाराष्ट्र	39.49	20.88	18.35	4.25	4.87	7.57	0.73	1.45	2.68
14.	मणिपुर	2.50	2.24	2.80	1.36	0.51	-	1.28	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	मेघालय	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–
16.	नागालैंड	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–
17.	उड़ीसा	8.80	18.66	3.46	56.55	–	7.00	3.73	0.16	0.20
18.	राजस्थान	51.83	69.39	22.33	53.86	64.29	–	3.01	0.60	2.13
19.	तमिलनाडु	43.94	41.61	46.61	58.34	60.84	59.73	0.00	–	–
20.	त्रिपुरा	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–
21.	उत्तर प्रदेश	116.55	126.87	62.25	198.45	204.61	112.53	0.00	–	–
22.	पश्चिम बंगाल	5.64	5.35	0.82	0.00	–	–	0.00	–	–
23.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–
24.	दमन एवं दीव	0.00	–	–	0.00	–	–	0.00	–	–
	कुल	369.54	376.22	228.22	452.57	412.54	254.62	19.29	10.76	16.21

कृषि महाविद्यालय/संस्थान

*414. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि महाविद्यालयों/संस्थानों के भारी संख्या में डिप्लोमा/डिग्रीधारी और स्नातकोत्तर उपाधिधारी व्यक्ति उनके लिए रोजगार के कम अवसर होने के कारण बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई कृषि नीति के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षित व्यक्तियों का कारगर ढंग से उपयोग करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है तथापि राष्ट्रीय कृषि प्रणाली में उपलब्ध रिक्तियां, पशु-चिकित्सा विज्ञान तथा मात्स्यिकी के विषय को छोड़कर, देश के विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातकों की कुल संख्या के अनुपात में कम है।

(ग) और (घ) कृषि पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का प्रारुप अन्तिम चरण में है तथा इसे राज्यों के परामर्श के अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है। तथापि कृषि मानव संसाधन विकास प्रायोजना के अंतर्गत मानव-शक्ति मूल्यांकन की आवश्यकता पर एक अध्ययन शुरू किया जा रहा है जिससे प्रशिक्षित जनशक्ति के प्रभावी उपयोग में सहायता मिलेगी।

पी.एस.एल.वी.-सी-2 का प्रक्षेपण

***415. श्री पी. शिव शंकर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पी.एस.एल.वी.-सी-2 द्वारा इस वर्ष जर्मन और कोरियाई उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राष्ट्र, जैसे नार्वे भी इन्सैट-2ई में ट्रांसपोन्डर लीज पर ले रहे हैं;

(ग) भारत द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम से प्राप्त सुदूर संवेदी डाटा की बिक्री से कितना वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होने की

(घ) क्या इनसैट प्रणाली से इनसैट 1डी, 2ए, 2बी और 2सी के जरिए दूरसंचार, मौसम और आपदाओं के संबंध में चेतावनी देने के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध करने का काम जारी है; और

(ङ) पी.एस.एल.वी.-सी-2 के प्रक्षेपण के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इन्सैट-2ई के सत्तरह प्रेषानुकरों में से नौ प्रेषानुकर इन्टेलसैट को लीज पर दिए गए हैं।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक अंग एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड और अमेरिका के स्पेस इमेजिंग के बीच सहयोगी करार के माध्यम से भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई.आर.एस.) से प्राप्त आंकड़ों का विश्वव्यापी रूप में विपणन किया जा रहा है। इस विपणन से प्राप्त राजस्व को एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन और स्पेस इमेजिंग के बीच बांटा जाता है। वर्ष 1997-98 के लिए, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन को प्राप्त होने वाला राजस्व लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डालर है तथा वर्ष 1998-99 के दौरान इसके 2 मिलियन अमेरिकी डालर हो जाने की संभावना है। [राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन.आर.एस.ए.) आई.आर.एस. से प्राप्त आंकड़ों को भारत में तथा पड़ोसी देशों में बेच रही है। वर्ष 1997-98 के लिए अर्जित राजस्व 10.50 करोड़ रुपये था तथा 1998-99 के दौरान इसके 12.50 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है।]

(घ) जी, हां।

(ङ) प्राथमिक उपग्रह की संभावित तैयारी के वर्तमान आकलन के आधार पर पी.एस.एल.वी.-सी2 का प्रमोचन 1999 की प्रथम तिमाही में किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय तट संरक्षण परियोजना

***416. श्री वी.वी. राघवन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटवर्ती राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित राष्ट्रीय समुद्रतटीय संरक्षण परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और इसके लिए तैयार की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से राशि जुटाकर इस परियोजना को वित्त पोषित करने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त होने वाली सहायता के प्रभावित होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए अन्य कौन-कौन से वैकल्पिक स्रोतों पर विचार किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार ने सभी तटवर्ती राज्यों से उनके अपने-अपने राज्यों में पड़ने वाली समुद्रतट के असुरक्षित स्थानों पर समुद्रतटीय सुरक्षा कार्य करने संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है ताकि उन्हें जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की जा रही समेकित राष्ट्रीय समुद्रतटीय संरक्षण परियोजना (एन.सी.पी.पी.) में शामिल किया जा सके।

(ख) समुद्री दीवार, लवणीय तटबंध और ज्वारीय पहुंचों में नदी-तट के सुरक्षा कार्य जैसे कार्यों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय समुद्रतटीय संरक्षण परियोजना के लिए गुजरात (35.00 करोड़ रुपए), गोवा (10.5 करोड़ रुपए), कर्नाटक (150.00 करोड़ रुपए), केरल (346.5 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (2.47 करोड़ रुपए), आन्ध्र प्रदेश (2.76 करोड़ रुपए), उड़ीसा (670.00 करोड़ रुपए) और पश्चिमी बंगाल (224.80 करोड़ रुपए) से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गुजरात, केरल और कर्नाटक से प्राप्त प्रस्ताव राष्ट्रीय समुद्रतटीय संरक्षण परियोजना में शामिल करने के लिए सही पाये गये हैं। शेष राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव टिप्पणियों की अनुपालना करने के लिए राज्यों को लौटा दिये गये हैं। पांडचेरी और महाराष्ट्र ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु शस्त्र कार्यक्रम

***417. श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से भारत और पाकिस्तान को परमाणु शस्त्र कार्यक्रम को बन्द करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर स्पष्ट शब्दों में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सुरक्षा परिषद ने परमाणु राष्ट्रों से लैस राष्ट्रों को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाते हुए उन्हें अपने शस्त्रागार में परमाणु शस्त्रों सहित अन्य परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने के प्रयास पुन: आरम्भ करने को कहा है और यदि हां, तो इस पी-5 के देशों की प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) अपने प्रत्युत्तर में सरकार ने कहा है कि सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प दमनकारी और असमर्थनकारी था।

(ग) जी हां। तथापि पी-5 के देश विश्वव्यापी नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए समयबद्ध रूपरेखा में कार्य करने के लिए सहमत नहीं हुई है।

(घ) सरकार को खेद है कि ये देश इस बात के लिए निरन्तर जोर दे रहे हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए नाभिकीय शस्त्रागार रखना अनिवार्य है और वे नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने के लिए नाभिकीय शस्त्र अभिसमय पर जेनेवा में आयोजित निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन में बातचीत शुरू करने में बाधा डाल रहे हैं।

समुद्री भू-कटाव संबंधी अध्ययन

***418. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन :**
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, चावरा, केरल और विभिन्न समुद्रतटीय राज्यों के खनन क्षेत्र में भारी समुद्री भू-कटाव के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्री भू-कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है तथा इस प्रयोजनार्थ केन्द्र द्वारा कितना अनुदान स्वीकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केरल जिले के कोलाम (क्विलन) में चवारा में और उसके आस-पास के थोड़े से क्षेत्र में भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम (पी.एस.यू.) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर. ई.एल.) के कार्यों के परिणामस्वरूप समुद्री भू-कटाव पर पड़े प्रभावों, यदि कोई है तो, के बारे में अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में केरल

सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड (के.एम.एम.एल.) भी पुलिन बालु का खनन करता है। तथापि, आई.आर.ई.एल. ने सेन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज (सी.ई.एस.एस.), तिरूवनंथापुरम, केरल सरकार के संगठन से संपर्क किया है और हाल ही में सी.ई.एस.एस. से इस क्षेत्र में आई.आर.ई.एल. के कार्यों से समुद्री भू-कटाव पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है तो, के मूल्यांकन सहित पुलिन बालु के वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए बजट रखे जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कुछ समय पहले केरल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट ने केरल तट के पास समुद्री भू-कटाव की सामान्य परिघटना का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष हैं-1850 से कई क्षेत्रों में तटीय-रेखा लगातार पीछे हटती जा रही है, अप्रैल-अगस्त के महीनों में भू-कटाव होता है और उसके बाद जुड़ जाता है, अपेक्षाकृत खड़ी ढलान वाले तथा प्रबल रूप से उत्तर-दक्षिण दिशा में तटीय अपसरण का मौसमी उत्क्रमण। जहां तक अन्य समुद्रतटीय राज्यों का संबंध है, तो प्रत्येक राज्य की समस्याओं की प्रकृति के बारे में पता है, यद्यपि विशेष रूप से अभी तक कोई अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) समुद्री भू-कटाव रोधी कार्यों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है जो ऐसे कार्यों को योजना आयोग द्वारा आबंटित योजनागत परिव्यय में से पूरा करते हैं। विगत में, संबंधित राज्य सरकारों ने समस्या की प्रकृति और प्रबलता के आधार पर अपने-अपने क्षेत्रों में तटीय-रेखा की परिवर्ती लम्बाइयों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के बचाव कार्यों की व्यवस्था की है। वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए बाढ़-नियंत्रण के उप-क्षेत्र (समुद्री भू-कटाव सहित) के अंतर्गत अनुमोदित योजनागत परिव्यय थे - आन्ध्र प्रदेश (69 करोड़ रुपए), गोआ (1.94 करोड़ रुपए), गुजरात (8.2 करोड़ रुपए), कर्नाटक (26.72 करोड़ रुपए), केरल (82 करोड़ रुपए), महाराष्ट्र (8.19 करोड़ रुपए), उड़ीसा (23.8 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (7.11 करोड़ रुपए), पश्चिम बंगाल (179.58 करोड़ रुपए), पांडिचेरी (10 करोड़ रुपए)। केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी तटीय राज्यों से भी अपने-अपने राज्यों में तटीय-रेखाओं के असुरक्षित क्षेत्रों में तटीय बचाव कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की जा रही समेकित राष्ट्रीय तटीय बचाव परियोजना (एन.सी.पी.पी.) में शामिल किया जा सके। एन.सी.पी.पी. संबंधी प्रस्ताव जिसमें ज्वारीय क्षेत्र में समुद्री दीवारें, लवण जल तटबंधन और नदी तट के बचाव कार्य शामिल हैं, गुजरात (35 करोड़ रुपए), गोआ (10.5 करोड़ रुपए), कर्नाटक (150 करोड़ रुपए), केरल (346.5 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (2.47 करोड़ रुपए), आन्ध्र प्रदेश (7.16 करोड़ रुपए), उड़ीसा (670 करोड़ रुपए) और पश्चिम बंगाल (224.8 करोड़ रुपए) से प्राप्त हो गए हैं। महाराष्ट्र और पांडिचेरी की सरकारों ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। गुजरात, केरल और कर्नाटक की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को एन.सी.पी.पी. में शामिल किए जाने के लिए सही पाया गया है। शेष राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुपालन हेतु प्रेक्षण-टिप्पणियों के साथ संबंधित राज्य सरकारों को वापिस भेज दिया गया है।

कृषि हेतु निधियां

***419. श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कृषि और पशुधन के विकास हेतु आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई वास्तविक राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार द्वारा चालू वर्ष में अतिरिक्त निधियों की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) कृषि और पशुधन विकास के लिए वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के दौरान निर्मुक्त और उपयोग किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए धन की निर्मुक्ति विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों तथा राज्य सरकारों आदि के पास बकाया पड़े उपयोग न किए जा सके धन के आधार पर की जाएगी।

(ग) से (ङ) वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत अतिरिक्त धन के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

कृषि और पशु धन विकास के लिए वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियों और सूचित व्यय का ब्यौरा

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृषि				पशुधन	
		निर्मुक्त धनराशि 1996-97	सूचित व्यय 1996-97	निर्मुक्त धनराशि 1997-98 (अनन्तिम)	सूचित व्यय 1997-98	निर्मुक्त धनराशि 1996-97	निर्मुक्त धनराशि 1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8870.40	7856.93	7637.78	5061.30	239.01	1347.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	247.08	312.32	499.80	392.43	201.41	299.59
3.	असम	1113.49	494.14	397.48	654.80	32.77	54.04
4.	बिहार	1676.15	2049.12	1191.83	1086.78	91.18	271.55
5.	गोवा	199.42	145.25	95.57	157.12	16.50	67.04
6.	गुजरात	4730.85	4122.58	4061.30	1999.12	556.24	256.92
7.	हरियाणा	2821.28	2956.44	2904.96	1349.26	122.40	139.52
8.	हिमाचल प्रदेश	1086.66	1112.99	1148.80	496.54	74.27	156.82
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1359.33	1337.96	1528.60	495.74	179.95	167.42
10.	कर्नाटक	7275.69	4392.94	8118.24	4804.78	240.98	556.14
11.	केरल	5322.93	5467.38	3514.95	1414.84	532.13	440.39
12.	मध्य प्रदेश	9107.45	8597.77	6962.18	5580.09	75.50	888.69
13.	महाराष्ट्र	11928.95	9208.90	9911.59	4863.56	402.04	1514.06

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	1254.88	858.76	1135.85	495.81	84.78	154.38
15.	मेघालय	444.29	162.56	256.77	152.58	75.57	118.39
16.	मिजोरम	530.04	286.96	717.23	581.54	186.86	300.03
17.	नागालैंड	891.50	1022.59	875.88	661.80	497.81	167.88
18.	उड़ीसा	4918.76	3396.26	4112.38	3554.10	629.23	383.05
19.	पंजाब	3155.45	2671.95	2530.26	1216.63	663.45	360.10
	राजस्थान	10037.64	10295.69	9691.23	7817.01	64.47	627.27
21.	सिक्किम	316.72	442.03	340.66	275.40	28.69	230.73
22.	तमिलनाडु	7040.12	6170.64	5855.98	2286.86	358.53	692.26
23.	त्रिपुरा	418.01	271.02	533.97	395.25	37.95	289.51
24.	उत्तर प्रदेश	11046.44	10634.72	10246.51	5699.54	817.93	1589.36
25.	पश्चिम बंगाल	1243.06	1332.02	1003.30	343.14	109.38	738.90
	योग	97036.59	85599.92	85333.10	51836.02	6319.03	11811.

*पशुधन के लिए उपयोग की गयी धनराशि के आंकड़ें अलग से सुलभ नहीं हैं।

**कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए व्यय के आंकड़ें 31.3.98 के अनुसार है।

यूरेनियम की तस्करी

*420. **श्री बालासाहिब विखे पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में यूरेनियम के खनन स्थलों से इसका अवैध व्यापार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यूरेनियम की तस्करी के मामले की भी सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुरक्षा संबंधी खतरे क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षोपाय किए जाएंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) सरकार की जानकारी में आया है कि यूरेनियम

कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसिल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, के बिहार स्थित जादुगुड़ा खनन क्षेत्र में यूरेनियम के कथित अवैध व्यापार की रिपोर्टें कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। ये रिपोर्टें पश्चिम बंगाल की पुलिस द्वारा ऐसे कुछ व्यक्तियों जो अवैध रूप से यूरेनियम युक्त सामग्री ले जा रहे थे, कि गिरफ्तारी और बिहार की पुलिस द्वारा मुजफ्फरपुर में कुछ पीत पदार्थ भी जब्त किए जाने पर आधारित हैं। तथापि, प्रत्येक मामले में जब्त की गई सामग्री का विश्लेषण करने पर पाया गया कि उक्त सामग्री में कुछ भी यूरेनियम अथवा इसके यौगिक नहीं थे।

(ङ) जादुगुड़ा में यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के प्रचालन क्षेत्रों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के जरिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

विद्युत उत्पादन के लिए राजसहायता

***421. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को 50 प्रतिशत राजसहायता प्रदान करने का है जो गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन शुरू करने वाले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और 1997-98 के दौरान राज्य को प्रदान की गई राजसहायता की कुल धनराशि कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन, बायोमास, लघु पन बिजली से ग्रिड किस्म के विद्युत उत्पादन और शहरी, म्यूनिसिपल तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति को उच्च प्राथमिकता दी है। देश में वर्ष 1998 के मार्च अंत तक लगभग 1300 मेवा. की कुल क्षमता पहले ही स्थापित कर ली गई हैं। नौवीं योजना अवधि के दौरान 1400 मेवा. क्षमता संयोजन का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत और ब्याज आर्थिक राज सहायता सहित विभिन्न राजकोषीय और संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विद्युत उत्पादन के लिए उपलब्ध आर्थिक राज सहायता के विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सब्सिडी सहित वित्तीय सहायता

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं	सब्सिडी राशि	सब्सिडी किस्म
1	2	3	4
1.	**पवन विद्युत** : पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए राज्य नोडल एजेंसियों/राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता।	पवन टरबाइन उपकरण, अनुरक्षण स्पेयरस और निर्माण कमीशनिंग की लागत का 60% जो पात्रता एवं 3.20 करोड़ रु./मेवा. की बैंच मार्क लागत के अध्यधीन है।	पूंजीगत आर्थिक राज सहायना

1	2	3	4
2.	**बायोमास दहन आधारित विद्युत**		
	क. तालुका स्तरीय बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों (प्रदर्शन योजना के अंतर्गत 1 मेवा. और अधिक) के लिए पूंजीगत आर्थिक राज सहायता।	प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रु. के अध्यधीन 1.0 करोड़ रु. प्रति मेगावाट	पूंजीगत आर्थिक राज सहायता
	ख. कैप्टिव बायोमास परियोजनाओं (2 मेवा. और अधिक) के लिए बायोमास दहन आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु ब्याज सब्सिडी।	अधिकतम 30 लाख रु. प्रति मेवा.	ब्याज आर्थिक राज सहायता
	ग. क्षेत्र आधारित बायोमास परियोजनाओं (2 मेवा. और अधिक) के लिए बायोमास दहन आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु ब्याज आर्थिक राज सहायता।	अधिकतम 45 लाख रु. प्रति मेवा.	ब्याज आर्थिक राजसहायता
	घ. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत का 50% जो अधिकतम 2.00 लाख रु. के अध्यधीन है।	अनुदान सहायता
3.	**खोई आधारित सह-उत्पादन**		
	क. कोऑपरेटिव/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र चीनी मिलों में पूंजीगत आर्थिक राज सहायता।	अतिरिक्त विद्युत का 2 करोड़ रु./मेवा. अथवा सब्सिडी की 70 लाख रु./मेवा. सम्मिलित करते हुए 50% परियोजना लागत जो प्रति परियोजना अधिकतम 6 करोड़ रु. के अध्यधीन है और शेष 9% की वार्षिक ब्याज दर पर उदार ऋण के रूप में।	पूंजीगत आर्थिक राज सहायता
	ख. खोई आधारित 1-4 मेवा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी।	ग्रिड को दी गई अतिरिक्त विद्युत का अधिकतम 15 लाख रुपये/मेगावाट	ब्याज सब्सिडी
	ग. खोई आधारित 4 मेवा. से अधिक अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी।	ग्रिड को दी गई अतिरिक्त विद्युत का अधिकतम 35 लाख रु./मेवा.	ब्याज सब्सिडी
4.	**लघु पन बिजली**		
	क. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 3 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आर्थिक राज सहायता।	3 करोड़ रु./मेवा. तक अथवा परियोजना लागत का 50% इनमें से जो भी कम हो	पूंजीगत आर्थिक राज सहायता

1	2	3	4
	ख. 100 किवा. क्षमता तक की परियोजनाओं, पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए लघु पन बिजली परियोजनाओं, सरकारी विभाग, एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय निकायों की परियोजनाओं के लिए।	15,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर पर	पूंजीगत आर्थिक राज सहायता
	ग. पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 3 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी।	1.12 करोड़ रु. प्रति मेगावाट तक की पूंजीकृत राशि	ब्याज सब्सिडी
	घ. अन्य क्षेत्रों के लिए 3 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी।	3.80 लाख रु. प्रति मेवा. तक की पूंजीकृत राशि अथवा वास्तविक राशि	ब्याज सब्सिडी
	ङ. 3 मेवा. क्षमता के लघु पर बिजली स्टेशनों का जीर्णोद्धार/आधुनिकीकरण और क्षमता उन्नयन।	आर. एंड एम. लागत का 75% की दर पर 2.00 करोड़ रु. प्रति मेवा. तक	अनुदान सहायता
	च. विस्तृत सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के लिए सहायता	लागत का 100% प्रति स्थल अधिकतम 1.5 लाख रु. के अध्यधीन।	वित्तीय प्रोत्साहन
	छ. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता	लागत का 50% जो प्रति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अधिकतम 1 लाख रु. के अध्यधीन है।	वित्तीय प्रोत्साहन
	ज. पन चक्कियों के विकास और उन्नयन के लिए आर्थिक राज सहायता		
	क. केवल यांत्रि उत्पादन	30,000 रु. तक का वास्तविक लागत का 75%	वित्तीय प्रोत्साहन
	ख. यांत्रिक और विद्युत उत्पादन	60,000 रु. तक का वास्तविक लागत का 75%	
5.	**शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा**		
	(1) पूंजीकृत ब्याज सब्सिडी	ऋण राशि का 10% तक जो अधिकतम 1.0 करोड़ रु./मेवा. के अध्यधीन है।	ब्याज सब्सिडी

1	2	3	4
(2)	निवेश सब्सिडी	परियोजना लागत में प्रमोटर की 50% तक की प्रत्यक्ष साम्या भागीदारी, जो विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 1.0 करोड़ रु./मेवा. और अपशिष्ट से ईंधन परियोजनाओं के लिए 50 लाख रु. के अध्यधीन है।	सब्सिडी
(3)	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता।	लागत का 50% जो अधिकतम 2 लाख रुपये के अध्यधीन है।	वित्तीय सहायता
(4)	नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों को स्थल पर अनापत्ति प्रदान करने/सुविधाएं/समन्वित कार्रवाई हेतु सहायता।	15 लाख रु. प्रति मेवा. (समकक्ष)	वित्तीय सहायता
(5)	राज्य नोडल एजेंसियों को उनकी समन्वित कार्रवाई/मानीटरिंग आदि के लिए सहायता।	5 लाख रु. प्रति मेवा. (सकमक्ष)	वित्तीय सहायता
(6)	प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता	लागत भागीदारी आधार पर 50% तक जो अधिकतम 3.0 करोड़ रु. प्रति मेवा. के अध्यधीन है।	वित्तीय सहायता
(7)	मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) पर ऊर्जा प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता।	मलजल शोधन संयंत्र पर बायोगैस विद्युत उत्पादन प्रणाली की संवृद्धि पूंजीगत लागत की 50% तक लागत भागीदारी।	वित्तीय सहायता

ग्रामीण विकास में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की भूमिका

4103. श्री अजय कुमार एस. सरनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए (1) पशु-गोबर की सहायता से बायो-गैस संयंत्र तथा गोबर गैस संयंत्र की स्थापना, (2) पेयजल तथा सिंचाई के लिए पवन चक्की, तथा (3) सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु फोटोवाल्टिक सेल का चलाना, काफी आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी योजना तैयार की है; और

(ग) इन योजनाओं की क्या रूपरेखा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार बायोगैस, पवन पंपों और सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के माध्यम से खाना पकाने, रोशनी और जल पंपन हेतु ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली बायोगैस संयंत्रों, जल पंपन पवन चक्कियों और सोर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से संबंधित योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

(1) बायोगैस संयंत्र

दो योजनाएं नामतः राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एन.पी.बी.डी.) और सामुदायिक, संस्थागत एवं विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य खाना पकाने हेतु ईंधन और ग्रामीण परिवारों को कार्बनिक खाद उपलब्ध कराना, वनों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और स्वच्छ शौचालयों को बायोगैस संयंत्रों से जोड़कर गांवों की स्वच्छता में सुधार करना है। इन योजनाओं के अंतर्गत, बायोगैस संयंत्रों, टर्न की कार्य शुल्क, स्वच्छ शौचालय से जुड़े पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों, सेवा-प्रभारों स्टाफ सहायता और प्रचार आदि की लागत को कम करने हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(2) जल पंपन पवन-चक्कियां

सरकार पेय जल और माइको सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल पंपन पवन चक्कियों के इस्तेमाल हेतु एक प्रदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, पवन मिलों, सेवा प्रभारों, प्रशिक्षण और प्रचार सहायता की लागत में कमी करने के लिए अनुदान सहायता दी जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन अक्षय ऊर्जा राज्य एजेंसियों और पवन चक्कियों के विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है।

(3) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां

प्रकाशवोल्टीय सैलों का प्रयोग विद्युत का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियों में किया जाता है। इस विद्युत का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी, जल पंपन और बैटरी चार्जिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एक योजना घरेलू रोशनी, सामुदायिक रोशनी और अन्य बैटरी चार्जिंग अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और एक दूसरी योजना कृषिगत और इससे संबंधित इस्तेमाल हेतु जल पंपन के लिए तैयार की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रणालियों, सेवा प्रभारों, प्रशिक्षण और प्रचार सहायता की लागत में कमी करने के लिए अनुदान सहायता देने का प्रावधान है। ये दोनों योजनाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

जल पंपन कार्यक्रम के अंतर्गत, जल पंपन प्रणालियों के उपयोगकर्त्ताओं के लिए एक उदार ऋण भी उपलब्ध है। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा किया जा रहा है। इन प्रणालियों की बिक्री सहभागी विनिर्माताओं और वित्तीय बिचौलियों द्वारा प्रत्यक्ष विपणन के माध्यम से की जाती है।

पुनर्वास नीति

4104. श्री गिरिधर गमांग : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्यम तथा वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस नीति को कब तक लागू किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) जी, हां। पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आयी कमियों को पूरा करने के लिये जलाशय परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति को अपनाने के वास्ते कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के विचार के लिए राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा इस संबंध में नीतिगत प्रारूप के दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। उपर्युक्त नीति का कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा इसको स्वीकार करने पर निर्भर करता है।

बिहार में भूजल

4105. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का यह योजना अन्य राज्यों में भी कार्यान्वित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

जसौली सिंचाई परियोजना

4106. श्री रामशकल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जसौली सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सिंचाई ...का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं को राज्य ...कारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से और उनकी स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार शुरू किया जाता है। केन्द्रीय सरकार वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केवल निवेश स्वीकृत देती है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जसौली सिंचाई परियोजना, नामक कोई परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

धार्मिक स्थलों की यात्रा

4107. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष धार्मिक स्थलवार कितने तीर्थयात्रियों ने विदेशों में अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की;

(ख) धार्मिक स्थलवार उनके चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) धार्मिक स्थलवार तीर्थयात्रियों को कितनी वित्तीय/ लॉजिस्टिक/संगठनात्मक सहायता उपलब्ध कराई गई और 1999 के दौरान कितने तीर्थयात्री इन स्थलों की यात्रा करेंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) तीर्थयात्रियों की संख्या, जो विगत तीन वर्ष के दौरान धार्मिक स्थलवार विदेशों में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गए, इस प्रकार हैं:-

	1996	1997	1998
हज यात्री	75,346	81,766	94,602
कैलाश मानसरोवर यात्री	435	516	600 (लगभग)
पाकिस्तान की यात्रा पर सिक्ख/सहजधारी और हिन्दू जत्थे	5085	5200	2830 (अब तक)

कैलाश मानसरोवर और पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले सिक्ख/सहजधारी तथा हिन्दू जत्थों के वर्ष 1998 के संबंध में तीर्थयात्रियों की संख्या के आंकड़े अद्यतन हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी भी जारी है और यह बता पाना संभव नहीं है कि सितम्बर, 1998 के प्रथम सप्ताह में अन्तिम टोली के जाने तक वास्तविक रूप से कितने तीर्थयात्री इस यात्रा पर जाएंगे। पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले उन सिक्ख/सहजधारी तथा हिन्दू जत्थों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है जो अक्तूबर और नवम्बर, 1998 में पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। (उन तीर्थ यात्रियों की संख्या जो अक्तूबर, और नवम्बर, 1997 में पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे क्रमशः 50 और 2290 हैं।)

धार्मिक स्थलवार तीर्थयात्रियों के चयन के लिए अपनाए गए मानदण्ड निम्न प्रकार हैं:-

हज यात्री

हजयात्रा पर जाने की इच्छा रखने वाले सभी हजयात्री राज्य हज समिति को पंजीयन शुल्क और अग्रिम आवास धनराशि के रूप में 5280 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करते हैं। कोई भी मुस्लिम जो भारत का नागरिक है, हज यात्रा के लिए आवेदन कर सकता है सिवाय (1) जिन लोगों ने विगत पांच वर्ष के दौरान हज किया हो, (2) वे व्यक्ति जो पोलियो, तपेदिक, रक्तसंकुलता हृदय रोग, अतिपाती, चक्रीय अक्षमता और कोरोनरी थोम्बोसिस, संक्रामक कुष्ठ अथवा किसी अन्य संचारी रोग से पीड़ित हैं या पंगु अथवा विकलांग हैं; (3) 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चे, तथापि, दो वर्ष की उम्र तक के शिशु अपने माता-पिता के साथ जा सकते हैं; (4) वे महिलाएं जो उड़ान के प्रस्थान की तारीख को 20 सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती हैं; (5) वे व्यक्ति जो लंगड़े, विकलांग अथवा किसी अन्य प्रकार से शारीरिक रूप से अक्षम हो, जैसे टांग कटी हुई या पोलियों से पीड़ित हों।

कैलाश मानसरोवर यात्री

कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में टेलीविजन, रेडियो और समाचार-पत्रों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी सूचना प्रकाशित की जाती है। आवेदन पत्रों का पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। आवेदकों का शारीरिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम होना अपेक्षित है और इस यात्रा पर जाने की अनुमति देने से पूर्व, नई दिल्ली और गुंजी, उत्तर प्रदेश में उन्हें चिकित्सा परीक्षण कराना अनिवार्य होता है।

सिक्ख/सहजधारी और हिन्दू जत्थे

इन जत्थों की सूचियां विभिन्न सिक्ख/हिन्दू संगठनों द्वारा तैयार की जाती हैं और नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा वीजा जारी करने को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के जरिए विदेश मंत्रालय के लिए भेज दी जाती हैं।

तीर्थ यात्रियों के लिए धार्मिक स्थलवार मुहैया कराई गई वित्तीय/संभार-तन्त्रीय/संगठनात्मक सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

हज यात्री

हज प्रबंध के सभी कार्य मुंबई स्थित हज समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं। हज यात्रियों से आवेदन-पत्र प्राप्त करना, हज यात्रियों का चयन करना और सऊदी अरब के लिए उनकी चार्टर उड़ानों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इस समिति की है।

सऊदी अरब में, यात्रियों को दी जाने वाली सभी संभारतंत्रीय और कल्याणकारी सहायता प्रदान करने का दायित्व भारत के प्रधान कोंसलावास का है। इस उद्देश्य के लिए, हज समय के दौरान, कोंसलावास के स्थायी कर्मचारियों के अलावा, सरकार 224 मेडिकल मिशन के सदस्यों सहित हज यात्रियों की सहायता करने के लिए 400 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करती है। कोंसलावास स्थानीय रूप से कुछ आकस्मिक स्टाफ भी भर्ती करती है। कोंसलावास जद्दा में हज टर्मिनल पर, मक्का और मदीना में एक-एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करता है, तथा मक्का और मदीना में मुख्य कार्यालय तथा मक्का में दस शाखा कार्यालय और स्वास्थ्य केन्द्र भी खोलता है।

कोंसलावास हज के दौरान हज यात्रियों के एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रस्थान और आगमन की गतिविधियों पर नजर रखता है, तथापि, रोजमर्रा की जिम्मेदारी स्थानीय सरकार और उसके द्वारा नियुक्त एजेंटों की है। कोंसलावास आने वाले तथा जाने वाले तीर्थ यात्रियों के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए जद्दा स्थित हज वायुयान टर्मिनल पर प्रबंधों का भी संचालन करता है।

विगत तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार था:

1995-96	39,69,23,000/- रु.
1996-97	81,83,64,000/- रु.
1997-98	122,93,20,000/- रु.

कैलाश मानसरोवर यात्री

1998 में, सरकार ने तीर्थयात्रियों द्वारा 5000/- प्रति तीर्थयात्री की दर से कुमांऊ मंडल विकास निगम (के.एम.वी.एन.) को देय धनराशि को स्थिर करने का फैसला किया था। कुमांऊ मंडल विकास निगम द्वारा कुल 8250/- रुपए लागत वसूल की गई। इस प्रकार, सरकार कुमांऊ मंडल विकास निगम के लिए खान-पान, आवास और परिवहन प्रबंधों के लिए 3250/- रुपए प्रति तीर्थयात्री सरकारी सहायता प्रदान करती है। सरकार द्वारा तीर्थयात्री के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, जिनमें चिकित्सा सहायता, सुरक्षा और भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से मार्ग रक्षक सुरक्षा, दिल्ली और भारतीय प्रदेश तथा चीनी प्रदेश के मार्ग में पड़ने वाले स्थानों के बीच संचार सुविधाएं, यात्रा के प्रचार की लागत और भारतीय प्रदेश में संरचनात्मक, सभारतंत्रीय और सुविधाओं के सर्जन की आंशिक लागत शामिल है। सरकार आपातकालीन स्थिति में तीर्थयात्रियों की हवाई जहाज द्वारा निकासी के खर्च को भी वहन करती है। यात्रियों की प्रत्येक टोली के साथ सरकार के खर्चे पर एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सिक्ख/सहजधारी और हिन्दू जत्थे

सरकार सभी अपेक्षित सहायता मुहैया कराती है जैसे प्रत्येक जत्थे की यात्रा के लिए पाकिस्तान की सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना, विभिन्न राज्य सरकारों/मंत्रालयों/प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना तथा बीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग को तीर्थयात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सूची भेजना, रेलवे मंत्रालय से समन्वय करके जाने/वापसी यात्रा दोनों के सिलसिले में तीर्थयात्रियों के लिए विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था करना, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन विशेष परिस्थितियों में जिनमें अल्पावधि में जत्थों के लिए अनुमति दी जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा तत्काल जारी कराई जाती है और तीर्थयात्रियों के पासपोर्टों पर जोकि जत्थों के प्रस्थान से एक या दो दिन पूर्व वीजा मोहरें लगाई जाती हैं, यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए जब भी वे किसी प्रकार की सहायता इत्यादि के लिए संपर्क करें, इस्लामाबाद स्थित भारत के उच्चायोग के एक

संपर्क अधिकारी को तैनात किया जाता है। पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले सिक्ख/सहजधारी और हिन्दू जत्थों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

1999 के दौरान, इन स्थलों की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग 1 लाख हज यात्री, लगभग 600 कैलाश मानसरोवर यात्री, और लगभग 5200 पाकिस्तान की यात्रा पर जाने वाले सिक्ख/सहजधारी तथा हिन्दू जत्थों के जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4108. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। इनके अतिरिक्त, मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों आदि को आसान शर्तों पर ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। ये स्कीमें परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की 300 यूनिटों को वित्तीय सहायता दी गई।

विवरण

सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा

1. अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना।
2. **अल्कोहल युक्त पेयों के किण्वन और आसवन एवं लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना।**
3. **घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देना।**
4. **कई खाद्य उत्पादों में उत्पाद शुल्क को समाप्त करके या कम करके राजकोषीय राहतें प्रदान करना।**
5. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पाद और सीमा शुल्क में शुल्क राहतें प्रदान करना।**
6. **योजना स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा घोषित नोडल एजेंसियों को सहायता प्रदान करना और राज्य सरकारों के साथ नेटवर्क कायम करना।**
7. **बेकवर्ड लिंकेज की अवधारणा को बढ़ावा देना।**
8. **फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं, कोल्डचेन आदि को बढ़ावा देने के लिए सहायता का विस्तार।**
9. **ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता का विस्तार। अब तक दी गई सहायता में ऐसे 245 केन्द्र कवर होते हैं।**
10. **समग्र योजनागत विकास हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत प्रयासों एवं निजी प्रयत्नों पर अधिक बल दिया जा रहा है।**
11. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजना स्कीमें चलाई जाती हैं।**

[अनुवाद]

काजू के उत्पादन हेतु सहायता

4109. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में काजू रिप्लांटिंग/उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) नवम्बर, 1997 के दौरान केरल सरकार ने केरल में काजू के पुनर्रोपण तथा उत्पादकता सुधार के लिये 107.10 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस परियोजना में नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 वर्षों की अवधि में कार्यान्वित किये जाने के लिये क्षेत्र विस्तार पुराने तथा जर्जर बगीचों का पुनरूद्धार तथा पुनः रोपण, काजू की संकर किस्मों का उत्पादन तथा वितरण आदर्श बगीचों की स्थापना, नये रोपण का बेहतर प्रबंध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार से संबंधित घटक शामिल थे।

केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना प्रस्ताव में शामिल अधिकांश घटक जैसे क्षेत्र विस्तार, पुनर्रोपण/पुनरूद्धार क्षेत्रीय नर्सरियों के माध्यम से संकर किस्मों का उत्पादन तथा वितरण, आदर्श क्लोनल बगीचों की स्थापना, तथा किसानों को प्रशिक्षण, समेकित काजू विकास संबंधी चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत शामिल किये जा रहे हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान केरल सरकार को 119.9 लाख रु. की राशि निर्मुक्त की गई थी। 1998-99 के दौरान 92.02 लाख रु. केरल राज्य के लिये आबंटित किये गये हैं। अन्य घटक इस स्कीम में शामिल नहीं हैं।

आतंकवादियों को प्रशिक्षण

4110. श्री सत्यपाल जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश, भूटान तथा नेपाल पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय तथा संरक्षण प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिए इन देशों को राजी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या भारत सरकार ने इन देशों के साथ इस मामले को राजनयिक स्तर पर उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) बंगलादेश, भूटान और नेपाल की सरकारों ने अपने क्षेत्र का भारतीय हितों के विरुद्ध दुरूपयोग करने की अनुमति न देने की पुष्टि की है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने बंगलादेश, भूटान और नेपाल की सरकारों के साथ आतंकवादियों द्वारा भारत के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए उनकी भूमि का दुरूपयोग किए जाने की संभावना से संबद्ध मामलों पर विचार-विमर्श किया है। तीनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर कार्य करने पर सहमत हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वे एक-दूसरे के विरूद्ध लक्षित किसी भी गतिविधि के लिए अपने-अपने प्रदेशों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देंगे।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

4111. श्री टी. गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अभी तक कितने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान नये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने बंगलौर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, गांधीनगर, नोएडा, पुणे तथा तिरुवनन्तपुरम में एक-एक, इस तरह कुल सात सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कलकत्ता में एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की है।

(ग) और (घ) अनुमान है कि मोहाली (पंजाब), जयपुर (राजस्थान), तथा नवी मुम्बई (महाराष्ट्र) स्थित तीन सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क चालू वर्ष के दौरान प्रचालन में आ जाएंगे।

खेती योग्य और परती भूमि

4112. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेती योग्य तथा परती भूमि का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध वर्ष 1994-95 के लिए देश में कृषि योग्य भूमि एवं परती भूमि का राज्यवार ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्यवार कृषि योग्य भूमि एवं परती भूमि 1994-95

(हजार है. में)

राज्य/के.शा. प्रदेश	वर्तमान परती भूमि	अन्य परती भूमि	कुल कृष्य भूमि
आन्ध्र प्रदेश	2726	1745	15083
अरूणाचल प्रदेश	25	49	268
असम	72	70	3139
बिहार	1922	965	10609
	–	–	139
गुजरात	737	28	10378
हरियाणा	156	–	3719
हिमाचल प्रदेश	50	21	689
जम्मू व कश्मीर	96	7	908
कर्नाटक	1284	422	12451
केरल	48	29	2348
मध्य प्रदेश	825	789	21301
महाराष्ट्र	1023	1075	20187
उड़ीसा	149	243	7562
पंजाब	36	2	4250
राजस्थान	1669	1832	20539
तमिलनाडु	1001	1030	8040
उत्तर प्रदेश	1126	879	19859
पश्चिम बंगाल	210	34	5785
अखिल भारत	13533	9766	169750

*कृषि योग्य भूमि में निवल बोई गई भूमि, वर्तमान परती, अन्य परती एवं विविध पौध फसलों एवं उपवनों के अंतर्गत भूमि शामिल है।

भू-सम्पदा संरक्षण संबंधी नीति

4113. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से तेजी से क्षरित हो रही भू-सम्पदा के संरक्षण तथा बचाव के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस जारी करना

4114. श्री भीम दाहाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997 और 1998 (मई तक) के दौरान राज्यवार ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में से कुल कितने व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) लंबित आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पर्वतीय इलाकों में चारा

4115. श्री सुरेश चन्देल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुओं के लिए मैदानी इलाकों में उगाए जाने वाला चारा भौगोलिक पर्यावरणीय एवं जलवायु के कारणों तथा अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग छः महीनों तक बर्फ से ढके रहने के कारण वनस्पति के सूख जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता है;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में चारा उगाने के लिए कोई विशेष शोध किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस विषय में कोई अध्ययन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और पर्वतीय इलाकों में सुगमता से चारा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) यद्यपि, सामान्य प्रकार की चारा तथा घास की खेती को मध्यम पहाड़ी (औसतन समुद्र तल से 5000 फुट की ऊंचाई तक) क्षेत्र में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विभिन्न फसलें तथा उनकी किस्में है।

(ख) विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अधिक ऊंचाई वाले पाश्चरों के लिए घास तथा लेग्युम्सों की उच्च पैदावार वाली पौषणिक किस्मों पर शोध कार्य की शुरूआत की गई है।

(ग) अनुसंधान के परिणामस्वरूप निम्नलिखित चारा किस्मों को उपयुक्त पाया गया है:-

फसल की किस्में

जई - जे.एच.ओ. 810, जे.एव.ओ. 82।

लुसर्न - आनन्द-3

ताला फेसक्यू - हिम-1

व्रसीम-जे.एच.बी. 89-4, वी. एल.-22

पाश्चर प्रजातियां :

व्हाइट क्लोवर - दोन्ना, लेडिनो, हाइफा, एस-100 (एग्जोटिक)

रैड क्लोवर - आस्ट्रा, ब्रीटा, केन्स्टार

गुनिया घास - पी.जी.जी.-1, पी.जी.जी.-9

सेतारिया - नन्दी, टी.एस.एस.-1

(घ) चारा फसल की नई किस्मों तथा पाश्चर प्रजातियों का विकास करने के उद्देश्य से इस दिशा में काम जारी है।

(ङ) और (च) पालमपुर स्थित भारतीय क्षेत्रीय चराई भूमि अनुसंधान केन्द्र तथा चारा अनुसंधान संस्थान, अधिक ऊंचाई वाली चारा फसलों तथा पाश्चर प्रजातियों के संबंध में अनुसंधान कार्य कर रहा है। भारत सरकार पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत श्रीनगर में स्थित एक क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र भी पहाड़ी क्षेत्रों में चारा कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।

[अनुवाद]

बीजा प्रतिबंध

4116. श्री जॉर्ज ईडन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की करेंगे कि:

(क) क्या दुबई सरकार ने केरल के लोगों के लिए नए यात्री वीजे जारी करने पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी नहीं। दुबई प्राधिकारियों द्वारा यात्रा वीजा उन्हीं नियमों और शर्तों पर दिया जा रहा है जिन पर पहले दिया जाता था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हवाला मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का अध्ययन

4117. श्री कमल नाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में हवाला मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि भविष्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसे मामले दर्ज नहीं करे जो न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में निरस्त कर दिए जाएं ताकि अभियुक्त को अनावश्यक मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरना न पड़े; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने का है जिनमें राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दर्ज मामले उचित साक्ष्य के अभाव में निरस्त हो गए?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो, अपने द्वारा निपटाए जा रहे किसी भी मामले से संबंधित जांच विचारण-मुकदमें के सिलसिले में अपने सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है, अतः इस संबंध में सरकार द्वारा कोई और कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है।

(ग) हवाला-मामले में जांच-पड़ताल का कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉनीटर किया गया था। जांच-पड़ताल का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा विशेष न्यायाधीश दिल्ली की अदालत में अभियुक्तों के खिलाफ़ आरोप-पत्र दाखिल किए गए जिसने इनका संज्ञान किया और उपर्युक्त मामला अपने विचाराधिकार में ले लिया तथा बहुत से अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तैयार किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त अभियुक्तों में एक अभियुक्त द्वारा दायर पुनरीक्षा याचिका पर विचार किया। विशेष न्यायाधीश द्वारा उपर्युक्त मामले का संज्ञान करके उसे अपने विचाराधिकार में लिए जाने संबंधी आदेश का भी समर्थन किया। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपों के विरुद्ध दायर एक अन्य पुनरीक्षा याचिका में यह निर्णय दिया कि केवल डायरी में की गई प्रविष्टियां ही किसी दोष के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस मत का समर्थन किया। तथापि, इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं माना है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच-पड़ताल का कार्य गलत तरीके से किया या ब्यूरो की इसमें कोई दुर्भावना रही। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कूड़ा-करकट से विद्युत उत्पादन

4118. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कूड़ा-करकट भस्मीकरण तकनीकी से विद्युत उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अमान्य घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तकनीकी के प्रयोग से घातक गैस 'डायक्सीन' निकलती है जिसके रिसाव से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) जी, नहीं।

इस तकनीकी का प्रयोग संयुक्त राज्य, यूरोप और जापान आदि में पहले से ही किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर यह तकनीकी आम नहीं है क्योंकि साधारणतया कूड़े-करकट में कागज, लकड़ी आदि जैसी ज्वलनशील सामग्रियों का प्रतिशत कम होता है जिन्हें तत्काल लिया जाता है और वे अपशिष्ट के रूप में फेंके पड़े नहीं रहते। कूड़े-करकट में आद्रता का प्रतिशत भी उच्च रहता है जिस वजह से साधारणतया यह भस्मीकरण के लिए उपर्युक्त नहीं होता है?

(ग) से (ङ) क्लोरीनीकृत यौगिक (जिनमें पीवीसी, प्लास्टिक सम्मिलित खतरनाक बायोमेडीकल अपशिष्ट मौजूद हो सकते हैं) का भस्मीकरण करने से 'डायोक्सीन' गैस निकलती है। निकलने वाली डायोक्सीन की मात्रा सीधे कूड़े-करकट में मौजूदा ऐसे क्लोरीनीकृत यौगिक की मात्रा का प्रतिशत, चिमनी की ऊंचाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों पर निर्भर करती है।

विभिन्न अनुसंधान एजेंसियों द्वारा विदेशों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि डायोक्सीन गैस मानव-शरीर (फिलियोलोजी) को प्रभावित करती है और इससे कैंसर की बीमारी होती है।

(च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बायो मेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निपटान) नियम, 1998 जिसमें प्लास्टिक मिश्रित बायो-मेडिकल अपशिष्ट के भस्मीकरण के संबंध में उचित मानकों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में संलग्न है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा भस्मीकरण तकनीकी पर आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति की किसी भी परियोजना पर सहायता हेतु तब तक विचार नहीं किया जाता है जब तक कि परियोजना प्रमोटरों द्वारा संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक वैधानिक पर्यावरणीय अनापत्तियां प्राप्त नहीं कर ली जाती हैं।

[अनुवाद]

वायरस संकट

4119. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कपास उत्पादक राज्यों में वायरस के कारण कपास की फसल नष्ट होने से किसानों में उत्पन्न संकट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) कपास उत्पादकों की शिकायतें दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उत्पादन में गिरावट को पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) उत्तर भारत में कपास की खेती वाले राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में लीफ कर्ल विषाणु रोग के कारण कपास की फसल प्रभावित हुई है। इस रोग को जल्दी पकड़ने वाली किस्में उगाए जाने के कारण कपास की फसल लीफ कर्ल विषाणु से प्रभावित हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कपास की खेती वाले उत्तरी अंचल में लीफ कर्ल विषाणु से प्रभावित क्षेत्र का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र	मध्यम स्तर पर प्रभावित क्षेत्र
1.	राजस्थान	75,000 हैक्टे.	35,000 हैक्टे.
2.	पंजाब	50,000 हैक्टे.	25,000 हैक्टे.
3.	हरियाणा	15,000 हैक्टे.	15,000 हैक्टे.
		1,40,000 हैक्टे.	75,000 हैक्टे.

(ग) और (घ) कपास की उत्पादकता/उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार अपेक्षित उपाय कर रही है। इसके अलावा कपास की खेती वाले 11 प्रमुख राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में गहन कपास विकास कार्यक्रम नामक

एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत दी जाने वाली सहायता का अनुपात भारत सरकार तथा कार्यान्वयन करने वाले राज्य के बीच अधिकांशत 75:25 होता है। इस स्कीम का मूल उद्देश्य कपास की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करना है।

इस स्कीम के तहत निम्नलिखित घटकों के लिये सहायता दी जाती है:-

1. प्रजनक बीजों का उत्पादन।

2. प्रमाणित बीजों का वितरण।

3. उत्पादन प्रौद्योगिकी फैरोमोन ट्रैप्स तथा एन.पी.वी. (न्यूक्लियर पोलीहाईड्रोसिस वाइरस) संबंधी प्रदर्शन।

4. समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण।

5. पौध संरक्षण उपकरणों का वितरण।

6. छिड़काव यंत्रों की आपूर्ति।

7. किसानों का प्रशिक्षण, जिसमें निम्न बातें शामिल हैं:-

   - खेतों की उन्नत तकनीकें अपनाने के लिये किसानों को शिक्षित करना।

   - खरीफ, 1998 के दौरान कपास के लीफ कर्ल वाइरस रोधी बीजों जैसे एल.आर.के.-516, के एल.आर.ए.-5166, एल.एच.-1556, एल.एच.-144, आर.जी.-8, आदि की बुवाई करना।

   - उर्वरकों, सिंचाई तथा ड्रेनेज की इष्टतम मात्रा का अनुप्रयोग।

   - अनुशंसित कीटनाशियों की सही खुराक का उपयोग।

   - समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत जैव नियंत्रण एजेंटों, फेरोमोन्स तथा जैव कीटनाशियों का प्रयोग।

2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के वैज्ञानिक एवं देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि विश्वविद्यालय कपास के बीजों की रोग प्रतिरोधी किस्में विकसित कर रहे हैं। चार जीनोटाइप अर्थात् सी.एन.एच.-1012, सी.एन.एच.-123, आर.एस.-2013 एवं आर.एस.-992 लीफ कर्ल रोग के प्रतिरोधी पाए गए हैं। कोयम्बटूर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों की आफ सीजन नर्सरी में इनके कल्चर का बहु गुणन किया जा रहा है ताकि अगले मौसम के दौरान गर्मी वाले क्षेत्रों में इनका परीक्षण तथा चयन किया जा सके।

3. कपास में लीफ कर्ल विषाणु जैसे रोगों के अध्ययन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनुसंधान परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 का लौटाया जाना

4120. श्री के.एस. राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है कि संयुक्त राज्य अमरीका एफ-16 लड़ाकू जेट विमान पाकिस्तान को लौटाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध इन विमानों का उपयोग करने के खतरे का आकलन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान समग्र सुरक्षा परिदृश्य और पाकिस्तान द्वारा दिए जा रहे धमकी भरे वक्तव्यों/हावभावों को देखते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) ऐसी मीडिया खबरें हैं कि पाकिस्तान को नाभिकीय परीक्षण करने से रोकने के उद्देश्य से अमरीका पाकिस्तान को सैन्य तथा एफ-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति सहित आर्थिक सहायता देने की पेशकश कर सकता है। इस प्रकार की सहायता इस समय प्रेसलर संशोधन नामक अमरीकी घरेलू कानून के तहत प्रतिबंधित है।

चूंकि पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण कर लिए हैं और अमरीका ने प्रेसलर संशोधन के अन्तर्गत पहले से लगे प्रतिबंधों के अलावा अन्य प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अतः इन घटनाओं को देखते हुए इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आई.आर.ई.एफ. का आधुनिकीकरण

4121. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु, में इंडियन रेअर अर्थ्स फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या जर्कोनियम डाइआक्साइड और टिटेनियम डायआक्साइड के उत्पादन के लिए प्रसंस्कृत होने वाले कच्चे माल खनिज रेत के उपयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) के मानवलाकुरीचि (तमिलनाडु) स्थित संयंत्र को हाल ही में लगभग 9.31 करोड़ रुपए की लागत पर आधुनिकीकृत किया गया है। फिलहाल और आगे आधुनिकीकरण का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) इस समय, आई.आर.ई.एल. का मानवलाकुरीचि संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 4-5 मीटरी टन (टी.पी.ए.) रासायनिक रूप से शुद्ध जर्कोनियम डाईआक्साइड का उत्पादन कर रहा है और इस संयंत्र में टाइटेनियम डाईआक्साइड के उत्पादन की सुविधा स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। परमाणु ऊर्जा विभाग की 9वीं योजना में भी मूलभूत कच्चे माल के रूप में पुलिन बालू खनिजों को प्रयोग करके रसायनिक और नाभिकीय ग्रेड दोनों तरह की शुद्धता वाले जर्कोनियम आक्साइड (500 टी.पी.ए.) और टाइटेनियम स्पंज (400 टी.पी.ए.) के अतिरिक्त उत्पादन हेतु पलायकयाल (तमिलनाडु) की परियोजना हेतु प्रावधान किया गया है।

फसल बीमा योजना

4122. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण :
श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना का लाभ राज्यवार कुल कितने किसानों को प्राप्त हुआ है;

(ख) 1997-98 के दौरान बीमा की गई कुल धनराशि तथा प्राप्त की गई कुल प्रीमियम आय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि का दावा किया गया तथा उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए किसानों, बीमित धनराशि, एकत्रित प्रीमियम, कुल दावों तथा चुकता दावों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान वृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गए किसानों, बीमित धनराशि, एकत्रित प्रीमियम, कुल दावों तथा चुकता दावों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शामिल किए गए किसान	बीमित धनराशि (रु. करोड़ों में)	चुकता प्रीमियम (रु. लाखों में)	कुल दावें लाखों में)	चुकता दावें (रु. लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	13,99,132	846.95	1455.54	@	उ.न.
2.	असम	738	0.39	0.75	0.41	0.41
3.	बिहार	1,30,017	64.38	128.63	109.36	*

1	2	3	4	5	6	7
4.	गोवा	1,296	0.14	0.28	0.02	0.02
5.	गुजरात	9,13,628	564.56	686.84	116.39	116.39
6.	हिमाचल प्रदेश	1,559	0.40	0.80	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	3,23,357	183.45	270.34	1105.38	*
8.	केरल	34,382	20.16	40.32	2.96	2.96
	मध्य प्रदेश	10,60,937	299.54	434.68	@	उ.न.
10.	महाराष्ट्र	11,45,294	309.10	475.37	2738.17	2738.17
11.	मेघालय	388	0.11	0.22	शून्य	शून्य
12.	उड़ीसा	4,59,003	177.00	353.25	@	उ.न.
13.	तमिलनाडु	1,33,990	92.82	159.80	203.58	*
14.	त्रिपुरा	61	0.02	0.04	शून्य	शून्य
15.	पश्चिम बंगाल	4,93,109	152.82	305.60	106.75	£
16.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	240	0.15	0.30	1.35	£
17.	पांडिचेरी	1,185	1.15	2.30	7.05	*
	योग	60,98,316	2713.14	4315.06	4391.42	2857.95

नोट : रबी 1997-98 से संबंधित सूचना सम्मिलित नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा पैदावार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 31.7.1998 है।

उ.न. = लागू नहीं।

@ = दावे अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए।

* = दावों की छानबीन की जा रही है।

£ = कार्यान्वयन करने वाले राज्यों से 1/3 अंश की प्रतीक्षा की जा रही है।

परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा

4123. प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा बढ़ाने का है जैसे कि अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु-सीमा बढ़ायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) इस समय, सभी भर्ती अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा संचालित की जा रहीं सभी खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की ढील उपलब्ध है। सरकार ने, अब, संगत नियमों आदि को संशोधित किए जाने के पश्चात् जनवरी 1, 1999 से, अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अन्य ऐसे सिविल पदों के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में भर्ती की अधिकतम आयु सहित, भर्ती की अधिकतम आयु 2 वर्ष तक और बढ़ानी तय की है, जिन पर भर्ती, सीधी खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जबलपुर में भूकम्प

4124. श्री कान्तिलाल भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूकम्प पीड़ितों के राहत कार्यों और पुनर्वास पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) इस उद्देश्य के लिये अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गयी है;

(ग) कम धनराशि आबंटित किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विनाशकारी भूकम्प के कारण राज्य के भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने जबलपुर जिले में और इसके आस-पास के क्षेत्र में भूकम्प की चपेट में आए लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास पर अब तक लगभग 130.00 करोड़ रुपये खर्च किए हैं तथा पुनर्वास कार्य अभी चल रहा है।

(ख) और (ग) भूकम्प के कारण क्षति होने पर 1248.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के आधार पर तथा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले अंतर-मंत्रालयी दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए इस राज्य को 45.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता निर्मुक्त की गई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(च) कितनी क्षति हुई इसका मूल्यांकन केन्द्रीय दल द्वारा पहले ही किया जा चुका है तथा उस दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा चुकी है।

[अनुवाद]

स्वर्ण मसौरी धान

4125. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण मसौरी धान का उत्पादन किस राज्य में होता है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में स्वर्ण मसौरी की मोटी किस्म का उत्पादन होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में स्वर्ण मसौरी धान को अच्छी किस्म के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अनुसार वाणिज्यिक खेती के लिये "स्वर्ण मसौरी" नामक कोई भी धान की किस्म अधिसूचित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य परियोजना

4126. श्री रमेश ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तटवर्ती क्षेत्रों में किसी प्रकार की मत्स्य परियोजना शुरू की गई है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में ऐसे तटवर्ती क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां उक्त परियोजना क्रियान्वित की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, हां। मात्स्यिकी विकास, मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण, अधिक आय जुटाने के माध्यम से मछुआरा समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने आदि पर लक्षित योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, महाराष्ट्र राज्य सहित समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी समुद्र तटीय जिलों में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास के लिए देश के समुद्र तटीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. एकीकृत समुद्री तटीय जलकृषि : यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली/झींगा पालन के लिए देश के विशाल खारे जल संसाधनों का उपयोग करना है। इस योजना के अन्य उद्देश्य, अधिक उत्पादन के माध्यम से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना, पर्याप्त रोजगार अवसरों को जुटाना तथा कृषकों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत मत्स्यन कृषकों को उनके क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने तथा मार्गदर्शन देने के लिए समुद्र तटीय जिलों में 39 खारे जल मत्स्यन कृषक विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है।

2. परम्परागत जलयानों के मोटरीकरण के माध्यम से समुद्र तटीय मात्स्यिकी का विकास : यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत, इनबोर्ड/आउटबोर्ड मोटरों के साथ परम्परागत जलयानों को मोटरीकृत करने के लिए सहायता दी जाती है। इससे मछुआरों को समुद्र में काफी दूर तक जाने तथा मछली पकड़ने में सहायता मिलती है।

3. 20 मीटर लंबाई से कम यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों को आपूर्ति किए गए एच.एस.डी. आयल में उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति : यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य 20 मीटर की कुल लंबाई से कम के जलयानों की संचालनात्मक लागत के हिस्से में कमी करके यंत्रीकृत मत्स्यन यान स्वामियों/ऑपरेटरों को कुछ सहायता प्रदान करना है। इससे इनके मछली पकड़ने वाले दिनों की संख्या में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी। जिससे मात्स्यिकी उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो सकेगी।

4. कृत्रिम चट्टानें और समुद्री कृषि की स्थापना : इस केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का उद्देश्य वयस्क और किशोर दोनों प्रकार के मछलियों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से समुद्र में फिन और शैल मछली के उत्पादन स्तर में वृद्धि करना है।

5. प्रमुख और छोटे पत्तनों पर मात्स्यिकी बंदरगाहों संबंधी सुविधाएं प्रदान करना : इस योजना का उद्देश्य प्रमुख और छोटे पत्तनों तथा मछली उतारने वाले केन्द्रों पर गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों, यंत्रीकृत मत्स्यन जलयानों, परम्परागत नौकाओं के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना तथा मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है।

6. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण : ऊपर उल्लिखित उत्पादोन्मुखी योजनाओं के अतिरिक्त सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए निम्न उद्देश्यों के साथ एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना भी क्रियान्वित कर रही है:-

1. मछुआरों और उनके परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर,
2. सक्रिय मछुआरों और उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा,
3. मछुआरों गांवों में पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों को प्रदान करना,
4. आर्थिक सुरक्षा, और
5. पर्यावरण संबंधी सतत् विकास।

सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान करना है। आदर्श मछुआरा गांव विकास

घटक समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों को रहने की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा और मनोरंजन तथा सामूहिक कार्यस्थल सुविधाएं प्रदान करना है। बचत एवं राहत घटक समुद्री मछुआरों को कम मछली पकड़ने वाले मौसम के चार महीनों में न्यूनतम जीवन निर्वाह भत्ता देता है।

विश्व बैंक से सहायता

4127. श्री आर.एस. गवई :
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :
श्रीमती राणी चित्रलेखा भोंसले :
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जा रही राज्यवार बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार-पुनरोद्धार तथा आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में राज्य-वार उक्त प्रयोजनार्थ विश्व बैंक ने कितनी धनराशि प्रदान की;

(ग) क्या अभी भी कुछ परियोजनाएं विश्व बैंक के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता प्राप्त चालू सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:–

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	कुल अनुमानित लागत	हस्ता./बंद करने की तारीख	विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता राशि	विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां	
						1995-96 से 1997-98	1998-99 में मई, 1998 तक
1.	पंजाब सिंचाई एवं जल विकास परियोजना	पंजाब	265.00	09.02.1990/ 31.07.1998	161.679	67.017	0.699
2.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	516.00	06.04.1994/ 31.12.2000	262.148	75.881	0.000
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	317.50	29.04.1995/ 31.03.2002	252.303	16.398	0.289
4.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	270.578	05.01.1996/ 30.09.2002	270.578	74.999	0.000
5.	आंध्र प्रदेश III सिंचाई परियोजना	आध्र प्रदेश	472.50	03.06.1997/ 31.01.2003	325.00	58.787	0.000

(ग) जी, हां।

(घ) विचाराधीन परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत	वर्तमान स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	आंध्र प्रदेश	282.3 मिलियन अमेरिका डालर	इस परियोजना के संबंध में मई, 1998 में वार्ता की गई थीं और विश्व बैंक प्रबंधन ने परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच हुए समझौते हस्ताक्षर की शर्तों के अनुसार इस परियोजना को 30.9.98 से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है तथा 31.3.2004 तक पूरा करने का विचार है।
	राजस्थान जल संसाधन समेकन परियोजना	राजस्थान	292.15 मिलियन अमेरिकी डालर	परियोजना मूल्यांकन स्तर पर है।
3.	जल संसाधन नवीकरण एवं प्रशिक्षण परियोजना (डब्ल्यू.आर.ई. टी.पी.)	केन्द्रीय क्षेत्र	55 मिलियन अमेरिकी डालर	जे.आई.सी.ए. (जापान सरकार) ने 4,05,000 अमेरिकी डालर की परियोजना तैयारी अनुदान उपलब्ध कराने पर सहमत हो गयी है। परियोजना की तैयारी अभी की जानी है।
4.	गुजरात जल संसाधन समेकन परियोजना	गुजरात –	150.0 मिलियन अमेरिकी डालर	परियोजना को विश्व बैंक के समक्ष मई, 1998 में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ङ) विश्व बैंक की विचाराधीन परियोजनाओं के पूरा होने की तिथि का पता तभी चल सकेगा जब समझौते में हस्ताक्षर होंगे।

गन्ने का उत्पादन

4128. श्री प्रदीप कुमार यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) कुल कितने क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की जा रही है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना के साथ-साथ समय पर गन्ने की पिराई हेतु गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के दौरान मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) नई चीनी मिलों को लाइसेंस देने एवं वर्तमान चीनी मिलों के विस्तार के लिए दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित का ध्यान रखा जाता है:-न्यूनतम पेरने की क्षमता प्रति दिन, मिलों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना, प्रस्तावित एवं वर्तमान गन्ना मिलों के बीच रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी, गन्ने की उपलब्धता और/अथवा क्षेत्र में गन्ना विकास की सम्भावनाएं उत्पादक सहकारी समितियों को प्राथमिकता, इत्यादि। इन उपायों से गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही इसके साथ-साथ गन्ने का समय पर पेरा जाना भी सुनिश्चित हो सकेगा।

विवरण

गन्नें का राज्यवार अनुमानित क्षेत्र 1997-98

राज्य	क्षेत्र (हजार है.)
आन्ध्र प्रदेश	192.0
बिहार	170.0
गुजरात	155.0
हरियाणा	140.0
कर्नाटक	241.0
महाराष्ट्र	460.0
पंजाब	132.0
तमिलनाडु	293.0
उत्तर प्रदेश	1956.0
अन्य	178.0
अखिल भारत	3917.0

अलसी/सरसों अनुसंधान केन्द्र

4129. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में अलसी/सरसों अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में तूफान

4130. **श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में आने वाले तूफान के बारे में समुद्र के किनारे बसे लोगों को सतर्क न करने के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं; और

(ख) भविष्य में ऐसी लापरवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) एक उच्च स्तरीय तथ्यान्वेषी दल का गठन किया गया है जो भविष्य में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के लिये घटनाओं के क्रम को समझते हुये तरीकों व साधनों के संबंध में सलाह देगा। उक्त दल की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

बकरोल सिंचाई परियोजना

4131. **श्री दिलीप संघाणी :**
श्री हरिन पाठक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बकरोल सिंचाई परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के लिए गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, 23.86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की बकरोल सिंचाई परियोजना में सबरकांठा जिला में 4500 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना है।

(ग) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न किये जाने के कारण केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

4132. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली के खरीद के संबंध में मध्य प्रदेश को वर्गीकरण की निम्न श्रेणी के अंतर्गत रखा है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्गीकरण का औचित्य क्या है;

(ग) क्या इस वर्गीकरण के कारण मध्य प्रदेश के किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली खरीदने के लिए महाराष्ट्र के किसानों की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यों को श्रेणी "ख" में ––– के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है; और

यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ड्रिप निर्माता एक समान मूल्य पर ड्रिप प्रणाली को पूरे देश में उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि जागरूकता के स्तर, कारखाना से राज्यों की समीपता परिवहन में निहित दूरी, राज्य में ड्रिप सिंचाई की संभावना एवं लगाए गए करों के आधार पर घटकों के मूल्य विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। अत: राज्यों को "क", "ख" एवं "ग" तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। चूंकि सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के समय मध्य प्रदेश में ड्रिप सिंचाई के बारे में जागरूकता बहुत कम थी। अत: राज्य को श्रेणी "ग" में रखा गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी "ग" राज्यों के लिए ड्रिप सिंचाई की प्रणाली लागत को श्रेणी "क" राज्य, यानि, महाराष्ट्र के औसत लागत से 25% अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य को श्रेणी "ख" में लाने के लिए जनवरी, 1997 में एक प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि राज्य के पुन: श्रेणीकरण के प्रस्ताव पर एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसे ड्रिप सिंचाई प्रणाली की मूल्य संरचना के पुनरीक्षण के लिए गठित किया गया है। राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश के किसान अपनी सुविधा के अनुसार ड्रिप प्रणाली कहीं से भी खरीद सकते हैं। समिति की बैठक 4.07.98 को हुई एवं इसकी अंतिम रिपोर्ट शीघ्र ही आने की संभावना है।

ट्राउट मछली का विकास

4133. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ठंडे पानी की धारा में "ट्राउट फिश" के विकास से संबंधित भेजा गया कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना के लिए विदेशी सहायता के रूप में कितनी निधियां मांगी/आबंटित की गई हैं; और

(घ) परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी तथा क्रियान्वित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालन के विकास के लिए विदेशी सहायता मांगने के लिए मई, 1996 में 2.0 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकाल के तहत सहायता के लिए यह प्रस्ताव फ्रांस के प्राधिकारियों के पास अप्रैल, 1998 में भेजा गया था, किन्तु फ्रांस के प्राधिकारियों का यह विचार था कि, चूंकि यह प्रस्ताव योग्यता के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा ढांचागत मानदण्डों को पूरा नहीं करता है, अत: वे इस प्रस्ताव पर भारत-फ्रांस वित्तीय प्रोटोकाल के तहत विचार नहीं कर सकते।

तथापि, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मछली पालन का विकास चल रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना "ताजे जल में मछली पालन का विकास" के तहत पहले से ही शामिल है।

सिंचित भूमि

4134. श्री रामपाल सिंह :
श्री चिन्ता मोहन :
श्री रामानन्द सिंह :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई कारगर योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लक्ष्य प्राप्त न करने के कारणों में शामिल हैं (1) वित्तीय बाधाएं, (2) परियोजनाएं अधिक होने के कारण संसाधनों का थोड़ा-थोड़ा बंट जाना इसके फलस्वरूप समय तथा खर्च का बढ़ जाना, (3) निर्माण के दौरान परियोजना के क्षेत्र एवं डिजाइन में परिवर्तन, इत्यादि।

(घ) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

4135. श्री अर्जुन सेठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन किसानों के अलावा जिन्होंने ऋण ले रखा है उन छोटे और सीमांत किसानों जिन्होंने ऋण नहीं दे रखा है को शामिल करने के लिए प्रायोगिक फसल बीमा योजना वर्ष 1997-98 के दौरान तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई इस योजना का ब्यौरा क्या है और यह योजना कुल कितने राज्यों में कार्यान्वित की गई थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने रबी 1997-98 के मौसम से 8 राज्यों के 24 चयनित जिलों में क्रियान्वयन के लिए एक प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम तैयार की है। प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) यह स्कीम ऋण और गैर ऋणी छोटे और सीमांत दोनों प्रकार के किसानों को कवर करती है।

(2) छोटे और सीमान्त किसानों के लिए प्रीमियम में 100% की राजसहायता।

(3) प्रीमियम और दावे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 8:2 के अनुपात में अंशदान दिया जाता है।

(4) यह योजना यथासंभव छोटे क्षेत्रों अधिमानतः ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित की जानी है।

(5) अन्य विशेषताएं व्यापक फसल बीमा स्कीम के समान हैं। रबी 1997-98 के दौरान 5 राज्यों में प्रायोगिक फसल बीमा स्कीम लागू की गई।

[हिन्दी]

परमाणु परीक्षण

4136. श्री पंकज चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण नहीं करने के संबंध में संधि करने के लिए भारत को पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 11 जून, 1998 को आगे आणविक परीक्षणों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ एक द्विपक्षीय परीक्षण प्रतिबंध व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया।

(ग) यह भारत का सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि आणुविक निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार से संबंधित मसलों को मनमाने रूप से परिभाषित एक भौगोलिक उप-क्षेत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि परिभाषा के अनुसार आणुविक हथियारों की पहुंच और इसका प्रभाव सार्वभौमिक है तथा भारत के सुरक्षा हित इस उप-क्षेत्र से बाहर भी है। अतः दक्षिण एशिया में एक द्विपक्षीय परीक्षण प्रतिबंध संधि का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। यह अनावश्यक भी है क्योंकि भारत ने आगे परीक्षणों पर स्वैच्छिक प्रतिबंध लगा

दिया है तथा इसे एक कानूनी प्रतिपादन में परिवर्तित करने के लिए उपायों और साधनों का पता लगा रहा है। हालांकि भारत पाकिस्तान के साथ एक सतत् और रचनात्मक वार्ता के प्रति कृतसंकल्प है तथा इसने पहले प्रयोग न करने के लिए करार जैसे ठोस प्रस्ताव दिये हैं।

नकदी फसलों का समर्थन मूल्य

4137. श्री नरेन्द्र बुडानिया :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नकदी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करने में असफल रही है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक नकदी फसल का समर्थन [illegible] घोषित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत शामिल वाणिज्यिक फसलों-यथा-तिलहन, रेशे वाली फसलों, गन्ना तम्बाकू और कोपरा का वर्ष 1998-99 के मौसम हेतु समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। 1998-99 के लिए जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया गया है।

बागवानी और मसाले वाली फसलों को, जिनका उत्पादन स्थानीय आधार पर होता है या उनकी प्रकृति शीघ्र खराब होने वाली होती है, अन्य स्कीम यथा - मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है जो कि राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू की जाती है बशर्ते कि वे हानि होने पर उसका 50% भाग वहन करने के लिए तत्पर हों।

[अनुवाद]

निरस्त्रीकरण के संबंध में भारत का रवैया

4138. श्री एम. राजैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी ने निरस्त्रीकरण संबंधी भारत के रवैये का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व में किए गए परमाणु परीक्षणों की संख्या के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को और स्पष्ट करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में इस पर कितनी बार चर्चा की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और न्यूजीलैंड के कहने पर आई.ए.ई.ए. के 35-सदस्य वाले गवर्नरों के बोर्ड ने 8-12 जून, 1998 को विधाना में हुई अपनी बैठक में अपनी कार्यसूची में "परमाणु परीक्षण" की एक और मद शामिल कर ली थी। गवर्नर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा वाद-विवाद की समाप्ति पर अपनाए गए संक्षिप्त विवरण में परमाणु अस्त्रों वाले राष्ट्रों से एन.पी.टी. के अनुच्छेद VI के अनुसार अपने परमाणु अस्त्रों को कम करने और अंतत: समाप्त कर देने के अपने प्रयासों को दुगुने कर देने का आह्वान किया जाना और परमाणु अस्त्रों को पूर्णत: खत्म कर दिए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेकनीयती से बातचीत शुरू करने का आह्वान किया जाना शामिल है। यह भारत की सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण संबंधी अब तक कायम नीति के अनुरूप है।

हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करने वाला भारतीय कथन संसद में 27 मई, 1998 को प्रधान मंत्री के सम्बोधन में से व्यापक रूप से उद्धृत किया गया है। इस कथन में भारत द्वारा स्वप्रतिबंध को कानूनन औपचारिक बनाने, "प्रयोग में पहल न करने" संबंधी द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौता करने, एफ.एम.सी.टी. पर बातचीत शुरू करने की स्वेच्छा और भारत की मौजूदा कड़ी निर्यात नियंत्रण नीति के संबंध में आगे और कदम उठाए जाने का भी उल्लेख है। कथन में यह भी जोड़ा गया है कि आई.ए.ई.ए. अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ किए गए अनुबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, और हमारे क्षेत्र में गिरती हुई शांति और सुरक्षा की स्थिति की ओर इंगित किया है। इस तथ्य की हमारी चिन्ता दक्षिण एशिया तक ही सीमित नहीं है, पर जोर दिया गया है और नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे सुदृढ़ स्वदेशी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय आधार और आत्मनिर्भरता को विशिष्ट रूप से बताया गया है। एक सुनिश्चित समयावधि के भीतर परमाणु अस्त्रों को विश्व स्तर पर खत्म किए जाने की हमारी प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया गया।

भारत ने इस मद को बोर्ड की कार्यसूची में इस आधार पर शामिल न किए जाने का विरोध किया था कि आई.ए.ई.ए. जिसका मैनडेट परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने को बढ़ावा देना है, इस मुद्दे को उठाने के लिए उपयुक्त मंच नहीं है। भारत ने इस बात को भी इंगित किया कि विगत में यू.एस., यू.के., और चीनी जैसे प्रमाणु अस्त्रों वाले राष्ट्रों ने यह कहा था कि परमाणु परीक्षण से संबंधित मुद्दा इस एजेन्सी की सामर्थ्य के भीतर नहीं आता।

परमाणु परीक्षण का मुद्दा आई.ए.ई.ए. के वार्षिक महासम्मेलन में 1996 में उठाया गया था जब फ्रांस और चीन ने सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से पहले परमाणु परीक्षण किए थे। भारत के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट (पी.एन.ई.) पर भी 1974 में आई.ए.ई.ए. में चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

4139. श्री विट्ठल तुपे :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव पाटिल :
श्री ए. सिदराजू :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसल बीमा योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए हैं जिन्होंने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मौजूदा प्रणाली केवल 10,000 रुपये तक के नुकसान के लिए सीमित है;

(घ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोई नई योजना तैयार की है जिसमें सभी किसानों और फसलों को शामिल किया गया है और यह योजना अनुमोदनार्थ केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ङ) यदि हां, क्या केन्द्र सरकार का इस योजना को अनुमोदित करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। मौजूदा विस्तृत फसल बीमा स्कीम केवल उन किसानों तक सीमित है जो ग्रामीण वित्तीय संस्थानों से फसल ऋण की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

(ख) विस्तृत फसल बीमा स्कीम ऋण लेने वाले किसानों तक सीमित है क्योंकि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य किसी फसल के असफल हो जाने के पश्चात् अगले मौसम के लिये किसानों की ऋण संबंधी पात्रता बहाल करना है। इसके अलावा, योजना के प्रचालन की प्रशासनिक व्यवहार्यता के लिये केवल ऋण लेने वाले किसानों को ही इनमें शामिल किया जाता है।

(ग) जी, हां। वर्तमान में प्रति कृषक बीमित अधिकतम राशि 10,000 रु. है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा विचारित किसी नई योजना का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

धनराशि का दुरूपयोग करना

4140. श्री बिक्रम देव केशरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 मई, 1998 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "सीनियर आई.ए.एस. आफिशियल सस्पेंडेड इन उड़ीसा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस समाचार में प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं; और

(ग) धनराशि का दुरूपयोग करने और अनियमितताएं करने के लिए जिम्मेवार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों के अनुसार दुर्विनियोजन का कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है।

तूफान के संबंध में चेतावनी

4141. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नमक मजदूरों को समुद्र में आने वाले तूफान की चेतावनी देने के पश्चात् भी नहीं हटाया गया;

(ख) तूफान के समय नमक फैक्टरियों और पैन में वास्तव में कितने मजदूर कार्य कर रहे थे, उनमें से कितने लापता है और कितने मारे गए;

(ग) यदि हां, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग द्वारा मामले की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या नमक मजदूरों की जान और माल की हुई क्षति के लिए पीड़ित परिवारजनों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) मूलत: यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से धन आवंटित करके उन्हें राहत पहुंचाये। इस कोष में केन्द्र और राज्य सरकार 3.1 के अनुपात में अंशदान हैं। केन्द्रीय हिस्सा 4 बराबर-बराबर त्रैमासिक किश्तों में किया जाता है। 1998-99 के लिए गुजरात को 154.83 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। प्राकृतिक आपदा आने के तुरंत बाद 1998-99 के लिए प्राकृतिक आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से के रूप में 29.03 करोड़ रुपये अग्रिम निर्मुक्त किये गये थे ताकि राहत कार्यों में तेजी लायी जा सके।

प्रधान मंत्री राहत कोष से मौत के मामलों में किये गये भुगतान के अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के निकटस्थ सम्बन्धी को, यदि मृतक वयस्क है तो 50,000/- रुपये और यदि वह अवयस्क है तो 30,000/- रुपये के हिसाब से अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। ऐसे लोगों को जो बेसहारा हो गये थे नकद धनराशि दी गयी तथा उनकी गृहस्थी के लिए भी सहायता दी गयी। एक अंतर्मन्त्रालयी केन्द्रीय दल ने गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों का पहले ही दौरा किया है और होने वाली हानि का आंकलन करके रिपोर्ट सौंप दी है। प्राकृतिक आपदा राहत कोष में से सहायता जारी किये जाने की सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

कीटों के कारण फसलों को क्षति

4142. श्री राजो सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषरूप से बिहार के "ताल तथा दीयारा" क्षेत्रों में कीटों द्वारा अधिकांश फसलों की क्षति होती है;

(ख) क्या सरकार इसे प्राकृतिक विपदा के रूप में स्वीकार करती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसके कारण किसानों को होने वाली भारी हानि के बारे में मालूम है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस हानि के लिए किसानों को कोई क्षतिपूर्ति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ग) बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार रबी फसलें जैसे, दलहन तथा तिलहन "ताल और दियारा" क्षेत्रों में 6.3 लाख हैक्टे. क्षेत्र में उगाई जाती हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान इसमें से लगभग 12% क्षेत्र कीटों से प्रभावित हुआ था, जिससे फसलों को नुकसान हुआ।

(ख) विद्यमान मानदंडों के अनुसार कीटों के कारण फसलों को बार-बार होने वाली क्षति को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता है।

(घ) और (ङ) बिहार के ताल और दियारा क्षेत्रों में कीटों के कारण फसलों को हुई नुकसान की किसानों को क्षति पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

अंटार्कटिक अनुसंधान केन्द्र

4143. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंटार्कटिक अनुसंधान केन्द्र, गोवा ने पूरी तरह से काम करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस केन्द्र को दिए गए अधिदेश का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गोवा में अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र के पूर्ण रूप से कार्य प्रारम्भ करने में हो रही देरी के मुख्य कारण हैं:

(1) निर्माण हेतु स्थानीय प्रशासन प्राधिकारियों से समय पर विभिन्न स्वीकृतियों की अनुपलब्धता।

(2) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्माण स्थल पर निरन्तर मलबा डालते रहना।

(घ) अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र को दिये गये अधिदेशों में शामिल हैं:

(1) भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्रुवीय विज्ञान एवं संभारतंत्र के कार्यान्वयन की योजना बनाना, समन्वय, निष्पादन एवं प्रबोधन करना।

(2) ध्रुवीय वैज्ञानिक प्रयोगशाला एवं राष्ट्रीय अंटार्कटिक आंकड़ा आधार के रूप में कार्य करना।

जम्मू-कश्मीर के लिए धन

4144. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए नियोजित और गैर-नियोजित क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में चल रहे आतंकवाद को देखते हुए विकास कार्यों के लिए निधियों के आवंटन में कोई वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य की विभिन्न योजनाओं में केन्द्रीय हिस्से का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जम्मू व कश्मीर को पिछले 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय निधियों (योजना और गैर-योजना दोनों) का वर्ष-वार आवंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राशि
1995-96	2696.29
1996-97	3332.22
1997-98	3681.36

(ख) जी, हां। विकासात्मक कार्य हेतु योजना परिव्यय बढ़त रूझान को दर्शाता है।

(ग) केन्द्रीय सहायता का आवंटन स्कीम-वार न करके एक साथ किया जाता है।

जल भराव

4145. श्री किशन सिंह सांगवान :
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री राजनारायण पासी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल भराव के कारण देश में राज्यवार कुल कितनी कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को जल भराव क्षेत्र से जल बहाव के लिए किसी राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि मंत्रालय (1984-85) के अनुमान के अनुसार देश में जल जमाव से 85.26 लाख हैक्टे. क्षेत्र प्रभावित है। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय (1991) द्वारा गठित कार्य दल ने अनुमान लगाया है कि सिंचाई कमानों में 24.56 लाख हैक्टे. क्षेत्र में यह समस्या है। ये क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र में शामिल हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-। और ॥ में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। जल संसाधन मंत्रालय ने सिद्धान्ततः जल निकास सहित जल जमाव वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए उन स्कीमों को स्वीकृति प्रदान कर दी है जिनकी केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निर्धारित वित्तीय एवं तकनीकी मानकों की पुष्टि कर दी गई है।

विवरण I

कृषि मंत्रालय (1984-85) के आकलन के आधार पर देश में जल जमाव वाले क्षेत्रों का राज्यवार-ब्यौरा

(इकाई : '000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जल ग्रसित क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	339
2.	असम	450
3.	बिहार	707
4.	गुजरात	484
5.	हरियाणा	620
6.	जम्मू और कश्मीर	10
7.	कर्नाटक	10
8.	केरल	61
9.	मध्य प्रदेश	57
10.	महाराष्ट्र	111
11.	उड़ीसा	60
12.	पंजाब	1090
13.	राजस्थान	348
14.	तमिलनाडु	18
15.	उत्तर प्रदेश	1980
16.	पश्चिम बंगाल	2180
17.	संघ शासित क्षेत्र	1
	कुल	8526 (85.26 लाख हैक्टे.)

विवरण-II

जल संसाधन मंत्रालय (1991) द्वारा गठित कार्य दल के आधार पर देश में जल जमाव वाले क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा

(इकाई '000 हैक्टे.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जल ग्रसित क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	266.40
2.	बिहार	619.70
3.	गुजरात	172.59
4.	हरियाणा	249.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.20
6.	जम्मू एवं कश्मीर	1.50
7.	कर्नाटक	24.54
8.	केरल	11.61
9.	मध्य प्रदेश	73.12
10.	महाराष्ट्र	15.35
11.	उड़ीसा	196.26
12.	पंजाब	200.00
13.	राजस्थान	179.50
14.	तमिलनाडु	16.19
15.	उत्तर प्रदेश	430.00
	कुल	2455.96 (24.56 लाख है.)

लघु विद्युत परियोजनाएं

4146. श्री माधवराव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है और कितनी धनराशि जारी की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने आठवीं पंत्रवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार के लिए 170.45 लाख रु. की आर्थिक राजसहायता से नासिक जिले में करंजावन (1×3000 किवा.) लघु पन बिजली परियोजना, 384 लाख रु. की आर्थिक राजसहायता से सतारा जिले में चलकेवाडी पवन फार्म परियोजना (2 मेवा.) और 18.76 लाख रु. की आर्थिक राजसहायता से 1409 किवा. की कुल क्षमता के साथ 10 बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की सहायता की है। इन परियोजनाओं के लिए, मंत्रालय द्वारा 519.62 लाख रु. की धनराशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण एककों में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

4147. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए खास प्रसंस्करण के क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने का है ताकि किसान प्रसंस्करण के पश्चात् अपने उत्पादों को बेच सकें ताकि उन्हें अधिक लाभ मिले; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 9वीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति के विकास से संबंधित एक योजना स्कीम चला रहा है। इसका एक संघटक खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के वास्ते सहायता उपलब्ध करने से संबंधित है। यह स्कीम 8वीं योजना अवधि (1992-97) के दौरान लागू की गई थी।

स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, स्वच्छता, हिसाब-किताब रखने और विपणन आदि के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना है ताकि प्रशिक्षण के बाद वे अपनी स्वयं की खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित कर सकें।

8वीं योजना अवधि के दौरान और 9वीं योजना के पहले साल में विभिन्न संगठनों जिनमें गैर सरकारी संगठन, सहकारिताएं, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, रक्षा संस्थान आदि शामिल हैं, को देश में 245 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता दी गई है। इनमें से 119 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है और उनमें खाद्य प्रसंस्करण में 6163 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

बैराज परियोजनाएं

4148. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसी भी बैराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग सरकार के पास लंबित है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित की जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सिंचाई क्षेत्र में किसी परियोजना को "राष्ट्रीय परियोजना" के रूप में घोषित करने का सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बोवाइन ग्रोथ हार्मोन

4149. श्री के. येरननायडू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दुधारू पशुओं को "बोवाइन ग्रोथ हार्मोन" की टीका लगाने की अनुमति दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इन पशुओं पर उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) इस टीके के प्रतिकूल प्रभाव से दुधारू पशुओं को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या डी.ए.वी. रिसर्च सोसायटी द्वारा इस संबंध में किए गए शोध अध्ययन की उपेक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी,

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार को डी.ए.वी. रिसर्च सोसायटी द्वारा इस संबंध में किए गए अध्ययन की जानकारी नहीं है।

मछली पालन

4150. श्री पी.सी. थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मछली पालन के लिए निवेश में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशों और बाह्य एजेंसियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से निवेश प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। जल कृषि के विकास के लिए विगत तीन वर्षों में राज्यवार केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	203.28	92.78	25.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.00	26.00	24.00
3.	असम	23.00	46.00	38.44
4.	बिहार	49.00	शून्य	114.00
5.	गोवा	2.00	13.06	2.00
6.	गुजरात	6.00	23.50	58.50
7.	हरियाणा	24.00	28.00	25.39

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	2.00	2.00	3.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.00	2.00	11.00
10.	कर्नाटक	40.00	14.00	59.07
11.	केरल	40.00	64.00	85.00
12.	मध्य प्रदेश	142.50	100.00	227.00
13.	महाराष्ट्र	48.04	47.17	78.91
14.	मणिपुर	8.00	16.00	22.74
15.	मेघालय	52.00	2.00	35.60
16.	मिजोरम	5.00	10.00	9.50
17.	नागालैंड	33.00	105.00	40.00
18.	उड़ीसा	83.15	185.05	123.07
19.	पंजाब	51.00	42.00	50.00
20.	राजस्थान	15.00	2.00	15.00
21.	सिक्किम	5.00	2.00	5.00
22.	तमिलनाडु	55.15	13.00	16.25
23.	त्रिपुरा	शून्य	16.00	16.00
24.	उत्तर प्रदेश	187.00	195.00	259.28
25.	पश्चिम बंगाल	228.74	271.13	222.56
26.	पांडिचेरी	1.00	–	2.00
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.00	–	–
	कुल	1312.86	1317.69	1568.31

सरदार सरोवर बांध

4151. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के कार्य में "रिवर बेड पावर हाऊस" के लिए "टर्बो जेनरेटर सेटों" की खरीद हेतु जापान के "ओवरसीज इकनॉमिक कोआपरेशन फंड्स" का ऋण नहीं मिल पाने के कारण विलम्ब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने जापान से "टर्बो जेनरेटर सेटों" ायात के लिए केन्द्र सरकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और केन्द्र सरकार द्वारा उस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) केन्द्रीय सहायता कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) सरदार सरोवर परियोजना के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब का कारण नदी तल बिजली घर के लिए टर्बो जेनरेटर सेटों की खरीद के वास्ते ओवरसीज इकोनॉमिक कोआपरेशन फंड्स, जापान से ऋण का प्राप्त न होना है। जापान सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए वर्ष 1986 में 2.85 बिलियन येन की पहली किस्त जारी करने के बाद ओवरसीज इकोनॉमिक कोआपरेशन फंड्स से ऋण की अतिरिक्त किस्तों को अनुमोदित नहीं किया। भारत सरकार द्वारा गठित एक दल टर्बो जेनरेटर सेटों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के क्रेडिट को अंतिम रूप देने के वास्ते मैसर्स सुमितोमो कार्पोरेशन के साथ बातचीत कर रहा है।

(ग) से (ङ) जी, हां। गुजरात सरकार ने जापान से टर्बो जेनरेटर सेटों को आयात करने के लिए 294 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। तथापि, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) गाडगिल फार्मूले के फ्रेमवर्क के भीतर ही राज्य योजनाओं के वास्ते उपलब्ध कराई जाती है तथा किसी विशेषीकृत परियोजना से नहीं जोड़ी जाती है। अत: ए.सी.ए. जारी करने पर विचार नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

यमुना नहर

4152. श्री मोहन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी और असिंचित क्षेत्रों में यमुना नहर से जल की आपूर्ति करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से किया जा रहा है; और

(ग) इस सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्र सरकार ने यमुना नहर से राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी और असिंचित क्षेत्रों को जल आपूर्ति करने के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं किया है। तथापि, राजस्थान सरकार ने राज्य के झुनझुनू और चुरू जिलों में रेगिस्तानी और असिंचित क्षेत्रों को यमुना के जल की आपूर्ति के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने शारदा-यमुना संपर्क, यमुना-राजस्थान संपर्क और राजस्थान-साबरमती संपर्क नहर के जरिए राजस्थान होते हुए गुजरात में यमुना को साबरमती नदी से परस्पर जोड़ने संबंधी सर्वेक्षण कार्य शुरू किए हैं। जिसमें अन्य के साथ-साथ राजस्थान और गुजरात को जल आपूर्ति की जाएगी।

(ख) जनवरी, 1996 से राजस्थान सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य किए जा रहे हैं जबकि शारदा-यमुना संपर्क के लिए सर्वेक्षण कार्य अप्रैल, 1996 से शुरू किए गए हैं और यमुना-राजस्थान संपर्क अप्रैल, 1998 से शुरू की गई है। राजस्थान-साबरमती संपर्क के सर्वेकार्य जनवरी, 2003 में शुरू किए जाने की योजना है।

(ग) राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण कार्य सितंबर, 1998 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है जबकि शारदा-यमुना संपर्क के लिए सर्वेक्षण कार्य दिसंबर, 2000 तक, यमुना-राजस्थान संपर्क, दिसंबर 2003 तक और राजस्थान साबरमती संपर्क दिसंबर 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

कृषि मिशन

4153. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में कृषि यंत्रीकरण एक समान है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम विकसित राज्यों में कृषि यंत्रीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में कृषि यंत्रीकरण के असमान स्तर अनेक कारकों के कारण हैं, जैसे किसानों की निवेश क्षमता, सिंचाई सुविधाएं, फसल का ढंग तथा गहनता, प्रचालनात्मक जोतों का आकार, प्रोत्साहनात्मक प्रयास आदि।

(ग) अल्प प्रगति वाले राज्यों के लिये अलग से कोई स्कीम नहीं बनाई गई है। तथापि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, ड्रिप तथा छिड़काव सिंचाई उपकरणों तथा अन्य अभिज्ञात कृषि उपस्करों एवं मशीनों की खरीद के लिये किसानों को देश भर में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत राजसहायता उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने दक्ष कृषि उपस्करों एवं मशीनों का विकास करने तथा उपयोगकर्ताओं को उनके चयन, प्रचालन, रख-रखाव तथा प्रबन्ध के बारे में जानकारी देने के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार की दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

सुबनसिरी तथा सिंयाग परियोजना

4154. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम-अरूणाचल सीमा पर सुबनसिरी तथा सिंयाग बहु-उद्देशीय नदी बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना के संबंध में संबद्ध राज्यों को मान्य कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत उत्पादन के रूप में इसके क्या संभावित लाभ हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए सुबनसिरी और सिंयाग नदियों पर साधारण ऊंचाई वाले बांधों के निर्माण के लिए तीन वैकल्पिक स्थलों पर अन्वेषण शुरू किए हैं। ये स्थल सुबनसिरी नदी पर मेंगा, तामेन, गेरूकामुख और सियांग नदी पर पुगिंग, रोइंग और रोतुंग हैं। ये सभी छः स्थल अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित हैं और अरूणाचल प्रदेश सरकार को स्वीकार्य हैं।

(घ) इन परियोजनाओं के अन्वेषण और इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें 2007 तक तैयार की जाएगी।

(ङ) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के पूरा होने के बाद ही इन परियोजनाओं से होने वाले अनुमानित लाभों का पता चलेगा।

डेरी विकास के लिए विदेशी सहायता

4155. श्री आदित्यनाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां सरकार ने विदेशी सहायता से डेरी तथा पशुपालन विकास योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितनी उपलब्धि हासिल हुई है; और

(ग) 1995, 1996 तथा 1997 के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी विदेशी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) उन राज्यों के नाम जहां सरकार ने विदेशी सहायता के साथ पशुपालन एवं डेयरी विकास के लिए योजनाएं शुरू की है, संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन योजनाओं के तहत की गई उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए दी गई विदेशी सहायता की राज्यवार संलग्न विवरण-III गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार

1	2
4.	दिल्ली
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू-कश्मीर
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	नागालैंड
15.	उड़ीसा
16.	पांडिचेरी
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	सिक्किम
20.	तमिलनाडु
21.	उत्तर प्रदेश
22.	पश्चिम बंगाल

विवरण-II

	योजना का नाम		प्रमुख उपलब्धियां
	1		2
1.	गोपशु प्रजनन, चारा उत्पादन तथा डेयरी विकास (चरण-6) के लिए इण्डो-स्विच परियोजना	क.	मानव संसाधन विकास के लिए क्षमता निर्माण।
		ख.	पशुपालन विकास में प्रजनन क्रियाकलापों का पुनर्निर्माण।
		ग.	12 जिलों में समूह संगठन तथा लिंग कार्यक्रम।
		घ.	22 जिलों में विकेंद्रीकृत चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम।
2.	उड़ीसा के कोरापुट जिले में समेकित पशुधन विकास परियोजना	क.	समुदाय लिंग वर्करों का प्रशिक्षण।
		ख.	फार्म आदमियों तथा औरतों के लिए ग्राम्य आधारित प्रशिक्षण।
		ग.	ग्रामीण रिवोल्विंग फंड के प्रबंधन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुपों का गठन।
		घ.	ब्लॉक विस्तार टीमों के माध्यम से विस्तार सेवाओं का प्रावधान।
		ङ.	प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान।
3.	इण्डो-स्विस परियोजना, सिक्किम	क.	प्रबंध उन्मुखी कार्यक्रम का संगठन।
		ख.	सांड उत्पादन और वितरण कार्यक्रम का संगठन।

1	2
	ग. रोग जांच कार्य के लिए चार जिला प्रयोगशालाओं की स्थापना।
	घ. चीज संयंत्र का निर्माण कार्य तथा उपकरण और मशीनरी की खरीद।
	ङ. अदरक रोग नियंत्रण तथा इलायची को संसाधन की प्रणाली।
4. तमिलनाडु में पशुधन विकास केलिए दानिदा से सहायता प्राप्त परियोजना	क. लिंग वर्कर जोड़ों को प्रशिक्षण।
	ख. कंटेक्ट कृषकों को प्रशिक्षण।
	ग. वेसलाइन सर्वेक्षण का आयोजन।
	घ. स्माल स्केल कुक्कुट मॉडल को विकसित करना।
	ङ. चारा पौध का वितरण।
5. सतत् भूमि उपयोग, पशुपालन तथा डेयरी विकास के लिए इण्डो-स्विस परियोजना, उड़ीसा	क. गंजजभ तथा गजपति जिलों में कृत्रिम गर्भधान और प्राकृतिक प्रजनन कार्यक्रमों का अंगीकार।
	ख. तरल नाइट्रोजन टैंकरों का प्रावधान।
	ग. कटक में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण।
	घ. आहार तथा चारा संबंधी अनुकूली अनुसंधान परीक्षण।
	ङ. डेयरी विकास गतिविधियों के गंजम तथा गजपति जिला सहकारी दुग्ध संघों को सहायता।

6. आपरेशन फ्लड : प्रगति 1997-98*

क्षेत्र/राज्य	आयोजित डे.स.स.	कृषक सदस्य ('000)	ग्रामीण दुग्ध अधिप्राप्ति ('000 किलोग्राम/दिन)
1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	12086	2039	3989
महाराष्ट्र	6387	1149	2166
मध्य प्रदेश	4601	237	195
गोवा	155	17	25
कुल	23239	3442	6374

1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
तमिलनाडु	7686	1901	1156
कर्नाटक	7823	1492	1478
आंध्र प्रदेश	5424	736	757
केरल	1481	406	300
पांडिचेरी	82	23	30
कुल	22496	4558	3722
उत्तरी क्षेत्र			
पंजाब	6156	360	734
राजस्थान	5374	385	661
उत्तर प्रदेश	11613	591	669
हरियाणा	2630	166	197
हिमाचल प्रदेश	254	15	15
जम्मू एवं कश्मीर		रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।	
दिल्ली	–	–	–
कुल	26027	1517	2277
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	2763	143	11
पश्चिम बंगाल	1459	91	155
उड़ीसा	1255	91	77
सिक्किम	161	5	7

1	2	3	4
त्रिपुरा	84	4	1
असम	123	2	3
नागालैंड	35	1	1
अं. व निको.	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।		
कुल	5880	337	255
कुल योग	77632	9854	12629
उत्तर केरल डेयरी परियोजना	576	135	168

आपरेशन फ्लड : प्रगति 1997-98* (जारी)

क्षेत्र/राज्य	दुग्ध विपणन ('000 ली/दि.)	क्षमता	
		तरल दूध ('000 ली/दि.)	पाऊडर (मी.ट./दिन.)
1	2	3	4
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	1576	6960	453.0
महाराष्ट्र	2143	3970	60.0
मध्य प्रदेश	226	1030	30.0
गोवा	71	75	-
दक्षिणी क्षेत्र			
तमिलनाडु	1126	2421	20.0
कर्नाटक	1112	2030	87.0
आंध्र प्रदेश	619	2397	126.0

1	2	3	4
केरल	348	710	10.0
पांडिचेरी	36	50	–
कुल	3689	7308	243.0
उत्तरी क्षेत्र			
पंजाब	374	1460	100.5
राजस्थान	355	1050	60.0
उत्तर प्रदेश	367	1140	60.0
हरियाणा	62	530	25.0
[illegible]ल प्रदेश	21	30	–
[illegible]मू एवं कश्मीर	–	10	–
दिल्ली	1199	1150	–
कुल	2378	5870	245.5
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	244	586	12.5
पश्चिम बंगाल	648	1570	10.0
उड़ीसा	94	125	–
सिक्किम	7	15	–
त्रिपुरा	5	10	–
असम	6	60	–
नागालैंड	1	–	–
अंड. व निकोबार द्वीपसमूह	–	5	–
कुल	1006	2371	22.5
कुल योग	1,1088	27084	1054.0
उत्तर केरल डेयरी[@] परियोजना	166	115	–

*अनन्तिम

**दिसम्बर, 1997 के लिए संदर्भ

[@] भारत स्विस परियोजना।

विवरण III

तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई विदेशी सहायता राशि

(लाख रुपए में)

	योजना का नाम	राज्यों के नाम/ क्रियान्वित योजनाएं	सहायता की राशि		
			1994-95	1995-96	1996-97
1.	गोपशु प्रजनन, चारा विकास तथा डेयरी विकास के लिए भारत-स्विस परियोजना	आंध्र प्रदेश	296.72	92.35	146.81
2.	समेकित पशुधन विकास परियोजनाएं कोरापुट	उड़ीसा	91.13	62.98	72.47
3.	भारत-स्विस परियोजना	सिक्किम	21.40	49.41	129.56
4.	पशुधन विकास के लिए दानिदा सहायता प्राप्त परियोजना	तमिलनाडु	44.87	33.32	50.38
5.	सतत् भू-उपयोग, पशुपालन और डेयरी विकास के लिए भारत-स्विस परियोजना	उड़ीसा	70.00	152.00	180.00

6. तीन वर्षों के दौरान ऑपरेशन फ्लड के लिए एन.डी.डी.बी. द्वारा वितरित धनराश नीचे दी गई है

(लाख रुपए में)

योजना का नाम	संघ	वर्ष		
		1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
ऑपरेशन फ्लड	1. आंध्र प्रदेश	430.48	613.96	197.12
	2. असम	0.09	0.00	0.00
	3. बिहार	138.20	243.30	116.57
	4. दिल्ली	238.92	1,315.15	728.91

1	2	3	4	5
5.	गोवा	25.49	26.36	2.98
6.	गुजरात	7,969.24	6,281.76	2,840.70
7.	हरियाणा	372.80	204.24	23.87
8.	हिमाचल प्रदेश	5.18	49.82	26.11
9.	कर्नाटक	764.61	1,182.24	601.94
10.	केरल	236.38	431.68	112.74
11.	जम्मू एवं कश्मीर	0.02	2.10	0.00
12.	मध्य प्रदेश	30.52	373.29	45.08
13.	महाराष्ट्र	158.74	2,433.74	1,316.89
14.	नागालैंड	0.91	0.00	0.00
15.	उड़ीसा	74.93	153.94	31.58
16.	पांडिचेरी	1.19	34.23	12.50
17.	पंजाब	201.70	647.78	243.39
18.	राजस्थान	289.65	412.21	241.38
19.	सिक्किम	0.07	0.01	0.19
20.	तमिलनाडु	569.87	591.55	149.15
21.	उत्तर प्रदेश	1,938.66	2,455.76	461.84
22.	पश्चिम बंगाल	2,723.10	1,589.54	331.32
(2)	स्विस सहायता प्राप्त उत्तरी केरल डेयरी परियोजना के तहत जारी निधियां	255.25	109.89	244.47

कैडर में परिवर्तन

4156. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के कैडर में परिवर्तन करने के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के समक्ष इस संबंध में एक तार्किक और पारदर्शी नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के संवर्ग परिवर्तन के बारे में नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मौजूदा नीति तर्कसंगत तथा पारदर्शी है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरण से संबंधित नीति

अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरण की अनुमति, उनका किसी अखिल भारतीय सेवा के अन्य सदस्य से विवाह होने पर ही दी जाएगी।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को संवर्ग-स्थानान्तरण की अनुमति, किसी केन्द्रीय सेवा/राज्य सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान/किसी अन्य संगठन में कार्यरत किसी अधिकारी से विवाह करने की स्थिति में नहीं दी जाएगी।

सामान्यत: संवर्ग-स्थानान्तरण की अनुमति, डॉक्टरी आधार पर/वैयक्तिक कारणों के मद्देनजर नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, अत्यन्त कष्टप्रद परिस्थितियों के मामलों में, संवर्ग-परिवर्तन के अनुरोध पर विचार करने और उनके संबंध में निर्णय करने से पूर्व निम्नलिखित मानदण्डों पर अमल किया जाएगा:

(1) प्रत्येक मामले में समस्या(ओं) की प्रकृति भारत सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर आंकी जानी है; तथा

(2) समस्या ऐसी हो कि अन्तर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति से अधिकारी की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाए।

अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरण के सभी अनुरोध पहले, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के संबंध में प्रभारी मंत्री, अर्थात् कार्मिक राज्य मंत्री; भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में गृह मंत्री तथा भारतीय वन-सेवा के अधिकारियों के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। तत्पश्चात् अन्तर-संवर्ग स्थानान्तरण के ऐसे सभी अनुरोधों की जांच पड़ताल की जाएगी तथा उन्हें मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के समक्ष आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

भुखमरी से हुई मौतें

4157. श्री मोहन रावले :
श्री बिक्रम देव केशरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग ने भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उड़ीसा में भुखमरी से होने वाली मौतों के संबंध में आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सबसे ज्यादा प्रभावित कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों में भुखमरी से होने वाली मौतों के क्या कारण हैं; और

(ङ) उड़ीसा के उपर्युक्त जिलों के विकास के लिए अपनाई गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक नीतियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग ने अपनी 17 जनवरी, 1998 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग एवं उड़ीसा सरकार अगले दो वर्षों की अवधि में निम्नलिखित अंतरिम उपाय आरम्भ करेंगे।

1. आपातकालीन पोषण कार्यक्रम।

2. वृद्धावस्था पेंशन विकलांगता पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय।

3. कृषि, पारिस्थितिकी सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण सिंचाई एवं अन्य स्कीमों में रोजगार सृजन।

4. अनुवीक्षण कार्यक्रम।

5. अनुवीक्षण व्यवस्था।

6. पेय जल-नलकूपों एवं हैंड पम्प को अच्छी स्थिति में रखना एवं संभार तंत्र सुविधाओं में सुधार।

7. जन स्वास्थ्य-पोषण स्थितियों में सुधार एवं एक स्वास्थ्य पोपण सर्वे करना।

8. भूमि सुधार-वर्तमान भूमि सुधारों का अध्ययन एवं सुधार के लिए उपाय।

(घ) आयोग की धारणा थी कि होने वाली मौतों का कारण दीर्घकालीन कुपोषण एवं भूख थी, जो बीमारी के कारण अधिक गंभीर हो गई।

(ङ) उड़ीसा सरकार ने कालाहांडी, बोलांगीर एवं कोरापुट के लिए एक दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार की है जिसमें क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारणों को दूर करना एवं इसके साथ-साथ एक निश्चित अवधि के दौरान जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि के अवसरों को बढ़ाना शामिल है। दीर्घकालीन कार्य योजना के क्रियान्वयन की देख रेख योजना आयोग कर रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

4158. श्री रामटहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के ढांचे में परिवर्तन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के गठन में की गई व्यवस्था के अनुसार इसके संगठनात्मक ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है अगर उसमें परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाता है तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की शासी निकाय तथा आम सभा इन परिवर्तनों को अंगीकृत करती है।

(ख) इस प्रथा को ध्यान में रखते हुए परिषद ने हाल ही में जोहांसबर्ग, डर्बन तथा कोलम्बो में नए सांस्कृतिक केन्द्र खोले हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

परमाणु परीक्षण

4159. श्री गुरूदास कामत :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने निकट भविष्य में परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) अपने और नाभिकीय परीक्षणों को स्थगित रखने की पाकिस्तान की घोषणा के एक सप्ताह बाद 18 जून, 1998 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह कहा था कि पाकिस्तान उकसाए जाने की सीमा तक अपने रूख में अनुसंशोधन करेगा और यह कि ऐसी अनेक बातें जिनका विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इनमें भारतीय परीक्षणों से उपलब्ध आंकड़े शामिल हैं जिससे समयोपरान्त गुणवत्ता के अर्थ में भारतीय शस्त्र क्षमता का मूल्यांकन हो पाएगा।

(ग) सरकार ने भूमिगत नाभिकीय परीक्षण को स्वेच्छा से स्थगित करने की घोषणा की थी जिसे पाकिस्तान द्वारा 28 और 30 मई को किए गए नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात् भी कायम रखा गया। सरकार गतिविधियों की निगरानी करना जारी रखेगी और राष्ट्रीय सुरक्षापायों के लिए आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

कश्मीर मुद्दा

4160. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री गुरूदास कामत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1998 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'रिजोल्यूशन ऑन कश्मीर सीकिंग ग्रेटर यू.एस. रोल इन्ट्रोड्यूज्ड इन सीनेट' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) संकल्प का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस संकल्प में कश्मीर मसले पर अमरीकी सीनेट का आशय व्यक्त किया गया है और इसके समाधान के लिए अमरीका तथा संयुक्त राष्ट्र को एक भूमिका देने की बात कही गई है। यह संकल्प विचार-विमर्श के लिए सीनेट के समक्ष पेश नहीं हुआ। भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी तीसरे पक्ष के शामिल होने संबंधी सरकार के विचार कई अवसरों पर दोहराये गए हैं; भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी भी तीसरे पक्ष की किसी प्रकार की भागीदारी के लिए कोई जगह नहीं है। ये विचार सरकारी वक्तव्यों के जरिए तथा राजनयिक एवं राजनैतिक स्तरों पर सभी संबंधितों के साथ क्रियाकलाप के दौरान सार्वजनिक रूप से बताए गए हैं।

[हिन्दी]

बादाम का उत्पादन

4161. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बादाम की खेती में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) भारत सरकार बादाम सहित विभिन्न फलों के विकास के उद्देश्य से उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण तथा शुष्क क्षेत्र फलों के समेकित विकास की एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर को पुराने फलोद्यानों को फिर से ठीक-ठाक करने के लिये 2050 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता देने हेतु चुना गया है।

हज यात्री

4162. श्री रिज़वान जहीर खां : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले लाखों हज यात्रियों को दिल्ली में आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों के लिए हजगृह बनाने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश से प्रत्येक वर्ष हज समिति के जरिए लगभग 14,000 हजयात्री हज करते हैं। जद्दा रवाना होने से पूर्व सामान्य प्रबन्ध यह है कि हज मंजिल, तुर्कमान गेट, दिल्ली के समीप दिल्ली राज्य हज समिति द्वारा स्थापित शिविर में उन्हें लगभग तीन दिन के लिए ठहराया जाता है। हज अवधि के दौरान किसी विशेष दिन उत्तर प्रदेश से लगभग 500 हजयात्रियों को इस प्रकार ठहराया जाता है। हज समिति मुम्बई और दिल्ली राज्य हज समिति के अधिकारियों में यह सहमति है कि इन हज यात्रियों के अस्थायी आवास के प्रबंध सन्तोषजनक हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों की राजधानियों में अधिकांशतः संबंधित हज समितियों द्वारा एकत्र निधियों से हज आवासों का निर्माण किया जाता है, कुछ वित्तीय सहायता केन्द्रीय हज समिति द्वारा की जाती है। हजयात्रियों के लिए सरकार के पास कोई अलग से गृह योजना नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतिनियुक्तियों पर आई.ए.एस./आई.पी.एस.

4163. श्री रंजीब बिस्वाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के संवर्गो से दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर आए आई.ए.एस., आई.पी.एस. और अन्य संबद्ध संवर्गों से संबंधित अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनकी प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ लोगों का कार्यकाल दिल्ली में अधिक हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उनको अपने विभाग/राज्य संवर्ग में वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अधिकारी, कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में निहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति उपर्युक्त सेवाओं के अधिकारियों के लिए उद्देश्य पदों के मद्दे, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संबंध में कार्यकाल नियमों और भारतीय वन-सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में शामिल पदों और अन्य वानिकी-पदों पर कर्मचारी तैनात किए जाने की योजना के अनुसार विनियमित की जाती है।

(ग) और (घ) अपर सचिव और पुलिस महानिरीक्षक के स्तर तक के अधिकारियों की नियुक्ति निर्धारित कार्यकाल के लिए की जाती है। विशेष सचिव/सचिव और पुलिस अपर महानिदेशक/महा निदेशक के स्तर के अधिकारियों के संबंध में कोई कार्यकाल नहीं किया गया है। भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) अधिकारी, भारतीय वन सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व में शामिल पदों और अन्य वानिकी पदों के मद्दे निर्धारित कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। किसी अधिकारी का कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल की अवधि से परे (आगे) बढ़ाएं जाने के किसी प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया जाता है जब ऐसा किए जाने का ठोस औचित्य हो।

(ङ) अपने कार्यकाल/बढ़ाए गए कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने पर अधिकारी अपने मूल संवर्ग में वापस भेज दिए जाते हैं।

विवरण

दिनांक जुलाई 1, 1998 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.), भारतीय पुलिस सेवा (भा.पु.से.) तथा भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) के अधिकारियों से संबंधित सूचना नीचे दी जा रही है:

सेवा	दिल्ली में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या
भा.प्र.से.	608
भा.पु.से.	414*
भा.व.से.	54

*भारतीय पुलिस सेवा के विभिन्न पुलिस संगठनों में तैनात अधिकारियों के मामले में, संगठन के अध्यक्ष समय-समय पर, स्थानान्तरण एवं तैनाती करते रहते हैं। अतः दिल्ली में तैनात भा.पु.से. के अधिकारियों की संख्या सहज सुलभ नहीं है। दिया गया 414 का आंकड़ा, भारतीय पुलिस सेवा के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे अधिकारियों की संख्या को दर्शाता है।

भारतीय पशुधन अनुसंधान विकास फाउंडेशन

4164. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशुधन अनुसंधान विकास फाउंडेशन द्वारा सी.आई.ए.ई., भोपाल को 1996 के मध्य में "मल्टी-टूल बार्स" की आपूर्ति के संबंध में दिए गए आदेश को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस प्रकार सूखा पशु शक्ति तथा किसानों की नीरसता को कम किया जायेगा तथा उत्पादकता बढ़ाई जाएगी;

(घ) "ट्रैक्टराइजेशन" तथा डी.ए.पी. के उपयोग को बढ़ावा देने वाली कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं; और

(ङ) गत पांच वर्षों के दौरान ट्रैकरों के लिए कुल कितनी राजसहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख). केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान (सी.आई.ए.ई.), भोपाल द्वारा मैसर्स भारतीय कैटल रिसोर्स डैवलपमैंट फाउंडेशन से चार भिन्न-भिन्न संगठनों, नामतः परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश, श्री दीप चन्द गरेली, रुरल एंड एनिमल प्रोटैक्शन डैवलपमैंट ट्रस्ट, सुरेन्द्र नगर, गुजरात; श्री एस. कृष्णन, अहिंसा रिसर्च फाउंडेशन, टी. नगर, चेन्नई और मैसर्स रघु हरी डालमिया, उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड, राजगंजपुर, सुन्दर गढ़, उड़ीसा को पशु चालित बहु उद्देशीय औजारों की आपूर्ति के जुलाई, 1996 से जनवरी, 1997 के बीच चार आदेश प्राप्त हुए जिनकी राशि 41,275 रु. थी। ये आदेश उत्थापन प्रक्रिया (लिफ्टिंग मैकेनिज्म) वाले बहु उद्देशीय औजारों की डिजाइन के लिए थे। यह डिजाइन सी.आई.ए., भोपाल द्वारा जारी की गई डिजाइन की नहीं थी अपितु यह एक नया विकास था। इसलिए इसके डिजाइन बनाने और चार प्रोटोटाइप तैयार करने में समय लगा। मैसर्स भारतीय कैटल रिसोर्स डेवलपमेंट फाउंडेशन को फरवरी, 1998 में सूचित कर दिया था कि बहु उद्देशीय औजारों की संलाग (अटैचमैण्टों) और नागपुरी जूए सहित चार यूनिटों की लागत 57,500 रु. होगी और वे बकाया राशि सी.आई.ए., भोपाल को भेज दें।

संलागों सहित चार बहुउद्देशीय औजारों की चार यूनिटों में से एक यूनिट मैसर्स रघु हरी डालमिया, उड़ीसा सिमेन्ट लिमिटेड, सुन्दरगढ़ उड़ीसा को पहले ही भेजी जा चुकी है और दूसरी यूनिट चेन्नई को भेजी जा रही है तथा शेष दो यूनिटें ऋषिकेश और गुजरात को भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) पशु की क्षमता से मेल खाते उच्च क्षमता वाले उपकरणों के इस्तेमाल से भारवाही पशुओं और किसानों को कम श्रम करना पड़ेगा। इससे किसी पशु से कम समय में ज्यादा काम लेने में मदद मिलेगी।

(घ) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के समेकित फसल विकास कार्यक्रमों में गेहूं, चावल, मोटे अनाजों, जूट, दलहन, तिलहन और गन्ने की खेती के इस्तेमाल में आने वाले भिन्न-भिन्न किस्मों के पशुचालित उपकरणों के लिए सहायतार्थ धन दिया जा रहा है। सहायतार्थ धन लागत का 50% होगा बशर्ते कि यह राशि 1500/- रु. से अधिक न हो।

(ङ) किसानों, अथवा उनके समूहों, पंजीकृत सहकारी समितियों, कृषि फार्मिंग समितियों, कृषि ऋण समितियों को ट्रैक्टर और उसके साथ काम आने वाले उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत 30% तक सहायतार्थ धन दिया जाएगा जो 30,000 रु. से अधिक नहीं होगा।

यह योजना सन् 1994-95 को छोड़कर सन् 1992-93 से काम कर रही है। गत 5 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत सहायतार्थ धन देने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए धन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	दिया गया सहायतार्थ धन
1993-94	1000.00
1994-95	शून्य
1995-96	600.00
1996-97	1673.00
1997-98	1669.30
कुल	4942.30

[हिन्दी]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4165. श्री महेश कनोडिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए;

(ख) क्या यह संख्या लक्ष्य के करीब है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों यानि अप्रैल, 1995 से मार्च, 1998 तक गुजरात राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते सरकार द्वारा संयुक्त उद्यमों, शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंसों वाले 31 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसी अवधि के दौरान गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते 131 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए।

(ख) सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भूकम्प पीड़ितों का पुनर्वास

4166. श्री डी.एस. अहिरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लातूर और उस्मानाबाद में भूकम्प पीड़ितों के लिये पुनर्वास कार्यक्रम लागू करने के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) भूकम्प पीड़ितों के पुनर्वास में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्यक्रम कब तक पूरा होगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समीक्षा

4167. श्री विजय गोयल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के दौरान कौन-कौन सी खामियां सामने आई और इनको दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अभी तक कुल कितनी धनराशि जारी की गई है और विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों ने कितनी राशि का उपयोग किया है;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने इस योजना को त्यागने की सिफारिश की है; और

(च) इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) केन्द्र सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि एवं उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

लोक सभा एवं राज्य सभा सांसदों (31/5/98 तक) को निर्मोचित राशि हुए व्यय का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1993-98 भारत सरकार द्वारा जारी (लाख रु.)	स्वीकृत धनराशि (लाख रु.)	जारी राशि की तुलना में अनुमोदित राशि का प्रतिशत (लाख रु.)	किया गया व्यय (लाख रु.)	जारी राशि की तुलमा में उपयोग का प्रतिशत (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	21795.0	18202	83.5	13088.7	60.1
2.	अरूणाचल प्रदेश	1065.0	809.9	76.0	641.7	60.3
3.	असम	7555.0	5579.4	73.9	4083.4	54.0
4.	बिहार	27210.0	23026	84.6	18459.9	67.8
5.	गोवा	1015.0	469.3	46.2	361.1	35.6
6.	गुजरात	13435.0	9777.6	72.8	5769.1	42.9

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	5425.0	4579.5	84.4	3387.2	62.4
8.	हिमाचल प्रदेश	2635.0	1483.9	56.3	1186.0	45.0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1350.0	711.7	52.7	346.7	25.7
10.	कर्नाटक	15650.0	12072	77.1	8220.5	52.5
11.	केरल	10495.0	9122.0	86.9	5748.1	54.8
12.	मध्य प्रदेश	20875.0	17362	83.2	12999.8	62.3
13.	महाराष्ट्र	25975.0	22930	88.3	14790.0	56.9
14.	मणिपुर	1215.0	858.3	70.6	792.4	65.2
15.	मेघालय	1165.0	525.7	45.1	493.8	42.4
16.	मिजोरम	760.0	710.0	93.4	672.3	88.5
17.	नागालैण्ड	810.0	555.9	68.6	555.9	68.6
18.	उड़ीसा	11350.0	9171.6	80.8	5784.3	51.0
19.	पंजाब	7305.0	4861.1	66.5	3563.6	48.8
20.	राजस्थान	12525.0	10314	82.3	7051.0	56.3
21.	सिक्किम	710.0	681.6	96.0	510.0	71.8
22.	तमिलनाडु	21585.0	16997	78.7	13757.7	63.7
23.	त्रिपुरा	915.0	621.9	68.0	399.2	43.6
24,	उत्तर प्रदेश	45095.0	38241	84.8	31107.9	69.0

1	2	3	4	5	6	7
25.	पश्चिम बंगाल	19735.0	14378	72.9	10479.6	53.1
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	305.0	157.8	51.7	132.7	43.5
27.	चण्डीगढ़	355.0	216.7	61.1	151.3	42.6
28.	दादर व नागर हवेली	355.0	356.0	100.3	164.6	46.4
29.	दमन एवं द्वीप	405.0	227.9	56.3	216.9	53.5
	दिल्ली	3645.0	3168.9	86.9	1835.6	50.4
31.	लक्षद्वीप	305.0	229.4	75.2	22.3	7.3
32.	पांडिचेरी	610.0	132.2	21.7	22.1	3.6
	कुल योग	283630.0	228530.5	80.6	166795.4	58.8

[अनुवाद]

खाद्य उत्पादन

4168. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितना खाद्य उत्पादन हुआ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में उत्पादकता में असमानता के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, दूध अंडों और मछली के उत्पादन के बारे में अद्यतन उपलब्ध तीन वर्षों के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण I-VI संलग्न है। मांस का राज्यवार उत्पादन उपलब्ध नहीं है। लेकिन, 1994, 1995 और 1996 के दौरान मांस का स्वदेशी उत्पादन इस प्रकार रहा।

(हजार मी. टन)

वर्ष	गौ और भैंस का मांस	भेड़ बकरी का मांस	सूअर का मांस
1994	2493	640	408
1995	2493	646	420
1996	2493	648	420

(ख) राज्यों की उत्पादकता में अंतर का मुख्य कारण राज्यों के भिन्न-भिन्न प्राकृतिक साधन, अर्थात् जलवायुवीय स्थितियों, मृदा के अंगुणदोष तथा जल की उपलब्धता है। देश के विभिन्न भागों में सिंचाई का बुनियादी ढांचा और अपनाई जा रही कृषि नीतियों और परिपाटियां भी उत्पादकता में अंतर के रूप में फलीभूत होती है।

विवरण I

1994-95 से 1996-97 तक कुल खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता का राज्यवार अनुमान

(हजार मी. टन)

राज्य	उत्पादन		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	11667	12684	10421
असम	3561	3532	3804
बिहार	12953	14134	13289
गुजरात	4103	5209	5700
हरियाणा	10137	11455	10980
हिमाचल प्रदेश	1362	1289	1409
जम्मू और कश्मीर	1473	1324	1644
कर्नाटक	8646	9271	8638
केरल	974	858	1151
मध्य प्रदेश	18073	19563	18813
महाराष्ट्र	11604	14590	10172
उड़ीसा	6802	4834	6871
पंजाब	19806	21564	21649
राजस्थान	9567	12838	12925
तमिलनाडु	6405	7645	8761

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	38368	42693	42001
पश्चिम बंगाल	12885	13739	13803
अन्य	2028	2099	2096
अखिल भारत	180415	199321	194127

विवरण II

फलों का उत्पादन

('000 मी. टन)

	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5023	5162	5470
2.	अरूणाचल प्रदेश	50	50	66
3.	असम	1166	1239	1212
4.	बिहार	3584	3378	6045
5.	दिल्ली	10	2	3
6.	गोवा	88	121	94
7.	गुजरात	2244	2448	2068
8.	हरियाणा	123	134	145
9.	हिमाचल प्रदेश	325	325	312
10.	जम्मू व कश्मीर	868	746	790

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	4197	4511	4726
12.	केरल	1783	1810	1826
13.	मध्य प्रदेश	1320	1118	1143
14.	महाराष्ट्र	5113	5099	4799
15.	मणिपुर	110	110	111
16.	मेघालय	237	202	239
17.	मिजोरम	44	51	71
18.	नागालैंड	56	73	72
19.	उड़ीसा	1151	1272	1242
20.	पंजाब	728	737	761
21.	राजस्थान	95	230	238
22.	सिक्किम	22	12	12
23.	तमिलनाडु	3621	4819	4819
24.	त्रिपुरा	326	326	401
25.	उत्तर प्रदेश	3471	3363	3511
26.	पश्चिम बंगाल	1458	1219	1283
संघ शासित क्षेत्र				
27.	अंदमान निकोबार द्वीप समूह	16	17	17

1	2	3	4	5
28.	चण्डीगढ़	1	0	0
29.	दादर व नगर हवेली	7	7	7
30.	दमन व द्वीव	3	3	3
31.	लक्षद्वीप	0	1	1
32.	पांडिचेरी	17	20	21
	अखिल भारत	37255	37603	41507

विवरण III

सब्जियों का उत्पादन

('000 मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1420	2341	2444
2.	अरूणाचल प्रदेश	80	80	80
3.	असम	1932	1970	2485
4.	बिहार	13610	11726	12285
5.	दिल्ली	464	551	613
6.	गोवा	0	65	65
7.	गुजरात	18699	1730	2089
8.	हरियाणा	1155	1275	1420

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	538	544	569
10.	जम्मू व कश्मीर	354	354	354
11.	कर्नाटक	5035	5668	5705
12.	केरल	2790	2790	2790
13.	मध्य प्रदेश	2551	2241	2353
14.	महाराष्ट्र	2738	2809	2957
15.	मणिपुर	33	35	36
16.	मेघालय	238	200	211
17.	मिजोरम	45	77	79
18.	नागालैंड	108	87	87
19.	उड़ीसा	7984	7896	8706
20.	पंजाब	1721	1721	1774
21.	राजस्थान	363	283	357
22.	सिक्किम	47	29	51
23.	तमिलनाडु	4389	4398	4398
24.	त्रिपुरा	321	321	358
25.	उत्तर प्रदेश	1108	12686	13871
26.	पश्चिम बंगाल	0	0	0

1	2	3	4	5
संघ शासित क्षेत्र				
27.	अंदमान निकोबार द्वीप समूह	19	16	16
28.	चण्डीगढ़	9	0	0
29.	दादर व नगर हवेली	14	14	14
30.	दमन व दीव	1	1	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
	पांडिचेरी	23	37	34
	अखिल भारत	65787	67286	71595

विवरण *IV*

दुग्ध उत्पादन

('000 मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	4221	4261	4470
2.	अरूणाचल प्रदेश	22	23	44
3.	असम	698	855	740
4.	बिहार	3250	3315	3399
5.	गोवा	36	37	39
6.	गुजरात	4459	4608	4831
7.	हरियाणा	4062	4100	4162

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	663	676	698
9.	जम्मू व कश्मीर	641	862	900
10.	कर्नाटक	3003	3184	3460
11.	केरल	2118	2246	2269
12.	मध्य प्रदेश	5048	5125	5224
13.	महाराष्ट्र	4812	4991	5127
14.	मणिपुर	64	60	61
15.	मेघालय	54	55	57
16.	मिजोरम	9	9	9
17.	नागालैंड	43	45	44
18.	उड़ीसा	584	625	650
19.	पंजाब	6215	6424	6755
20.	राजस्थान	5103	5200	5350
21.	सिक्किम	32	33	34
22.	तमिलनाडु	3695	3791	3977
23.	त्रिपुरा	38	39	40
24.	उत्तर प्रदेश	11321	11878	12388
25.	पश्चिम बंगाल	3250	3341	3387

1	2	3	4	5
संघ शासित प्रदेश				
26.	अ.नि. द्वीप समूह	25	25	21
27.	चण्डीगढ़	39	41	42
28.	द.न. हवेली	8	5	4
29.	दमन द्वीप	1	1	1
30.	दिल्ली	257	261	264
	लक्षद्वीप	1	1	1
32.	पांडिचेरी	33	33	37
	अखिल भारत	63805	66150	68485

विवरण V

अंडों का उत्पादन

(संख्या : लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	54350	60010	56598
2.	अरूणाचल प्रदेश	228	330	335
3.	असम	4604	6040	4870
4.	बिहार	13980	14000	14100
5.	गोवा	996	1009	1060
6.	गुजरात	4682	4943	5017

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	6338	5700	6338
8.	हिमाचल प्रदेश	669	710	718
9.	जम्मू व कश्मीर	3182	3818	3960
10.	कर्नाटक	14699	15579	16303
11.	केरल	19160	19960	20610
12.	मध्य प्रदेश	11450	11950	12500
13.	महाराष्ट्र	25010	26029	26872
14.	मणिपुर	605	594	608
15.	मेघालय	751	770	791
16.	मिजोरम	198	200	203
17.	नागालैंड	449	455	396
18.	उड़ीसा	5740	5867	6300
19.	पंजाब	24380	25100	27330
20.	राजस्थान	4170	4500	4750
21.	सिक्किम	150	165	170
22.	तमिलनाडु	30509	30490	30420
23.	त्रिपुरा	420	440	530
24.	उत्तर प्रदेश	6268	6712	6990
25.	पश्चिम बंगाल	25001	25682	26030

1	2	3	4	5
संघ शासित प्रदेश				
26.	अ.नि. द्वीप समूह	520	522	522
27.	चण्डीगढ़	334	348	311
28.	द.न. हवेली	74	40	40
29.	दमन दीव	35	40	40
	दिल्ली	655	667	720
31.	लक्षद्वीप	47	50	55
32.	पांडिचेरी	104	87	77
	अखिल भारत	259758	272807	275564

विवरण VI

मत्स्य उत्पादन

('000 मी. टन)

क्र.सं.	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	345	356	359
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	2	2
3.	असम	153	155	155
4.	बिहार	195	240	250
5.	गोवा	102	88	97
6.	गुजरात	715	660	725

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	24	28	30
8.	हिमाचल प्रदेश	5	6	6
9.	जम्मू व कश्मीर	16	17	18
10.	कर्नाटक	244	305	324
11.	केरल	597	582	631
12.	मध्य प्रदेश	80	91	111
13.	महाराष्ट्र	447	464	590
14.	मणिपुर	12	13	13
15.	मेघालय	1	4	4
16.	मिजोरम	2	2	3
17.	नागालैंड	3	3	4
18.	उड़ीसा	258	258	277
19.	पंजाब	24	26	32
20.	राजस्थान	14	12	14
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	439	448	460
23.	त्रिपुरा	25	26	27
24.	उत्तर प्रदेश	140	146	149
25.	पश्चिम बंगाल	820	893	937

1	2	3	4	5
संघ शासित प्रदेश				
26.	अ.नि. द्वीप समूह	26	26	26
27.	चण्डीगढ़	0	0	0
28.	द.न. हवेली	0	0	0
29.	दमन व दीव	12	15	15
30.	दिल्ली	4	4	4
	लक्षद्वीप	10	10	12
32.	पांडिचेरी	41	41	43
33.	चारटर्ड डीप सी मत्स्यन नौकाएं	30	30	30
	अखिल भारत	4786	4949	5348

विश्व निरस्त्रीकरण

4169. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परमाणु अस्त्रों का विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा व्यक्त किए गए मत का कितने देशों ने समर्थन किया है;

(ग) इस संबंध में दूसरे देशों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस मामले में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। हम एक निश्चित समय सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के विलोपन का समर्थन करते हैं।

(ख) से (घ) हमारे दृष्टिकोण का सभी 'नाम' देशों और अन्य देशों ने समर्थन किया है। अमरीका नाभिकीय हथियारों के एक निश्चित समय सीमा के भीतर विलोपन करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

कृषि जिन्सें

4170. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि जिन्सों पर परिमाणात्मक प्रतिबंध लगाने के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सूची मंजूर कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक इसे मंजूर तथा क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ङ) भारत ने कृषि उत्पादों सहित सभी वस्तुओं के आयात से शेष मात्रात्मक प्रतिबंधों जो अभी भुगतान सन्तुलन के प्रयोजनार्थ लागू हैं, को समाप्त करने के लिये विश्व व्यापार संगठन के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की है। इसमें घटती अवधि के तीन चरण सुझाए गये हैं, वित्तीय वर्ष 1997-2000 (प्रथम चरण) वित्तीय वर्ष 2000-2002 (द्वितीय चरण) एवं वित्तीय वर्ष 2002-2003 (तृतीय चरण)। महत्वपूर्ण किस्म की मदें जैसे अनाज, मोटा अनाज, खाद्य तेल एवं तिलहन, सेब, सन्तरे, अन्य नींबू कुल फल, काली मिर्च आदि तृतीय चरण में रखे गये हैं।

2. कृषि मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों से विचार विमर्श के बाद वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करने से संबंधित एक सूची बनाई गयी और विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत की गयी।

अनिवासी भारतीयों के शव

4171. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में काम करने के दौरान मरने वाले अनिवासी भारतीयों के मृत शरीरों को वायुयान द्वारा नि:शुल्क लाने की व्यवस्था करने का है; और

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) विदेशों में 45 लाख से अधिक भारतीय राष्ट्रिक रह रहे हैं जिनमें से लगभग 30 लाख खाड़ी क्षेत्र के देशों में बसे हुए हैं। खाड़ी देशों में वर्तमान परिपाटी के अनुसार, मृत भारतीय राष्ट्रिकों के शव को रोजगार संविदा प्रावधानों में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं के अनुसार विदेशी नियोक्ताओं/प्रायोजकों के खर्चे पर भारत वापस भेजा जाता है। अन्य देशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में, शवों को मृतक के निकट संबंधी के खर्च पर भारत वापस भेजा जाना होता है। यह व्यवस्था अभी संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के लिए आरक्षण

4172. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद) : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में मंत्रालय-वार और वर्ग-वार खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या/प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या उक्त आरक्षण पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार का जूडो-कराटे जैसी मार्शल कला को इस कोटे में शामिल करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अंतर्गत खिलाड़ियों की नियुक्ति के संबंध में किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तथापि, केन्द्र-सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में समूह "ग" तथा "घ" के सभी पदों में सीधी भर्ती से संबंधिक अधिकतम 5% रिक्तियां प्रतिभावान खिलाड़ियों की नियुक्ति करके भरी जा सकती हैं।

(ग) और (घ) जूडो और कराटे को पहले ही खेल-कूद की सूची में शामिल कर लिया गया है, जो केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह "ग" तथा "घ" पदों पर नियुक्ति के संबंध में विचार किए जाने के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों को योग्य ठहराते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत जल

4173. श्री चिन्मयानंद स्वामी :
श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय देश में पुन:पूरणीय भूमिगत जल के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) राज्यवार इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) प्रत्येक राज्य में भूमिगत जल द्वारा कितनी सिंचाई क्षमता की पूर्ति की जा रही है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में भूमिगत जल की पुन:भराई करने और अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा 1995 तक किए गए आकलनों के आधार पर देश के वार्षिक पुनर्भरणीय जल संसाधनों को 43.19 मि.लि. हैक्टेयर मीटर आकलित किया गया है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) इस कार्य के लिए अलग से किसी लेखाशीर्ष का रख रखाव नहीं किया जाता क्योंकि इसे केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की सामान्य गतिविधि के रूप में किया जाता है।

(घ) प्रत्येक राज्य में 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सिंचाई क्षमता विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जल के राज्य का विषय होने के कारण भू-जल के उपयोग और पुनर्भरण के उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ भू-जल के पुनर्भरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्न शामिल हैं:-

(1) भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण का गठन।

(2) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक माडल बिल का परिचालन करना ताकि भू-जल के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बना सकें।

(3) कर्नाटक सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल का परिचालन करना ताकि वे भू-जल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशेषीकृत कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमों को तैयार कर सकें।

(4) महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और कर्नाटक में भू-जल पुनर्भरण पर अध्ययनों की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का कार्यान्वयन।

(5) भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्य सरकार की सहायता के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार करना। यह स्कीम विचार-विमर्श के चरण में है।

विवरण-I

भारत की भू-जल संसाधन क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल पुनर्भरणीय भू-जल संसाधन (मि.हे.मी./वर्ष)	घरेलू, औद्योगिक और अन्य उपयोगों के लिए प्रावधान (मि.हे.मी./वर्ष)	सिंचाई के लिए उपलब्ध निवल भूजल संसाधन (मि.हे.मी./वर्ष)	सिंचाई के लिए उपयोज्य निवल भूजल (मि.हे.मी./वर्ष)	यथानुपात आधार पर अनुमानित कुल ड्राफ्ट मि.हे.मी./वर्ष)	कुल ड्राफ्ट (मि.हे.मी./वर्ष)	भविष्य में उपयोग के लिए शेष निवल भूजल संसाधन (मि.हे.मी./वर्ष)	भू-जल विकास का स्तर (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.62916	0.52938	2.99978	2.69981	1.01318	0.70922	2.29058	23.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.14385	0.02158	0.12227	0.11005	-	-	0.12227	-
3.	असम	2.47192	0.37079	2.10113	1.89102	0.13455	0.09418	2.00685	4.48
4.	बिहार	3.35213	0.60282	2.84931	2.56439	0.78108	0.54676	2.30225	19.19
5.	गोवा	0.02182	0.00327	0.01855	0.01670	0.00219	0.00154	0.01701	8.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	गुजरात	2.03767	0.30565	1.73202	1.55881	1.02431	0.71702	1.01500	41.45
7.	हरियाणा	0.85276	0.12792	0.72484	0.65236	0.86853	0.60798	0.11686	83.88
8.	हिमाचल प्रदेश	0.03660	0.00731	0.02929	0.02637	0.00757	0.00530	0.02399	18.10
9.	जम्मू और कश्मीर	0.44257	0.06639	0.37618	0.33858	0.00713	0.00500	0.37118	1.33
10.	कर्नाटक	1.61857	0.24279	1.37578	1.23821	0.61443	0.43010	0.94568	31.26
11.	केरल	0.79003	0.13135	0.65868	0.59281	0.14374	0.10062	0.55806	15.28
12.	मध्य प्रदेश	5.08892	0.76332	4.32560	3.89298	1.01866	0.71312	3.61248	16.49
13.	महाराष्ट्र	3.78673	1.23972	2.64701	2.29231	1.10576	0.77403	1.77298	30.39
14.	मणिपुर	0.31640	0.04730	0.26810	0.24129	नगण्य	नगण्य	0.26810	नगण्य
15.	मेघालय	0.05397	0.00810	0.04587	0.04128	0.00280	0.00182	0.04405	नगण्य
16.	मिजोरम				आकलन नहीं किया गया				
17.	नागालैण्ड	0.07240	0.01090	0.06150	0.05535	नगण्य	नगण्य	0.06160	नगण्य
18.	उड़ीसा	2.33304	0.30002	1.70012	1.53009	0.20447	0.14313	1.55699	8.42
19.	पंजाब	1.86550	0.18652	1.67898	1.51109	2.26109	1.67678	0.10322	93.85
20.	राजस्थान	1.27076	0.19945	1.07131	0.96418	0.77483	0.64238	0.52893	50.63
21.	सिक्किम				आकलन नहीं किया गया				
22.	तमिलनाडु	2.63912	0.39586	2.24326	2.01892	1.93683	1.35578	0.88748	60.44
23.	त्रिपुरा	0.06834	0.00995	0.05839	0.05078	0.02692	0.01885	0.03764	33.43
24.	उत्तर प्रदेश	8.38210	1.25743	7.12467	6.41233	3.83384	2.68354	4.44113	37.67
25.	पश्चिम बंगाल	2.30923	0.34642	1.98281	1.76853	0.87794	0.47452	1.48829	24.18
	कुल राज्य	43.14769	7.07414	36.07355	3.46621	16.42936	11.50055	24.57300	31.88

2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ शासित क्षेत्र								
1. अण्डमान और निकोबार	आकलन नहीं किया गया							
2. चण्डीगढ़	0.002966	-	-	-	0.00351	0.002454	0.000512	-
3. दादर और नगर हवेली	0.004220	0.000633	0.003587	0.00323	0.00065	0.000457	0.003130	12.74
4. दमन और दीव	0.001300	0.000200	0.001100	0.00099	0.00129	0.000900	0.000200	-
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.029154	0.017832	-	-	0.01684	0.011800	-	-
6. लक्षद्वीप	0.000243	-	-	-	0.00022	0.000155	0.000088	63.79
7. पाण्डिचेरी	0.002877	0.000432	0.002445	0.00220	0.00085	0.000595	0.001850	34.34
कुल संघ शासित क्षेत्र	0.040760	0.019197	0.007132	0.00642	0.02336	0.016362	0.005780	-
कुल जोड़	43.18850	1.093337	36.080682	32.47264	16.45272	11.516912	24.57878	31.92

विवरण-II

आठवीं योजना के अंतर्गत सिंचाई क्षमता के उपयोग की स्थिति

(यूनिट : '000 हैक्टे.)

राज्य	चरम सिंचाई क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3960	1678	1644
अरूणाचल प्रदेश	18	2	2
असम	900	200	142

1	2	3	4
बिहार	4947	4365	3906
गोवा	29	2	2
गुजरात	2756	1790	1707
हरियाणा	1462	1544	1498
हिमाचल प्रदेश	68	16	11
जम्मू एवं कश्मीर	708	10	10
कर्नाटक	2574	788	772
केरल	879	142	127
मध्य प्रदेश	9732	1515	1496
महाराष्ट्र	3652	1635	1594
मणिपुर	369	1	1
मेघालय	63	9	9
मिजोरम	–	–	–
नागालैंड	–	–	1
उड़ीसा	4203	701	571
पंजाब	2917	3384	3324
राजस्थान	1778	2049	2015
सिक्किम	–	–	–

1	2	3	4
तमिलनाडु	2832	1315	1312
त्रिपुरा	81	21	21
उत्तर प्रदेश	16799	22634	20358
पश्चिम बंगाल	64045	1861	1408
कुल राज्य	3318	45663	41931
कुल संघ शासित राज्य	5	63	62
कुल योग	64050	45726	41993

मृदा का सूक्ष्म परीक्षण

4174. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मृदा का सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त परीक्षण के लिए उपस्करों, इत्यादि की खरीद हेतु केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता की धनराशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) भारत सरकार उर्वरकों के सन्तुलित व समेकित उपयोग से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन करती रही है जिसे नौवीं योजना में भी जारी रखा गया है। सूक्ष्म-पोषक तत्वों के लिये परीक्षण सहित मृदा परीक्षण इस स्कीम का एक घटक है।

(ख और (ग) वर्ष 1991-92 से वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण के लिये उपस्करों की खरीद के लिये मध्य प्रदेश सरकार को 50.30 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। बजट अनुदान की सीमाओं के तहत मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को कोष उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पुष्पकृषि उत्पाद

4175. श्री मुकुल वासनिक :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कटे हुए फूलों एवं अन्य पुष्प उत्पादनों में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फलों, सब्जियों और फूलों के फसल की कटाई के बाद बर्बाद, भारी क्षति के कारण वार्षिक राजस्व की हानि का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हानि को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) वाणिज्यिक पुष्पकृषि के विकास से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार लागू किया गया था, का उद्देश्य देश भर में आदर्श पुष्पकृषि केन्द्रों की

स्थापना करना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती के लिये उपयुक्त विभिन्न क्षेत्रों का समावेश हो। बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, कलकत्ता, श्रीनगर, लखनऊ, गंगटोक, तमिलनाडु में ऊटी, पुणे में राजगुरू नगर, पंजाब में मोहाली, हिमाचल प्रदेश में चैल में संस्वीकृत ग्यारह केन्द्रों में से चार केन्द्रों अर्थात् बंगलौर, गंगटोक, श्रीनगर, तथा हिमाचल प्रदेश स्थित चैल ने अपना कार्य शुरू कर दिया है तथा शेष केन्द्र पूर्णता के अंतिम चरण में हैं। आदर्श पुष्पकृपि केन्द्रों का उद्देश्य पारम्परिक तथा कटे फूलों की सर्वश्रेष्ठ रोपण सामग्री का उत्पादन, प्रचार-प्रसार तथा बहुगुणन करना तथा किसानों एवं उद्यमियों को नयी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। क्षेत्र विस्तार भी इस स्कीम का एक प्रमुख घटक है। इस स्कीम के तहत आठवीं योजना में 14.29 करोड़ रुपये, वर्ष 1997-98 के दौरान 3 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 10 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) से (ङ) ऐसा अनुमान है कि घटकाई पश्चात् रखरखाव एवं विपणन से संबंधित बुनियादी ढांचा अपर्याप्त होने के कारण 25% से 30% फल तथा सब्जियां नष्ट हो जाते हैं, जिसका मूल्य लगभग 5000/- करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होता है। इस समस्या से निपटने के लिये कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:-

(1) बागवानी फसलों के कटाई पश्चात् प्रबन्ध से संबंधित समेकित परियोजना

(2) सरल ऋण सहभागिता के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास

इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत उत्पादकों एवं निर्यातकों को बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा फलों, सब्जियों एवं फूलों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिये इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में एक "पैरिशेबल कार्गो कॉम्प्लेक्स" स्थापित किया गया है। बंगलौर, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद तथा तिरूवनन्तपुरम पत्तनों पर भी कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना की जा रही है।

परमाणु समझौता समाप्त करना

4176. श्री नरेश पुगलीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए हाल ही में किए गए समझौते को समाप्त करने के लिए रूस पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने मीडिया में इस बारे में रिपोर्टें देखी हैं कि यू.एस. सरकार ने इस संबंध में करार को पूरा न करने के लिए रूस पर दबाव डालने की मांग की है।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नई स्थितियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

मूंगफली का उत्पादन

4177. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मूंगफली का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार किसानों, विशेषतः छोटे और सीमांत किसानों को मूंगफली की पैदावार के लिए वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों के किसानों को दी गई सहायता की रकम का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादित मूंगफली की राज्यवार कुल मात्रा संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, हां। मूंगफली सहित तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 23 राज्यों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन बीजों के उत्पादन और वितरण, मिनिकिटों, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम/पाइराइट, उन्नत फार्म उपकरणों और स्प्रिंकलर सैटों आदि के वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, उत्पादन और प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए किसानों के खेतों पर फ्रंटलाइन और सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं।

(ग) मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1996-97 के दौरान 518.78 लाख रुपये की धनराशि तथा 1997-98 के दौरान 676.65 लाख रुपये की धनराशि सहायता के रूप में दी गई।

विवरण

देश में पिछले तीन वर्षों, 1995-96 से 1997-98 के दौरान मूंगफली की कुल उत्पादित राज्यवार मात्रा

(1000 मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य	मूंगफली का कुल उत्पादन		
		1995-96	1996-97	1997-98 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2625.9	2085.9	1142.0
2.	बिहार	4.6	6.9	7.0
3.	गोवा	1.9	2.7	-
	गुजरात	1028.3	2449.0	2664.0
5.	हरियाणा	1.7	1.4	2.0
6.	हिमाचल प्रदेश	0.5	0.5	-
7.	जम्मू व कश्मीर	-	0.1	-
8.	कर्नाटक	1138.7	1122.5	873.0
9.	केरल	9.9	9.9	15.0
10.	मध्य प्रदेश	259.6	259.6	180.0
11.	महाराष्ट्र	576.4	731.5	595.0
12.	नागालैण्ड	1.0	2.1	-
13.	उड़ीसा	92.3	78.8	81.0
14.	पंजाब	8.0	9.0	9.0

1	2	3	4	5
15.	राजस्थान	164.8	270.1	365.0
16.	तमिलनाडु	1520.3	1803.6	1334.0
17.	त्रिपुरा	1.3	2.4	-
18.	उत्तर प्रदेश	100.0	128.7	128.0
19.	पश्चिम बंगाल	42.1	57.6	55.0
20.	पाण्डिचेरी	2.2	2.0	-
21.	अन्य	-	-	7.0
	अखिल भारत कुल	7579.4	9023.6	7457.0

गेहूं का उत्पादन

4178. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कोई सहायता प्रदान की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में गेहूं उत्पादन में वृद्धि करने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अनुसंधान पद्धति के तहत गेहूं की नई किस्में तथा उत्पादन प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिये समेकित अनाज विकास कार्यक्रम—गेहूं/चावल/मोटे अनाज आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों तथा गेहूं संबंधी बीज मिनीकिट कार्यक्रम जैसे केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र के फसल उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान की जा रही है ताकि उनको उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

उपर्युक्त कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के लिये 1998-99 के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में कोष का आबंटन निम्नलिखित है:-

(रुपये करोड़ में)

कार्यक्रम	भारत सरकार के अंश का आबंटन
1. आई.सी.डी.पी. - गेहूं	25.00
2. आई.सी.डी.पी. - चावल	46.00
3. आई.सी.डी.पी. - मोटे अनाज	25.03
4. गेहूं संबंधी बीज मिनीकिट का कार्यक्रम	3.00

[हिन्दी]

संकर चावल

4179. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने "संकर चावल" के विकास पर शोध कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार देश के किन-किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा रहा है और इन क्षेत्रों में धान के बढ़ते उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा "संकर चावल" पर कोई अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। फिर भी, संकर चावल पर अनुसंधान किया जा रहा है जिसमें बासमती चावल की संकर किस्मों के विकास पर प्रमुख जोर दिया गया है।

(ख) आरम्भ में खासकर संकर किस्मों के विकास के लिए जनक वंशक्रम के विकास पर ही अनुसंधान प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप संस्थान द्वारा बासमती चावल के दो कोशिका द्रव्यात्मक [illegible] वंशक्रमों (पूसा 3 ए और पूसा 4 ए) और गैर-बासमती [illegible] एक नर बंध्य वंशक्रम (पूसा 5 ए) का विकास किया [illegible] साथ ही पुनरुद्धारक वंशक्रमों का विकास भी किया गया है।

वर्ष 1997 के दौरान बासमती की चार संकर किस्मों को पहली बार राष्ट्रीय समन्वित परीक्षण में आजमाया गया था। खेतों में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत इन किस्मों का परीक्षण करने में दो वर्ष और लगेंगे।

संस्थान द्वारा विकसित गैर-बासमती चावल की सात संकर किस्मों का सन् 1997 में राष्ट्रीय परीक्षणों में परीक्षण किया गया। सन् 1998 के दौरान, राष्ट्रीय परीक्षणों के तहत 14 पुरानी और एक नई किस्म का परीक्षण किया गया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बांध का निर्माण

4180. श्री सत्य पाल जैन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए पेय जल जमा करने हेतु चंडीगढ़ के निकट घघर नदी पर बांध के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बांध का कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ के पड़ोसी राज्यों के लिए पेय जल के भण्डारण के वास्ते चण्डीगढ़ के निकट घघ्घर नदी पर बांध के निर्माण पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, हरियाणा सरकार, घघ्घर नदी पर एक बहुउद्देश्यीय योजना तैयार कर रही है जिससे चण्डीगढ़, पंचकुला और अम्बाला क्षेत्र की पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकेगी। हरियाणा सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संभावनाएं

4181. श्री पी. शिव शंकर :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डी.एम.एस. को अनुदान

4182. श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री मित्रसेन यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा डी.एम.एस. को पिछले वर्ष कितना अनुदान दिया गया और डी.एम.एस. द्वारा इस अनुदान का किस प्रकार से उपयोग किया गया;

(ख) क्या प्रशासन की सांठ-गांठ के डी.एम.एस. के दूध की खुले तौर पर कालाबाजारी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कालाबाजारी को रोकने और जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के वाशिंदों को सस्ती दर पर दूध उपलब्ध कराने की योजना किस प्रकार से सफल बनायी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना को वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान 5847.60 लाख रुपए की बजट सहायता प्रदान की गई थी। बजट सहायता का उपयोग राजस्व प्राप्तियों तथा इस खर्च के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है तो दूध की उत्पादन लागत तथा बिक्री मूल्य के अंतर के कारण है।

(ख) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना, दूध को अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं की तुलना में काफी कम मूल्य पर बेच रही है। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों पर इसकी भारी मांग है। कालाबाजारी से संबंधित शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है। यदि शिकायतें सही पाई जाती हैं तो वरिष्ठ डिपो एजेंट/ एजेंट/ डिपो लाभार्थियों आदि की एजेंसियों को रद्द करने सहित कार्रवाई की जाती है। उपभोक्ता सलाहकार समितियां तथा रेजोडेंट वैलफेयर एसोसिएशन भी दुग्ध वितरण को सुचारू तथा निष्पक्ष बनाने में सक्रिय सहयोग कर रही है।

कृषि आधारित उद्योग

4183. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे कृषि आधारित/ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं इसलिए सफलतापूर्वक चल रही राज्यवार यूनिटों समेत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों समेत देश में कहीं भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के वास्ते सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उद्योगों आदि को बहुत आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 1992-93 से एक स्कीम भी चला रही है।

[अनुवाद]

दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़

4184. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 1998 के पहले सप्ताह में जेनेवा में आयोजित बैठक में जब पांच परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ समाप्त करने के लिये 'द्रुत कार्रवाई' की योजना पर सहमत हो गये थे जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र नें तनाव कम कर सकता था;

(ख) यदि हां, तो 'द्रुत कार्य योजना' और तनाव कम करने के लिये अमेरिका को सौंपी गयी भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों, पी-5 के विदेश मंत्रियों ने 4 जून, 1998 को जेनेवा में हुई अपनी बैठक में एक संयुक्त विज्ञप्ति पारित की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान द्वारा किए गए परीक्षणों की 'निन्दा' की गई, 'क्षेत्र में शान्ति और स्थायित्व के खतरे के बारे में अपनी गहन चिन्ता' व्यक्त की गई, और उप-महाद्वीप में हथियारों की होड़ रोकने के लिए घनिष्ठ सहयोग करने, अप्रसार व्यवस्था का समर्थन देने और भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को मेल-मिलाप और शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने को प्रोत्साहन देने की शपथ ली गई। उन्होंने भारत और पाकिस्तान से अनुरोध किया वे तुरन्त और बिना शर्त व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का पालन करें और कहा कि नाभिकीय अप्रसार सन्धि का, उसमें कोई परिशोधन किए बिना, उसे उसी रूप में, सभी देशों से अनुपालन करवाने का उनका लक्ष्य अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि वे भारत और पाकिस्तान को ऐसी सीधी बातचीत के माध्यम से कश्मीर सहित तनावों को

जड़ से मिटाने के लिए और संघर्षों के बजाए विश्वास पैदा करने की कोशिशों के लिए परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रोत्साहन देंगे।

(ग) सरकार ने एक वक्तव्य जारी करके यह कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में और सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत का एक प्रमुख और अग्रणी भागीदार के रूप में कार्य करने का स्थायी रिकार्ड रहा है। भारत ने अपने क्षेत्र में विश्वास पैदा करने और शान्ति तथा स्थायित्व संवर्धन के उद्देश्य से निरन्तर प्रयास किए हैं। नाभिकीय परीक्षणों के फलस्वरूप सरकार ने अनेक पहल भी की हैं ताकि परीक्षणों के उपरान्त व्यक्त चिन्ताओं को दूर किया जा सके। भारत को आशा है कि उसकी इन विभिन्न पहलकदमियों की रचनात्मक प्रतिक्रिया होगी जिससे इस उप-महाद्वीप में शान्ति और स्थिरता बनी रहे। वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया गया है कि हमारी सुरक्षा को सबसे अधिक गंभीर खतरा इस बात को लेकर उत्पन्न हुआ है कि 5 स्थायी सदस्यों ने नाभिकीय अप्रसार सन्धि के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है।

समर्थन मूल्य

4185. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयुक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित समर्थन मूल्य की तरफ ध्यान देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी कुछ वर्षों के दौरान सोयाबीन और चने की मूल्य की घोषणा राज्य द्वारा प्रस्तावित मूल्य के अनुसार की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) कृषि लागत व मूल्य आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले राज्य सरकारों तथा अन्य विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों तथा संबंधित संगठनों से परामर्श करता है। कृषि लागत व मूल्य आयोग राज्य सरकारों तथा कृषक व्यापार व उद्योग सहित अन्य विभिन्न हितों के विचार प्राप्त करने के लिये विभिन्न राज्यों का दौरा करता है तथा विभिन्न संगठनों व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में आयोग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिये आमन्त्रित करता है।

कृषि लागत व मूल्य आयोग अपनी सिफारिशों का निरूपण करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है:

1. उत्पादन की लागत
2. आदान मूल्यों में परिवर्तन
3. आदान/परिणाम मूल्य समानता
4. बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति
5. मांग व आपूर्ति की स्थिति
6. अन्त:फसल मूल्य समानता
7. औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव
8. सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव
9. रहन-सहन की लागत पर प्रभाव
10. अन्तरराष्ट्रीय बाजार की मूल्य स्थिति
11. प्रदत्त मूल्य तथा किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता (व्यापार की शर्त)

कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुये सरकार प्रत्येक मौसम में सोयाबीन तथा चना सहित प्रमुख कृषि जिंसों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है।

प्रति व्यक्ति आय/व्यय में असमानता

4186. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री माधव राव पाटील :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय/व्यय में असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस अंतर को पाटने के लिए सर्वेक्षण कराने हेतु एक आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोग की नियुक्ति कब की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा इसके 50वें दौर (जुलाई, 1993 से जून, 1994) में किए गए नवीनतम उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 62.2% अधिक है।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में सर्वेक्षण कराने हेतु आयोग नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ग्रामीण और शहरी व्यय पर सर्वेक्षण एन.एस.एस.ओ. द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहन

4187. श्री नरेन्द्र बुडानिया :
श्री अजय कुमार एस. सरनायक :
डा. असीम बाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तिलहन के वार्षिक उत्पादन और प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि देश में कितने एकड़ क्षेत्रफल भूमि पर तिलहन की खेती होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य विकासशील देशों की तुलना में तिलहन की खेती का भू-क्षेत्रफल, उत्पादन और खपत कितनी थी;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की तेल मिलों को बंद होने से बचाने के लिए तिलहन का आयात करने और उनकी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा प्रयोग करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान देश में तिलहन के राज्यवार वार्षिक उत्पादन को संलग्न विवरण में दिखाया गया है। देश में तिलहन के राज्यवार प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश में खाद्य तेल की अनुमानित आवश्यकता को 8.00 कि.ग्रा. प्रति व्यक्ति वर्ष उपभोग की दर से आकलित किया गया है।

(ख) और (ग) देश में पहले से ही तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए क्षेत्र एवं फसल कटाइं प्रयोग की सूचना देने के लिए संपूर्ण गणना की एक सुसंगठित फसल अनुमान प्रणाली है जिसके चलते किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं महसूस की गई।

(घ) भारत एवं पड़ोसी देशों में 1994-95 के दौरान तेल के उत्पादन एवं उपभोग के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(मात्रा '000 टन में)

देश	खाद्य तेल का उत्पादन	उपभोग
भारत	5430	6150
पाकिस्तान	343	1706
बांग्लादेश	109	759
चीन	5948	9143

(स्रोत यू.एस.डी.ए. अनुमान)

(ङ) और (च) अधिकांश तेल मिल निजी क्षेत्र में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी मिल ने तिलहन के आयात की मांग नहीं की हैं। तथापि तेल पेरने वाली इकाइयां, विशेषकर सोल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स संघ एवं सोयाबीन संसाधक संघ तिलहन विशेषकर सोयाबीन के आयात की मांग कर रहे हैं ताकि वे अपने मिलों की संस्थापित क्षमता का उपयोग कर सकें। यह पाया गया है कि खतरनाक रोगजनकों के आयात के खतरे को समाप्त करने के लिए सोयाबीन का आयात खंडित रूप से ही की जा सकती है। यह भी निर्णय लिया गया कि सोयाबीन के आयात के पहले उद्योग संघ आयातक बंदरगाह यानि कांडला पत्तन पर खंडन सुविधाओं का निर्माण करेंगे। संघ को निर्णय की सूचना दे दी गई है, पर अभी उनके द्वारा बंदरगाह पर खंडन सुविधाओं के निर्माण के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

विवरण

1995-96 से 1997-98 तक देश में तिलहनों के वार्षिक उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1995-96	1996-97	1997-98 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3039.9	2425.5	1447.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	23.8	24.2	-
3.	असम	155.7	155.0	172.0
4.	बिहार	142.2	160.7	143.0
	गोवा	1.9	2.7	-
c.	गुजरात	2164.4	3808.9	4056.0
7.	हरियाणा	782.9	10003.8	866.0
8.	हिमाचल प्रदेश	9.5	9.5	11.0
9.	जम्मू व कश्मीर	43.6	43.8	42.0
10.	कर्नाटक	1741.9	1714.2	1380.0
11.	केरल	11.4	11.3	17.0
12.	मध्य प्रदेश	4949.6	4997.6	6041.0
13.	महाराष्ट्र	1980.6	2384.0	1971.0
14.	मणिपुर	1.4	1.5	-
15.	मेघालय	6.4	6.5	-
16.	मिजोरम	7.1	7.0	-

1	2	3	4	5
17.	नागालैण्ड	15.5	21.5	-
18.	उड़ीसा	243.2	177.2	180.0
19.	पंजाब	306.1	310.0	303.0
20.	राजस्थान	3070.0	3524.6	3222.0
21.	सिक्किम	7.6	7.6	-
22.	तमिलनाडु	1593.6	1929.0	1468.0
23.	त्रिपुरा	8.5	8.5	-
24.	उत्तर प्रदेश	1423.8	1772.0	1668.0
25.	पश्चिम बंगाल	372.1	450.9	619.0
26.	दादर एवं नागर हवेली	-	-	-
27.	पाण्डिचेरी	2.3	2.1	-
28.	दिल्ली	1.1	0.8	-
29.	अन्य	-	-	83.0
	अखिल भारत	22106.1	24960.4	23689.0

[अनुवाद]

सीमा विवाद

4188. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथियोपिया और एरिट्रीया के बीच सीमा विवाद के परिणामस्वरूप इथियोपिया से अलग ले जाए गए भारतीय नागरिकों की संख्या क्या है; और

(ख) ऐसे भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इथियोपिया और एरिट्रीया के बीच सीमा संबंधी विवाद होने के बाद वहां से निष्काषित भारतीय राष्ट्रिकों की कुल संख्या 188 है। इथियोपिया के सीमा-क्षेत्र में काम कर रहे 35 भारतीय राष्ट्रिकों और एरिट्रीया के सीमा क्षेत्र में कार्यरत 153 भारतीय राष्ट्रिक भारत भेजे गए थे।

(ख) सरकार इथियोपिया और एरिट्रीया दोनों ही जगह की परिस्थितियों पर सतत् नजर रखे हुए है। आदिस अबाबा में हमारा राजदूतावास दोनों देशों में भारतीय समुदाय के लोगों से सम्पर्क बनाए हुए है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे रहा है। इथियोपिया और एरिट्रीया के सीमान्त क्षेत्रों में कार्यरत सभी भारतीय राजधानी के नगरों में चले गए हैं। सरकार भी दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि अपने राष्ट्रिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चत की जा सके।

[हिन्दी]

भूकम्प पीड़ितों को ऋण

4189. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकम्प पीड़ितों को ऋण वितरित करने वाली एजेंसियां मध्य प्रदेश में ऋण वसूली के संबंध में अनिश्चितता के कारण ऋण देने के अपने कार्य को बंद कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की और केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडोनेशिया में आन्दोलन

4190. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ी और राष्ट्रपति सुहार्तो विरोधी आन्दोलनों के कारण काफी संख्या में इंडोनेशिया के भारतीय लोगों को वहां से वापिस भेज दिया गया है अथवा वे वहां से चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने भारतीयों को वापस भेजा गया है या कितने लोग वहां से चले गए हैं; और

(ग) इंडोनेशिया से आए ऐसे भारतीयों को भारत सरकार क्या सुविधायें प्रदान कर रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) इण्डोनेशिया में हाल में हुई गड़बड़ियों के फलस्वरूप प्रत्यावर्तित समुदाय के अनेक लोग, जिनमें भारतीय राष्ट्रिक और भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं, अस्थायी तौर पर देश छोड़ गए थे। एअर इण्डिया की नियमित उड़ानों के अतिरिक्त सरकार ने 18 से 21 मई, 1998 के बीच भारतीय समुदाय के लगभग 800 लोगों के लिए उनकी भारत यात्रा को सुगम बनाने की दृष्टि से अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की थी। इन लोगों के सहायतार्थ कौंसली सेवाएं तीव्र गति से प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था की गई थी।

जैव संसाधनों का विकास

4191. श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जैव संसाधनों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जैव वैज्ञानिक संसाधनों को विकसित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए कदमों के ब्यौरे में सम्मिलित है:

(1) प्रग्रहन मत्स्य संसाधनों से सतत् लाभ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन और संरक्षण संबंधी कई उपायों का क्रियान्वयन।

(2) खुले सागर से संभाव्य संसाधनों के सतत् विदोहन के लिए योजनाएं तैयार करना और कृत्रिम भित्तियों की स्थापना, समुद्री जीव फार्म और तटीय/तट समीप कृषि तथा समुद्र कृषि के जरिए उत्पादन वृद्धि करना।

(3) समुद्री मत्स्य और जैव विविधता पर आंकड़ा आधार का विकास।

(4) समुद्री सजीव संसाधनों का मूल्यांकन और उनका वाणिज्यिक विदोहन।

(5) इष्टतम मत्स्य बेडा आकार, जाल और जाली वाले ऐसे जालों का निर्धारण।

(6) समुद्री वातावरण की निरंतर निगरानी।

(7) मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए संभाव्य मत्स्य क्षेत्र का पूर्वानुमान और उसका प्रचार, मत्स्य पूर्वानुमान माडलों का विकास, अनुसंधान और विकास संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समुद्री जीव वैज्ञानिक संसाधनों में मानव संसाधन विकास, आदि।

कृषि संस्थान

4192. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कृषि विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी है,

(ख) क्या सरकार का देश में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और विश्वविद्यालय कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि राज्यवार उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) 28 राज्य कृषि विश्वविद्यालय, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल में, और 4 मानद विश्वविद्यालय हैं। जिन राज्यों में मात्र एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, वे हैं: आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, उड़ीसा, केरल; जिन राज्यों में दो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, वे हैं: बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल; जिस राज्य में तीन राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, वह है : उत्तर प्रदेश, जिस राज्य में चार कृषि विश्वविद्यालय हैं, वह हैं: महाराष्ट्र, मणिपुर, इम्फाल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और चार मानद विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र, प्रत्येक में एक-एक मानद विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) कृषि शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है और भा.कृ.अ.प. केवल स्थापित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान के अन्तर्गत सहायता प्रदान करता है। धन की कमी के कारण नौवीं योजना में किसी भी केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

विवरण

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
राजेन्द्र नगर, हैदराबाद,
(आन्ध्र प्रदेश)-500030

असम

2. असम कृषि विश्वविद्यालय,
जोरहट (असम)-785013

बिहार

3. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
पूसा, समस्तीपुर (बिहार)-848125

4. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय,
कांके, रांची (बिहार)-834006

गुजरात

5. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय,
सरदार करुशीनगर
बांसकंठा (गुजरात)-385506

हिमाचल प्रदेश

6. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,
पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)-176062

7. डा. वाई.एस. परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय,
सोलन,
(हिमाचल प्रदेश), 173230

हरियाणा

8. सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय,
हिसार (हरियाणा)-125004

जम्मू और कश्मीर

शीतकालीन (नवम्बर से अप्रैल)

9. शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी [illegible]
रेलवे रोड,
जम्मू तवी (जम्मू और कश्मीर)-180004

ग्रीष्मकालीन (मई से अक्तूबर)

शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, शालीमार परिसर,
पोस्ट बाक्स-262
श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)-190001

केरल

10. केरल कृषि विश्वविद्यालय,
वेल्लानिक्कारा, त्रिस्सूर (केरल)-680654

कर्नाटक

11. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
पोस्ट बैग सं.-2477, बंगलौर
(कर्नाटक)-560065

12. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
धारवाड़ (कर्नाटक)-580005

महाराष्ट्र

13. कोंकण कृषि विद्यापीठ,
डपोली, (महाराष्ट्र)-415712

14. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ,
राहूरी, (महाराष्ट्र)-431722

15. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय,
परभणी (महाराष्ट्र)-413722

16. डा. पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ,
कृषि नगर, अकोला (महाराष्ट्र)-431402

मध्य प्रदेश

17. जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय,
जबलपुर, (मध्य प्रदेश)-482004

18. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय,
कृषि नगर, रायपुर (मध्य प्रदेश)-492012

उड़ीसा

19. उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
(उड़ीसा)-751003

पंजाब

20. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय,
लुधियाना-141004

राजस्थान

21. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,
बीकानेर-334002

तमिलनाडु

22. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,
कोयम्बटूर (तमिलनाडु)-641003

23. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,
मद्रास (तमिलनाडु)-600007

उत्तर प्रदेश

24. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, कानपुर (उत्तर प्रदेश)-208002

25. गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी
विश्वविद्यालय, पंतनगर (उत्तर प्रदेश)-263145

26. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)-224001

पश्चिम बंगाल

27. विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
पी.ओ. कृषि विश्वविद्यालय
मोहनपुर नादिया (पश्चिम बंगाल)-741252

28. पश्चिम बंगाल पशु और मात्स्यिकी विज्ञान
विश्वविद्यालय, बेलगचिया, कलकत्ता-37
(पश्चिम बंगाल)

[हिन्दी]

सी.ए.डी.पी. और ए.आई.बी.पी.

4193. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार पैदा की गई सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच अन्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 1997-98 तक ''कमांड एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम'' (सी.ए.डी.पी.) के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए उक्त अन्तर को पाटने हेतु सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया तथा ''एक्सीलेरेटेड इरीगेशन बेनेफिट्स प्रोग्राम'' (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस अन्तर को पाटने में राज्यवार क्या उपलब्धि प्राप्त की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो अर्थात् वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान केन्द्र प्रायोजित "कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम" (सी.ए.डी.पी.) और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता सहित सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग तथा दोनों के बीच के अन्तर को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण क्रमशः विवरण I, II और III के रूप में सलग्न है।

विवरण I

सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग, दोनों के बीच का अन्तर वर्ष 1995-96 में सी.ए.डी.पी. और ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)			सी.ए.डी.पी. के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	ए.आई.बी.पी. (*) के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
	सृजित	प्रयुक्त	अन्तर		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	5.80	7.60	-1.80	190.81	0.00
अरूणाचल प्रदेश	4.00	2.15	1.85	0.00	0.00
असम	3.11	3.11	0.00	62.00	0.00
बिहार	30.69	27.00	3.69	100.00	0.00
गोवा	0.35	0.17	0.18	13.81	0.00
गुजरात	23.40	37.40	-14.00	550.14	0.00
हरियाणा	13.13	10.83	2.30	1060.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	2.41	0.66	1.75	4.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	2.80	3.36	-0.56	277.61	0.00
कर्नाटक	61.49	22.37	39.12	681.80	0.00
केरल	24.82	24.82	0.00	774.46	0.00
मध्य प्रदेश	54.30	57.20	-2.90	70.00	0.00

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	103.40	97.00	6.40	1446.69	0.00
मणिपुर	5.40	4.40	1.00	102.04	0.00
मेघालय	0.84	0.63	0.21	0.00	0.00
मिजोरम	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.36	0.35	0.01	0.00	0.00
उड़ीसा	65.59	44.36	21.28	362.82	0.00
पंजाब	57.57	52.76	4.81	0.00	0.00
राजस्थान	67.31	44.51	22.80	2925.57	0.00
सिक्किम	1.15	1.02	0.13	0.00	0.00
तमिलनाडु	1.65	1.65	0.00	1212.94	0.00
त्रिपुरा	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	1249.00	1282.00	-33.00	2204.13	0.00
पश्चिम बंगाल	103.15	62.75	40.40	206.57	0.00
कुल राज्य	1882.78	1789.11	93.67	12410.16	0.00
कुल संघ शासित क्षेत्र	6.58	6.10	0.48	0.00	0.00
कुल जोड़	1889.36	1795.21	94.15	12410.16	0.00

टिप्पण : (1) ऋणात्मक अन्तर सृजित से ज्यादा सिंचाई क्षमता को दर्शाता है।

(2) सी.ए.डी.पी. के तहत केन्द्रीय सहायता के कुल जोड़ में अध्ययनों और अन्य खर्चों के लिए सहायता शामिल है जिसका राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(3) (*) चूंकि ए.आई.बी.पी. वर्ष 1996-97 के दौरान शुरू हुआ था। अत: वर्ष 1995-96 के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत केन्द्रीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए उपरोक्त तालिका में अंतिम कालम में सभी राज्यों के समक्ष "0" दर्शाया गया है।

विवरण II

सिंचाई क्षमता के सृजन तथा उपयोग, दोनों के बीच अन्तर वर्ष 1996-97 के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाते हुए राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)			कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
	सृजित*	प्रयुक्त*	अन्तर		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	29.35	29.35	0.00	99.40	3525
अरूणाचल प्रदेश	4.27	2.20	2.07	0.00	0
असम	0.51	7.01	-6.50	0.00	523
बिहार	16.65	14.00	2.65	0.00	1350
गोवा	0.35	0.18	0.17	39.00	0
गुजरात	25.60	27.00	-1.40	444.38	7477
हरियाणा	22.00	13.29	8.71	1247.18	3250
हिमाचल प्रदेश	2.65	2.11	0.54	44.02	0
जम्मू और कश्मीर	2.80	3.16	-0.36	252.23	130
कर्नाटक	111.47	93.19	18.28	845.59	6125
केरल	54.91	54.91	0.00	466.96	375
मध्य प्रदेश	54.70	32.00	22.70	65.00	6325
महाराष्ट्र	101.40	95.00	6.40	1439.92	1400

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	3.50	2.50	1.00	130.69	430
मेघालय	1.79	1.37	0.42	0.00	0
मिजोरम	0.31	0.31	0.00	0.00	0
नागालैंड	0.36	0.35	0.01	0.00	0
उड़ीसा	83.53	65.59	17.94	353.99	4845
पंजाब	33.60	35.69	-2.09	0.00	6750
राजस्थान	66.40	47.71	18.69	3948.17	268
सिक्किम	0.86	0.80	0.06	0.00	0
तमिलनाडु	0.57	1.65	-1.08	2081.99	2000
त्रिपुरा	1.38	1.38	0.00	0.00	377
उत्तर प्रदेश	852.00	809.00	43.00	2022.60	4350
पश्चिम बंगाल	131.66	84.66	47.00	112.19	500
कुल–राज्य	1602.62	1424.41	178.21	13835.84	50000
कुल–संघ शासित क्षेत्र	7.25	5.45	1.80	0.00	0
कुल–जोड़	1609.87	1429.86	180.01	13835.84	50000

टिप्पण : (1) ऋणात्मक अन्तराल, सृजित सिंचाई क्षमता से अधिक उपयोग दर्शाता है।

(2) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के कुल जोड़ में अध्ययन और अन्य व्यय के लिए सहायता शामिल है जिनके राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(3) *आंकड़े अनंतिम है।

विवरण III

सिंचाई क्षमता के सृजन और उपयोग, दोनों के बीच का अन्तर, वर्ष 1997-98 में सी.ए.डी.पी. और ए.आई.बी.पी. के अन्तर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर में)			सी.ए.डी.पी. के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	ए.आई.बी.पी. के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)
	सृजित लक्ष्य*	प्रयुक्त लक्ष्य*	अन्तर		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	120.81	158.08	-37.27	3839.57	7400
अरूणाचल प्रदेश	4.35	2.25	2.10	0.00	0.
असम	9.13	8.18	0.95	124.00	1240
बिहार	34.28	32.50	1.78	0.00	1404
गोवा	3.77	1.20	2.57	20.00	525
गुजरात	74.50	67.50	7.00	97.11	19690
हरियाणा	63.00	59.00	4.00	1116.85	1200
हिमाचल प्रदेश	2.10	1.95	0.15	73.07	650
जम्मू और कश्मीर	6.05	10.69	-4.64	189.90	0
कर्नाटक	113.21	109.37	23.84	437.87	9050
केरल	45.07	43.45	1.62	200.00	1500
मध्य प्रदेश	72.30	30.70	41.60	6.25	11450
महाराष्ट्र	320.00	280.00	40.00	298.30	5500

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	3.77	4.53	-0.76	86.91	2600
मेघालय	3.50	2.68	0.82	0.00	0
मिजोरम	0.11	0.11	0.00	0.00	0
नागालैंड	1.03	1.00	0.03	0.00	0
उड़ीसा	186.71	83.53	103.18	231.47	8500
पंजाब	41.35	41.35	0.00	0.00	10000
राजस्थान	57.30	38.96	18.34	2226.65	4200
सिक्किम	0.90	0.80	0.10	0.00	0
तमिलनाडु	3.86	0.57	3.29	552.46	0
त्रिपुरा	5.05	5.05	0.00	0.00	510
उत्तर प्रदेश	409.00	1075.00	-666.00	3057.83	7800
पश्चिम बंगाल	224.00	217.00	7.00	90.00	2000
कुल-राज्य	1825.15	2275.44	-450.29	12968.12	95219
कुल-संघ शासित क्षेत्र	6.20	5.05	1.15	0.00	0
कुल जोड़	1831.35	2280.49	-449.14	12968.12	95219

टिप्पण : (1) ऋणात्मक अंतराल सृजित सिंचाई क्षमता से अधिक उपयोग दर्शाता है।

(2) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के कुल जोड़ में अध्ययन और अन्य व्यय के लिए सहायता शामिल हैं जिसके राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(3) *लक्षित आंकड़े अनन्तिम हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक ग्रुप

4194. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र सैन्य प्रेक्षक ग्रुप (यू.एन.एम.ओ.जी.आई.पी.) जम्मू और कश्मीर में जनवरी, 1949 से ठहरा हुआ है;

(ख) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार इस ग्रुप की सदस्य संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या भारत-पाक परमाणु परीक्षणों के बाद इस ग्रुप की सदस्य संख्या बढ़ाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सैल पर्यवेक्षक दल की स्थापना भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 के कराची करार के अन्तर्गत की गई थी और तब से यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है।

(ख) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक दल की संख्या 46 थी।

(ग) जी हां। पाकिस्तान की ओर से इस दल की संख्या में वृद्धि करने का सुझाव है।

फल और सब्जी उत्पादकों को प्रोत्साहन

4195. श्री माधव राव पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फल और सब्जी उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने धन की मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) देश में फलों और सब्जियों के विकास के लिये कृषि एवं सहकारिता विभाग निम्नलिखित केन्द्र क्षेत्र की स्कीमें चला रहा है:-

(1) उष्णकटिबन्धीय, समशीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फलों का विकास;

(2) सब्जियों के बीजों का उत्पादन और आपूर्ति; और

(3) "खुम्बी के खेती का विकास"।

इन स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता विशेषकर फल और सब्जी उत्पादकों को दी जाती है। समेकित उष्णकटिबन्धीय समशीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फलों के समेकित विकास के अंतर्गत नर्सरियों की स्थापना, क्षेत्र विस्तार, पुराने बागानों का पुनरूद्धार ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ायी जा सके, टिशूकल्चर इकाईयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। "सब्जी बीजों के उत्पादन और आपूर्ति" योजना के अंतर्गत उन्नत किस्मों के बीजों के मिनीकिटों को और अन्य आदानों, जिनकी कीमत 150 रु. तक होती है, को बहुत मामूली दर पर किसानों को मुहैया कराया जाता है। मशरूम खेती की विकास की योजना के अंतर्गत किसानों के मशरूम को खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और राज्यों को "स्पान" उत्पादक इकाईयों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है ताकि वे किसानों को इसका वितरण कर सकें।

विगत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन स्कीमों के तहत् जारी की गई धनराशियों को संलग्न विवरण I, II और III में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इस योजना में कवर किये जाने वाले क्षेत्रों और लाभानुभोगियों को अभिज्ञात करने का राज्य सरकारों के पास पूरा अधिकार है अतः अब इस संबंध में और कुछ अधिकार प्रदत्त किये जाने की जरूरत नहीं है।

विवरण I

उष्णकटिबन्धीय, समशीतोष्ण और शुष्क क्षेत्रीय फलों के समेकित विकास की योजना के अंतर्गत 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वर्षों में राज्यवार जारी की गयी धनराशि

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	95.67	262.87	41.00
अरूणाचल प्रदेश	28.00	0.00	22.00
असम	5.00	2.90	5.00
[illegible]	0.00	50.00	71.72
गोवा	12.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	41.00	0.00
हरियाणा	35.00	0.00	34.80
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	22.00
जम्मू व कश्मीर	83.00	167.88	232.00
कर्नाटक	92.43	10.60	80.00
केरल	19.00	42.72	98.50
मध्य प्रदेश	190.90	41.42	108.00
महाराष्ट्र	165.00	124.20	100.00
मणिपुर	124.17	156.89	182.00
मेघालय	33.90	0.00	10.30

1	2	3	4
मिजोरम	32.13	35.34	30.00
नागालैंड	32.06	38.14	50.00
उड़ीसा	191.80	258.33	299.00
पंजाब	72.00	68.13	25.00
राजस्थान	35.00	41.00	40.00
तमिलनाडु	128.00	129.28	80.00
त्रिपुरा	5.00	0.00	15.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	70.00
सिक्किम	0.00	7.00	10.30
अ.नि. द्वीप समूह	1.22	0.89	11.30
चण्डीगढ़	0.00	0.00	11.00
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	4.80
दमन व दीव	0.00	0.00	4.80
दिल्ली	19.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	11.74	10.78	10.90
पाण्डिचेरी	0.00	0.00	3.00
योग	1412.02	1489.37	1672.42

विवरण II

सब्जी बीजों के उत्पादन और आपूर्ति की योजना के अंतर्गत 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्य को जारी की गयी धनराशि

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	15.68	0.00	10.69
अरूणाचल प्रदेश	1.50	0.00	2.05
असम	0.28	0.00	0.00
	0.00	31.25	0.00
गोवा	1.50	1.50	2.79
गुजरात	6.80	1.12	6.50
हरियाणा	7.06	0.00	2.99
हिमाचल प्रदेश	8.00	0.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	1.92	1.83	4.00
कर्नाटक	15.09	1.55	8.79
केरल	4.79	5.69	4.12
मध्य प्रदेश	20.55	0.00	36.91
महाराष्ट्र	14.96	7.00	9.50
मणिपुर	1.50	0.00	23.30
मेघालय	1.50	1.82	2.80

1	2	3	4
मिजोरम	1.50	1.50	3.30
नागालैंड	1.50	0.00	5.80
उड़ीसा	8.58	8.58	0.00
पंजाब	13.36	7.07	7.50
राजस्थान	8.77	10.60	5.47
तमिलनाडु	4.75	4.34	6.90
त्रिपुरा	1.50	1.50	2.50
उत्तर प्रदेश	63.91	0.00	40.78
पश्चिम बंगाल	14.60	0.00	0.00
सिक्किम	1.50	0.00	0.00
अ. व नि. द्वीप समूह	1.06	1.40	2.15
चण्डीगढ़	0.00	0.00	1.50
दादरा व नगर हवेली	0.65	10.43	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	1.50
दिल्ली	4.50	2.92	5.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
पाण्डिचेरी	1.50	0.00	0.00
योग	228.81	100.10	196.84

विवरण III

मशरूम के विकास की योजना के अंतर्गत 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वर्षों में जारी की गयी धनराशि

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	20.00	5.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	20.00	21.60
असम	0.00	2.00	9.85
बिहार	0.00	15.00	7.10
गोवा	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	20.00	17.70	3.20
हिमाचल प्रदेश	0.00	27.10	0.00
जम्मू व कश्मीर	0.00	45.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	0.00
केरल	0.50	10.00	1.50
मध्य प्रदेश	41.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	1.50
मणिपुर	10.00	1.50	41.60

1	2	3	4
मेघालय	29.50	15.00	6.50
मिजोरम	15.00	27.60	0.00
नागालैंड	33.50	41.00	13.10
उड़ीसा	20.00	20.00	41.00
पंजाब	0.50	26.50	40.00
राजस्थान	0.00	46.41	0.00
तमिलनाडु	28.50	7.50	1.00
त्रिपुरा	19.00	1.00	6.05
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	49.96
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	34.80	11.50
चण्डीगढ़	0.00	0.00	0.00
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
दमन व दीव	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	2.50	40.00
योग	237.50	365.61	295.46

मत्स्य रोग

4196. श्री नृपेन्द्र गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में पाए जाने वाले मत्स्य रोगों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार देश में मत्स्य रोगों के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में इस समय फिन और शैल मछली में प्रचलित रोग मुख्य रूप से जीवाणु और फफूंद, पैरासाइटिक संक्रमण, ऐपीजूटिक अल्सरेंटिव साईनड्रोम तथा व्हाइट स्पाट और साफ्ट शैल लक्षणों जैसे अन्य संक्रमण रोग हैं। देश में और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित कुछ मत्स्य रोग संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कुछ मत्स्य पालन कालेजों के अंतर्गत मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों में मत्स्य रोगों पर क्रमबद्ध तरीके से अनुसंधान कार्य चल रहा है। इन संस्थानों के नाम हैं (1) केन्द्रीय खारा जल जल कृषि संस्थान, चेन्नई (2) केन्द्रीय ताजा जल जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर (3) केन्द्रीय अंतर्देशीय अभिग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरेकपोर, (4) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन; और (5) केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई।

नैदानिक और क्षेत्र स्तर परीक्षणों के आधार पर निवारक और अरोग्यकर उपायों से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त समय-समय पर जारी किए गए हैं इसके अतिरिक्त ये अनुसंधान संस्थान फिन और शैल मछली रोगों की निगरानी और प्रबोधन के लिए क्रमबद्ध सर्वेक्षण कार्य भी करते हैं।

(ग) और (घ) उपरिउल्लिखित अनुसंधान संस्थान मत्स्य रोगों पर पहले से ही अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। ये अनुसंधान क्रियाकलाप जारी रहेंगे और भविष्य में इनको और आगे बढ़ाया जाएगा।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में प्रचलित कुछ मत्स्य रोग

क. फफूंदी संक्रमण

1. सेपरोलैगनिअसिस

ख. जीवाणु रोग

2. फिन तथा टेल रौट
3. नासूर रोग
4. जलोदर
5. नेत्र रोग

ग. प्रोटोजोआ रोग

6. इच्थियोफ्थीरिअसिस
7. कोस्टिअसिस

घ. कृमि रोग

8. गाइरोडेक्टीलोसिस
9. डिप्लोस्टोमिअसिस

ङ ब्रस्टेसिअन

10. आरगूलोसिस
11. लर्निअसिस
12. ऐपिजूटिक अल्सरेटिव सिन्ड्रोम (ई.यू.एस.)
13. सफेद दाग रोग
14. साफ्ट शैल सिन्ड्रोम

ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए मशीनों का उत्पादन

4197. श्री एस.एस. ओवेसी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्रिप/स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली के लिए दी जा रही रियायत और प्रोत्साहन के कारण अनेक कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम शुरू किया है और ये कंपनियां विदेशी सहयोग के नाम पर मशीनों की बिक्री कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्वदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है जो स्वयं इन मशीनों का उत्पादन कर रही हैं और उन कंपनियों की संख्या कितनी है जो विदेश निर्मित मशीनों की बिक्री कर रही है;

(घ) इन मशीनों की गुणवत्ता और उनके मूल्य निर्धारण के लिए उत्तरदायी एजेन्सियों के नाम क्या हैं; और

(ङ) अल्प गुणवत्ता वाली मशीनों के आगम को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) विभिन्न केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत छोटे, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला किसानों को ड्रिप/छिड़काव सिंचाई प्रणालियों की स्थापना हेतु 25000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन लागत की 90 प्रतिशत की दर से तथा अन्य श्रेणी के किसानों को 25000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के अधीन लागत की 70 प्रतिशत की दर से सहायता दी जा रही है। बहरहाल किसानों को उक्त सहायता तभी उपलब्ध होगी यदि वे ड्रिप/छिड़काव सिंचाई प्रणालियां राज्य सरकारों अथवा कृषि में प्लास्टिक के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति से पंजीकृत कम्पनियों से खरीदें। भारत सरकार द्वारा कम्पनियों के पंजीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि कम्पनियों के पास भारतीय मानक संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो। प्रणाली के कुछ घटकों के आयात की अनुमति उन्हीं कम्पनियों को दी जाती है जो दो वर्ष की अवधि में ही देश में आयातित घटकों का विनिर्माण करना चाहती हों। वे सभी कम्पनियां जो विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करती है, उन्हें भी देश में अपने उत्पाद को बिक्री से पहले भारतीय मानक संस्थान अथवा केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बड़ोदरा से प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। इस समय 65 कम्पनियां प्रणाली के घटकों का विनिर्माण स्वयं कर रही हैं जबकि चार कम्पनियों को कुछ घटकों के आयात की अनुमति दी गयी है।

(घ) "कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग" संबंधी स्कीम के तहत सहायता प्रदान करने के लिए घटकों के नियामक मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय मानक संस्थान तथा केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बड़ोदरा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करके लघु सिंचाई प्रणाली के तहत उपयोग में लाए जाने वाले उत्पादों के न्यूनतम गुणवत्ता मानदण्ड सुनिश्चित करते हैं।

(ङ) भारत सरकार द्वारा राज्यों के कार्यान्वयन करने वाले सभी विभागों को निदेश दिए गए हैं कि वे उन्हीं कम्पनियों को लघु सिंचाई प्रणाली के घटकों के पंजीकरण एवं बिक्री हेतु अनुमति दें जो भारतीय मानक स्थान अथवा केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त घटकों का विनिर्माण करती हों।

मत्स्य क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की सहायता

4198. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को मत्स्य क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु परियोजना शुरू करने के लिए 240 मिलियन डालर की विश्व बैंक सहायता प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का उपयोग करने के लिए परिषद् द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं। विश्व बैंक द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी तैयार करने, उसके परिष्करण और कृषि में उसके विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रायोजना को मदद देने के लिए 239.7 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुमोदन किया गया है जिसमें मात्स्यिकी सहित सभी महत्वपूर्ण उत्पादन प्रणालियां शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रायोजना के तीन भिन्न-भिन्न घटकों के तहत परिषद और कृषि सहकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से जिस कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया है वे हैं-(1) संगठन और प्रबन्धन प्रणाली, (2) सस्य-पारिस्थिति प्रणाली अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना, और (3) प्रौद्योगिकी प्रसार। प्रायोजना, बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास, सूचना प्रणाली के विकास इत्यादि जैसे कार्यों में मदद करेगी। प्रायोजना कैबिनेट से अनुमोदित हो जाने के तत्काल बाद चालू वर्ष में ही काम करना आरंभ कर देगी।

पदोन्नतियों में आरक्षण

4199. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान का अनुच्छेद 16(4)(क) सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सरकारी नौकरियों में किसी वर्ग अथवा वर्गों के पद अथवा पदों के लिए पदोन्नतियों में

आरक्षण का प्रावधान करें जहां पर अ.जा./अ.ज.जा. का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो;

(ख) क्या सरकार ने उपर्युक्त अनुच्छेद के भाग (क) में उल्लिखित मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए दिनांक 30 जनवरी, 1997 तथा 2 जुलाई, 1997, 22 जुलाई, 1997 तथा 29 अगस्त, 1997 के परिपत्रों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. के आरक्षण संबंधी सुस्थापित प्रावधानों को समाप्त कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या श्री के. रामास्वामी की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने अ.जा./अ.ज.जा. अधिकारियों की वरिष्ठता की संवीक्षा संबंधी सरकारी आदेश को खारिज करने का निर्णय दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (घ) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) संविधान में अनुच्छेद 16(4क) समाविष्ट करने का अभिप्राय, "संविधान के उद्देश्यों तथा कारणों" का विवरण (अड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1995, में निहित है।

(ख) और (ग) दिनांक जनवरी 30, 1997, जुलाई 2, 1997 जुलाई 22, 1997 तथा अगस्त 29, 1997 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा आरक्षण की नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जारी किए गए अनुदेश, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे विभिन्न निर्णयों के अनुपालनस्वरूप के थे जो संविधान के अनुच्छेद 141 के परिप्रेक्ष्य में देश का कानून बन गए।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल उत्पादकों द्वारा विरोध

4200. श्री वी.वी. राघवन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मालूम है कि केरल सरकार के साथ राज्य के नारियल उत्पादकों ने सरकार द्वारा नारियल के प्रति क्विंटल निर्धारित सरकारी मूल्य का जोरदार विरोध किया है क्योंकि यह मूल्य लाभकारी मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस पर पुनर्विचार कर नारियल के सरकारी मूल्य में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 10.6.98 को 1998 मौसम के लिए औसतन अच्छी गुणवत्ता वाले मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900/- रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3125/- रुपया प्रति क्विंटल घोषित किया है। विगत वर्ष के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 1998 मौसम के मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा दोनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 200/- रुपये प्रति क्विंटल की पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1998 मौसम के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40/- रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 25/- रुपया प्रति क्विंटल ज्यादा है।

भारत सरकार को न तो केरल सरकार से और न ही कृषकों से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के खिलाफ कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीददारी करने के लिए निर्देश दिया है। 30 जून, 1998 तक नेफेड ने केरल और तमिलनाडु राज्यों से 199 टन मिलिंग कोपरा की खरीद की है। बाल कोपरा की अधिप्राप्ति जरूरी नहीं हैं क्योंकि इसका बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। भारत सरकार द्वारा पहले से ही घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय अनुसंधान पोत पर अमरीकी और जर्मन नागरिकों की उपस्थिति

4201. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा वैज्ञानिकों ने इस बात का संकेत दिया है कि 17 फरवरी को जो भारतीय अनुसंधान पोत गोवा से 45 दिन के लिए समुद्री अध्ययन यात्रा के लिए चला था और जिसे समुद्र तथा मौसम संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के लिए माले से होते हुए मारीशस से पोर्टलुईस तक जाना था, उस पर आठ अमरीकी तथा एक जर्मन नागरिक उपस्थित था;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय और विदेशी नागरिकों सहित इस समुद्री अध्ययन यात्रा को मंत्रिमंडल सचिव के अधीन गठित की गई उच्च समिति से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं था;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई कार्यवाही की है कि पोत पर इन अमरीकी और जर्मन नागरिकों को उपस्थित रहने की अनुमति कैसे दी गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। भारतीय अनुसंधान पोत ओ.आर.वी. सागर कन्या, जो भारत सरकार के स्वीकृत हिन्द महासागर परीक्षण (इण्डोएक्स) नामक अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर-विभागीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के भाग के रूप में फरवरी 18, 1998 को गोवा से अपनी यात्रा सं. 133 पर रवाना हुआ था, पर 8 अमरीकी, 1 जर्मन, 2 मारीशस और 1 मालदीव सहित 12 विदेशी वैज्ञानिकों की भागीदारी के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी, तथा किसी भी विदेशी वैज्ञानिक द्वारा कोई भी संवेदनशील आंकड़ें एकत्र नहीं किए गए थे।

(ख) जी, नहीं। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त स्तरों पर सुरक्षा मंजूरी प्राप्त की गई है, जिसमें यात्रा में विदेशी वैज्ञानिकों की भागीदारी के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी भी शामिल है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

दुधारू पशु

4202. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**
श्री सोहनवीर सिंह :
श्री राजो सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दुधारू पशुओं की संख्या क्रमशः घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गोपशु पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी विस्तार और संतति परीक्षण कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।
3. आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
6. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में समेकित डेयरी विकास परियोजनाएं।

[अनुवाद]

पनधारा विकास परियोजनाएं

4203. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पनधारा विकास परियोजनाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि-इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंध में किसी अध्ययन दल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) जी, हां। डेटा बेस प्रबंध प्रणाली (डी.बी.एम.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) तकनीकों के उपयोग के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी

तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग वाटरशेड विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने वाटरशेड प्रबंध के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेजों के विकास की परियोजनाएं प्रायोजित की हैं।

(ग) से (च) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) तैयार करने संबंधी कार्य के एक भाग के रूप में योजना आयोग ने दिसम्बर, 1995 में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर एक कार्यदल का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिकी के अनुप्रयोगों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की तथा इसके अंतर्गत विभिन्न उप सेक्टरों के लिए तैयार की जा रही विकास संबंधी नीतियों के बारे में अलग-अलग बताया। समिति ने पाया कि देश में कृषि इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों का इस्तेमाल बहुत कम है, जो मुख्यत: इनकी ज्यादा कीमत के कारण है और इसलिए सिफारिश की कि सुदृढ़ एवं कम लागत के मॉडल विकसित करने के लिए कुछ चुनिन्दा उपकरणों पर कार्य किया जाए। जहां तक कृषि प्रसंस्करण का संबंध है, समिति ने सिफारिश की कि माइक्रोप्रोसेसर प्रौद्योगिकी पर आधारित एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों का प्रयोग विशेष रूप से चीनी, कागज तथा दुग्ध पर आधारित उद्योगों के लिए किया जाए। अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार्य हैं।

समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

4204. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को केन्द्र द्वारा प्रायोजित चावल के लिए समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटन बढ़ाने की केन्द्र सरकार से मांग की है;

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस राज्य को आबंटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंश के रूप में उड़ीसा राज्य को आबंटित राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

	1995-96	1996-97	1997-98
आई.सी.डी.पी. चावल	603.60	720.32	889.20
एन.पी.डी.पी.	157.24	160.00	180.00
ओ.पी.पी.	444.00	472.00	500.00

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत आबंटन सामान्यत: राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, स्कीमों के लिये अनुमोदित प्रतिमानों तथा उपलब्ध धनराशि पर विचार करने के पश्चात् किया जाता है। इसके अनुसार, अब तक 1998-99 के लिये उड़ीसा राज्य को आई.सी.डी.पी. चावल, एन.पी.डी.पी. तथा ओ.पी.पी. स्कीमों के तहत केन्द्रीय अंश के रूप में क्रमश: 869.97 लाख रु. 180.00 लाख रु. तथा 500.00 लाख रु. आबंटित किये गये हैं।

गो-वध पर प्रतिबंध

4205. **श्री महेश कनोडिया** :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवंश की नस्ल सुधारने/बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) क्या सरकार का विचार गो-वध पर प्रतिबंध लगाने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान गायों के सुधार/उन्नयन संबंधी योजनाओं पर खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सरकार का गो-वध पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अधिकांश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में गो-वध पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कानून पहले से ही हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना	1995-96	1996-97	1997-98
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार	528.96	529.00	2550.00
2.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	498.05	395.74	500.00
3.	संतति परीक्षण कार्यक्रम	82.85	77.38	120.68
4.	केन्द्रीय पशुदुग्ध योजना	75.00	91.00	130.00

क्रम संख्या 1 तथा 4 पर दी गई योजनाओं के अंतर्गत व्यय का थोड़ा भाग भैंस विकास के लिए भी प्रयोग किया गया।

भू-जल

4206. श्री नरेश पुगलीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 1998 के "स्टेट्समैन" में "प्लान टु रिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले के संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भू-जल के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार का दिल्ली और अन्य राज्यों में भू-जल के उपयोग को सीमित करने हेतु कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब कार्यान्वित की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पता चला है कि अति दोहन के कारण दिल्ली में भूजल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में गिरावट आई है। कुछ मामलों में भूजल स्तर 15 मीटर तक कम हुआ है और इससे गिरावट के रूख का पता चलता है। इस प्रकार, केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने भूजल को उपलब्धता की तुलना में जल निकासी का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भूजल निकालने वाली संरचनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। समग्र लोक हित में और गिरावट को रोकने, भूजल के स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने पर विचार किया जाना है।

(ग) से (ङ) जल राज्य का विषय होने के कारण राज्यों द्वारा भूजल विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान लागू किया जाना है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं:-

(1) भूजल प्रबन्धन और विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन। प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए अति दोहन को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को सलाह देने और केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण को अपना कार्य करने में सहायता देने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित करता रहा है। इसने इस विषय पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी विभिन्न उपाय किये हैं।

(2) अति दोहन और भूजल स्तर में गिरावट की समस्या को हल करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करना।

(3) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान लागू कर सकें।

(4) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भूजल स्तर में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(5) महाराष्ट्र, कर्नाटक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के कुछ भागों में भूजल पुनर्भरण पर अध्ययनों संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन।

(6) समस्या पर विचार-विमर्श करने और इसका हल निकालने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करना।

खाद्य प्रसंस्करण एककों को सहायता

4207. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रसंस्करण औद्योगिक एककों को सहायता देने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1998 को राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण एकक विद्यमान थे; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थित हैं और राज्यवार स्थित यूनिटों की संख्या के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती। सांख्यिकी विभाग के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 29,407 फैक्टरियां स्थित हैं। फैक्टरियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण और मृदु वातित जल से संबंधित उद्योगों को अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए फल उत्पाद आदेश के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। जनवरी, 1998 तक फल उत्पाद आदेश के तहत 4932 फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों आदि को ऋण एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण I

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (1994-95) के अनुसार फैक्ट्री क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	फैक्ट्रियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10183
2.	असम	734
3.	बिहार	433
4.	गोवा	34
5.	गुजरात	1270
6.	हरियाणा	600
7.	हिमाचल प्रदेश	46
8.	जम्मू एवं कश्मीर	69
9.	कर्नाटक	1221
10.	केरल	1170
11.	मध्य प्रदेश	1302
12.	महाराष्ट्र	2420
13.	मणिपुर	9
14.	मेघालय	3
15.	नागालैंड	5
16.	उड़ीसा	425
17.	पंजाब	1196

1	2	3
18.	राजस्थान	515
19.	तमिलनाडु	3792
20.	त्रिपुरा	22
21.	उत्तर प्रदेश	2652
22.	पश्चिम बंगाल	1089
23.	चण्डीगढ़	36
24.	दमन एवं दीव	5
25.	दिल्ली	125
26.	पांडिचेरी	42
27.	अन्य	9
	कुल	29407

विवरण II

फल उत्पाद आदेश, 1955 के तहत लाइसेंसशुदा फल और सब्जी यूनिटों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य	फैक्ट्रियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	300
2.	असम	29
3.	बिहार	58
4.	गुजरात	260
5.	हरियाणा	151
6.	हिमाचल प्रदेश	90
7.	जम्मू एवं कश्मीर	83
8.	कर्नाटक	253
9.	केरल	387
10.	मध्य प्रदेश	104
11.	महाराष्ट्र	934
12.	मेघालय	14
13.	मणिपुर	9
14.	नागालैण्ड	5
15.	उड़ीसा	43
16.	पंजाब	309
17.	राजस्थान	110
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	452
20.	त्रिपुरा	4
21.	उत्तर प्रदेश	494
22.	पश्चिम बंगाल	298
23.	अंडमान एवं निकोबार	3
24.	अरूणाचल प्रदेश	3
25.	चण्डीगढ़	54
26.	दादर एवं नगर हवेली	7
27.	दिल्ली	302
28.	गोवा, दमण एवं दीव	160
29.	मिजोरम	3
30.	पाण्डिचेरी	14
	कुल	4932

भूजल स्तर

4208. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री विठ्ठल तुपे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में भू-जल का स्तर प्रति वर्ष नीचे गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें भू-जल का स्तर गिर रहा है और राज्य-वार प्रत्येक स्थान पर भू-जल का स्तर कितना गिर रहा है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने देश में भू-जल का स्तर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) केन्द्रीय [illegible] द्वारा किये गये दीर्घकालीन प्रेक्षणों से महाराष्ट्र राज्य [illegible] राज्यों में भूजल स्तर में वृद्धि और गिरावट दोनों [illegible] चला है।

(ख) गत पांच वर्षों (1992-93 से 1996-97 तक) के दौरान दर्ज किए गये भूजल के स्तर में गिरावट का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ भूजल स्तर में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाये गये/उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) भूजल प्रबन्ध और विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

(2) महाराष्ट्र सहित सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के नियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान लागू कर सकें।

(3) महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर एक मैनुअल परिचालित करना ताकि वे भूजल स्तरों में गिरावट के रूख को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष की कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें।

(4) महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और कर्नाटक में भूजल के पुनर्भरण पर अध्ययनों संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम का कार्यान्वयन।

(5) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार करना। यह स्कीम परामर्शी स्तर पर है।

विवरण

राज्य	जिला के भागों में 4 मीटर से ऊपर गिरावट	जिला के भागों में 2-4 मीटर की गिरावट
1	2	3
आंध्र प्रदेश	शून्य	सिराकुलम, विजयाग्राम, विशाखापट्टनम, पश्चिम गोदावरी
असम	बोंगईगांव, कचर, दारंग, धीवाजी, धुब्री, गोलपारा, गोलाघाट, हेलाकांडी, जोरहट, कामरूप, करबी, अंगलांग, करीमगंज, मोरेगांव, नालबारी, सोनितपुर, तिनसुकिया, सिवसागर	नागांव
बिहार	हजारीबाग, नवादा	दरभंगा, दुमका, जहानाबाद, पटना, भागलपुर, खगरिया, पलामू, रोहतास, समस्तीपुर

1	2	3
गुजरात	बनासकांठा, अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, महसाना, राजकोट, सबरकांठा, बड़ौदा, सुरेन्द्रनगर	अहमदाबाद, बालसाढ़
हरियाणा	जिन्द, रोहतक, यमुना नगर	भिवानी, गुड़गांव, रेवाड़ी
केरल	कोट्टायमन, त्रिचुर, अरूणाकुल्लम, त्रिवेन्द्र, मालापुरम, इदुकी, पालाघाट, कसारगोद	कालीकट, वाईनाद, एलिपी
मध्य प्रदेश	छत्तरपुर, छिन्दवाड़ा, धार, मन्दसौर, होशंगाबाद, देवास, पन्ना, विदीशा, रायगढ़, रतलाम, सागर टीकमगढ़, शाहजहांपुर, सिरपुरी	दमोह, गुना, जबलपुर, दुर्ग, बालाघाट, मांडला, रायपुर, राजनन्दगांव, रीवा, सतना, सिद्धी, इन्दौर, सिहोर, रायसेन, टीकमगढ़. शाहजहांपुर, सिरपुरी
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, जलगांव, उसमानाबाद	अकोला, अमरावती, बुलधाना, नागपुर, संगली, बम्बई, दादर नगर हवेली
उड़ीसा	बोलंनगीर, थनकेनाल, मयूरभंज, कालाहांडी, सुरेन्द्रगढ़, पुरी, सम्बलपुर	बालासौर, कटक, फुलबनी, क्योंझर
पंजाब	शून्य	होशियारपुर, लुधियाना, रोपड़, कपूरथला
राजस्थान	झुनझुनु, पाली, सिरोही, उदयपुर	बाड़मेर
तमिलनाडु	रामनाथपुरम, कामराजार, सलेम, कोयम्बटूर	चिगलापेट, एम.जी.आर., वी.आर., पदायची
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर, रामपुर	आजमगढ़, देहरादून, मेरठ

[हिन्दी]

मत्स्य किसान विकास एजेंसी

4209. श्री चन्द्रशेखर साहू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित ताजे पानी की मत्स्यन योजना मत्स्यन किसान विकास एजेंसियों के माध्यम से लागू की जा रही है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य को वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान कितनी राशि प्रदान की गई तथा 1998-99 में अनुमानित कितनी राशि देने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) "ताजा जल जलकृषि विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, सभी 25 राज्यों तथा पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश में 1973-74 से 422 मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेश को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 1998-99 के दौरान इस योजना के तहत दी जाने वाली अनुमानित प्रस्तावित धनराशि 18.50 करोड़ रुपए है।

विवरण

1996-97 तथा 1997-98 के दौरान मत्स्य कृषक विकास एजेंसियों के माध्यम से "ताजा जल जलकृषि विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेश को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए में)

	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1996-97	1997-98
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44.00	25.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	26.00	24.00
3.	असम	46.00	38.44
4.	बिहार	शून्य	114.00
5.	गुजरात	17.00	51.00
6.	हरियाणा	28.00	25.395
7.	हिमाचल प्रदेश	2.00	3.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	2.00	11.00
9.	कर्नाटक	12.00	42.57
10.	केरल	19.00	40.00
11.	मध्य प्रदेश	100.00	227.00
12.	महाराष्ट्र	26.00	78.91
13.	मणिपुर	16.00	22.74
14.	मेघालय	2.00	35.60
15.	मिजोरम	10.00	9.50
16.	नागालैंड	105.00	40.00
17.	उड़ीसा	160.00	120.00
18.	पंजाब	42.00	50.00
19.	राजस्थान	2.00	15.00
20.	सिक्किम	2.00	5.00
21.	तमिलनाडु	13.00	16.25
22.	त्रिपुरा	16.00	16.00
23.	उत्तर प्रदेश	195.00	259.28
24.	पश्चिम बंगाल	210.00	222.56
25.	पांडिचेरी	शून्य	2.00
	कुल	1095.00	1494.245

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4210. श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री मित्रसेन यादव :
श्री विट्ठल तुपे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को राज्य-वार कितनी वित्तीय-सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) इन राज्यों ने अब तक कितनी सहायता का उपयोग किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमें केन्द्रीय स्कीमें हैं और इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना समेत प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास हेतु सहकारिताओं, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों आदि की वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकास बोर्ड

4211. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में पिछड़े लोगों के विकास के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग को बिहार सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों का वेतनमान

4212. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाप्रबंधक तथा उपप्रबंधक को छोड़कर केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल का उत्पादन

4213. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नारियल का उत्पादन करने वाले पांच प्रमुख राज्यों में उत्पादन और उत्पादिता से संबंधित अद्यतन आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में नारियल का उत्पादन और उत्पादिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) पांच अग्रणी नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता के अद्यतन उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं:-

	राज्य	1996-97	
		उत्पादन (मिलियन गिरि)	उत्पादकता (गिरी/हैक्टे.)
1.	केरल	5759.0	5727
2.	तमिलनाडु	3811.6	11621
3.	कर्नाटक	1492.5	5204
4.	आंध्र प्रदेश	685.9	7537
5.	पश्चिम बंगाल	313.1	13211

(ख) विभिन्न राज्यों में नारियल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नारियल विकास बोर्ड निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है:-

1. उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन एवं संवितरण;
2. क्षेत्र विस्तार;
3. उत्पादकता सुधार के लिए नारियल जोतों में समेकित कृषि;
4. पत्ती भक्षक कैटरपिलर का समेकित नियंत्रण।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावा, कई राज्यों में नारियल के लिए "कृषि में प्लास्टिक के उपयोग" कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना भी की जाती है।

(ग) नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल की खेती के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धन का आबंटन इस प्रकार है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	आबंटन
1995-96	2000
1996-97	6070
1997-98	1975

कृषि नीति

4214. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री पी.एस. गढ़वी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतत: फसल बीमा और किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा के प्रावधान शामिल करने के लिए नई राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो अभिप्रेत नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) व्यापक राष्ट्रीय कृषि नीति प्रारूपण के अंतिम चरण में है तथा राज्यों के परामर्श से इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

इस नीति का लक्ष्य भूमि और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंध के जरिए प्राकृतिक संसाधनों के आधार का प्रबंध तथा संरक्षण करना होगा। इससे प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय रूप से अनावक्रमण, तकनीकी रूप से दुरूस्त, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा सामाजिक रूप से ग्राह्य सुधार को बढ़ावा मिलेगा ताकि कृषि का स्थायी विकास किया जा सके। इस नीति में किसानों, खासकर छोटे और सीमान्त किसानों की क्षमता को सारणीबद्ध करने तथा उनका अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए प्रभावी फसल बीमा कवर और भूमि सुधारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

4215. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि लागत और मूल्य आयोग के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग का गठन इस प्रकार है:-

अध्यक्ष	-	1
सदस्य (सरकारी)	-	2
सदस्य (गैर-सरकारी)	-	3
सदस्य सचिव	-	1

(ख) से (घ) जी, हां। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार को कृषि जिंसों के लिए मूल्य नीति तैयार करने में मदद करती है। अब तक अनुसरण की गई कृषि नीति तथा साथ ही प्रौद्योगिकी पैकेज और सेवाओं से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा स्थायी आधार पर निवेश बढ़ाने में काफी सहायता मिली है।

बेल्जियम उपग्रह का छोड़ा जाना

4216. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को अपने पी.एस.एल.वी. प्रक्षेपण यान से ध्रुवीय कक्ष में बेल्जियम निर्मित 'प्रोबैट' उपग्रह को छोड़ने हेतु यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी से ठेका प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्षेपण की संभावित तारीख क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक विंग, एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन, ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से वेरहर्ट डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट एन.वी., बेल्जियम के साथ 100 किलोग्राम भार के एक अतिरिक्त उपग्रह प्रोबा के प्रमोचन के लिए एक प्रमोचन सेवा करार पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रोबा मिशन एक यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी की परियोजना है।

प्रोबा मिशन को सन् 2000 मध्य के दौरान पी.एस.एल.वी. मिशन द्वारा प्रमोचित किये जाने की संभावना है।

द्विपक्षीय वार्ता

4217. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष जून माह में लन्दन में हुई जी-8 देशों की बैठक में जारी की गई विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बकाया द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों संबंधी तर्क को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) इन प्रस्तावों की संक्षिप्त शर्तें क्या हैं और इन पर दोनों देशों की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार ने 12 जून, 1998 को लन्दन में हुई जी-8 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी की गई विज्ञप्ति को देखा है। सरकार ने 13 जून, 1998 को सरकारी प्रवक्ता के वक्तव्य के माध्यम से विज्ञप्ति में अपने विचारों से अवगत कराया है। वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं में किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा।

अच्छे आर्थिक संबंध

4218. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और ईरान ने आर्थिक संबंध सुधारने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो संबंध सुधारने के लिए समझौतों पर भारत और ईरान ने कहां तक हस्ताक्षर किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारत और ईरान आपसी लाभप्रद आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के लिए सभी उपलब्ध अवसरों का उपयोग करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के द्विपक्षीय सहयोग का साधन भारत-ईरान संयुक्त आयोग है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और जिसमें 6 समितियां हैं जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पेट्रोलियम में सहयोग का निरीक्षण करती हैं। इसके अतिरिक्त, भारत-ईरान वाणिज्य और उद्योग संघ और भारत-ईरान संयुक्त व्यावसायिक परिषद् भी अधिक और वाणिज्यिक सहयोग संवर्धन में जुटी हैं।

पिछले कुछ समय में जो महत्वपूर्ण करार हुए हैं ये हैं: (1) 3 जनवरी, 1995 को सम्पन्न भारत-ईरान समुद्री करार, (2) 22 फरवरी, 1997 को सम्पन्न भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सामान के अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन पर एक त्रिपक्षीय करार, (3) 5 अक्तूबर, 1997 को सम्पन्न पशु स्वास्थ्य पर भारत-ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन।

[हिन्दी]

मंत्रियों का सम्मेलन

4219. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान पशुपालन राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे; और

(ख) सरकार द्वारा आज की स्थिति के अनुसार उन प्रस्तावों के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) सम्मेलन में सर्वसम्मति से अनुमोदित प्रस्ताव विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों के दिनांक 16-17 दिसम्बर, 1996 को आयोजित सम्मेलन में सर्वसम्मति से अनुमोदित प्रस्तावों की सूची

1. सम्मेलन में राष्ट्रीय पशुधन नीति के मसौदे का व्यापक रूप से समर्थन किया।

2. ग्रामीण इलाकों में गरीबों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मौजूदा वित्तीय आवंटन राशि को दुगुना किए जाने की घोषणा की।

3. अनुसंधान और विस्तार संबंधी क्रियाकलापों को सहायता देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के समान एक भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की अलग से स्थापना की प्रतिनिधियों ने जोरदार सिफारिश की।

4. अनुवांशिक क्षमता के संवर्धन के लिए और गोपशुओं और भैंसों की स्वदेशी नसलों की उत्पादकता स्तर में वृद्धि करने के ... के सभी भागों में कम से कम 60 हजार कृत्रिम गर्भाधान ... स्थापना की सम्मेलन में सिफारिश की।

5. ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत छोड़े गए क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नौवां योजना में एक लाख अतिरिक्त डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी।

6. रुग्ण डेयरी सहकारिताओं के पुनर्वास पर जोर दिया गया ताकि वे प्रतियोगी बाजार में अर्थपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

7. भेड़ बकरी और कुक्कुट विकास के लिए सहकारी संघों की स्थापना की प्रतिनिधियों ने जोरदार सिफारिश की।

8. रियायती प्रीमियम दरों के जरिए गरीब किसानों के गैर योजना पशुओं को शामिल करने के लिए बीमा कवर के विस्तार पर जोर दिया गया।

9. सर्वसम्मति से यह मंजूर किया गया कि बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं के सुधार सबंधी जिला नियामक बाजारों को प्राथमिक आधार पर स्थापित किया जाएगा।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुचिकित्सा सेवाओं के निजीकरण के प्रस्ताव को अधिकांश प्रतिनिधियों ने समर्थन नहीं दिया जबकि स्वाभाविक बाजार ताकतें इस क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं, इस प्रस्ताव को सरकारी नीति के मामले के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

11. अधिक उत्पादकता वाले पशुओं के क्षेत्र में खुरपका और मुंहपका रोगों और पशुप्लेग के नियंत्रण के लिए और निर्यातोन्मुखी तथा आधुनिक बूचड़खानों के आस-पास में रोगमुक्त क्षेत्रों के सृजन के लिए सम्मेलन ने सिफारिश की ताकि देश में मांस और मांस उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाया जा सके।

विवरण II

राज्यों के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रियों के दिनांक 16-17 दिसम्बर, 1996 को आयोजित सम्मेलन में आम सहमति से अनुमोदित प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

1. सम्पूर्ण राष्ट्रीय कृषि नीति की परिधि के भीतर राष्ट्रीय पशुधन नीति का निर्धारण करना एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें राज्य सरकारों तथा संबंधित सभी अन्य विभागों/एजेंसियों से विस्तृत परामर्श करना होता है। राष्ट्रीय पशुधन नीति का निर्धारण करने के लिए सरकार अपेक्षित उपाय कर रही है।

2. पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने नौवीं योजना के लिए 3150.57 करोड़ के प्रस्ताव तैयार किए थे। नौवीं योजना के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विकास के क्षेत्र के लिए योजना आयोग ने 1072.18 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है।

इसके अलावा, नौवीं योजना के दौरान मात्स्यिकी के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के बजट से 605.70 करोड़ रुपए का हस्तान्तरण किया गया है।

3. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना के लिए एक मंत्रिमंडलीय टिप्पणी तैयार की गई थी तथा उसे परिचालित किया गया था। सचिवों की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक संशोधित टिप्पणी तैयार की जा रही है।

4. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार (आठवीं योजना में 19.75 करोड़ रुपए की तुलना में नौवीं योजना में 200 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सांड उत्पादन नामक योजनाओं के लिए और अधिक आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, इन योजनाओं को नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली प्रस्तावित गोपशु तथा भैंस प्रजनन संबंधी विस्तृत परियोजनाओं में सम्मिलित किया जा रहा है जिसके प्रजनन कार्यक्रमों की कार्यात्मक क्षमता में सुधार लाया जा सके तथा कृत्रिम गर्भाधान पद्धति में उन्नयन किया जा सके।

5. भारत सरकार ने नौवीं योजना के लिए 50.00 करोड़ रुपए तथा 1998-99 के लिए 4.00 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ ऑपरेशन फ्लड में जिलों में किन्तु ऑपरेशन फ्लड में वास्तव में

शामिल नहीं क्षेत्रों में 25000 ग्रामीण स्तर डेयरी सहकारी समितियों का गठन करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है, इसके अलावा सरकार गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में आई.डी.डी.पी. नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना स्कीम को पहले से ही क्रियान्वित कर रही है जिसमें लगभग 7900 ग्राम्य स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने की व्यवस्था है जिसमें से 4000 से भी अधिक डेयरी सहकारी समितियों 31.3.98 तक गठित की जा चुकी हैं।

6. "सहकारिताओं को सहायता" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की प्रस्तावित योजनागत स्कीम जिसका लक्ष्य दुग्ध सहकारी संघों का पुनर्वास है तैयार कर ली गई है तथा व्यय सचिव की सुविधा मिलने के बाद व्यय वित्त समिति के समक्ष उसे विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

7. (1) नौवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्य कुक्कुट सहकारी संघों और अन्य संगठनों की सहायता के लिए विभाग ने एक योजना बनाई थी। तथापि, योजना आयोग इस योजना के पक्ष में नहीं था।

(2) इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए नौवीं योजना में भेड़/बकरी विकास बोर्ड की स्थापना की एक योजना शुरू की गई है।

8. पूरक प्रीमियम दरों पर गरीब किसानों के गैर योजनागत गोपशुओं को कवर करने के लिए जी.आई.सी. और राज्य सरकारों के परामर्श से एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय नियत किया गया है।

9. पशुपालन और डेयरी विभाग ने नौवीं योजना के दौरान विनियमित बाजारों के विकास के लिए एक योजना बनाई थी। तथापि, योजना आयोग इस योजना के पक्ष में नहीं था।

10. राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार पशुचिकित्सा सेवाओं के निजीकरण संबंधी नौवीं योजना प्रस्ताव को छोड़ दिया गया।

11. रोगमुक्त क्षेत्र, पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता नामक चल रही केन्द्रीय प्रवर्तित योजना का एक उप घटक है।

खुरपका तथा मुंहपका रोग और पशुप्लेग पर नियंत्रण रखने के लिए "रोग मुक्त क्षेत्र" नामक एक अलग परियोजना को नौवीं योजना अवधि के तहत शुरू किए जाने के लिए योजना आयोग ने पहले ही मंजूरी दे दी है। वर्ष 1998-99 में इस परियोजना के लिए 50 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड

4220. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में जल के विश्वसनीय स्रोत का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों सहित विभिन्न भागों में भू-जल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण किये हैं। बोर्ड द्वारा किए गये आकलन के अनुसार, उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन नीचे दिए गए हैं:-

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मि.हे.मी./वर्ष)
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.14385
2.	असम	2.47192
3.	मणिपुर	0.31540
4.	मेघालय	0.05397
5.	मिजोरम	अनुमान नहीं लगाया
6.	नागालैंड	0.07240
7.	त्रिपुरा	0.06634

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं

4221. **श्री मुकुल वासनिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश की बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार विस्तार, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) देश में चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उनके स्वयं के संसाधनों द्वारा किया जाता है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वृहद परियोजनाएं	मध्यम परियोजनाएं	ई.आर.एम. परियोजनाएं
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	20	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	4	9	4
4.	बिहार	16	29	5
5.	गोवा	2	1	-
6.	गुजंरात	9	9	8
7.	हरियाणा	3	-	6
8.	हिमाचल प्रदेश	1	-	1
9.	जम्मू व कश्मीर	1	9	5
10.	कर्नाटक	14	15	5

1	2	3	4	5
11.	केरल	7	5	–
12.	मध्य प्रदेश	25	32	4
13.	महाराष्ट्र	36	66	6
14.	मणिपुर	2	2	–
15.	मेघालय	–	1	–
16.	मिजोरम	–	–	–
.17.	नागालैंड	1	–	–
18.	उड़ीसा	6	14	17
19.	पंजाब	1	1	8
20.	राजस्थान	–	6	20
21.	सिक्किम	8	–	–
22.	तमिलनाडु	–	2	2
23.	त्रिपुरा	–	3	–
24.	उत्तर प्रदेश	18	3	10
25.	पश्चिम बंगाल	4	17	4
	कुल	170	244	110

मात्स्यिकी विकास

4222. **श्रीमती जयंती पटनायक :**
श्री मोेश कनोडिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मात्स्यिकी विकास के लिए काफी संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो मात्स्यिकी विकास करने के लिए राज्यवार कितने क्षेत्रों की पहचान की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(घ) समुद्री मात्स्यिकी, अंतस्थलीय स्वच्छ जल मात्स्यिकी और खारा जल मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी राज्यवार उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) जी, हां। मात्स्यिकी के विकास के लिए राज्यवार चुने गए अनुमानित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है। उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण I

भारत के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	कंटीनेंटल शेल्फ (000 वर्ग कि.मी.)	तट रेखा की अनुमानित लम्बाई (किलोमीटर)
1.	आंध्र प्रदेश	31	974
2.	गोवा	10	104
	गुजरात	164	1600
4.	कर्नाटक	27	300
5.	केरल	40	590
6.	महाराष्ट्र	112	720
7.	उड़ीसा	24	480
8.	तमिलनाडु	41	1000
9.	पश्चिम बंगाल	17	157
10.	अंडमान एवं निकोबार	35	1912
11.	पांडिचेरी	1	45
12.	लक्षद्वीप	4	132
13.	दमन एवं दीव	0	27
	कुल	506	8041

विवरण II

अंतर्देशीय जल संसाधन

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित अंतर्देशी जल संसाधन				
		नदियों की लंबाई (कि.मी.)	जलाशयों का क्षेत्र (लाख है.)	टैंकों और तालाबों के तहत क्षेत्र (लाख है.)	बील्स ऑक्स बो तालाब एव परित्यक्ता जल निकाय (लाख है.)	खारा जल (लाख हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11514	2.34	5.17	–	1.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	2000	–	0.01	0.03	–
3	असम	4820	0.55	0.21	1.10	–
4.	बिहार	3200	0.60	0.95	0.05	–
5.	गोवा	250	0.03	0.03	–	0.19
6.	गुजरात	3865	2.43	0.71	–	3.76
7.	हरियाणा	5000	नगण्य	0.10	0.10	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3000	0.40	0.01	–	–
9.	जम्मू एवं कश्मीर	27781	0.07	0.17	0.06	–
10.	कर्नाटक	9000	2.11	3.52	–	0.08
11.	केरल	3092	0.30	0.03	–	0.65
12.	मध्य प्रदेश	20661	2.91	1.17	–	–
13.	महाराष्ट्र	3200	2.79	0.32	–	0.80
14.	मणिपुर	3360	0.01	0.05	0.40	–

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय	5600	0.08	0.02	नगण्य	-
16.	मिजोरम	1748	-	0.02	-	-
17.	नागालैंड	1600	0.17	0.50	नगण्य	-
18.	उड़ीसा	4500	2.56	0.64	1.80	0.32
19.	पंजाब	15270	नगण्य	0.07	-	-
20.	राजस्थान	उ.न.	1.20	1.80	-	-
	सिक्किम	900	-	-	0.03	-
22.	तमिलनाडु	7420	0.53	2.24	5.24	0.56
23.	त्रिपुरा	1200	0.05	0.12	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	31200	1.50	1.62	1.33	-
25.	पश्चिम बंगाल	2526	0.17	2.76	0.42	4.05

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

असम में बाढ़

4223. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में असम के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा के कारण आई बाढ़ से जान और फसलों को हुई क्षति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि मांगी गई और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी प्रदान की गई;

(घ) क्या गत वर्ष आई बाढ़ के कारण राज्य में टूटे हुए तटबंधों की धनराशि की कमी के कारण अब तक मरम्मत नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो गत वर्ष टूटे तटबंधों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि मांगी गई और इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 10 जून, 1998 से आरम्भ हुई बाढ़ की पहली कड़ी के दौरान 18 जिले भिन्न-भिन्न स्तर पर भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्राथमिक मूल्यांकन के अनुसार इस बाढ़ से 65 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें 51 की मृत्यु भू-स्खलन से हुई, तथा लगभग 0.82 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र की क्षति हुई।

(ग) मौजूदा प्रणाली के अंतर्गत, राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाएं आने पर आपदा राहत कोष, जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार 3:1 के अनुपात में अंशदान देती हैं, की धनराशि में से राहत और पुनर्वास उपाय करने होते हैं। केन्द्रीय अंश चार बराबर तिमाही किश्तों में निर्मुक्त किया जाता है। विरल गम्भीरता की आपदा आने पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

असम राज्य के पास वर्ष 1998-99 के लिये आपदा राहत कोष में 55.47 करोड़ रुपये का आबंटन है जिसमें 41.60 करोड़ रुपये केन्द्रीय अंशदान के तथा 13.87 करोड़ रुपये राज्य अंशदान के हैं। आपदा राहत कोष में कुल 20.80 करोड़ रुपये की दो केन्द्रीय किश्तें राज्य सरकार को पहले ही दी जा चुकी हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता की मांग हेतु कोई विस्तृत ज्ञापन अभी तक नहीं मिला है।

(घ) राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय के ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण उपाय करने के लिये 1997-98 के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता के अंतर्गत असम सरकार को 18.00 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की। 1998-99 के दौरान, इस प्रयोजन के लिये 18.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा संसाधन जुटाना

4224. श्री डी.एस. अहिरे :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक मात्रा में संसाधन जुटाने में असफल रहने के कारण विभिन्न विकास कार्यक्रम रूक गए हैं तथा केन्द्र सरकार पर वित्तीय भार बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो आवश्यक मात्रा में संसाधन जुटाने में असफल रहे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कई राज्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उनके द्वारा अनुमानित संसाधनों को जुटा नहीं पाए हैं। प्रमुख राज्यों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संसाधन जुटाव में असफलता के कारण राज्यों में कई विकास कार्य रूक गए होंगे। परन्तु, उससे केन्द्र सरकार पर वित्तीय भार नहीं बढ़ा है। वे राज्य जो संसाधन जुटाव में असफल रहे हैं, उन्हें अपने संसाधन जुटाव के प्रयासों में सुधार लाने की आवश्यकता बताई गई है।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1991-92 की कीमतों पर प्रमुख राज्यों के स्वयं के संसाधनों का अनुमान एवं जुटाव

(करोड़ रुपये)

क्रमांक	राज्य	अनुमान	जुटाव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3365.02	2050.82
2.	बिहार	5051.84	-1685.05
3.	गोवा	459.80	414.21
4.	गुजरात	7650.21	5857.07
5.	हरियाणा	3780.72	1731.83
6.	कर्नाटक	8108.51	7671.65
7.	केरल	1520.03	3015.91
8.	मध्य प्रदेश	5455.38	3744.83
9.	महाराष्ट्र	13251.79	15690.82
10.	उड़ीसा	3881.14	1100.50
11.	पंजाब	-3344.57	728.21

1	2	3	4
12.	राजस्थान	5552.12	2412.17
13.	तमिलनाडु	1653.75	4037.39
14.	उत्तर प्रदेश	4456.87	2624.26
15.	पश्चिम बंगाल	3071.30	810.03
	जोड़	63913.91	50204.65

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाएं

4225. श्री प्रदीप कुमार यादव :
श्री मित्रसेन यादव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप होने वाली करोड़ों रुपए की जानमाल की हानि के कारण देश को गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार आग, बाढ़ समुद्री तूफान इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जानमाल की हानि से बचने के लिए वैज्ञानिकों और संबंधित विशेषज्ञों के परामर्श से कोई उपाय ढूंढ़ने पर विचार कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां। प्राकृतिक आपदाओं से जीवन की हानि होती है और सम्पत्ति को भी भारी क्षति होती है, जो कि ऐसी आपदा की तीव्रता पर निर्भर करती है।

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और संस्थानों जैसे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, अंतरिक्ष तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान एवं भवन सामग्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन परिषद के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ ऐसे तरीके की खोज में सतत् रूप से लगे हुए हैं जिससे कि नवीनतम कला प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके आग, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के विपरीत प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके। भारत सरकार भी आपदाओं से लड़ने की तैयारी करने और इनके प्रभावों का शमन करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रभावी सामुदायिक जागरूकता और जन भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

[अनुवाद]

रूस के साथ संबंध

4226. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :
श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सहमत हो गए हैं तथा 1994 की मास्को घोषणा में परिलक्षित दोनों देशों के बीच बेहतर आपसी समझ-बूझ की परम्परा को और मजबूत करने के संकल्प को दोहराया है;

(ख) क्या सरकार रूस के साथ संबंधों को बेहतर बनाने तथा रूस को द्विपक्षीय व्यापार में सहायता देने के लिए काफी उत्सुक है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कौन सी कार्ययोजना तैयार की गई है; और

(घ) भारत तथा रूस किन क्षेत्रों में अपने संबंधों को सुदृढ़ बना रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) भारत और रूस ने परंपरागत रूप से हार्दिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखा है और वे बहुलवादी राज्यों के हितों के संरक्षण से संबद्ध 1994 की मास्को घोषणा के प्रति वचनबद्ध हैं। सरकार के प्रयास रूस के साथ भारत के घनिष्ठ और बहुफलकीय संबंधों को एक ठोस आधार पर और अधिक मजबूत बनाने के प्रति निर्देशित हैं। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन को यथेष्ट महत्व देते हैं। व्यापारिक, आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अन्तर सरकारी आयोग द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के संवर्धन के लिए एक छत्र निकाय का काम करता है। इसके ग्यारह कार्यदल व्यापार एवं

अर्थव्यवस्था, विद्युत, धातुर्विज्ञान, पैट्रोलियम, कोयला, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, पर्यावरण, संस्कृति और क्षेत्रों के बीच सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हैं। इस आयोग का पिछला अधिवेशन दिसंबर, 1997 में हुआ था और आगामी अधिवेशन 1998 के अन्त में आयोजित किया जाना है। कार्यदल के अधिवेशनों के साथ-साथ यह द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबद्ध लम्बित मसलों को हल करने तथा ऐसे सहयोग की नई दिशाओं का पता लगाने में सहायता करता है। रूस के साथ भारत के संबंध परस्पर हित के सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

चावल की संकर किस्म

4227. **श्री चन्द्रशेखर साहू** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान चावल की संकर किस्म के विकास पर अनुसंधान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में चावल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में संकर चावल के अनुसंधान का कार्य कर रहा है जिसमें बासमती चावल की संकर किस्मों के विकास पर प्रमुख जोर दिया जा रहा है।

(ख) आरम्भ में खासकर संकर किस्मों के विकास के लिए जनक वंशक्रम के विकास पर ही अनुसंधान प्रयास किये गये। परिणामस्वरूप संस्थान द्वारा बासमती चावल के दो कोशिका द्रव्यात्मक नर बंध्य वंशक्रमों (पूसा 3 ए और पूसा 4 ए) और गैर-बासमती चावल के एक नर बंध्य वंशक्रम (पूसा 5 ए) का विकास किया गया है। साथ ही पुनरुद्धारक वंशक्रमों का विकास भी किया गया है।

वर्ष 1997 के दौरान बासमती की चार संकर किस्मों को पहली बार राष्ट्रीय समन्वित परीक्षण में आजमाया गया था। खेतों में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत इन किस्मों का परीक्षण करने में दो वर्ष और लगेंगे।

संस्थान द्वारा विकसित गैर-बासमती चावल की सात संकर किस्मों का सन् 1997 में राष्ट्रीय परीक्षणों में परीक्षण किया गया। सन् 1998 के दौरान, राष्ट्रीय परीक्षणों के तहत 14 पुरानी और एक नई किस्म का परीक्षण किया गया।

(ग) यदि वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान भी अनुकूल पैदावार होती है तो इन्हें जारी किया जायेगा। अपनाये गये क्षेत्र में आमतौर पर किस्मों में 15% तक उत्पादकता बढ़ने की संभावना है।

[अनुवाद]

द्विपक्षीय वार्ता

4228. **श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने परस्पर हित के मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के ढाका में किए गए भारत के प्रस्ताव का कोई उत्तर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा दिए उत्तर के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जून, 1997 में इस्लामाबाद में हुई अपनी बैठक में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने बातचीत के लिए आठ विषय निर्धारित किए थे। ये थे : (क) विश्वासोत्पादक उपाय सहित शान्ति और सुरक्षा; (ख) जम्मू और कश्मीर; (ग) सियाचीन; (घ) वुल्लर बांध/तुलबुल नौवहन परियोजना; (ङ) सर क्रीक; (च) आतंकवाद और नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार; (छ) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग; और (ज) विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदानों का संवर्धन। उन्होंने बातचीत प्रक्रिया की रूप-रेखा के बारे में भी चर्चा की थी किन्तु वे किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके थे। ये चर्चाएं जारी रही और विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इस वर्ष जनवरी में ढाका में बंगलादेश-भारत-पाकिस्तान व्यवसाय संबंधी शिखर-सम्मेलन की पूरक कार्यवाहियों में विदेश सचिवों की मुलाकात के दौरान भारत ने और सुझाव दिए थे। हमने एक ऐसे सरल दृष्टिकोण का सुझाव दिया था जिसके अन्तर्गत सभी विषयों पर एक साथ बातचीत हो। इससे यह सुनिश्चिय होगा कि बातचीत रचनात्मक, व्यापक और स्थायी रूप में आगे बढ़े। पाकिस्तान ने बदले में अपने सुझाव दिए हैं। पाकिस्तानी दृष्टिकोण

पर हमें आपत्तियां हैं। इन मुद्दों पर हमारे बीच क्रिया-कलाप जारी रहेंगे।

[हिन्दी]

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

4229. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रति एक हजार दुधारू गायों तथा भैंसों को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक इकाई के लिए 60 हजार नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने का है ताकि देश में किसानों को ये सुविधाएं आसानी से मिल सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और सरकार का प्रस्ताव है कि 1000 प्रजनन योग्य गायों तथा भैंसों के लिए एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोला जाए तथा गर्भाधान सुविधाएं किसानों के घर तक पहुंचे। अनुमानित 107 मिलियन वयस्क गायों तथा भैंसों में से लगभग 75000 प्रजनन योग्य मानी गई हैं और इन्हें मौजूदा 40000 केन्द्रों के अलावा 35000 नए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलकर उनमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाएं

4230. श्री नरेश पुगलीया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1997-98 के दौरान असामयिक वर्षा आने के कारण महाराष्ट्र में संतरे की लगभग पूरी फसल नष्ट हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र के संतरा उत्पादकों को कोई राहत अथवा मुआवजा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

4231. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा आज की तिथि तक तैयार की गई और सरकार को प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजना रिपोर्टों को केन्द्र सरकार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी मंजूरी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(घ) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा प्रत्येक परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय कुल कितने निवेश की अभिकल्पना की गई थी और उसके बाद लागत में कितनी वृद्धि हुई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने (1) असम में पगलदिया, (2) मणिपुर-मिजोरम सीमा पर तिपाईमुख बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की हैं।

(ख) से (घ) 480 करोड़ रु. की लागत वाली पगलदिया परियोजना को जिसे 1997 के मूल्य स्तर पर 522 करोड़ रु. कर दिया गया है, केन्द्र सरकार ने तकनीकी आर्थिक और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 2.899 करोड़ रु. लागत वाली तिपाईमुख बांध परियोजना को भी कुछ शर्तों के आधार पर तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। असम, मणिपुर और मिजोरम जैसे लाभग्राही राज्यों के बीच समझौता न होने के कारण यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी।

परमाणु क्षेत्र में भारत-अमरीकी सहयोग

4232. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका के वैज्ञानिकों ने परमाणु सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) यू.एस. न्यूक्लियर रेग्यूलेटरी कमीशन (एन.आर.सी.) के अध्यक्ष के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के दौरे के दौरान तीन नाभिकीय सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के बारे में भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) और यू.एस. एन.आर.सी. के बीच सहकार की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। यू.एस.एन.आर.सी. ने इन परियोजनाओं पर आगे और आपसी विचार-विमर्श के लिए सितंबर-अक्तूबर 1998 में ए.ई.आर.बी. के प्रतिनिधि-मंडल को अमरीका के दौरे पर आमंत्रित किया था। 11 और 13 मई, 1998 को किए गए परमाणु परीक्षणों के बाद यू.एस.एन.आर.सी. के अध्यक्ष ने सूचित किया कि इन परियोजनाओं पर और आगे की कार्रवाई रोक दी गई है।

रंगीन पिक्चर ट्यूबें

4233. श्री डी.एस. अहिरे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रंगीन पिक्चर ट्यूबों की मांग और पूर्ति में व्यापक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो रंगीन पिक्चर ट्यूबों की वास्तविक मांग और पूर्ति कितनी है;

(ग) सरकार ने इसकी मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) रंगीन ट्यूबों के उत्पादन के मामले में देश कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) देश 14 इंची, 20 इंची एवं 23 इंची रंगीन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण में आत्मनिर्भर हैं। वर्ष 1997 में 32 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों की मांग की तुलना में इनकी प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में 64 लाख नग प्रतिवर्ष थी। केवल बड़े आकार की पिक्चर ट्यूबों (25' इंची, 29 इंची एवं इससे अधिक) की मांग एवं आपूर्ति में ही अन्तर है। इस समय बड़े आकार की पिक्चर ट्यूबों (25 इंची, 29 इंची एवं इससे अधिक) की मांग इतनी कम है कि देश में इनका उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग

4234. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं की कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय योजना के अंतर्गत सहायता राशि समायोजित करने के लिए अनुकरण किए गए सामान्य सिद्धांत का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) योजना के अंतर्गत राज्य नई स्कीमें शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे योजना स्कीम के रूप में शर्त पूरी करती हों और वर्तमान स्कीमों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया हो। योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना परिचर्चाओं के दौरान राज्य योजना स्कीमों की एक सामान्य समीक्षा की जाती है। राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यों का वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत राज्यों को पूर्ण केन्द्रीय सहायता दी जाती है यदि उनका कुल व्यय अनुमोदित/संशोधित अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्ययों के अनुरूप हो। यदि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (चुनी गई विधायिका सहित) का कुल योजना व्यय अनुमोदित परिव्यय/संशोधित अनुमोदित परिव्यय किसी विशेष वर्ष में कम हो जाता है अथवा यदि निर्धारित सेक्टर/स्कीमों का व्यय उनके लिए निर्धारित परिव्यय से कम हो जाता है तो सामान्य केन्द्रीय सहायता में एक आनुपातिक कटौती की जा सकती है। तथापि, विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में कटौती गैर-योजना अंतर को पूरा करने के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के अनुमेय स्तर के विचलन की अनुमति के पश्चात् लागू की जानी चाहिए, संघ राज्य क्षेत्रों (विधायिका रहित) के मामले में उनकी योजना पूर्णत: केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्त पोषित की जाती है जो उपयोगिता के आधार पर प्रदान की जाती है।

विवरण

वार्षिक योजना 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान अनुमोदित परिव्यय/संशोधित परिव्यय/वास्तविक व्यय—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रु.)

क.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1995-96			वार्षिक योजना 1996-97			वार्षिक योजना 1997-98	
		मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक परिव्यय	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3159.00	2510.64	2696.03	2989.00	2550.00	*	3579.55	3586.30
	णाचल प्रदेश	471.00	439.30	432.91	520.00	457.17	450.93	600.00	517.36
3.	असम	1418.00	1202.00	1203.98	1434.00	1216.25	1040.32	1510.28	1324.08
4.	बिहार	2500.00	972.00	981.86	2143.91	1649.00	*	2268.42	1796.19
5.	गोवा	210.00	194.49	197.25	250.00	196.34	199.13	230.56	185.99
6.	गुजरात	2486.00	2610.00	2598.57	3378.00	3378.00	3080.14	4509.62	4509.62
7.	हरियाणा	1250.00	1225.00	1120.06	1433.65	1370.02	*	1576.04	1400.00
8.	हिमाचल प्रदेश	750.00	835.00	850.91	900.50	915.36	*	1008.00	1220.20
9.	जम्मू व कश्मीर	1050.00	1053.25	1023.72	1250.00	1254.00	*	1551.81	1629.81
10.	कर्नाटक	3575.00	3100.00	3390.85	4360.00	3700.00	*	4153.59	4179.16
11.	केरल	1550.00	1563.00	1591.00	2207.27	2207.27	2106.72	2851.10	2698.66
12.	मध्य प्रदेश	2900.00	2572.32	2560.23	3144.80	2870.46	2759.71	3718.15	2700.80
13.	महाराष्ट्र	5907.00	6408.85	6206.26	8319.67	7650.05	6856.77	8393.19	8393.19
14.	मणिपुर	300.00	290.42	286.29	350.00	355.44	*	410.00	382.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मेघालय	306.52	255.67	241.60	370.00	271.40	253.87	382.00	260.00
16.	मिजोरम	227.00	234.00	233.41	281.00	276.02	286.78	290.00	304.94
17.	नागालैंड	240.00	195.00	199.94	290.00	241.23	267.53	291.00	258.00
18.	उड़ीसा	1650.00	1520.00	1370.52	2205.50	2156.24	*	2529.46	2121.08
19.	पंजाब	1675.00	1501.83	1588.99	1857.05	1250.00	*	2100.01	1940.00
20.	राजस्थान	3200.00	3200.00	3162.42	3310.49	3310.49	*	3514.42	4259.39
21.	सिक्किम	192.00	180.82	165.40	192.00	194.00	193.42	220.00	222.00
22.	तमिलनाडु	3200.00	3200.00	3282.12	3719.05	3719.75	3719.75	4004.90	4009.90
23.	त्रिपुरा	350.00	298.39	307.31	370.00	346.91	*	439.91	407.18
24.	उत्तर प्रदेश	5477.50	4027.40	4211.25	6549.03	5181.74	*	7246.57	5200.14
25.	पश्चिम बंगाल	2065.00	2082.00	2141.38	3158.63	2300.00	*	3907.62	2310.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	215.00	215.00	193.89	225.00	222.30	*	261.84	261.84
27.	चण्डीगढ़	100.00	100.00	99.56	105.34	105.34	100.33	116.87	116.87
28.	दादरा व नगर हवेली	29.00	29.00	27.64	30.09	30.09	30.09	34.71	34.71
29.	दमन और दीव	23.00	23.00	22.80	23.91	23.91	23.86	27.71	27.71
30.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1720.00	1720.00	1298.25	2102.94	1931.94	1879.88	2073.00	2073.00
31.	लक्षद्वीप	36.60	38.60	26.73	40.07	40.07	*	45.78	44.61
32.	पांडिचेरी	175.52	175.52	173.59	200.66	200.66	*	219.85	218.00
	कुल जोड़	48410.14	43972.50	43886.73	57711.56	51670.75		64065.96	58591.95

टिप्पणी : वार्षिक योजना 1996-97 के संबंध में वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथा सूचित प्रत्याशित व्यय दिया गया है।

*सूचित नहीं किया गया।

1997-98 के संबंध में वास्तविक/प्रत्याशित व्यय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

अरब सेटेलाइट आपरेटिंग कम्पनी से सेटेलाइट की खरीद

4235. श्री अशोक अर्गल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरब सेटेलाइट कम्पनी (अरब सेट) ने भारत को उपग्रह बेचने संबंधी समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यह सेटेलाइट कब तक कार्य करना आरंभ कर देगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) अरबसैट-1सी अन्तरिक्षयान को कक्षा में 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि से खरीदा गया था, जिसमें [illegible] वर्षों की अवधि के दौरान 4 मिलियन अमरीकी डालर का [illegible]दन भुगतान शामिल है। भारत सरकार और अरबसैट संगठन [illegible] करार पर दिल्ली में नवम्बर 26, 1997 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) उपग्रह को जनवरी 17, 1998 को 55 डिग्री पूर्व की कक्षा में स्थापित किया गया था और यह सन्तोषप्रद रूप में कार्य कर रहा है। इसे इन्सैट-2डीटी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

20-सूत्री कार्यक्रम

4236. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था तथा उसकी पुनर्संरचना दो बार की गई है-एक बार 1982 में तथा उसके बाद 1986 में तथापि जब भी आवश्यकता होती है, इसकी समीक्षा की जाती है।

(ग) वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता नहीं प्रदान की गई। तथापि वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को 10.79 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।

विवरण

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति

मद सं.	मद का नाम	इकाई	1996-97			1997-98		
			लक्ष्य	उप.	उप. का %	लक्ष्य	उप.	उप.का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01ख	जवाहर रोजगार योजना	संख्या	60321000	65818000	109	56171000	59949000	107
05क	अधिशेष भूमि का वितरण	एकड़	5000	4870	97	5000	6233	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
07क	पेयजल समस्या (गांव/मोहल्ले)	संख्या	20245	20424	101	24272	37288	154
08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	संख्या	27	5	19	27	0	0
08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी.पी.टी., पोलियो और बी.सी.जी.)	संख्या	5090700	5150000	101	5078400	5447000	107
09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड प्रचालन (संचयी)	संख्या	580	580	100	580	580	100
09घ	आंगनवाड़ी (संचयी)	संख्या	53450	32482	61	53450	34259	64
11क	सहायता प्राप्त अनु. जाति परिवार	संख्या	326000	322009	99	326000	283342	87
11ख	सहायता प्राप्त अनु.जनजाति परिवार	संख्या	4725	5292	112	4760	4328	91
14ग	इंदिरा आवास योजना	संख्या	241251	119775	50	136645	121966	89
14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान	संख्या	10200	2076	20	14000	14000	100
14ङ	निम्न आय वर्ग को आवास	संख्या	5100	1956	38	1500	1296	86
15	गंदी बस्तियों का सुधार	संख्या	150000	117288	78	156000	85270	55
16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	संख्या	220000000	212124000	96	220000000	197770000	90
16ख	शामिल क्षेत्र-सार्व. एवं वन भूमि	हेक्टेयर	110000	92790	84	110000	88052	80
19क	विद्युतीकृत गांव	संख्या	480	1146	239	500	814	163
19ख	शक्तिचालित पंपसेट	संख्या	16500	15271	93	14100	11315	80
19ग	उन्नत चूल्हे	संख्या	240000	225789	94	230000	228371	99
19घ	बायो-गैस संयंत्र	संख्या	11000	11057	101	12000	12040	100

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान

4237. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बाढ़ तथा भूक्षरण एवं बार-बार पड़ने वाले भयानक सूखे को नियंत्रित करने हेतु भूटान तथा अरूणाचल प्रदेश से असम क्षेत्र में बहने वाली कई नदियों पर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने के मास्टर प्लान पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्लान के किस समय तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ प्रबंधन के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की हैं इसमें भूटान और अरूणाचल प्रदेश से असम क्षेत्र में बहने वाली नदियां शामिल हैं। इन मास्टर योजनाओं को योजना आयोग द्वारा राज्य बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के तहत आवंटन निधियों से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों को भेज दिया गया है। इन मास्टर योजनाओं का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों में जल संसाधनों का एकीकृत विकास करना भी है जिसके लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में कई बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का अन्वेषण प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

चालकों के लिए भर्ती नियम

4238. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के चालकों के विद्यमान वेतनमानों तथा भर्ती नियमों के संबंध में अलग-अलग विभागों द्वारा भिन्न-भिन्न मापदंड अपनाने के कारण उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार की क्या नीति है:

(ग) क्या सरकार द्वारा दुर्घटना में विकलांग हुए चालकों को नियुक्त करने के कोई प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या सरकारी वाहनों के लिए ''व्यापक बीमा'' तथा चालकों के लिए ''अतिरिक्त बीमा'' की किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालकों को प्रचालन स्टाफ घोषित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार में वाहन चालकों/स्टाफ-कार-चालकों का कोई केन्द्रीकृत संवर्ग नहीं है। इस विभाग ने भारत-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत स्टाफ कार चालकों के लिए मॉडल भर्ती नियम तथा पदोन्नति योजना निर्धारित की है, अन्य मोटर-वाहन चालकों के संबंध में भर्ती-नियम, वेतनमान इत्यादि, पद विशेष तथा कार्य विशेष के अनुसार होते हैं। स्टाफ-कार चालकों के मौजूदा वेतनमानों तथा मॉडल भर्ती नियमों के संबंध में कोई विसंगति भारत सरकार की जानकारी में नहीं आयी है।

(ग) असमर्थता अथवा अशक्तता के मामले में संगत नियमों/अनुदेशों के अंतर्गत केन्द्र-सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली राहत/प्रसुविधाएं, जिनमें किसी अन्य उपयुक्त पद पर नियुक्ति किए जाने पर विचार करना भी शामिल है, वाहन चालकों/स्टाफ कार चालकों के संबंध में भी समान रूप से लागू होती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) मॉडल भर्ती नियमों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत स्टाफ कार चालक सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह-ग-अराजपत्रित अननुसचिवीय के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

फल और सब्जी उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन

4239. श्री फ्रांसिस्कों सारदीना :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने फल और सब्जी उत्पादनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों की परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(घ) क्या लंबी प्रक्रिया के कारण इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में असाधारण विलंब हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से मंजूरी की शक्ति राज्य सरकारों को प्रदत्त करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र और गोवा की सरकारों को दिए जा रहे समर्थन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों तथा लाभानुभोगियों के प्रस्ताव संबंधित संगठनों में जांच के पश्चात्, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मामले में कार्यकारी निदेशक/प्रबन्ध समिति द्वारा तथा अपेडा के मामले में अध्यक्ष/निदेशक/कार्यकारी समिति, जैसी स्थिति हो, द्वारा मंजूर किये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) अन्य राज्यों के साथ गोवा तथा महाराष्ट्र विवरण में उल्लिखित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता का लाभ उठाते हैं।

विवरण

ख.1. कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) की स्कीमें

1. व्यवहार्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, परामर्श सेवायें, तथा डाटा आधार के उन्नयन के लिये योजनायें।
2. गुणवत्ता तथा गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिये सहायता देने संबंधी योजना।
3. पैकेजिंग विकास के लिये योजना।
4. व्यापार तथा उद्योग के संयुक्त लाभ के लिये अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से अपेड़ा द्वारा प्रासंगिक अनुसंधान तथा विकास का सृजन करने के लिये योजना।
5. अवसंरचना विकास संबंधी योजना।
6. संगठन के निर्माण तथा मानव संसाधन विकास के लिये योजना।

ख. 2 राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनायें :-

1. बागवानी फसलों की कटाई पश्चात् अवसंरचना के लिये समेकित प्रबन्ध परियोजना।
2. उदार ऋण में भागीदारी के जरिये बागवानी उत्पादों के विपणन के विकास से संबंधित योजना।
3. बागवानी में नई प्रौद्योगिकियों तथा अवधारणाओं का प्रयोग।
4. बागवानी उत्पादों के लिये मण्डी आसूचना सेवा योजना।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक तत्व बगीचों की स्थापना।
6. बागवानी के विकास के लिये व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता की मंजूरी।
7. बागवानी उत्पादकों के प्रशिक्षण तथा दौरों के जरिये प्रौद्योगिकी का अंतरण।
8. बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन/सर्वेक्षण।

कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा

4240. श्री वैको : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग जोनल आधार पर परीक्षाएं ले रही है;

(ख) क्या इन परीक्षाओं के "कट ऑफ मार्क्स" प्रत्येक जोन में अलग-अलग होते हैं;

(ग) क्या दक्षिणी जोन के "कट ऑफ मार्क्स" अन्य जोनों के "कट ऑफ मार्क्स" की अपेक्षा अधिक होते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पूरे भारत के लिए संयुक्त योग्यता सूची बनाने का है जिससे कि प्रतिभावान उम्मीदवारों का चयन किया जा सके जोकि उच्च "कट ऑफ" प्रतिशतता के कारण छूट जाते हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) से (घ) कर्मचारी-चयन-आयोग, 1996 तक, कुछ पदों के संबंध में क्षेत्रीय आधार पर परीक्षाएं आयोजित कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सी.ए. सं. 4190/95-राधेश्याम तथा अन्य बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय कि चयन अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर किया जाना है, के परिणामस्वरूप उपर्युक्त आयोग ने क्षेत्रीय आधार पर भर्ती करनी बंद कर दी है।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करना

4241. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विशेष रूप से नासिक, खेड़, पुणे और धूले चुनाव क्षेत्रों में 1997-98 के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) शेष धनराशि का कैसे उपयोग किया गया;

(ग) क्या 1998-99 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राशि संसद सदस्यों को दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जारी की गई धनराशि के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र न होने के कारण कुछ संसद सदस्यों को उक्त धनराशि जारी नहीं की गई है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को पहले जारी की गई राशि का उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 के लिए एक करोड़ की राशि नासिक एवं धुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को तथा 50 लाख रुपए की धनराशि खेड़ एवं पुणे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को जारी कर दी गई है। खेड़ एवं पुणे निर्वाचन क्षेत्रों को शेष निधियां संबंधित जिलाधिकारियों से व्यय का विवरण प्राप्त होने पर ही जारी की जाएंगी जिसमें अस्वीकृत अवशेष धनराशि 50 लाख रुपए से कम हो।

(ग) से (छ) 6.7.1998 तक लोक सभा के 113 सांसदों के संबंध में प्रत्येक को 50 लाख रुपए की पहली किश्त जारी की जा चुकी है। निधियों का राज्यवार निर्मोचन संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष सांसदों को निधियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि उनके संबंध में व्यय का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें अस्वीकृत शेष राशि 50 लाख रुपए से कम हो। सभी जिलाधिकारियों से अद्यतन व्यय विवरण भेजने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के लिए 6.7.1998 तक एम.पी. लैड्स के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	लोक सभा
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	0
4.	बिहार	9
5.	गोवा	0
6.	गुजरात	7
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	7

क्र.सं.	राज्य का नाम	लोक सभा
11.	केरल	8
12.	मध्य प्रदेश	14
13.	महाराष्ट्र	10
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	0
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	2
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	6
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	10
23.	त्रिपुरा	0
24.	उत्तर प्रदेश	15
25.	पश्चिम बंगाल	1
26.	अण्डमान एवं निकोबार	0
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादर एवं नागर हवेली	1
29.	दमन एवं द्वीव	1
30.	दिल्ली	7
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	0
	कुल	113

[अनुवाद]

सब्जियां

4242. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से सब्जियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा अन्य राज्यों से सब्जियों के आयात में कमी करने के लिए और खपत दर में वृद्धि हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) जी हां। केरल सरकार ने अपने राज्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) भारत सरकार के सुझाव पर केरल राज्य सरकार ने 368.50 लाख रुपये की लागत पर शीतागार और कटाई पश्चात् प्रबंध सुविधाओं हेतु सहायता के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय बोर्ड ने प्रस्ताव की जांच की है तथा राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगें है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

पूर्वोत्तर राज्यों की लम्बित योजनाएं

4243. **श्री भीम दाहाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये योजनाएं कब से लम्बित है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) योजना आयोग में स्वीकृति हेतु पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम की कोई परियोजना लम्बित नहीं है।

[हिन्दी]

परमाणु रिएक्टरों की मरम्मत

4244. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार करने के लिए परमाणु रिएक्टरों की मरम्मत करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सीकरी जलाशय योजना

4245. श्री राजो सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को ऊपरी सीकरी जलाशय योजना को अनुमोदनार्थ भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) ऊपरी सकारी (सीकरी नहीं) जलाशय स्कीम बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को इसके अनुमोदनार्थ वर्ष 1978 में प्रस्तुत की गई थी। परियोजना पर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहु उद्देश्यीय परियोजना संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 24.9.84 को हुई इसकी 28वीं बैठक में विचार किया गया था तथा इसे कुछ टिप्पणियों के साथ जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति, राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना तथा परियोजना के अनुसार सुधार और उन्नयन करना शामिल था, स्वीकार कर लिया गया था। अतः राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह सलाहकार समिति की टिप्पणियों के अनुपालन पर आधारित संशोधित और अद्यतन परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। राज्य सरकार ने जनवरी, 1998 में ऐसी संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इसकी इस समय केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधि

4246. श्री भीम दाहाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए निधि उपलब्ध करा रही है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष इन राज्यों को कितनी धनराशि दी गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) और (ख) किसी क्षेत्र का नियोजन और विकास तथा इसके लिए निधियों का आवंटन, मुख्यतः राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार, इस संबंध में राज्यों के प्रयासों की उस फार्मूले को जो, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा जिसे केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए उपयोग किया जाता है, महत्व देकर तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के जरिए सहायता करती है। केन्द्रीय सहायता के वितरण फार्मूले के अंतर्गत, क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए, उपयुक्त राशियां उपलब्ध कराकर और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियां अलग करने के पश्चात् शेष में से 30 प्रतिशत विशेष श्रेणी राज्यों जिनमें पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल हैं, में वितरण के लिए अलग दिया जाता है।

यद्यपि योजना आयोग द्वारा स्वयं किसी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित नहीं किया गया है, तथापि पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में नामित क्षेत्रों को विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों नामतः पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पूर्वोत्तर परिषद और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

योजना लक्ष्य

4247. श्री माधव राव पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपने-अपने विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए लक्षित संसाधन जुटाने में असफल रहने पर गहन चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य योजना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह अगली योजना के लिए सहायता को अंतिम रूप देने से पहले उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के संसाधन जुटाव में काफी कमी आई है। संलग्न विवरण आठवीं योजना के दौरान प्रमुख राज्यों के अपने स्वयं के संसाधनों के अनुमानित और वास्तविक संसाधन जुटाव को दर्शाता है। योजना आयोग ने अपनी अधिकारी स्तर और साथ ही साथ उपाध्यक्ष - मुख्यमंत्री स्तर की बैठकों में राज्यों को संसाधन जुटाव हेतु प्रयास शुरू करने की सलाह दी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नौंवी योजना के दौरान ऐसी कमियों को दूर कर दिया जाएगा।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1991-92 की कीमतों पर प्रमुख राज्यों के स्वयं के संसाधनों का अनुमान एवं जुटाव

(करोड़ रुपये)

क्रमांक	राज्य	अनुमान	जुटाव
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3365.02	2050.82
2.	बिहार	5051.84	-1685.05
3.	गोवा	459.80	414.21
4.	गुजरात	7650.21	5857.07
5.	हरियाणा	3780.72	1731.83
6.	कर्नाटक	8108.51	7671.65
7.	केरल	1520.03	3015.91
8.	मध्य प्रदेश	5455.38	3744.83
9.	महाराष्ट्र	13251.79	15690.82
10.	उड़ीसा	3881.14	1100.50
11.	पंजाब	-3344.57	728.21
12.	राजस्थान	5552.12	2412.17
13.	तमिलनाडु	1653.75	4037.39
14.	उत्तर प्रदेश	4456.87	2624.26
15.	पश्चिम बंगाल	3071.30	810.03
	जोड़	63913.91	50204.65

परमाणु आक्रमण

4248. श्री नृपेन गोस्वामी :
श्री के.एस. राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1998 के "स्टेट्समैन" में "पाकिस्तान प्लानिंग न्यूक्लीयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा "पहले परमाणु" आक्रमण की दशा में व्यापक विनाश की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा किन-किन शहरों और कस्बों को निशाना बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में कौन-कौन से निवारक उपाय करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार ने मीडिया की इन खबरों को देखा है तथा इन खबरों में दी गई कई विसंगतियों को दर्ज किया है। प्रतीत होता है कि ऐसी खबरें उन लोगों के हित में हैं जो किसी न किसी बहाने से दक्षिण एशिया के मामलों में और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय दखलअंदाजी करना चाहते हैं। इस प्रकार की खबरें चाहे वे सही हों अथवा मनगढंत हों, भारत के विरुद्ध बड़े पैमाने पर विनाशक के हथियारों के प्रयोग के खतरे के निवारण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को उचित ठहराते हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने पाकिस्तान के प्रच्छन्न प्रक्षेपास्त्र तथा नाभिकीय शस्त्र क्षमता के अर्जन की निकट से निगरानी की है। उसने इस संबंध में पाकिस्तानी नेताओं के वक्तव्यों पर भी गौर किया है। सरकार खतरे के अपने आकलनों के अनुसार भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की हिफाजत के लिए सभी आवश्यक उपाय प्रभावी रूप से करने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है।

मंत्री द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा

4249. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश राज्य मंत्री ने जून, 1998 के दौरान पांच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान उपर्युक्त देशों के जिन नेताओं/मंत्रियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मुलाकात की, देशवार उनके नाम और संख्या क्या हैं;

(घ) प्रत्येक के साथ की गई वार्ता का स्वरूप क्या था;

(ङ) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) नाभिकीय परीक्षण करने के भारत के निर्णय के पीछे मूलाधार स्पष्ट करने के मौजूदा कार्यक्रम के भाग के रूप में तथा कतिपय देशों में व्यक्त की गई चिन्ताओं के समाधान के लिए सरकार विभिन्न देशों के साथ बातचीत के लिए प्रमुख संभावियों को सक्रिय रूप से नियुक्त कर रही है। इस संदर्भ में विदेश राज्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे : 16 से 20 जून, 1998 तक हनोई, मनीला, और सिंगापुर की यात्रा पर गई। श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मनीला के राष्ट्रपति एस्ट्राडा से भेंट की तथा विदेश मंत्री सियाजोन सिंगापुर में राजदूत टोमी कोह तथा विदेश मंत्री जयकुमार से मुलाकात की। हनोई में उन्होंने उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ल्यूयेयन मन्ह कैम से मुलाकात की।

(घ) से (च) इस यात्रा से नाभिकीय परीक्षण करने के भारत के मूलाधार को और बेहतर ढंग से समझने तथा इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा घोषित विभिन्न पहल को स्पष्ट करने के लिए बहुमूल्य अवसर प्राप्त करने का सुनिश्चय हुआ। विदेश राज्य मंत्री की इन तीन आसियान देशों की यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, रिसर्च, मुम्बई की वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1059/98]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिक्स एण्ड मैथमैटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स, इलाहाबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1060/98]

(5) (एक) टाटा मैमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मैमोरियल सेंटर, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1061/98]

(7) (एक) एटोमिक एनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटोमिक एनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1062/98]

(9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसिज़, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंसिज़, चेन्नई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1063/98]

(11) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1064/98]

(13) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1065/98]

(15) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1066/98]

(ख) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, मुम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1067/98]

(ग) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1068/98]

(घ) (एक) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1069/98]

(17) (एक) इन्स्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपयुक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1070/98]

गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1992-93 की वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1071/98]

(ख) (एक) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1072/98]

(ग) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1073/98]

(घ) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1074/98]

(ङ) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1075/98]

(च) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1076/98]

(छ) (एक) यू.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1077/98]

(ज) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1078/98]

(झ) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1079/98]

(ञ) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1080/98]

(ट) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1081/98]

(ठ) (एक) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1082/98]

(ड) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षिक लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तेरह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1083/98]

(3) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1084/98]

(5) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1085/98]

(7) (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमैंट, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1086/98]

डिपार्टमेंट आफ इलैक्ट्रोनिक्स एक्रीडीटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्स सोसाइटी, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) डिपार्टमेंट आफ इलैक्ट्रोनिक्स एक्रीडीटेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स (डीओईएसीसी) सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिपार्टमेंट आफ इलैक्ट्रोनिक्स एक्रीडीटेशन आफ कम्प्यूटर कोर्स (डीओईएसीसी) सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1087/98]

(2) (एक) सोसाइटी फार इलैक्ट्रोनिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार इलैक्ट्रोनिक्स टैस्ट इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1088/98]

(3) (एक) नेशनल सेन्टर फार सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फार सोफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1089/98]

(4) (एक) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार इलैक्ट्रोनिक्स डिजाइन एण्ड टेक्रोलॉजी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1090/98]

(5) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डीएसी), पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (सी-डीएसी), पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1091/98]

(6) (एक) सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएएमईईआर), मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाईटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एसएएमईईआर), मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1092/98]

(7) (एक) सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1093/98]

(8) (एक) सोफ्टवेयर टेक्रोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोफ्टवेयर टेक्रोलॉजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1094/98]

(9) (एक) सेन्टर फार मैटीरियल्स फार इलैक्ट्रोनिक्स टेक्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार मैटोरियल्स फार इलैक्ट्रोनिक्स टेक्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1095/98]

(10) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1096/98]

(11) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सी.एम.सी. लिमिटेड और इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1097/98]

(दो) इ.टी. एण्ड टी. निगम लिमिटेड और इलैक्ट्रोनिकी विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 1098/98]

अपराह्न 12.03 बजे

जैन जांच आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा शून्य काल के मुद्दों पर चर्चा करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने पूर्वसूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उन सब नामों को बुलाऊंगा जो कि इस सूची में दिए गए हैं।

श्री शिव शंकर।

श्री पी. शिव शंकर (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव जाति की निकृष्टतम राजनीतिक हत्या वर्ष 1991 में हुई थी जहां हमारे नेता राजीव गांधी की 16 अन्य व्यक्तियों के साथ हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जैन कमीशन नियुक्त किया गया जिसने रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सात वर्ष लगा दिए।

महोदय, सभा और इस राष्ट्र को इस बात की जानकारी है कि जैन कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट में काफी कमियां थी। इसलिए, जबकि अन्तिम रिपोर्ट सौंपी जा चुकी हैं, इसकी छुट-पुट बातें धीरे-धीरे लीक हो रही हैं और लोगों के दिमाग में भ्रम उत्पन्न कर रही हैं क्योंकि जिस तरह से समाचार-पत्रों में इसका प्रकाशन हो रहा है इससे न केवल न्यायिक प्रणाली में लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा है बल्कि काफी भ्रम भी उत्पन्न हो रहा है।

इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि इस रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी प्रस्तुत किया जाए और सभा पटल पर रखा जाए। हम यह देखकर चिन्तित हैं कि एक ओर सरकार इस रिपोर्ट को लीक करने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर इस रिपोर्ट को सभा पटल पर न रख सभा और राष्ट्र का विश्वास नहीं पा रही है। इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं कि यह रिपोर्ट शीघ्र-अतिशीघ्र की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। हम यह भी जानना चाहेंगे कि सरकार इस रिपोर्ट को कब तक सभा पटल पर रखने जा रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी भी इसी मुद्दे पर बोलेंगे।

श्री जयपाल रेड्डी।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : महोदय, जैन कमीशन की वजह से कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा सरकार गिरा दी और आप इस चेयर पर आ गए। ...*(व्यवधान)* हमें वेदना है हम रक्षा मंत्री के पद से हट गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जयपाल रेड्डी जी का नाम लिया है। श्री मुलायम सिंह जी, उनके बाद मैं आपका नाम लूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, सरकार को इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर ने राज्य सभा में जाना था, मेरी उनसे बात हुई थी उनका कहना है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट बन रही है। इस सबंध में आफिसर्स की मीटिंग हो रही है। इसी पार्लियामेंट के सत्र में जैन कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाएगी, यह मैं बताना चाहता हूं।

दूसरा, सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट लीक हुई है, मैं इस बात को डिनाईड करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सरकार की पूरी जवाबदेही है।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही आपकी बात का जवाब दे दिया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : चूंकि आपने मेरा नाम लिया है इसलिए मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सरकार गिर गई थी और पूरे देश में दुबारा चुनाव हुए थे। भा.ज.पा. के मेरे मित्र जस्टिस जैन और कांग्रेस के आभारी है क्योंकि उन्हें इसी कारण सत्ता में आने का मौका मिला है। इसलिए इस विषय को एक साधारण मुद्दा नहीं माना जा सकता है। सब कुछ लीक हो रहा है और सरकार का कहना है कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उस संबंध में, क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि रिपोर्ट किस तरह से लीक हो रही है? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपके समय में रिपोर्ट लीक हुई थी तो आपने क्या इंक्वारी की थी, आप बताएं।

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़) : आपने क्या इंक्वारी की थी?

[...]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे नहीं मालूम कि यह माननीय सदस्य बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं।

श्री सत्य पाल जैन : ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत बात कह रहे हैं। कृपया सभा को गुमराह करने की कोशिश नहीं करिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको यह समझना चाहिए कि सभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आप अध्यक्ष से ऊपर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से बोल रहा हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी एक वरिष्ठ सदस्य है। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि किस तरह से बोलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हम पर कोई अन्य नियंत्रण करे। हर बार ऐसा हो रहा है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय उठा रहा हूं जिसके परिणामस्वरूप देश की पूरी राजनीतिक स्थिति ही बदल गई। हम यह जानना चाहेंगे कि यह रिपोर्ट कैसे लीक हो रही है। मैं देख रहा हूं यह केवल एक अन्तरिम रिपोर्ट है और फिर भी यह लीक हो रही है। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। जबकि यह मामला सभा में उठाया जा रहा है, सरकार का जवाब यह है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय दूसरी सभा में है। सभा में साधारण रूप से इसे कोई तर्क नहीं माना गया है ...*(व्यवधान)* यह एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को स्वतः ही आगे आना चाहिए था और यह बताना चाहिए था कि वह इस संबंध में क्या करने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैंने बता तो दिया कि इसी सैशन में रिपोर्ट आयेगी।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं सभापटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अत्यावश्यकता के बारे में शिव शंकर जी से पूर्णतः सहमत हूं। माननीय मंत्री महोदय ने हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि यह रिपोर्ट इस सत्र में प्रस्तुत कर दी जाएगी लेकिन उनको वह तारीख भी बतानी चाहिए जिस दिन यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ताकि सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस सत्र के अन्तिम दिन इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे जाने की पूरी सम्भावना है ताकि सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर न मिल सके।

दूसरा मैं इस बात से भी सहमत हूं कि रिपोर्ट थोड़ी-थोड़ी करके लीक हो रही है और सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह रिपोर्ट क्यों लीक हुई।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालंधर) : महोदय क्या मैं इस पर एक मिनट ले सकता हूं?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप तो इस रिपोर्ट के कारण चले ही गये, आप मुझे बोलने दे।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अन्तिम बार, जब अन्तरिम रिपोर्ट लीक हुई थी तो मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस संबंध में जांच के आदेश दिए थे। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उस जांच का क्या हुआ और किसे इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराया गया क्योंकि अब भी वही व्यक्ति अपराधी हो सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि हमें विस्तारपूर्वक जवाब दे कि किसने इसे लीक किया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की क्या उपलब्धि रही है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय आप सरकार को निर्देश दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इस सवाल को ले कर हम सब यह जानना चाहते हैं और जैसा अभी माननीय सोमनाथ जी ने कहा कि चुनाव हुआ और सौभाग्य या दुर्भाग्य से खुराना जी यहां आ गये। आप इस मामले को गम्भीरता से लीजिए। यह सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी यह सवाल गम्भीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमारी सरकार गिरा दी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह जैन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर इस सरकार को गिरा दें। हम इसके लिए तैयार हैं। एक हफ्ते में यह सरकार गिर जाएगी। यह सच्चाई है। मैं यह बात गम्भीरता से कह रहा हूं। शरद पवार जी, आप वायदा करें कि आप सरकार गिराना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं तो हम और स्वामी जो इस सरकार को गिरा देंगे ...*(व्यवधान)* संयुक्त मोर्चा सरकार जैन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर गिरी इसलिए इसे सदन के पटल पर रखना महत्वपूर्ण हो गया है।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा ढूंढ़ते हैं कि कैसे सरकार को गिराया जाए? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इसके लिए कोई निश्चित समय दिया जाए। यहां गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को बुलाया जाए। वह बताएं कि जो रिपोर्ट लीक हो रही है, वह सही है या गलत? देश के लोगों की नजरों में उनके नाम उछाल कर उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। यह एक साजिश है। वर्षों तक इस रिपोर्ट को सदन में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर रिपोर्ट लीक नहीं हुई तो ये नाम कैसे आए? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि इसमें किस की साजिश है। रिपोर्ट लीक हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : आपने रिपोर्ट लीक करवाई। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी आप माननीय गुजराल साहब की बात सुन रहे थे। जब वह प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करवाने के आदेश दिए थे। आप हमें बताएं कि अगर संयुक्त मोर्चा सरकार ने लीक करवाई थी तो उसकी क्या रिपोर्ट आई है? वह कैसे लीक हुई? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.42 बजे

[**श्री पी.एम. सईद** *पीठासीन* हुए।]

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट को सदन में रखना इसलिए जरूरी है कि इसमें कई नाम उछाले जा रहे हैं जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। यह सही है या गलत? **मैं कांग्रेस पार्टी से** कहना चाहता हूं कि उनके नेता **की हत्या हुई है। हमारे उस समय** कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते **थे लेकिन उनके नेता इस** मामले को गम्भीरता से नहीं ले **रहे हैं।** ...***(व्यवधान)* आप हमें** बताएं कि कौन सही **था** और कौन गलत **था?** ...***(व्यवधान)***

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बताइए कि आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : **सभापति महोदय, मुझे इस बारे** में कुछ कहना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा को व्यवस्थित तरीके से चलायें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को अपना सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इस तरह से सभा का समय व्यर्थ न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, इनको पूरी बात की जानकारी नहीं है। क्या यह कालेज के लेक्चरार हैं? यह सब को समझाने वाले कौन होते हैं? मुझे इस बात का एतराज है कि यह बड़े-बड़े नेताओं को संबोधित कर रहे हैं। यह चेयर को एड्रेस क्यों नहीं करते? मैं जानना चाहता हूं कि यह संख्या बल पर सरकार गिराएंगे या रिपोर्ट के आधार पर? ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, यह आपका रिकार्ड है कि आप सदन में बराबर जीतकर आ रहे हैं। यह रिकार्ड में लिखा हुआ है। आपने इस सदन का सारा तमाशा देखा है, इसलिये हम लोगों की बात को आपको सुनना चाहिये। अगर मामला गंभीर है जिस पर श्री मुलायम सिंह जी बोले हैं तो सारे लोगों को चांस मिलना चाहिये। हम लोग पिछली लोक सभा में थे। आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार जैन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुई थी ...

सभापति महोदय : चौबे जी, आप अपनी सीट रिज्यूम कीजिये। आपको भी फ्लोर दूंगा जब आपका नम्बर आयेगा।

श्री लाल मुनी चौबे : आप मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं तो बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

डा. **सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, पिछली बार जब रिपोर्ट लीक हुई थी, जैसा कि श्री गुजराल ने कहा है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। उसके बाद जस्टिस जैन ने कहा था कि मैं केवल एक प्रति दे रहा हूं और मैं वह प्रति गृह मंत्रालय को दे रहा हूं। अब इण्डियन एक्सप्रैस और कुछ अन्य पत्रिकाओं ने इसी रिपोर्ट के कहे जाने वाले कुछ अंश प्रस्तुत कर दिए है। या तो यह इस रिपोर्ट के अंश नहीं हैं अथवा गृह मंत्रालय ने इसे लीक कर दिया है। किसी अन्य तरीके से यह लीक नहीं हो सकती है। क्या सरकार इस बार रिपोर्ट के लीक होने की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक अन्य जांच के आदेश देगी? सरकार को यह बताना चाहिए और यह भी कि पिछली जांच की रिपोर्ट का क्या हुआ।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम) : माननीय सभापति महोदय, हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय जस्टिस एम.सी. जैन की अध्यक्षता में एक व्यक्ति के पैनल में बनी 17 खंडों की अन्तरिम रिपोर्ट ने देश में बहुत खलबली मचा दी जिसके कारण कांग्रेस आई ने संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और अन्ततः मध्यावधि चुनाव हुए। जिसके परिणामस्वरूप अब हम सब यहां हैं।

महोदय, मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें समाचार-पत्रों द्वारा पता चला है कि सरकार जैन आयोग रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसने राजीव गांधी की हत्या के पीछे षडयंत्र के पहलू की जांच की है। हमें यह बात केवल समाचार-पत्रों द्वारा पता चली है न कि सरकारी सूत्रों द्वारा। गृह सचिव को आयोग द्वारा 7 मार्च को प्रस्तुत की गई 9 खण्डों वाली रिपोर्ट संसद के चालू सत्र में सभापटल पर रखे जाने की सम्भावना है।

सरकारी सूत्रों ने आज कहा कि यह सर्वविदित है कि की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन तैयार करने में गृह मंत्रालय और विधि मंत्रालय के अलावा केबिनेट सचिवालय को आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का भी हाथ है।

जैन आयोग रिपोर्ट के लीक होने से यह भी अच्छी तरह पता चल गया कि आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में विवादग्रस्त व्यक्ति के खिलाफ आरोपों और साक्ष्यों सहित कई पहलुओं की और आगे जांच किये जाने का सुझाव दिया है। समाचार-पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ था कि न्यायमूर्ति जैन ने उनसे ...*(व्यवधान)* भूतपूर्व डी.एम.के. मंत्री श्रीमती सुब्बालक्ष्मी जगदीशन् सहित 21 अतिरिक्त अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की थी।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री सी. गोपाल : रिपोर्ट में एक पत्र उद्धृत किया गया है।

सभापति महोदय : श्री गोपाल कृपया समाप्त कीजिए। यह शून्य काल है आप इस तरह भाषण नहीं दे सकते।

श्री सी. गोपाल : अंतरिम रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह भूतपूर्व मंत्री श्रीमती सुब्बालक्ष्मी जगदीशन् थी। जैन आयोग की कुछ सिफारिशों के अनुसार डी.एम.के. सरकार ने एल.टी.टी.ई. के प्रति अनुग्रहपूर्ण रवैया अपनाया था जिसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु में महान नेता की हत्या हुई। अतः यह डी.एम.के. की गतिविधियों के कारण हुआ था ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, क्या इस प्रकार आरोप लगाना उचित है? ...*(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल : तमिलनाडु के लोग इस बात पर शर्मिन्दा हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें और डी.एम.के. सरकार, जो इस हत्याकांड में शामिल है, के खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे तीरू गोपाल ने जो कुछ अभी कहा उसका उत्तर देने का अवसर प्रदान किया।

हर रोज हमें समाचार पत्रों में जैन आयोग की अन्तिम रिपोर्ट देखने को मिलती है जो प्रेस को लीक कर दी गयी थी। यदि इस पर इस सम्माननीय सदन में समय पर रिपोर्ट सभापटल पर

श्री मुलायम सिंह यादव : सभापति महोदय, रिपोर्ट पेश करने में जितनी देरी होगी, उतने सबूत नष्ट होते चले जाएंगे। हो सकता है कि जो सबूत देने वाले लोग हैं उनका दैवी आपदा में ही निधन हो जाए। इससे गवाह और सबूत नहीं रह पाएंगे। हत्या करने वाले जो दोषी लोग हैं, उनके नाम सब के सामने आने चाहिए। देश के बहुत बड़े नेता श्री राजीव गांधी की हत्या हुई है। राजनैतिक हत्याओं की पुनरावृत्ति न हो, इस बात को ध्यान में रखना होगा। अभी सबूत नष्ट होने की बहुत सम्भावना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी रिपोर्ट पेश करें। हम जानते हैं कि जैन कमीशन रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे क्योंकि यह गम्भीरता से रिपोर्ट पेश नहीं करना चाहते है। यह सच्चाई है। ...*(व्यवधान)* इसलिए सभापति महोदय, आप अपनी चेयर से निर्देश दीजिये कि 2-3 दिनों के अंदर इस सत्र में जैन आयोग की रिपोर्ट सदन के सभापटल पर रखी जाये।

[अनुवाद]

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै) : महोदय, अन्तिम बार जब रिपोर्ट लीक हुई थी और जैसा कि श्री गुजराल ने अभी कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति जी, यह गंभीर मुद्दा है, इसको लाईटली नहीं लिया जाना चाहिये ...*(व्यवधान)* यह हमारी कांग्रेस की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे नेता की हत्या हुई है। इसलिये हम चाहते हैं कि रिपोर्ट सदन के सभापटल पर जल्दी रखी जाये।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : हमारी संवेदनाएं और भावनाएं इस विषय से जुड़ी हुई हैं। केवल कांग्रेस दल की भावनाएं ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की भावनाएं इस विषय विशेष से जुड़ी हुई हैं। श्री मुलायम सिंह यादव को कुछ भी कहने का अधिकार है लेकिन उनको मेरे दल के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मेरा दल इस विषय में काफी चिन्तित है। हम इस रिपोर्ट के लिए दबाव डाल रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा लगाया गया आरोप अनुचित हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी को सभा को सम्बोधित करने का अवसर दिया था। कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। आपको अवसर दिया जाएगा। आपका नाम सूची में है।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, आप किस आधार पर एक दल से केवल एक सदस्य को बोलने का अवसर दे रहे हैं?

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ के अधिकार पर प्रश्न उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू यह अध्यक्षपीठ का विवेकाधिकार है कि सभा के कार्य किस तरह से संचालित किए जाएं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोकतंत्र उनकी मुख्य विशेषता नहीं है। ...*(व्यवधान)* महोदय अन्तिम बार जब ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, इस मुद्दे पर हम भी बोलेंगे ...*(व्यवधान)* बिना नोटिस दिये कोई कैसे बोल सकता है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, कृपया अपना सहयोग दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, सदन को चलाने के लिये पीठासीन अधिकारी द्वारा ईमानदारी से प्रयास होना चाहिये।

सभापति महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, वे आपके सामने से बोल रहे हैं, आप बैठिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मैं इनके पीछे से बोल रहा हूं। आप मुझे भी बोलने का मौका दीजिये।

सभापति महोदय : आप सीट रिज्यूम कीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति जी, मुझे भी आप इजाजत दीजिये ताकि इस गंभीर मामले पर बोल सकूं।

सभापति महोदय : आप बैठिये। ऐसे तो आप नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

[श्री टी.आर. बालू]

रखने के लिए आगे नहीं आ रही है तो प्रेस का यह दायित्व हो जाता है कि वह उसे सही समझ और सही भावना के साथ प्रकाशित करे। इसका उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह सच्चाई को उजागर करने में हमारी सहायता करे।

मेरे माननीय मित्र श्री सी. गोपाल ने अभी कहा कि हम एल.टी.टी.ई. को सहायता देने के लिए जिम्मेदार है। यहां मैं दिनांक 8.10.1990 के 'हिन्दू' से उद्धृत कहना चाहूंगा:

> "एल.टी.टी.ई. ने श्रीलंका की सेना के विरुद्ध साहसिक लड़ाई छेड़ दी है वह उसके साथ वीरतापूर्वक लडाई कर रही है। पिछले दो महीनों में एल.टी.टी.ई. ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त थी नहीं पाई गई जो तमिलनाडु में शिकायत का कारण बनती। एल.टी.टी.ई. एक राष्ट्र की सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ रही हैं और यह बड़ा भारी कार्य है। हम सब को दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि यदि एल.टी.टी.ई. को मिटा दिया जाता है तो श्रीलंका में पूरी तमिल जाति का समूल नाश हो जाएगा। एल.टी.टी.ई. की जीत श्रीलंका के तमिलों की जीत होगी।" ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बालू यह शून्य काल है। कृपया भाषण मत दीजिए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय आपने श्री गोपाल को बोलने की अनुमति दी। मुझे भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति प्रदान की जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, श्री बालू हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि जैन आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जाए अथवा नहीं। कृपया कोई भाषण न दे।

श्री टी.आर. बालू : यह वक्तव्य तत्कालीन मुख्य मंत्री, ए.आई.ए.डी.एम.के. की नेता द्वारा दिया गया था। ...*(व्यवधान)* अब सदन समझ सकता है कि एल.टी.टी.ई. को सहायता देने और प्रोत्साहन देने में किसका हाथ है। और कौन घड़ियाली आंसू बहा रहा हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप खड़े क्यों हो रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री मुथैया, कृपया बैठ जाए। मैं उन्हें समाप्त करने के लिए कह रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही सूचना दी हुई थी।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, तत्कालीन सरकार ने अन्तरिम रिपोर्ट के लीक होने के बारे में सी.बी.आई. से जांच कराने के आदेश पहले ही दे दिये थे। उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, यह उनके लिए है कि वे बिना और विलम्ब किये सभापटल पर रिपोर्ट रखें जैसा कि श्री आई.के. गुजराल द्वारा मांग की गई थी ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री श्री खुराना ने सदन को आश्वासन दिया था कि रिपोर्ट इसी सत्र के दौरान सभापटल पर रख दी जाएगी। मैं तो केवल उनसे केवल यही जानना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे? सरकार इसका जवाब देगी।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदय, हम जैन आयोग रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ चर्चा करने को तैयार हैं ताकि रिपोर्ट में छिपे तथ्यों को सामने लाया जा सके। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : सभापति महोदय, हम भी बोलना चाहते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, माननीय मंत्री जी श्री खुराना ने सदन को आश्वस्त किया था कि इस रिपोर्ट को इस सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाएगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे इस सत्र के अन्तिम दिन सभा पटल पर रखने की योजना बना रहे हैं। यदि इसे कल सभापटल पर रखा जाता है तो सदन को इसका अध्ययन करने और इस पर चर्चा करने का अवसर मिल जाएगा। रिपोर्ट कल सभा पटल पर रखने में क्या परेशानी है? यदि कल नहीं रखी जाती तो इसे कम से कम सोमवार को सभा पटल पर रखा ही जाना चाहिए ताकि हमें रिपोर्ट का अध्ययन करने और सदन में इस पर चर्चा करने का मौका मिल सके।

दूसरा जैसाकि पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि सी.बी.आई. जांच चल रही है। हम सी.बी.आई. की रिपोर्ट भी देख लेंगे

...*(व्यवधान)* मैं इन दोनों मामलों पर माननीय मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया मुझे अनुमति दी जाए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, देश के ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस तरह आपको भी बुलायेंगे तो टाइम बर्बाद होगा ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : देश के लोकप्रिय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ यह बहुत महत्वपूर्ण और संगीन मामला है, जो पूरे देश को बराबर झकझोरता रहा है। सदन में अभी तक कमीशन की रिपोर्ट नहीं रखी गई, रिपोर्ट लीक हुई, इस क्रम में एक सरकार गई। कौन दोषी हैं, कौन दोषी नहीं हैं। आप तीन दिन पहले का इंडियन एक्सप्रेस अखबार देखिये, उसमें फिर से ये बातें आई हैं कि यह रिपोर्ट लीक हुई है। यह रिपोर्ट कैबिनेट सैक्रेटरी, आई.बी. के हैड और होम सैक्रेटरी को ही मालूम रहती है। मैं किसी अफसर को इसके लिए दोषी नहीं मानता कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। यहां आपस में डी.एम.के. और ए.डी.एम.के. के हॉट एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन देश यह जानना चाहता है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मुल्क के सामने चाहे जो भी राजनेता या जो भी ऑर्गेनाइजेशन दोषी हों, उनको चिह्नित किया जाना चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। यह देश का सर्वोपरि सदन है, यह मांग करता है कि ये रिपोर्ट को क्यों ले नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी सीमा है, रिपोर्ट क्यों ले नहीं हो रही है, यह इसका जवाब दें। ...*(व्यवधान)* ऐसे कैसे काम चलेगा, रिपोर्ट को क्यों दबाया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : इतने दिनों से हम इन्तजार कर रहे थे कि कोई आगे आएगा और जैन आयोग रिपोर्ट के बारे में कुछ कहेगा। मैंने नियम 193 के अधीन चर्चा कराने के लिए सचिवालय को सूचना दी थी। इसके बारे में मुझे सूचित किया गया कि रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जैसे ही की गई कार्यवाही रिपोर्ट तैयार होगी इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है। यह वायदा लिखित में दिया गया था जो इस समय मेरे पास हैं। सौभाग्य से, इतने दिनों के पश्चात् कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया? मुझे याद है इस सदन के भंग होने से पहले जैन आयोग रिपोर्ट पर विचार किया गया था। केवल जैन आयोग रिपोर्ट के कारण पिछली सरकार गिर गई थी और यह सदन भंग किया गया था। लेकिन उसके बाद चुनाव अभियान के दौरान हर कोई एकदम चुप रहा। आज यह मुद्दा फिर उठा है। इसका बहुत अच्छा कारण है। लेकिन यह क्यों उठा है? यह इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से 'इंडियन एक्सप्रेस' जैन आयोग रिपोर्ट के बारे में कुछ समाचार दे रहा है कि यह रिपोर्ट लीक हो रही है। पुनः यह आगे जांच का मामला बन जाएगा। यह एक अन्य मामला है कि क्या हमें रिपोर्ट लीक होने की जांच करानी चाहिए अथवा नहीं। हर रोज यह घटित हो रहा है। इसलिए सरकार के लिए आवश्यक है कि वह तिथि की घोषणा करे दे। यह बता दें इस निश्चित तारीख को जैन आयोग रिपोर्ट संबंधी की गई कार्यवाही रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इतना गंभीर मामला है और आप उसको क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : खुराना जी, आप थोड़ी देर के लिए बैठिए। प्रभु नाथ सिंह जी की बात को भी एक मिनट सुन लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, राजीव गांधी जी देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं।

सभापति महोदय : प्रभु नाथ सिंह जी, भाषण न दें, सिर्फ यह बताएं कि जैन आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए या नहीं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह भी तो तभी बताएंगे जब आप बोलने देंगे और हमें सुनेंगे।

सभापति महोदय, राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी रहे हैं, लेकिन इस बिन्दु को इस प्रकार से हल्के ढंग से लिया जा रहा है, यह बहुत खेद का

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

विषय है। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस दोषी है, भा.ज.पा. दोषी है या लालू जी दोषी हैं, इस बिन्दु पर जाने की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है कि हम आयोग को रिपोर्ट को टेबल पर रखेंगे, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि किस तिथि को रखेंगे। इस बारे में निश्चित तिथि बताएं और दोषी का नाम सामने आना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, जैसा विरोधी दल के नेता और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : खुराना जी, आपकी बात का कोई महत्व नहीं रहता है।

सभापति महोदय : लालू जी, कृपया बीच में उन्हें न टोकें। पहले उनकी बात सुन लीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : सभापति जी, माननीय विरोधी दल के नेता और अन्य माननीय सदस्यों ने इस मामले के ऊपर सदन और देश का ध्यान आकर्षित किया और कहा गया कि यह करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला है, यह बिल्कुल सही कहा है। यह भूतपूर्व प्रधान मंत्री की शर्मनाक हत्या का मामला है। यह सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। हत्या मई, 1991 में हुई। साढ़े छः साल बाद मार्च, 1998 को तो उसकी रिपोर्ट आई, उसी समय हमारी सरकार बनी। रिपोर्ट के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आनी चाहिए, तभी मामला सार्थक बनता है। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में मेरी कल ही प्रधान मंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय से बात हुई थी। इस बारे में हमारी नीयत पर शक करना, हमारे साथ ज्यादती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जैन आयोग की रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट सहित, सत्र के अंतिम दिन नहीं आएगी, बल्कि दो-तीन दिन पहले आएगी क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट के बारे में काम चल रहा है। एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार होने में कुछ तो टाइम लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 29 तारीख ...*(व्यवधान)*

श्री भजनलाल (करनाल) : आपको डेट बतानी चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : मैं वही बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं डेफीनेट डेट तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि अभी रिपोर्ट बन रही है लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने मुझे यह जरूर कहा है कि लॉस्ट डे के दो-तीन दिन पहले यह रिपोर्ट पेश की जायेगी। अगर सदन बहस करना चाहता है ...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको दोनों को साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसके और लीक होने के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री मदन लाल खुराना : मैं यह कहना चाहता हूं कि लिकेज में सरकार का कोई हाथ नहीं है और हम इसको ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : आप जांच करें। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जब भी होम मिनिस्टर साहब बैठे हों तब आप अपनी बात कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सी.बी.आई. ने जो इंक्वायरी की थी, उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* क्या उसकी रिपोर्ट आई है? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : खुराना जी का यह कहना है कि सरकार ने लिकेज नहीं की ...*(व्यवधान)* यह कैसे बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : अन्तरिम रिपोर्ट के लीक होने की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने के आदेश नवम्बर के महीने में दे दिये गए थे। अब जुलाई का महीना चल रहा है। 8-9 महीने बीत चुके हैं। क्या यह सच है कि सी.बी.आई. जांच रिपोर्ट मंत्रालय के पास है। कृपया या तो इसका खण्डन कीजिए अथवा इसकी पुष्टि कीजिए। यदि आपको यह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो उन्हें देने के लिए कहिए क्योंकि यह अत्यन्त सीमित जांच थी। जांच केवल इस बात की करनी थी कि अन्तरिम रिपोर्ट किसने लीक की है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं आपको यह ऐश्योर करना चाहता हूं कि आपके समय में सी.बी.आई. की जो इंक्वायरी हुई। ...*(व्यवधान)* आपने जो जांच के आर्डर दिये थे, उस रिपोर्ट के बारे में ...*(व्यवधान)* लेकिन मैं सरकार की तरफ से इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस समय यह रिपोर्ट पेश होगी ...*(व्यवधान)* सी.बी.आई. की इंक्वायरी का जो मामला चला हुआ है ...*(व्यवधान)* उसका विवरण मैं आपको दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह क्या रिप्लाई हुआ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी आधा उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न यह है क्या समाचार पत्र में छपे उद्धरण सही उद्धरण हैं।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं यह कह सकता हूं। ...*(व्यवधान)* वह रिपोर्ट पहले कैबिनेट में आयेगी, उसके बाद यहां आयेगी। ...*(व्यवधान)* हम इसको यहां पेश करेंगे।

अपराह्न 12.39 बजे

डाक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आप डाक कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में मामला उठाना चाहती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : जी हां, मैं समझती हूं यह न केवल मेरी अपितु पूरे सदन की चिन्ता का विषय होना चाहिए। पिछले कई दिनों से छः लाख डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और पूरा डाक वितरण का कार्य अस्त-व्यस्त हो गया है। फिर भी दुर्भाग्यवश सरकार ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है और कर्मचारियों के नेताओं को मामले को निपटाने हेतु बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। जैसाकि मैं समझती हूं यदि सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाए तो यह मामला सुलझ सकता है। मैं उन पर आरोप लगाती हूं कि अपनी जिद और गुस्ताखी के कारण वे उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं कर रही हैं। मेरा यह आरोप है कि उनकी जिद और उन्हें बातचीत के लिए न बुलाने के उनके अड़ियल रवैये का समूचा देश को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

यह कुछ सरकारी नौकरशाहों का उन्हें आमंत्रित करने का प्रश्न नहीं है। मंत्री जी उन्हें क्यों नहीं बुलाती? प्रधान मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हम चाहते हैं कि कर्मचारियों के पक्ष में यह हड़ताल अतिशीघ्र समाप्त हो जाए।

सभापति महोदय : श्री वी.वी. राघवन अगले वक्ता है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने भी इसके बारे में सूचना दी हुई हैं।

सभापति महोदय : आप नहीं चाहते उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए? ठीक है, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आज डाक कर्मचारियों की हड़ताल का सातवां दिन है। छः लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर है। हमारे देश में डाक सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है और यह सरकार है कि इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उसने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

कल मैं माननीय प्रधान मंत्री से मिला था। माननीय वित्त मंत्री भी वहां उपस्थित थे। मैंने माननीय प्रधान मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य यह मामला यहां पर कई बार उठा है। सरकार ने भी उत्तर दिया है इसमें नई बात क्या है जिस पर आप जोर दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन, क्या आप नहीं चाहते कि औरों को भी बोलने का मौका दिया जाये? मैंने श्री बसुदेव आचार्य को बोलने को कहा है। आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? वे अपना पक्ष रखने में सक्षम हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : न्यायधीश तलवार समिति को 1994 में नियुक्त किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1997 में दी थी। फिर भी इस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)* विभागेतर कर्मचारियों की स्थिति बन्धक मजदूरों के समान है। उनका कोई वेतनमान नहीं है। उन्हें कोई पेंशन या उपदान नहीं मिलता है।

संचार संबंधी स्थायी समिति ने भी सिफारिश की है और सरकार से कहा है, कि वह यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर इस मुद्दे को सुलझाए।

मैं सरकार से इस मामले को जल्दी सुलझाने का आग्रह करता हूं जिससे कि देश में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे? मैं बोल रहा हूं। श्री राधाकृष्णन कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री स्वाईं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा विनम्र निवेदन है कि यह रोज का मामला नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने श्री वी.वी. राघवन का नाम पुकारा है। श्री राघवन, क्या आपको कुछ कहना है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यहीं तो मैं कह रहा हूं। मैंने किसी और का नाम लिया है और आपने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। यह सभा में क्या हो रहा है? कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप एक गम्भीर मामले पर साधारण ढंग से विचार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यही तो समस्या है। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई खड़ा है। क्या मैं हर व्यक्ति को निर्देश दूंगा?

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : हमें भी इस मामले में कुछ कहना है। यह मामला पूरी सभा की चिन्ता का विषय है। छह लाख कार्मिक हड़ताल पर हैं। सभी प्रकार की संचार सुविधाएं अस्त-व्यस्त हैं। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सरकार से केवल यह कहना चाहता हूं कि वह इसे प्रतिष्ठा से क्यों जोड़ रही है। वे क्यों नहीं सीधे ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अजीत जोगी (रायगढ़) : सभापति जी, मैं भी बोलना चाह रहा हूं।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, चिन्ता केवल विपक्ष को ही नहीं अपितु सत्ता पक्ष को भी होनी चाहिए। यह प्रत्येक सदस्य की चिन्ता का विषय होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं मंत्री महोदय को बोलने के लिए कहूंगा। यह उचित होगा।

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्योंकि संचार प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गयी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर के पहले आपने मुझे अनुमति दी थी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं मंत्रीजी को बोलने के लिए कहता हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : एक मिनट। सभापति जी, प्रैस्टीज का कोई इस्यू नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैं बता रहा हूं न। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : हम संसदीय कार्य मंत्री को सुनना नहीं चाहते हैं। हम सम्बन्धित मंत्री महोदय की बात सुनना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर) : जनता का एक वर्ग पीड़ित है। ...*(व्यवधान)* उन्हें हर प्रकार की सुविधा से वंचित रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा में यह क्या हो रहा है? क्या कोई भी खड़ा होकर कुछ भी ऐसे कह सकता है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप नहीं। कोई भी अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुनता है। सभा में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता था कि हर कोई अपनी बात रखे। श्री बसुदेव आचार्य ने अभी भाषण दिया और आप फिर से एक साथ खड़े हो गए। मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। मैं इस सभा को ऐसे कैसे चला सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : आपने उनका नाम पुकारा है ...*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन : विभागेतर डाक कर्मचारियों की स्थिति हमारे लिए शर्मिन्दगी की बात है क्योंकि उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय : क्या आप चाहते हैं कि सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करें?

श्री वी.वी. राघवन : जी हां।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रो. कुरियन।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करनी है

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैंने कहा आपको भी चांस मिलेगा। इस तरह तो चांस नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : चेयरमैन साहब ने हमें परमीशन दी है अभी हमें सुनिये ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं कहना चाहता हूं कि इस समस्या पर सभी सदस्यों को चिन्ता होनी चाहिए न कि केवल विपक्ष को और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता पक्ष के भी सदस्य यह महसूस करते होंगे कि इस समस्या का निपटारा तत्काल किया जाना चाहिए। पूरी संचार प्रणाली ठप्प हो गयी है। हमें खेद है कि सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रही है। मेरा सरकार से इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर, इस पर विचार करने का अनुरोध है और वो हड़ताली कर्मचारियों के साथ बातचीत शुरू करें और सरकार को इसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यही राष्ट्र हित में है।

दूसरी बात, हड़ताली कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। यदि सभी नहीं तो भी कम से कम उनकी कुछ मांगें तो जायज हैं जिसमें विभागेतर कार्मिकों की मांगें भी सम्मिलित है। ...*(व्यवधान)* कुछ समय पहले सभा ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए .....

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्थायी समिति ने भी सर्वसम्मति से सिफारिश की थी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : स्थायी समिति ने भी सर्वसम्मति से सिफारिश की थी। इसीलिए मेरा सरकार से प्रतिष्ठा के प्रश्न को छोड़कर कुछ करने का अनुरोध है। मेरा सरकार से समाधान ढूंढ़ निकालने का भी अनुरोध है। इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पी.सी. थामस, आप केवल एक वाक्य बोलिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : सभापति महोदय, सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि देश में डाक सेवाएं डाक कर्मचारियों की हड़ताल से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सरकार ने अपने पहले ही बजट में डाक शुल्क में काफी वृद्धि कर दी है। कई दिनों से लोग डाक सेवाओं से वंचित हैं। विद्यार्थियों को साक्षात्कार कार्ड समय पर नहीं मिल रहे हैं जिसके कारण उन्हें समय पर प्रवेश नहीं मिल रहा है। डाक हड़ताल से नौकरी ढूंढ़ने वाले भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और इससे पूरे भारत पर प्रभाव पड़ा है।

महोदय विभागेतर कर्मचारी अपनी मांगों पर विचार किए जाने के लिए काफी समय से कह रहे है और सरकार भलीभांति जानती है कि जो नेता अब सत्ता पक्ष में विराजमान है वो जब विपक्ष में थे तब इस मुद्दे को उठा रहे थे।

सभापति महोदय : श्री थामस, कृपया संक्षेप में कहें। आप भाषण नहीं दे सकते।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं।

महोदय प्रधान मंत्री को सभा में आकर हमें आश्वस्त करना चाहिए कि इस मामले को निपटाने के लिए जल्द ही कुछ किया जाएगा जिससे कि हड़ताल खत्म की जा सके।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : सभापति जी, ऐसे तो हाउस में व्यवस्था नहीं हो पाएगी। पता नहीं एक ही विषय पर कितना समय लगेगा। हम लोग शांत बैठे हुए हैं, हमें तो मौका नहीं मिल रहा, लेकिन जो लोग हल्ला करते हैं, उन्हें आप मौका दे रहे हैं।

[अनुवाद]

मभापति महोदय : मैंने उन्हें बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपने निर्णय को मुझ पर लागू करना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : एक ही विषय पर शून्य काल में सारा समय लग जाता है, हम जैसों को मौका ही नहीं मिलता।

सभापति महोदय : आप बताएं कि मैं हाउस को कैसे कंडक्ट करूं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाग]

सभापति महोदय : मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : लालू जी आप सीनियर मेम्बर हैं, आप बैठिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो ऑवर में पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री लालू प्रसाद : आप सुनिए तो सही ...*(व्यवधान)* कर्मचारियों के मामले में इन्होंने सात दिन पहले जो कहा ...*(व्यवधान)* मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इनको मैंने मौका दिया है, आप बैठिए।

श्री लालू प्रसाद : लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका पाइंट आफ आर्डर किस नियम के तहत है?

श्री लालू प्रसाद : यहां कोई सरकार नहीं है। सात दिन पहले इस बात पर चर्चा हुई थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : लालू जी आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप एक वरिष्ठ नेता हैं। सभा का समय इस तरह नष्ट न करें। मुझे दुखी होकर यह कहना पड़ रहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री गोपालन क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री तपन सिकदर (दमदम) : सभापति महोदय, मैं सहमत हूं कि यह देश की एक विकट समस्या है और इस बारे में कोई संदेह नहीं है। किन्तु प्रश्न है: यह समस्या किसने पैदा की है? ...*(व्यवधान)* उन्होंने श्रमिक संघ के कार्यकलापों को एक धंधा जैसा बना दिया है और यह बिना पूंजी के एक लाभदायक धंधे के सिवा कुछ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। श्री वीरेन्द्र सिंह।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने श्री वीरेन्द्र सिंह का नाम पुकारा है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपका नाम सूची में है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. असीम बाला, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वीरेन्द्र सिंह जी, आप इसी इशू पर हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, मैं इसी इशू पर हूं। एक इशू पर इतनी चर्चा करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण इशू छूट जायेंगे, फिर इस पर कब चर्चा होगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरे इशू पर आने के पहले इस इशू पर सरकार का क्या रियेक्शन है, वह मालूम हो जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब मैं खड़ा हूं, तो आप क्यों खड़े हैं? इस इशू पर बहुत सारे सदस्यों ने नाम दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जब मैं यहां खड़ा हूं तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वारकला राधाकृष्णन आप राज्य विधान सभा के अध्यक्ष थे। जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो आप खड़े हैं। अध्यक्षपीठ से इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, सरकार इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है। यदि आप किसी अन्य मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो आप मंत्री द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, डाक कर्मचारियों की हड़ताल हुई और हमारे बंगाल के ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सवाल बंगाल का नहीं है, समूचे देश का है। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप कहने तो दीजिए। जो लोग ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जो कुछ कहना है, कहिए, लेकिन मामले को काम्पलिकेटेड मत कीजिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह*...

कर रहे हैं। इन लोगों की मंशा रहती है कि मजदूरों के सैंटीमेंट्स को उभार कर हर साल हड़ताल करो, समझौता करो और समझौता कराओ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों को एक्सपंज कर दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है। वह इस आन्दोलन में डाक कर्मचारियों के हित के लिए सरकार से मांग करता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विंलोन) : आपके मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है कि यह राजनीति प्रेरित हड़ताल है। क्या आप उससे सहमत हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन कृपया इस पर अपने और अन्य सदस्य के साथ चर्चा न करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : भारतीय मजदूर संघ भी डाक कर्मचारियों की समस्याओं के लिए सरकार से मांग करता है कि उनकी

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री वीरेन्द्र सिंह]

समस्याओं की तरफ भी सरकार ध्यान दे और समस्या का निराकरण करे। जिस मुद्दे पर कम्युनिस्ट पार्टी के यूनियन के लोग ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : खाली कम्युनिस्ट नहीं, इंटक भी है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : इंटक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पूछिए, सरकार क्या करना चाहती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : महोदय, सवाल डाक कर्मचारियों का नहीं है। सारे क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों, जैसे बनारस के बुनकरों की समस्या है। बनारस क्षेत्र में बुनकरों की समस्या के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

...दय, बुनकरों की समस्या यह है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में ... के बुनकर काम करते हैं उन पर ऋण लादा गया है और ...नों पर भी ऋण है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, इस कारण आज बहुत से बुनकर आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। ...*(व्यवधान)* मैं आपको माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इन बुनकरों के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मंत्री जी सभा से बाहर चले गए हैं और वे मुद्दे को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी आपकी अनुमति के बिना सभा से चले गए हैं, यह अध्यक्षपीठ का अनादर है। यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से कोई पत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे विचार से यह स्थिति हर किसी के साथ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह आपने अपनी बात कह दी थी। अब उन्हें बोलने दें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : पिछले छह या सात दिनों से हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हो रहे है। सरकार शेखी बघार रही है कि उसने कुछ काम चलाऊ व्यवस्थाएं की है। ...*(व्यवधान)* जब मैं बोल रहा हूं तो वे बीच में टीका-टिप्पणी कैसे कर सकते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : जब डाक कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो श्री राधाकृष्णन कहते है उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

सभापति महोदय : उन्हें वह कहने दो जो वे कहना चाहते हैं। यदि यह असंसदीय हुआ तो मैं उन्हें इस बात को वापस लेने के लिए कहूंगा। अन्यथा यह रहेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र से पत्र प्राप्त हो रहे हैं। मैं उनको बोलने में व्यवधान नहीं डाल रहा हूं अपितु उन्हें सूचना देनी है।

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, मुझे श्री राधाकृष्णन की बात सुनने दो। श्री राधाकृष्णन, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह एक झूठा वक्तव्य हैं, कोई कामचलाऊ सेवा या ऐसी किसी कोई व्यवस्था नहीं है। संपूर्ण व्यवस्था पंगु हो गई है। हमें कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या करें?

श्री वारकला राधाकृष्णन : प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और देखना चाहिए कि इन मामलों का समाधान हो। विभागेतर कर्मचारियों के साथ दासों जैसे व्यवहार किया जा रहा है। भारत में अभी भी दास प्रथा है हालांकि हम शेखी बघारते है कि हमने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया हैं दुर्भाग्यवश, भारत में डाक विभाग में दास प्रथा अभी कायम है। उन्हें मूल अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम महिलाओं को एक तिहाई स्थानों का आरक्षण देने की बात करते हैं किंतु विभागेतर कर्मचारियों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित रखा गया है। स्थिति यह है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा इस मामले को सुलझाने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा राष्ट्र पंगु हो जाएगा।

श्री के. करूणाकरन (तिरूअनन्तपुरम) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : हमने इस मुद्दे पर काफी चर्चा कर ली है अब हम मंत्री जी के विचार सुनें।

श्री के. करूणाकरन : सरकार ने कर्मचारी विरोधी दृष्टिकोण अपनाया है। यह एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है और उस दृष्टिकोण को बदला जाना चाहिए सरकार को उन्हें बुलाना चाहिए और इस मुद्दे को हल करना चाहिए।

सभापति महोदय : अब हम मंत्री जी को सुनें।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : सरकार ने हड़ताल को यों ही लिया है। पिछले छह दिनों से हमें कोई पत्र प्राप्त नहीं हो रहे है। यह सरकार क्या कर रही है?

सभापति महोदय : वोरा जी मंत्री जी दूसरी सभा से आ गई हैं और वे एक वक्तव्य दे रही हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, यह बहुत गंभीर विषय है, आपको मालूम है। सुषमा स्वराज जी आ गई हैं वह आपको सारी पोजिशन बता देंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति महोदय, नौ तारीख को डाक कर्मचारियों की कुछ यूनियनें हड़ताल पर गईं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अब कोई टीका-टिप्पणी नहीं सुनना चाहता। हमें मंत्री महोदया के विचार सुनने चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : दस तारीख को यह मसला कुछ माननीय सदस्यों ने यहां उठाया और उसी दिन दोपहर बाद तीन बजे मैंने एक वक्तव्य दिया।

यहां क्लैरिफिकेशन की प्रथा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनैस उसके बाद था, वरना अगर स्पीकर चाहते और क्लैरिफिकेशन होता तो उसका जवाब यहां मैं दे देती।

सभापति महोदय : यहां यह कन्वैंशन नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, इसीलिए क्लैरिफिकेशन्स नहीं हुई, केवल मेरा स्टेटमेंट हुआ। आप यह जानते हैं कि लोक सभा का नियम है कि जो मसला एक बार उठ चुका हो, वह पुनः उसी सत्र में नहीं उठाया जा सकता। लेकिन मैम्बर्स राइटली अजीटेटिड है। आज स्ट्राइक का छठा दिन है। *...(व्यवधान)* यह जीरो ऑवर का ही रूल है। *...(व्यवधान)* जीरो ऑवर के नाम से कोई रूल बुक में नहीं है। *...(व्यवधान)* मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के नाम से रूल है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री महोदया बोल रही हैं और आप अपनी जगहों पर खड़े हो गए हैं। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेजर जनरल भुवनचन्द्र खण्डूड़ी,, ए.वी.एस.एम. खण्डूड़ी कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अपने स्थान पर बैठने के लिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, दिक्कत यही है कि वाक्य सुनना नहीं और उसके पहले ही प्रतिक्रिया दे देना। मैं कह रही थी कि चाहे यह नियम है कि एक सत्र में एक मसला दुबारा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मैम्बर्स राइटली एजीटेटिड हैं इसलिए नियमों का हवाला न देकर भी जवाब देने के लिए मैं यहां खड़ी हूं। *...(व्यवधान)* पूरा वाक्य सुनना नहीं और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देना ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जवाब सुनने से पहले अच्छा है या बुरा है आप कैसे बताएंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, यहां हड़ताल से होने वाले कष्टों का जिक्र किया जा रहा है। जब हड़ताल होगी तो असुविधा भी होगी और कष्ट भी होंगे। लेकिन एक बात शुरू में ही कहना चाहती हूं और मेरे साथी भरोसा करें कि इस हड़ताल की नौबत सरकार की ढिलाई, लापरवाही या उदासीनता के कारण नहीं आई। *...(व्यवधान)* सभापति जी, 21 अप्रैल 1998 को इस महकमें का एडीशनल चार्ज मुझे मिला और तब स्ट्राइक का नोटिस कहीं नहीं था। उसी दिन चार्ज संभालने के तुरंत बाद अधिकारियों से वार्ता करने के तुरंत बाद मैंने उनसे पूछा ऐसे कौन से मसले यहां पर पैंडिंग पड़े हैं जिनको एड्रैस करने की मुझे जरूरत है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

एक पोस्टमैन का और दूसरा ई.डी. का मसला मुझे बताया गया। मैंने अपने वक्तव्य में भी पोस्टमैन का मसला बताया है। पोस्टमैन और मेल-गार्ड के वेतन की समानता दूसरे वेतन आयोग से पांचवें वेतन आयोग तक सी.पी.ओ. सिपाही के साथ चल रही थी। पांचवें वेतन आयोग ने भी उस समानता को बरकरार रखा था। लेकिन उस समय की संयुक्त मोर्चा सरकार ने उस पे-पैरिटी को एक निर्णय लेकर डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने सी.पी.ओ. के सिपाही को दिल्ली पुलिस के सिपाही के बराबर करने के लिए उसको ज्यादा दे दिया। इस पर पोस्टमैन और मेल-गार्ड संघर्ष करने लगे और सरकार से मांग करने लगे कि जो समानता तीन वेतन आयोगों तक चलती रही वह बहाल की जानी चाहिए। उस पर संयुक्त मोर्चा सरकार ने यह निर्णय किया और यह स्टैंड लिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्रियों को भी व्यवधान पैदा करने की नहीं दी जाती।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : संयुक्त मोर्चा सरकार ने यह कहा कि हमारे द्वारा यह कॉन्शस डिसिजन लिया गया था, सूझबूझ और सोच-विचार से लिया गया था, हम इस प्रोन्नति को बहाल नहीं करेंगे। मुझे अधिकारियों ने कहा कि पहला मसला यह है कि अगर इस पे पैरिटी को बहाल कर सकें तो बाकी लोगों की मदद हो सकती है और पोस्टमैन की एक डिमांड खत्म हो सकती है।

जब वह ई.डी. के बारे में कहने लगे तो मैंने कहा कि इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ई.डी. के संघर्ष के साथ मैं स्वयं जुड़ी रही हूं। इसी डाक भवन में धरने पर बैठी हूं इसलिए ई.डी. की दुर्दशा मुझे मालूम है। जस्टिस तलवार कमेटी की सिफारिशें भी मुझे मालूम है लेकिन इसमें आगे समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं दोहराना चाहती हूं कि मैंने 21 अप्रैल को बिना समय खोए पहले ही दिन ये दोनों मसले अपने हाथ में लिए और इसमें आगे बढ़ने लगी। बहुत से लोग सरकार में रहे हैं, बहुत से लोग समर्थन देते रहे हैं, उन्हें इतना जरूर पता है कि मामला कैबिनेट तक ले जाने के लिए खास तौर पर जब इंटर-मिनिस्ट्रीएल मामला हो तो कुछ समय लगता है। बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। मैं उन औपचारिकताओं को पूरा करने में लग गई। इसी बीच दो यूनियनों की तरफ से स्ट्राइक का नोटिस आ गया। मैंने दोनों को 16 तारीख को बुलाया। उसमें सारे के सारे लोग आए। मैंने उनसे बात करते हुए कहा ये दोनों मसले पहले दिन 21 अप्रैल को अपने हाथ में लिए थे, लेकिन मुझे चार्टर आफ डिमांड्स में से बोनस का मसला जायज लगता है क्योंकि 40 दिन का राइडर पोस्टल एम्पलाइज के बोनस पर लगे, यह सही नहीं है। तीन ऐसी मांगें थीं जो पोस्टल विभाग से सीधे संबंधित थीं, जहां डिपार्टमैंट को व्यू लेना था और बाकी की सात मांगें वेतन आयोग की असंगतियों के संबंध में थी। पांचवे पे कमीशन में जो एनॉमलिज डिफरैंट डिपार्टमैंट्स में हुईं, वे उनसे संबंधित थीं। हमने उनसे कहा कि उन सातों मांगों को एनॉमली कमेटी में दिया जाएगा। उसमें डिपार्टमैंट अपना व्यू रखेगा लेकिन इन तीनों को सुलझाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, स्ट्राइक पर मत जाओ, इन तीनों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। हम डाकिए वाला मसला कैबिनेट में ले गए जो पिछली सरकार से रिजैक्टिड था। जिस मसले पर पिछली सरकार का जो स्टैंड था कि वह हमारा कॉन्शस डिसिजन है, हम डिस्टर्ब्ड पैरिटी को बहाल नहीं करेंगे, इसको इस सरकार की कैबिनेट ने किया। वह मसला हमने हल कर दिया। वह पैरिटी जो डिस्टर्ब हो गई थी, उसे हमने बहाल कर दिया।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगी कि आप इस पर गौर करें। हमने तीन चीजें ली थी एक करके दिखा दी और वह कर दी जो कठिन लगती थी, शायद किसी को असम्भव भी लगती थी मगर वह हमने कर दी। इसलिए मेरी विश्वसनीयता संदेह के पार स्थापित हो गई। मैंने उनसे कहा कि हमें दोनों मसलों पर आगे बढ़ने दिया जाए, ड्राफ्ट नोट तैयार होकर कैबिनेट में जाने वाला हैं, इसलिए स्ट्राइक पर मत जाइए। इसके बाद भी वह स्ट्राइक पर गए। मैंने पूछा कि इन यूनियन्स पर कौन लोग प्रीवेल कर सकेंगे, किन की बात हो सकेगी? मुझे पता लगा कि वामपंथी नेता से मेरी बात हो जाए तो यह स्ट्राइक रूक सकती है। सोमनाथ जी यहां नहीं थे। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मुझे दो नाम बालानन्दन जी और प्रकाश कारथ जी के दिए गए। मैंने अलग तरीके से स्ट्राइक को रोकने की कैसे कोशिश की, मैं वह भी बताना चाहूंगी। मैंने बालानन्दन जी से सम्पर्क किया। वह मुम्बई गए थे। मुझे मिले नहीं। मैंने प्रकाश कारथ से बात की। उनसे कहा कि बालानन्दन जी यहां नहीं हैं, मुम्बई के नम्बर पर भी सम्पर्क नहीं हो रहा है, मैं इन दोनों मसलों के समाधान के कगार पर खड़ी हूं। पोस्टमैन वाला मसला हल हो गया, ये दोनों करने जा रही हूं, आप यूनियन्स को समझा दीजिए कि वे कल हड़ताल न करें। उन्होंने कहा कि मैं बात करके जरूर बताऊंगा। उनका कोई फोन नहीं आया। ...(व्यवधान) वह मुझे कह सकते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह कह देते कि मैं इस पोजिशन में नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्तमान स्थिति क्या है? आपका रूख क्या है? कृपया हमें उस बारे में बताइए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनसे एक मिनट के लिए अपनी बात मानने का अनुरोध कर रहा हूं। सुषमा जी क्या आप मेरी बात नहीं मान रही हैं? ...(*व्यवधान*) यदि वे एक मिनट के लिए मेरी बात मान रही है तो आप इस पर आपत्ति कैसे कर रहे हैं? संसदीय व्यवहार की एक प्रक्रिया है। मैं मंत्री महोदया से एक सेकेण्ड के लिए अपनी बात मानने का अनुरोध कर रहा हूं। क्या आप मेरी बात मान रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : हां, मैं आपकी बात मान रही हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं ...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपकी बात मान सकती हूं ...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे मेरी बात मान रही हैं...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : एक संसदीय परम्परा है। वे आपकी बात मान रही है।

...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह उनका बड़प्पन है कि वे मेरी बात मान रही हैं ...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री सोमनाथ जी, मैं आपकी बात सदैव मानती हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किंतु आप मेरी उचित मांग को नहीं मान रही हैं। महोदय वे यह जताने की कोशिश कर रही हैं कि उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण है और यह केवल प्रक्रियागत विलम्ब है। उनके अनुसार कर्मचारी संघों ने उन्हें प्रक्रियागत मामले से निपटने का समय देने की प्रतीक्षा नहीं की ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप मुझे अपनी बात अकार्डिंगली पूरी करने दीजिए।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िमलाई) : आप तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे यह कहने की कोशिश कर रही है कि हड़ताल राजनीति प्रेरित है। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपको बताती हूं। यदि मेरी बात सुनते तो आपको जवाब मिल जाता। बात को रखने का एक क्रोनलॉजीकल आर्डर होता है। अब अगर आप कहते हैं कि भूख लगी है तो फिर खाना खाने चले जायें। मुझे यहां बुलाकर खड़ा क्यों किया है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे स्वयं का बचाव करने में सक्षम हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री दलित एजिमलाई : अब असलियत सामने आ गई है। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, आखिरकार लगता है

सभापति महोदय : लगता है सब को भूख लगी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर भूख लगी है तो फिर सुनना क्यों चाहेंगे?

श्री मोतीलाल वोरा : आप अपनी बात कहती जायें, भूख नहीं लगी है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप यदि पृष्ठभूमि नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा?

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप इतना ही बोलिये कि आप क्या करना चाहती हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया टीका-टिप्पणी मत कीजिए। वे अपना भाषण समाप्त करने वाली हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप मुझे सुन तो लीजिये, क्या आप नहीं सुनना चाहते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह प्रश्नकाल नहीं है। वे वर्तमान स्थिति के बारे में वक्तव्य दे रही हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या ये भी इंस्ट्रक्शन्स दी जाएंगी कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं।

सभापति महोदय : आपको जो कहना है कहिये।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप इतिहास बता रही है, कृपया हमारी मांग का उत्तर दें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या आप प्रासंगिक बातें बोल रही हैं। आप हमारी बात का उत्तर दें ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : संपूर्ण इतिहास प्रासंगिक है ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अप्रासंगिक है। किंतु कृपया हमारी बात का उत्तर दें ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप प्रासंगिक बातें सुनें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : प्रकाश कारथ का नाम आ गया तो गुस्सा हो गए

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे सभी टिप्पणियां कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी जाएंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं कोई इररेलेवेंट हिस्ट्री का बखान नहीं कर रही हूं। मैं तो यह कह रही थी कि मेरा जो पहला वाक्य था कि हमारी ढिलाई, लापरवाही और उदासीनता के कारण हड़ताल नहीं की गई जिसे मैं सब्सटैंशिएट कर रही हूं। मेरा अधिकार बनता है कि मैं सब्सटैंशिएट करूं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 9 तारीख तो हड़ताल हो गई। मैंने उसी दिन 3.00 बजे यूनियन्स को बुलाया ...

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : आप वापस उसी पाइंट पर आ गईं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : कहां से उस पाइंट पर आ गई? 9 तारीख की बात तो कहीं नहीं थी। अगर आप अपने मन की बात सुनना चाहेंगे तो मुझे बुलाने पर जो फैक्ट्स हैं, वे सुनिये। सुनना है तो सुनिये और अगर भूख लगी है तो सदन को एडर्जन कराइये। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। आप तो यहां पर 8-10 लोग बोलेंगे। मंत्री को यहां बुलायेंगे। बयान देने के लिये खड़े होंगे तो सुनेंगे नहीं।

सभापति महोदय : इस हाउस की यही तो मुश्किल है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : सभापति महोदय, सदस्यों के साथ इस तरह के व्यवहार का कोई तरीका नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह दूसरे सदन में थी। उस सदन में उन्हें वक्तव्य देना था वह आ गई हैं। उनकी बात सुननी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है। वह किसी दबाव में नहीं आएंगी।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बंकुरा) : इससे पता चला है कि वह कितनी अभिमानी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बीच में टीका-टिप्पणी मत कोजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या यह संसद सदस्यों के साथ बात करने का तरीका है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप उनकी बात सुनना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : तो आपको उनके बोलने में आपत्ति क्यों है?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, वह किस प्रकार यह कह सकती है ''यदि आप सुनना चाहते है तो सुनिए अन्यथा बाहर चले जाइए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आप मंत्री महोदय से कहें कि माफी मांगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैडम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय हम यहां चर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री प्रेमचन्द्रन यह कोई तरीका नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : सभापति जी, विमैन्स बिल पर झगड़ा हो गया इसलिए सारा गुस्सा यहां उतार रही हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वैको, कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, यह बहुत गलत बात है। उधर से कोई भी कमेण्ट आए तो वह कमेण्ट नहीं है? *..(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप लोग इतने इमपेशेण्ट हैं? *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप कह रहे हैं कि भूख लग रही है। हम कहते हैं तो क्या हो गया? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आपको बोलने का अधिकार है तो उनको भी मंत्री के रूप में बोलने का अधिकार है।

...(व्यवधान)

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मंत्री जी मंत्री के स्वभाव के प्रतिकूल भड़काने वाली बात कह रही है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : गीता जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य की तरह, मंत्री को भी तब तक बोलने का अधिकार है जब तक वह संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध न हो।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार : उन्हें अपने विषय तक ही सीमित रहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें उनकी बात सुनने दीजिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते तो हम चर्चा समाप्त करेंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। श्रीमती सुषमा स्वराज, कृपया आप आपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं कह रही थी कि तारीख को जब स्ट्राइक हो गई, उस दिन भी ...*(व्यवधान)* ार नहीं सुनना तो फिर यही कहेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि आप रुचि नहीं ले रहे है तो हम सदन को स्थगित कर देंगे और भोजन के लिए चले जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : ठीक है। आप ऐडजर्न कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, हम ऐसा तभी करेंगे जब वे सुनना नहीं चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : हम तो चुपचाप सुन रहे हैं। जो नहीं सुन रहे हैं उनसे कहिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए। ठीक है, मैडम।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, मैं कह रही थी कि 9 तारीख को स्ट्राइक के पहले ही दिन फिर तीन बजे मैंने यूनियन्स को बुलाया और कहा कि ...*(व्यवधान)* क्यों बोलू? सुनना चाहेंगे तो बोलूंगी, नहीं तो क्या ऐसे ही बोलूं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती हैं।

अपराह्न 1.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.33 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.33 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री बेनी प्रसाद वर्मा *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप भूतपूर्व संचार मंत्री हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : स्थगित होने से पहले माननीय संचार मंत्री वक्तव्य दे रही थी। जहां तक मुझे समझ आया हैं उनका वक्तव्य समाप्त नहीं हुआ था। कुछ प्रश्न उठाए गए थे। उन्होंने कुछ-कुछ अपनी झुझलाहट प्रकट की थी। लेकिन अब मुझे वह सदन में नजर नहीं आ रही हैं। उनके वक्तव्य का क्या हुआ? क्या वह अधूरा रहेगा? क्या सदन को सम्मान देने का यही तरीका है?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति जी, हाउस का पूरा मान-सम्मान है। उस समय किस परिस्थिति में सभापति जी ने हाउस एडर्जन किया। आप लोग जीरो ऑवर में मंत्री जी को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको बार-बार टोक रहे थे ...*(व्यवधान)* मैं मंत्री जी को बुला देता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे पता चलता है कि सदन के प्रति उनका क्या रवैया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं आपको धैर्यपूर्वक उनको सुनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय माननीय संचार मंत्री के वक्तव्य के अलावा अब कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जब मंत्री जी बोल रहे हैं, तो पहले आप उनकी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : शालीन एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाली सुषमा जी द्वारा आरम्भ किये वक्तव्य को श्री खुराना जी द्वारा जारी नहीं रखा जा सकता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं, आपको उन्हें सुनना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सरकार को सदन के प्रति ऐसा रवैया अपनाना चाहिए? उन्होंने वक्तव्य देना आरम्भ किया था। हो सकता है उस समय सदस्यों ने उसमें व्यवधान डाला हो ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, उस समय जीरो आवर में चूंकि माननीय सांसद उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे इसलिए स्पीकर साहब ने जीरो आवर में हाउस एडजर्न कर दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इस सदन में ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आप संचार मंत्री के आने तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। मंत्री जी आ गई हैं।

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम) : हम उत्सुकता से आपका इन्तजार कर रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री और संचार मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं बहुत खुश हूं कि माननीय सदस्य उत्सुकता से मेरा इन्तजार कर रहे हैं। मेरे लिए आपके सम्मुख कुछ बोलना गर्व की बात है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी अच्छी-अच्छी बात बोलिएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सोमनाथ जी, मैं तो गलत बात करती ही नहीं हूं। यह अलग बात हो कि आप उसे गलत समझ लें। मैं हड़ताल की परिस्थिति बता रही थी और इस बात पर बल देने के लिए बता रही थी कि हम लोगों ने इस हड़ताल को टालने में और मसले का समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूनियन के नेताओं से, राजनीतिक नेताओं से बात करके और मसले के समाधान की दिशा में बढ़कर, यानी तीनों तरह से यह प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख है कि मसले का समाधान नहीं हुआ। मैं ''दुख'' शब्द का प्रयोग कर रही हूं क्योंकि हमारे वामपंथी साथियों ने बजाय सहयोग करने के 10 तारीख को पोलित ब्यूरो की तरफ से इस हड़ताल को समर्थन देकर राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हड़ताल को समर्थन देने से हमने किस तरह राजनीतिक रंग दिया बताएं? क्या हड़ताल को समर्थन देना राजनीतिक रंग देना होता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : राजनीतिक रंग देना क्यों होता है, यह मैं आपको बताती हूं। हड़ताल को समर्थन देना इसलिए राजनीतिक रंग होता है कि कहीं न कहीं यह संकेत जाए कि सरकार नहीं कर रही है, हम लोग दबाव डालकर, प्रैशराइज कर के करवा रहे हैं और यह संकेत न सच है और न सही है क्योंकि

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

आप जानते हैं कि अप्रैल 1997 में जस्टिस तलवार कमेटी की सिफारिश आ गई थी। नवंबर, 1997 तक युनाइटेड फ्रंट की सरकार रही। उस समय जो संचार मंत्री थी, वे आज यहां पीठासीन अधिकारी हैं।

सभापति महोदय : हमने रिक्मेंड कर के भेज दिया था।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं वही बता रही हूं कि जब सरकार गिरने लगी तो ड्राफ्ट नोट बनने लगा। आज आप कह रहे हैं कि 100 दिन पहले क्यों नहीं आया *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : 100 दिन नहीं, अब तो 109 दिन हो गए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : चलिए 109 दिन मान लीजिए और ज्यादा मान लीजिए। अप्रैल और सिंतबर के बीच में तो 100 दिन ज्यादा समय होता है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह मंत्रालय आपके पास रहने वाला नहीं है। आप इसको जल्दी से जल्दी कर दीजिए। आपका नाम इतिहास में आ जाएगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपकी शुभेच्छाओं के लिए शुक्रिया। मैं यह कह रही हूं कि अप्रैल से नवंबर तक 100 दिन से दुगना समय होता है। मैंने 21 अप्रैल को इसे शुरू भी कर दिया। बजाय मुझे यह पूछने के कि हम क्या कर रहे हैं आप इस प्रकार बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। जहां तक करने का सवाल है, मैं बताना चाहती हूं कि डाक सचिव के स्तर पर बात चल रही है। उधर कंटीजेंसी प्लान इसके लिए भी बन रहे हैं कि जनता को कम से कम असुविधा हो। लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर वाकई ही हम इस समाधान के अंदर मन से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि वह हो, आज सारे सदन के लोग, हर तरफ के लोग चाहते हैं कि यह समाधान हो, खासकर ई.डी. की दुर्दशा का समाधान हो, तो आप लोग संसद से अपील करिये कि कर्मचारी हड़ताल वापिस करे। *...(व्यवधान)* आप मेरे साथ बैठिये। मैं ऑफर कर रही हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति जी, आप पीठासीन हैं। आप पूर्व संचार मंत्री हैं। यहां तमाम ऐसे लोग बैठे हैं जो कभी न कभी सरकार में रहे हैं या सरकार को समर्थन देते रहे हैं जिन्हें गवर्नैंस के बारे में मालूम है। आपने कहा था कि आपने कोई ड्राफ्ट कैबिनेट नोट बनाया था। *...(व्यवधान)* यानी तलवार कमेटी की पूरी सिफारिशें आपने देखी हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने देखा होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं इसलिए कह रही हूं। *...(व्यवधान)* मैं कब मना करती हूं। *...(व्यवधान)* आप तय करिये कि कौन-कौन मेरे साथ बैठेगा। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उनके समय भी हड़ताल हुई थी। *...(व्यवधान)* हड़ताल चलते समय उन्होंने एग्रीमैंट किया था और हड़ताल खत्म हुई थी। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : बसुदेव जी, जब मैं ऑफर कर रही हूं तो आप बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* बजाए लम्बी और विस्तृत बात के, आप करिये अभी हल निकलेगा। *...(व्यवधान)* जनता के कष्ट को देखते हुए आप संसद से अपील करिये। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम आपको अपील कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* सरकार से अपील कर रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं आपको अपील कर रही हूं। *...(व्यवधान)* मेरी ऑफर है।

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : आप सत्ता पक्ष में है। हम सत्ता में नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम सरकार से अपील कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* हमारी अपील का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं बता तो रही हूं। *...(व्यवधान)* आपकी अपील पर मेरी यह ऑफर है कि आप मेरे साथ बैठिये। मसले का हल निकालने के लिए आप मेरे साथ बैठिये। *...(व्यवधान)* आप तमाम लोग हड़ताल के कन्टेंट भी जानते हैं और ई.डी. का दर्द भी जानते हैं। दोनों चीजों का एक समन्वय था। आप सब लोग सरकार में रहे हैं इसलिये आप मेरे साथ बैठिये। *...(व्यवधान)* मैं बैठने को तैयार हूं, हल करने के लिए तैयार हूं लेकिन आप अभी यहां से अपील करिये कि जनता को जो कष्ट हो रहा है, उसके चलते आप हड़ताल वापिस लें और संचार मंत्री के साथ बैठकर कोई हल निकालें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह कुछ नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामले पर मंत्री जी द्वारा राजनीतिक

दृष्टि से प्रेरित उत्तर है। ...*(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकार का रवैया पूरी तरह से राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित है। उन्होंने कर्मचारियों के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है। हम इस वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)* हम मांग करते है कि सरकार को वार्ता आरम्भ करनी चाहिए और इसका समाधान निकलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* इनका दुराग्रह राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित है। हम आरोप लगाते है कि यह राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित उत्तर है ...*(व्यवधान)* उन्होंने कर्मचारियों की हड़ताल के पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य देखा। हमारा आरोप है कि उनका वक्तव्य राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित है। हम आरोप लगाते हैं कि उनकी हठ राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित है। हम अपना विरोध दर्ज कराना चाहते है और हम इस सदन का बहिष्कार कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.43 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, सरकार का रवैया अत्यन्त कठोर है ...*(व्यवधान)* सरकार का रवैया मजदूर विरोधी है। ...*(व्यवधान)* हम इसका विरोध करते हैं और हम भी सदन का बहिष्कार करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.43½ बजे

(इस समय प्रो. पी.जे. कुरियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प. बंगाल) : महोदय सरकार के रवैये के खिलाफ हम भी सदन का बहिष्कार कर रहे है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.44 बजे

(इस समय श्री प्रमथेस मुखर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, यह सरकार जनता के साथ ...*(व्यवधान)* सरकार के निकम्मेपन की वजह से डाक कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई। उनकी जायज मांगों को यह सरकार स्वीकार करने में विफल है। आज भी मंत्री जी ने अपने जवाब में कोई ठोस सुझाव नहीं दिया कि यह सरकार डाक कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए क्या प्रस्ताव रखती है। ...*(व्यवधान)* इसलिए जानबूझकर पूरे देश को एक खास परिस्थिति में परेशानी में डाल रखा है। ...*(व्यवधान)* सरकार की स्थिति के विरोध में हम और हमारा दल संसद से बहिर्गमन करता है।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.44½ बजे

(इस समय श्री मोहन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति जी, सरकार की अक्षमता के विरोध में हम भी वाकआउट करते हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.45 बजे

(इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 2.45½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में सारनाथ तीर्थ स्थल और पर्यटक केन्द्र का चहुंमुखी विकास करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य (चंदौसी) : महोदय, सारनाथ मेरे संसदीय क्षेत्र चंदौसी का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है साथ ही राष्ट्र का गौरवपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी है। लाखों लोग प्रति वर्ष देश-विदेश से इस धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के दर्शनार्थ आते हैं जिससे देश को करोड़ों रुपये की आय होती है। सारनाथ के चहुमुखी विकास के लिए हो सकता है कुछ परियोजनाएं बनी हों परन्तु विगत दस वर्षों से किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। यद्यपि यह बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है परन्तु सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा की जा रही है। इसका एक उदाहरण यह भी है कि सारनाथ स्टेशन पर एक भी लम्बी दूरी की गाड़ी नहीं ठहरती। अतः सरकार से मेरी मांग है कि सारनाथ जैसे भारत के अमूल्य तीर्थ स्थल और ऐतिहासिक पर्यटक केन्द्र का बहुमुखी

[श्री आनन्द रत्न मौर्य]

विकास किया जाए। इससे संबंधित लम्बित योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जाए और साथ ही सरकार सारनाथ स्टेशन का विकास करते हुए लम्बी दूरी की गाड़ियों के वहां ठहरने की व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? किस नियम के अंतर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री कोनिजेटी रोसैया : यह नियम 376 के अन्तर्गत है।

महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न अत्यन्त साधारण है। शून्य काल साधारणतया तभी समाप्त होता है जब सभा स्थगित होती है। आज यह मामला शून्य काल के दौरान उठाया गया था और सभा पुनः समवेत होने के पश्चात् भी जारी है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठ जाए।

श्री कोनिजेटी रोसैया : महोदय, हमने कुछ अन्य मामले उठाने के लिए सूचनाएं दी थी उसका क्या हुआ?

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी बात रिकार्ड हो गई है, अब आप बैठ जाइए।

(दो) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टेलीफोन बिलो में हो रही अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : महोदय, मैं सदन का ध्यान पूरे पश्चिमी उत्तर में टेलीकॉम विभाग में बिलों में प्रतिमाह हो रही लगभग एक करोड़ रुपये की अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पदस्थ सी.जी.एम. तथा पश्चिमी उत्तर के समस्त टेलीफोन जनरल मैनेजर एवं पूर्व टेलीकॉम घोटाले के समय के संबंधित सदस्य टेलीफोन आयोग तथा अध्यक्ष टेलीकॉम कमीशन के भी लिप्त होने की संभावना है। मेरे संसदीय क्षेत्र मेरठ में टेलीफोन विभाग में इतनी अनियमितता व्याप्त है कि कोई भी टेलीफोन कनैक्शन आसानी से नहीं लगता है। जनता परेशान है। 1998 के लोक सभा चुनावों में टेलीफोन विभाग के जनरल मैनेजर द्वारा मुझे चुनाव में प्रलोभन देने का असफल प्रयास किया गया। उक्त जनरल मैनेजर के द्वारा की गई अनियमितताओं को देखते हुए माननीय संचार राज्य मंत्री भारत सरकार, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति हैं, के द्वारा मेरठ के जनरल मैनेजर के स्थानांतरण के आदेश फाइल पर किए गए किन्तु आदेश जारी होने से पहले ही सदस्य आयोग द्वारा मेरठ के जनरल मैनेजर को टेलीफोन करके उसके स्थानांतरण की सूचना दे दी गई। अतः मेरे सरकार से निम्न तीन अनुरोध हैं-

1. माननीय संचार राज्य मंत्री जी द्वारा मेरठ के जनरल मैनेजर टेलीकॉम के स्थानांतरण के जो आदेश जारी किए गए थे, उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

2. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी., आई.एस.डी. व अन्य स्रोतों के माध्यम से टेलीफोन बिलों में हो रही अनियमितताओं, जिसमें सभी बड़े अधिकारियों के लिप्त होने की संभावना है, की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

3. उच्च पदों पर बैठे संचार भवन में संबंधित सदस्य आयोग तथा टेलीकॉम कमीशन के अध्यक्ष द्वारा संचार राज्य मंत्री के स्थानांतरण के गोपनीय आदेश के लीक होने की जांच की जाए।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.50 बजे

(इस समय विशिष्ट दर्शक दीर्घा से कुछ नारे सुनाई दिये।)

(इस समय विशिष्ट दर्शक दीर्घा से कुछ पर्चियां सभा-भवन के अन्दर फेंकी गई।)

(तीन) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे जिलों के किसानों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्जों को माफ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे बसे जिलों के हजारों किसानों ने बार-बार पड़ने वाले अकाल एवं अवर्षा से बचने के लिए एवं देश और प्रदेश को अकाल के समय खाद्यान्न एवं अन्य फसलें पैदा करके देने के लिए नर्मदा नदी को उद्वहन सिंचाई योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर पाइप लाइन डालकर अपने खेतों में सिंचाई का प्रबन्ध किया। इसके लिए एक लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक कर्ज लिया। बैंक के कृषि अधिकारियों और विशेषज्ञों ने सही राय नहीं दी और अलाभकारी पाइप लाइन योजनाएं डलवा

दीं। रासायनिक खाद, बीज, दवा, मजदूरों में दो से दुगने से भी अधिक वृद्धि हो गई। प्रतिकूल मौसम और संक्रामक रोगों के कारण वर्ष दर वर्ष किसान घाटे में चला गया। आज उस पर बैंक की ब्याज दर भी 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। इन सब कारणों से किसान का कर्ज दोगुना हो गया। इससे अधिक बढ़ गया है। मध्य प्रदेश सरकार की कर्ज मुक्ति और केन्द्र सरकार की कर्ज मुक्ति का लाभ भी इन किसानों को नहीं मिल पाया है।

आज हजारों किसान बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। उनकी आर्थिक हालत जर्जर हो गई है। आज वे इस स्थिति में नहीं हैं कि कर्ज चुका सकें। लघु उद्योग जितना ही रुपया इन्होंने भी खर्च किया है, उसमें ही मजदूर किसानों के यहां काम करते हैं।

इन किसानों की खेती को भी बीमार मानकर बीमार उद्योगों जैसा ही इनका कर्जा माफ किया जाये। कर्ज माफी के बाद भी सरकार घाटे में नहीं रहेगी, क्योंकि इन किसानों ने देश का जितने एकड़ का सिंचाई रकबा बढ़ाया है, सरकारी बांध, तालाब सिंचाई योजना से उसका आधा रकबा भी सिंचित नहीं हो पाता। देश को सिंचाई रकबे का सिंचाई लाभ हो गया है। इन बैंकों द्वारा किसानों से सख्ती से वसूली की जा रही है। इनकी भूमियां बिक जाये, तब भी ये सारा कर्जा नहीं चुका सकते। यही ठीक समय है जब किसानों को सच्ची राहत दी जा सकती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुरेश चंदेल जी।

...(व्यवधान)

श्री तपन सिकदर (दमदम) : महोदय, उस महिला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वह महिला उस संसद सदस्य की पत्नी है जिसे कल सदन से निष्कासित किया गया था। *...(व्यवधान)* महोदय, आपको उस महिला के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

सभापति महोदय : रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगी। श्री सुरेश चंदेल जी।

...(व्यवधान)

श्री जुआल उराम (सुन्दरगढ़) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : किस नियम के अंतर्गत आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री जुआल उराम : यह नियम 376 के अंतर्गत है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे पढ़कर सुना सकता हूं। मेरे पास नियम पुस्तिका की एक प्रति है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि किसी भी पब्लिक गैलरी के लिए या वी.आई.पी. गैलरी के लिए जो पास देते हैं, वे लोग सदस्यों के जरिये आते हैं। *...(व्यवधान)* उस पास में अंडरटेकिंग है कि जो वहां जाएंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह नियम 377 के अधीन मामलों से संबंधित नहीं है। श्री सुरेश चंदेल जी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : वे एक्स. एम.पी. हैं।

श्री जुआल उराम : वे तो पीछे हैं। आप बोल ही सकते हैं, जो एक्स. एम.पी. हैं *...(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : इसको बहस का विषय नहीं बनाया जा सकता।

...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : यह बहस का विषय नहीं होना चाहिए। तुम लोग एक तो महिलाओं का अपमान करते हो *...(व्यवधान)* यह तो महिलाओं का अपमान करना होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते।

सभापति महोदय : जी, नहीं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए। श्री सुरेश चंदेल जी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। श्री सुरेश चंदेल जी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : यह बिल केवल कांग्रेसियों के कारण नहीं आया। आप क्या बात करते हैं, यह सारी कांसप्रेसी कांग्रेस की है। ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उसका सूचना हम मंगा रहे हैं। यह आपका पाइंट ऑफ आर्डर नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : आप ऐसा बोलते हैं। उनकी ही चलेगी। हिम्मत से चलती है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सुरेश चंदेल की बात रिकार्ड पर जायेगी, बाकी की बात नहीं जायेगी। ...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चव्हाण जी, कृपया अपने सदस्यों को नियंत्रित करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न व्यर्थ है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री सुरेश चंदेल।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री सुरेश चंदेल के अलावा और किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी ...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ ने व्यवस्था दे दी है। कृपया बैठ जाइए। अब श्री सुरेश चंदेल जी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)*

(चार) हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के कारण विस्थापित हुए लोगों का उचित पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर) (हि.प्र.) : हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी एवम् पिछड़ा प्रांत है। वहां जिला बिलासपुर एवम् जिला ऊना के बीच बहने वाली सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध 1962 में बनकर तैयार हुआ जिसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि बांध के लिए भूमि देने वाले एवम् विस्थापितों ने राष्ट्र निर्माण में महती योगदान दिया है और राष्ट्र उनकी कृतज्ञता के लिए उनका धन्यवाद करता है तथा उनके पुनर्वास की ऐसी सम्मानजनक एवम् शालीनता से व्यवस्था की जाएगी जिससे वे अपने जन्मस्थान को भूल जाएंगे। लेकिन आज 36 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी भाखड़ा एवम् पौंग बांध विस्थापित उनके साथ किए गए वादों के पूरा न होने से दुखी तथा दर-दर की ठोकरें खाने एवम् प्रदेश सरकारों के रहमोकरम पर है। उन्होंने अपने हरे-भरे खेत इसलिए जलमग्न होने दिए ताकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में हरित क्रांति एवम् औद्योगिक क्रांति लाई जा सके, लेकिन उनके साथ उन्हीं राज्यों द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए और वे आज दीन-हीन अवस्था में उक्त राज्यों में बसे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि भाखड़ा एवम् पौंग बांध विस्थापितों के प्रत्येक परिवार को 16 एकड़ जमीन दी जाए, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, विस्थापितों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से बिना गारंटी के ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पंजाब, हरियाणा,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजस्थान और दिल्ली को भाखड़ा बांध से दी जाने वाली विद्युत एवम् पानी से प्राप्त होने वाले धन में से 10 प्रतिशत धनराशि डिवीडेंड के रूप में सुरक्षित रखी जाए जिसका सिर्फ विस्थापितों को सुविधाएं मुहैया कराने पर व्यय किया जाए, हरियाणा के सिरसा एवम् हिसार जिलों में बसे विस्थापितों के परिवारों में से नवयुवकों को मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, पुलिस एवम् अन्य रक्षा सेवाओं में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाए। ये मांगें भारत सरकार से सीधी सम्बन्धित हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय इनको अविलम्ब मानें और राष्ट्र के कृतज्ञ नागरिक भाखड़ एवम् पौंग बांध विस्थापितों के साथ किए गए वादों को शीघ्र पूरा कर उन्हें न्याय प्रदान करें।

अपराह्न 3.00 बजे

(पांच) पूर्वोत्तर क्षेत्र में मलेरिया के फिर से न फैलने देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट) : महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मलेरिया एक बार फिर घातक रोग के रूप में उभरा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह माना है कि मलेरिया के कारण इस क्षेत्र में स्थिति काफी विकट हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि इस क्षेत्र की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 3.7 प्रतिशत है फिर भी यहां मलेरिया के 8 से 10 प्रतिशत मामले तथा प्लास्मोडियम फाल्सिपारम इन्फेक्शन के 10 से 20 प्रतिशत मामले पाए गए हैं।

इस क्षेत्र में इस बीमारी के 60 से 80 प्रतिशत लक्षण प्लासमोडियम फाल्सिपारम इनफेक्शन वाले स्टेबल मलेरिया के हैं। अन्य कारण जो इस क्षेत्र में मलेरिया को और अधिक बढ़ाता है वह है प्लास्मोडियम फाल्सिपारम में क्लोरोक्वीन प्रतिरक्षा का विकास है।

1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने के पश्चात् देश के सभी भागों में मलेरिया के मामलों में काफी कमी हुई परन्तु यह कमी इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम थी। क्षेत्र में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों में अधिक पुंबीजाबुपर्ण प्रकृति (एन्डरोफीलिक हेबिट) जो कि रोगवाहक का कार्य करती है, के कारण कम आबादी वाले भागों में भी यह रोग फैल रहा है।

वर्ष 1991-95 में यह रोग फिर उभर कर आया जिससे मलेरिया के रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई और यह रोग अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। मलेरिया और प्लासमोडियम फाल्सिपारम इन्फेक्शन के मामले क्रमश: 42 से 177 प्रतिशत तक बढ़ गए है।

सरकार को इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए और इस स्थिति से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।

(छह) बिहार में मधुबनी में अधवारा समूह की नदियों के प्रदूषणों को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. शकील अहमद (मधुबनी) : महोदय, मैं, भारत-नेपाल पर अवस्थित बिहार राज्य के मधुबनी लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। नेपाल के जनकपुर शहर में कूट का एक कारखाना है, जिससे कोई बहुत विषैला पदार्थ निकलता है, जिसे कारखाने वाले पास से गुजरने वाली अधवारा समूह की नदियों में गिरा देते हैं। ज्ञात हो कि अवधारा समूह की नदियां नेपाल से चलकर भारत में आती हैं। इन नदियों के पानी के साथ-साथ वह विषैला पदार्थ भी भारत की सीमा के अन्दर आ जाता है, जिसे पीकर सैकड़ों भारतीय मवेशी हर वर्ष मर जाते हैं।

मैं चाहता हूं कि भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता कर उसकी रोकथाम करे, जिससे अधवारा समूह की नदियों के आसपास के गांवों के मवेशियों की सुरक्षा जनकपुर कूट के कारखाना से निकलने वाले विषैले पदार्थ से की जा सके, जिससे मधुबनी एवं सीतामढ़ी इत्यादि जिलों के मवेशी पालने वाले किसानों को राहत मिल सके। मैं यह भी मांग करता हूं कि जिन किसानों के मवेशी मर गए हैं, सरकार उन्हें मुआवजा भी देने का काम करे।

(सात) पर्यावरणीय प्रदूषण जिससे पुरुष अनुर्वरता हो रही है, पर गम्भीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. सरोजा वी. (रासिपुरम) : मुम्बई स्थित प्रजनन अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई इसकी पुष्टि से पता चलता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण सामान्य शुक्राणु संख्या 60-110 मिलियन मिलीलीटर से घटकर 20 मिलियन मिलीलीटर रह गई है। यह लेख विश्व स्वास्थ्य संगठन के जेनेवा सम्मेलन में पढ़ा गया था। शुक्राणु आकृति में परिवर्तन के कारण जैविक विकार उत्पन्न हो जाता है जिससे डी.एन.ए. बदल जाता है तथा शुक्राणु संख्या में कमी और जैविक विकार से पुरुष बांझपन पैदा होता है। एक तरफ तो हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं दूसरी तरफ संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की बात करते हैं चूंकि तमिलनाडु और केरल ने 2000 ई. के लिए परिवार नियोजन का लक्ष्य पूरा कर लिया है इसलिए वे इस समस्या से काफी दुखी हैं। पुरुष बांझपन को एक गंभीर चिकित्सीय समस्या समझा जाना चाहिए। पर्यावरणीय प्रदूषण और पुरुष बांझपन पर इसके प्रभाव एक गंभीर चिकित्सीय समस्या है।

[डा. सरोजा वी.]

सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।

(आठ) उत्तरी बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किए जाने तथा गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत उत्तरी बिहार में उद्योग के नाम पर एकमात्र केवल चीनी उद्योग ही है। जिसके अधीन देश में सबसे पहले 30-32 चीनी मिलों की स्थापना की गई थी। देश में जिस समय 9 लाख टन चीनी उत्पादन होता था, बिहार में उस समय 3 लाख टन चीनी का उत्पादन होता था। अब जबकि देश में 164 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा है, वहां बिहार में अभी तक 3 लाख टन चीनी का उत्पादन हो रहा है।

बिहार चीनी निगम के अधीन 15 चीनी मिलें बंद हैं। किसानों [illegible] करोड़ रुपया बकाया है, जबकि मिल मजदूरों का 70 [illegible]रुपया बकाया है। इस पर पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि चीनी मिलों को चालू किया जाए अथवा चीनी मिलों को समाप्त किया जाए। चीनी निगम की 4 चीनी मिलों को नीची मिल मालिक लेकर चलाना चाहते हैं, जिसकी सारी औपचारिकतायें पूरी हो गई हैं, लेकिन उसे अभी तक नहीं दिया गया है, जिससे 4 बन्द चीनी मिलें चालू हो सकें।

हाल ही में शूगर टैक्नोलाजी मिशन ने मोतीपुर चीनी मिल को चालू करने एवं मोतीपुर और गुरौल चीनी मिल को खाण्डसारी यूनिट में बदलकर वैक्युम पैन टैक्नालाजी के साथ चालू करने की रिपोर्ट दी है, लेकिन अभी तक शुगर टैक्नालाजी मिशन रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन नहीं किया गया है।

अत: चीनी निगम के अधीन बंद चीनी मिलों को चालू करने, किसानों मिल मजदूरों का बकाया भुगतान करने एवं शुगर टैक्नालाजी मिशन की रिपोर्ट के अन्तर्गत की गई अनुशंसाओं को लागू करने हेतु एस.डी.एफ. से ऋण देना और मोतीपुर और गुरौल चीनी मिलों को तुरन्त चालू कराने की मांग करता हूं।

(नौ) रुग्ण चीनी मिलों का आधुनिकीकरण तथा विस्तार किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य चीनी निगम की 35 मिलों में से 22 मिलों को निजी हाथों में बेचने तथा 5 चीनी मिलों को बंद कर देने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार राज्य सीमेंट निगम की चुर्क सीमेंट फैक्ट्री को भी निजी क्षेत्र में बेचने या बंद कर देने का फैसला लिया जाने वाला है। इससे हजारों श्रमिक परिवारों के भविष्य के सामने प्रश्न चिन्ह लग गया है और उनमें व्यापक असंतोष है। निजी क्षेत्र में बेच दिये जाने पर इन मिलों से संबंधित कर्मचारियों के सेवा की कोई गारंटी नहीं दी गयी है। मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करके इन मिलों को निजी हाथों में जाने से रोके तथा पर्याप्त धन देकर इनका आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण कराएं।

(दस) कलकत्ता की परिक्रमा रेल के संरक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : कलकत्ता शहर में सरकुलर रेलवे उत्तर से दक्षिण की ओर चलता है। यह मेट्रो रेलवे की तरह कोई भूमिगत परियोजना नहीं है।

कलकत्ता शहर में अत्यधिक यातायात के खतरों से जीवन दुखी और दुष्कर हो गया है। असह्य स्थितियों के बावजूद, इसमें व्याप्त कुप्रबंध के कारण कलकत्ता नगर के लोग सरकुलर रेलवे सुविधा का लाभ उठाने में हिचकिचाते हैं। सरकुलर रेलवे का रख-रखाव ठीक नहीं है, डिब्बे गंदे हैं, देखरेख करने वाला स्टाफ नहीं है, इनके आने-जाने का कोई निश्चित समय नहीं है। डिब्बों के अंदर यात्रियों के मन में असुरक्षा की भावना बनी रहती है तथा चूंकि ये शहर के अपेक्षाकृत कम आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरती है इसलिए सरकुलर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से टिकटों की बिक्री बहुत कम होती है।

निश्चय ही सरकुलर रेलवे एक व्यवहार्य परियोजना है और अगर रेल मंत्रालय उचित उपाय करती है तभी यह चालू रह सकती है अन्यथा यह जल्दी ही बंद हो जाएगी।

कल्पना, दूरदृष्टि और प्रबंधनीय अक्षमता के कारण सरकूलर रेलवे अपनी स्वीकार्यता खो रही है जबकि कलकत्ता की भूमिगत मेट्रो रेलवे की सभी वर्ग के लोगों ने काफी प्रशंसा की है। रेल मंत्रालय को तुरन्त हस्तक्षेप करके इसके आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि यह सुगम हो सके और कलकत्ता तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के लोग वास्तव में इसका लाभ उठा सकें और कलकत्ता में यातायात की भीड़भाड़ को भी कम किया जा सके।

रेल मंत्रालय द्वारा तुरंत हस्तक्षेप किए जाने पर ही कलकत्ता की सरकुलर रेलवे चालू रह सकती है।

(ग्यारह) देश में जल के समुचित उपयोग के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. सुशील इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, एक ओर देश में प्रयास हो रहा है कि सिंचित भूमि का एरिया कृषि क्षेत्र में बढ़ाया जाये, साधनों की कमी व अन्य राजनैतिक कारणों से गत 50 वर्षों में सिंचित भूमि कुल कृषि भूमि की 28 प्रतिशत हो पायी है, किन्तु दूसरी ओर वाटर लोगिंग व खारी पानी की मिट्टी जैसे दुष्प्रभाव तेजी से देश में कृषि भूमि पर बढ़ते जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचित कमांड एरिया में 30 लाख हेक्टेयर भूमि वाटर लोगिंग और 20 लाख हैक्टेयर भूमि खारी पानी के कारण कृषि योग्य नहीं रही है। मेरे स्वयं के संसदीय क्षेत्र सिरसा में वाटर लोगिंग व खारी पानी की समस्या से हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। इस क्षेत्र में घग्घर नदी पहाड़ी नदी है जब आती है बाढ़ के पानी से तबाही करती आती है और जब जाती है तो सारे क्षेत्र को सूखे की चपेट में डालती है।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि देश में उपलब्ध पानी की सुव्यवस्था करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की घोषणा करे जिससे यह प्रकृति द्वारा दिया जल मानव के जीवन रक्षण का कारण बने, न कि उसके विनाश का।

अपराह्न 3.10 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998 पर चर्चा करेगी। इस विधेयक के सभी तीन चरणों पर चर्चा करने के लिए नौ घंटे का समय आवंटित किया गया है। अगर सभा इस बात पर सहमत हो जाती है तो इस सामान्य चर्चा के लिए सात घंटे, खंड वार विचार के लिए डेढ़ घंटा तथा तृतीय वाचन के लिए आधा घंटा समय तय कर सकते हैं। श्री यशवंत सिन्हा जी।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव* करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

महोदय, मैं उन लोगों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने मेरे बजटीय प्रस्तावों के संबंध में सकारात्मक सुझाव दिए हैं। मतान्तर और उन मतान्तरों को समाप्त करने के लिए चर्चा करना प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का भाग है। इसलिए, मैंने बजट पर की गई टिप्पणियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

मुझे संसद के माननीय सदस्यों, संसद की स्थाई समिति, व्यापार संघों, विभिन्न चेम्बर्स आफ कामर्स और अलग-अलग कर दाताओं और संचार माध्यम से कई सुझाव मिले हैं। ये मुद्दे हैं 'साधारण बासिंदा नहीं' का दर्जा, कर या बाह्य वाणिज्यि उधार को रोकना, आय के रूप में उपहारों पर कर लगाना, शैक्षिक और चिकित्सा संस्थानों की आय पर छूट, आधार संरचना पूंजी निधियों की आय पर छूट, स्टाम्प ड्यूटी की सर्कल दरों के आधार पर पूंजीगत आय का निर्धारण वस्तुसूचियों के मूल्यांकन का तरीका और विधेयक में कई अन्य प्रस्ताव देश के भीतर और बाहर गहन विवाद की विषय वस्तु बने हुए हैं।

मुझे इसी प्रकार कई अप्रत्यक्ष करों के प्रस्तावों से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए कई प्रसंसाधित खाद्य मदों पर से करों में छूट देने का अनुरोध किया गया है। मुझे यही समझाने में मेरा घंटों समय ले लिया गया है कि मीठे और नमकीन उत्पादों पर कर नहीं लगाया जा सकता उसी प्रकार अन्य कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क तथा कुछ अन्य उत्पादों पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता। परम्परागत भारतीय मिठाइयों और नमकीनों को सदन के माननीय सदस्यों का काफी सहयोग मिला है।

अपराह्न 3.13 बजे

[**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

इन और अन्य मुद्दों पर मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं। मैं आगामी तीन दिनों में इस सदन में होने वाली चर्चा के बारे में विचार कर रहा हूं और मैं इन सभी मुददों का जवाब इस बहस के अंत में दूंगा।

आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात—संसूचना प्रौद्योगिकी की बात करना चाहता हूं। सभ्यता के इतिहास में विज्ञान के किसी भी कार्य से मानव विकास प्रक्रिया इतना प्रभावित नहीं हुई है जितनी संसूचना प्रौद्योगिकी से। संसूचना प्रौद्योगिकी राष्ट्र, समुदायों और लोगों की प्रगति का निर्णायक बन चुकी है। भारत में संसूचना प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक अक्षमताओं को दूर करने का अवसर प्रदान करती है तथा स्वयं की राष्ट्रीय नियति की मालिक बन जाती है। हमें इस क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाना है।

संसूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता को समझकर माननीय प्रधान मंत्री ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह की अध्यक्षता में संसूचना प्रौद्योगिकी और सोफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के संबंध में एक

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री यशवंत सिन्हा]

कार्य बल का गठन किया था। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह रिपोर्ट सदन में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के बाद दी गई थी तथा इसकी जांच मंत्रियों का एक दल कर रहा है। कार्य बल की सिफारिशों में वित्त, बैंकिंग, राजस्व, वाणिज्य इत्यादि से संबंधित कई मुद्दे शामिल हैं। मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी मेरी बात से सहमत होंगे कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई कर प्रोत्साहन से संबंधित सिफारिशें विलम्ब के बावजूद बजट में शामिल की जाएं। इसलिए मैंने प्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित संशोधन लाने का निर्णय लिया है—

— आय कर अधिनियम की धारा 80जजङ में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा को, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित डॉटा ट्रांसमिशन को शामिल करने के लिए विस्तृत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र इस महत्वपूर्ण कार्य द्वारा अपनी निर्यात की आय पर 100 प्रतिशत की कटौती का लाभ उठा सकेगा।

— खंड 80जजङ के लाभ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के सह उद्यमियों को भी देने का प्रस्ताव किया गया है।

— बाह्य व्यावसायिक ऋणों के ब्याज पर कर न अदा करने की छूट को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी देने का प्रस्ताव किया गया है।

— सूचना प्रौद्योगिकी डॉटा ट्रांसमिशन के संबंध में दी जाने वाली रॉयल्टी पर कर अदा न करने की छूट देने का प्रस्ताव भी किया गया है।

— कम्प्यूटरों पर कोई उपहार कर नहीं लगाया जाएगा।

— सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के ह्रास की उच्च दर को देखते हुए उन पर 60 प्रतिशत मूल्य ह्रास की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है।

अब, मैं अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख करूंगा। महोदय, जैसा कि सदन को याद होगा। मैंने बजट प्रस्तुत करते समय सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे फ्लापी डिस्क ड्राइवस्, हार्ड डिस्क ड्राइवस् और सी.डी.-आर.ओ.एम. ड्राइवस्, 1000 रु. प्रति पीस से अधिक के मूल्य के आई.सी., कैथोड रे ट्यूबें और कम्प्यूटरों के लिए रंगीन मॉनीटरों के डिफलैक्शन कम्पोनेंट पर शुल्क में अनेक रियायतें देने की घोषणा की थी। मैंने टैलीकॉम सॉफ्टवेयर पर सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करा दिया था और सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया था। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को पहले ही सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों से पूर्णतः मुक्त किया हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार में तेजी लाने के लिए मैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं 100% ई.ओ.यू./ई.जी.जेड./एस.टी.जी./ई.एच.टी.पी. योजनाओं के अंतर्गत आयातित कम्प्यूटरों एवं संबंधित उपकरणों को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, सरकारी संगठनों एवं पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों को 2 वर्ष के उपयोगोपरान्त दान देने पर आयात की तिथि से सीमाशुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं। उक्त संशोधन 16 जुलाई, 1998 से प्रभावी होंगे और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं को यथासमय सभापटल पर रख दिया जाएगा।

महोदय, भारत अपनी शुल्क संरचना को वर्ष 2005 तक विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार करने के लिए वचनबद्ध है। हालांकि, इस क्षेत्र पर अधिक जोर देने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी वचनबद्धता से दो वर्ष पहले नीति के साथ-साथ अपनी शुल्क संरचना में तेजी लाने का प्रस्ताव रखा था।

मुझे विश्वास है कि इन उपायों से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और इससे जनोन्मुखी और विकासोन्मुखी बनेगी। मुझे आशा है कि यह प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में आम जनता तक पहुंचेगी और ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रही उभरती ज्ञान-प्रवृत्त विश्व अर्थव्यवस्था में देश को महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी। माननीय प्रधान मंत्री जी के शब्दों में "भारत इस क्षेत्र में सम्पदा और उच्च कोटि के रोजगार के अवसरों के सृजन की दृष्टि से आशातीत परिणामों के साथ पूर्णतः प्रतिस्पर्द्धात्मक बन सकता है।" महोदय, भारत को उच्च कोटि की सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से आगे बढ़ने दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अब वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998 की सभा में विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

बजट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए तुलन-पत्र प्रस्तुत करने की ही वार्षिक क्रिया नहीं है बल्कि यह सरकार के आर्थिक दृष्टिकोण का विवरण होना चाहिए जो कि यहां और विदेशों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास की प्रेरणा देता है और कठिनाईयों को दूर करने के संकल्प को प्रकट करता है।

बजट भाषण के पहले शब्द और उसके बाद हुए साक्षात्कार तथा अनिवार्य आलोचना में सामान्यत: अर्थव्यवस्था तथा बाजारों की बात की गई है। दुर्भाग्यवश माननीय श्री सिन्हा द्वारा की गई कार्यवाही विशेषकर कराधान प्रस्तावों से काफी निराशा हुई है।

कराधान के संबंध में सरकार का पूरा दृष्टिकोण कायरतापूर्ण तथा दिशाहीन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को दूरगामी दिशा देने में असमर्थ है, और कठिन निर्णय लेने में राजनैतिक इच्छाशक्ति विहीन भी है। सरकार की नीतियां अर्न्तमुखी, संरक्षणवादी हैं और उत्पादक विरोधी तथा व्यापारियों के हित में हैं। उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि निर्यात को प्रोत्साहित करे अथवा औद्योगिक विकास को प्रेरित करे। कर की दरों में परिवर्तन इतने अधिक असंगत हैं कि उन पर कतिपय औद्योगिक समर्थक वर्गों के प्रभाव पड़ने का स्पष्ट संकेत मिलता है। आखिरकार, यह चुनावों के बाद पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि भा.ज.पा. के अनेक नेताओं ने चुनावों से पहले वचन दिए होंगे जिन्हें बेचारे वित्त मंत्री को स्वीकार करना पड़ा होगा।

केवल इधर-उधर फेर-बदल करने और सब जगह कर लगा देने को ही दूर-दृष्टि नहीं कहते हैं। मुझे विशेषरूप से यह जानकर दुख हो रहा है कि दोनों पूर्व वित्तमंत्रियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ मिलाने के लिए किए गए कार्य अब बेकार हो गए हैं। इन्होंने सब जगह गलत संकेत भेजे हैं। स्थानीय पूंजी बाजारों, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ऋण की दरों को कम करना और बाह्य प्रवाह की दिशा को देखने से इस बात का पता चलता है। पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों के स्थगन दोनों द्वारा पैसा बाहर जा रहा है। रुपए की कीमत निरन्तर घट रही है। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहे हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा मंदी के संकेत हैं।

महोदय, बजट के बाद की स्थिति और भी बदतर हो गई। कतिपय बजट प्रस्तावों का तेजी से वापस लिया जाना यह दर्शाता है कि सरकार ने न तो इन के प्रभाव के बारे में गम्भीरता से विचार किया था और न ही उसकी किसी आर्थिक विचारधारा के प्रति कोई प्रतिबद्धता थी, चाहे वह पेट्रोल की कीमतों में गड़बड़ी थी अथवा यूरिया की कीमतों को दो चरणों में घटाने का मामला था अथवा विशेष सीमा-शुल्क को आठ प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने का मामला था। यहां तक कि आधारभूत ढांचे में भी विद्युत विधेयक पर विचार करने के लिए इच्छा-शक्ति की कमी थी।

इसलिए, हमें इस बारे में गंभीर शंका है कि क्या मंत्री जी द्वारा राजस्व संबंधी प्रस्ताव कार्यान्वित होंगे भी, अथवा नहीं। यहां तक कि पिछले दो बजटों में भी वित्त मंत्री ने राजस्व संबंधी कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे लेकिन उनमें कोई सफलता नहीं मिली। इस समय भी वित्त मंत्री जी बहुत महत्वाकांक्षी हैं क्योंकि उन्होंने राजस्व में वृद्धि के संबंध में जो लक्ष्य रखे हैं वह उन्हें प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। मुझे नहीं लगता वह यह लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे।

अब अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में मैं पहले दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करना चाहूंगा जिसके संबंध में हमें गंभीर आपत्ति हैं। तत्पश्चात् मैं राजस्व प्रशासन के संबंध में कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं और अपने भाषण के दौरान कुछ उदाहरण दूंगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था के कुछ खास क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है और विशेष छूट दी गयी है।

इसके बाद, मैं कुछ विशेष सुझाव दूंगा।

महोदय, अब मैं उन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा जो कि हमारे लिए चिन्ता का विषय हैं। पहला है विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क पहले 8 प्रतिशत किया गया था और फिर बाद में घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि यदि इन्हें एक साथ लिया जाता है तो इसका कुल असर चार प्रतिशत नहीं पड़ेगा बल्कि, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि यह छ: या सात प्रतिशत तक बैठेगा। यदि इसे पिछले एक वर्ष में हुए रुपये के अवमूल्यन के साथ जोड़कर देखें तो पिछले वर्ष आयातित वस्तुओं की जो लागत थी वह कम से कम 20 प्रतिशत ज्यादा हो जाएगी। यह आयातित कच्चे माल पर अतिरिक्त बोझ, बोझ डालने का समय नहीं था। महोदय इससे न केवल देश में कम लागत की अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ना उलट जाएगा अपितु विश्व व्यापार से जुड़ने के सामान्य प्रयास भी उलट जाएंगे।

संक्षिप्त नाम एस.ए.डी. इस प्रयास को उचित ढंग से परिभाषित करता है। फिर से सभी को समान अवसर दिए जाने के नाम पर व्यापार बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। कुछ लोग इसे स्वदेशी शुल्क कहते हैं। परन्तु मेरे विचार से यह दिशा बदलना है। इससे लघु उद्योगों और आयातित माल पर निर्भर रहने वाले देशी निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति प्रभावित होगी।

यह स्पष्ट है कि यह मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला है। परन्तु मुझे अधिक चिंता इस बात से होती है कि इस शुल्क से व्यापारियों को मुक्त रखा गया हैं। इस सम्बन्ध में काफी कुछ लिखा जा चुका है। इस शुल्क से व्यापारियों को मुक्त रखना और इस शुल्क को उत्पादनकर्त्ताओं पर लगाना केवल यही बात उत्पादनकर्त्ताओं के विरोध में और व्यापारियों के इतने हित में है कि इससे भारतीय उद्योग में एक स्थायी विकृति उत्पन्न हो जाएगी। लोग कहते हैं

[श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण]

कि भा.ज.पा. व्यापारियों की पार्टी है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं लेकिन मेरे विचार से इस प्रकार का शुल्क पूरी तरह उत्पादक-विरोधी है। ...*(व्यवधान)* यहां पर यह तर्क दिया गया कि बिक्री कर के बन्द होने से होने वाली क्षति की पूर्ति प्रतिकारी शुल्क करेगा। यह वास्तव में सही नहीं है। यदि आप बिक्री कर की दरों पर ध्यान देंगे तो यह पता चलेगा कि यह शून्य से दो प्रतिशत तक कुछ राज्यों में है और कुछ राज्यों में 16 प्रतिशत है। इससे क्या होगा? यह होगा कि कई उद्योग कम बिक्री कर वाले क्षेत्रों में काल्पनिक नाम की व्यापारिक इकाइयां खोलेंगे और शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पादनकारी इकाइयों को वस्तुओं को स्थानान्तरित करेंगे। इससे भी 'इंस्पेक्टर राज' से मुक्ति मिलेगी। इस बात को कौन तय करेगा कि यह व्यापार के लिए आयात है या उत्पादन के लिए आयात किया गया है। इसीलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

इस योजना से होने वाले नुकसान के बारे में हमें गहरी चिन्ता है। बाम्बे क्लब को शानदार जीत हासिल हुई है। परन्तु मैं इस चिंतित हूं कि इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव ... सरकार से एक बार फिर इस विकृति को दूर करने और इस शुल्क में व्यापार को भी सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, एक बात और जिसकी मुझे चिन्ता है वह यह है कि सरकार ने राजस्व संग्रह के उपाय के रूप में 'मॉडवाट क्रेडिट' में पांच प्रतिशत की अनुमति नहीं दी है। यह सीमा 95 प्रतिशत तक हो जाएगी। यह भी एक पीछे हटने वाली बात है। इससे सामान्य मूल्य आधारित कर की दिशा से विचलित होना होगा। वस्तुत: मैं अपेक्षा कर रहा था कि भा.ज.पा. बिक्री कर को हटाने और व्यापार अवरोधकों को हटाने और व्यापार को मुक्त और सरल बनाने की बात करेगी परन्तु उसने इस दिशा में कोई कदम ही नहीं उठाए हैं। मूल्य आधारित कर को लगाने की दिशा में कोई भी पहल नहीं की गई है।

पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों ने मूल्य आधारित कर प्रणाली की दिशा में कुछ कदम उठाए थे परन्तु आप पीछे हट रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो तर्क दिया था वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग 'मॉडवॉट' क्रेडिट का पूरी तरह दुरूपयोग कर रहे हैं, पकड़ने के बजाय वो पूरे उद्योग जगत को सजा दे रहे हैं। यदि यही तर्क को किसी विधि प्रवर्त्तन अभिकरण द्वारा इस्तेमाल में लाया जाय तो क्या होगा आपको पता है? यह ऐसी बात होगी कि यदि आप एक हत्यारे को नहीं पकड़ पाएं तो शहर के प्रत्येक व्यक्ति को आधे दिन के लिए जेल में रखें।

यह बड़ा ही विचित्र नर्क है। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं यह विशेष शुल्क "मॉडवॉटिबल" नहीं है जिसका कि जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। कृपया इस प्रतिकारी शुल्क को संशोधित मूल्य आधारित कर के अधीन लाएं। यह विशेष शुल्क संशोधित मूल्य आधारित कर के अधीन नहीं है। मॉडवेट क्रेडिट में पांच प्रतिशत की अनुमति नहीं दिया जाना और अतिरिक्त सीमाशुल्क को संशोधित मूल्य आधारित कर योग्य बनाया जाना यह दोनों ही बातें गलत है। इसको ठीक किया जाना चाहिए।

मैंने कहा था कि मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि किस तरह कुछ विशेष क्षेत्रों को न केवल इस सरकार द्वारा अपितु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भी किस प्रकार विशेष सहूलियतें प्रदान की गई। अब मैं एक विशिष्ट क्षेत्र बुनियादी संरचना पर आता हूं। मेरे विचार से पूर्ववर्ती वित्त मंत्री और वर्तमान वित्त मंत्री जी की पेट्रोलियम शोधन क्षेत्र पर विशेष कृपा दृष्टि रही है। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सरकार यह कैसे निर्धारित करती है कि बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं का यह विशेष क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है? पेट्रोलियम शोधन क्षेत्र के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पिछले बजट में एक विकृति लायी गयी, वह यह कि शून्य परियोजना आयात शुल्क की नई अवधारणा को लाया जाना। पिछले वित्त मंत्री ने ऐसा किया था जो कि गलत था। बुनियादी संरचना क्षेत्र के और किसी भी क्षेत्र को यह लाभ नहीं मिला। यदि आप बुनियादी संरचना क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप पूरे बुनियादी क्षेत्र पर शून्य प्रतिशत परियोजना शुल्क क्यों नहीं लगा देते? आप केवल एक क्षेत्र पेट्रोलियम शोधन क्षेत्र को ही यह विशेष सुविधा क्यों प्रदान कर रहे हैं? और, तेल की खोज, विद्युत, पारेषण, सड़क और वायु पत्तनों को क्यों नहीं? आपको इसे ठीक करना चाहिए था। भारतीय उद्योग परिसंघ से और इंजीनियरिंग उद्योग से इस बात की दृढ़ मांग करने वाला अभ्यावेदन दिया गया था क्योंकि इससे स्थानीय पूंजीगत वस्तुओं का बाजार प्रभावित होता है। आप सभी के साथ एक समान व्यवहार करिए। उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया। परन्तु अब की बार उन्होंने पेट्रोलियम शोधन के साथ विद्युत क्षेत्र को विशेष कर मुक्ति प्रदान की हैं। परन्तु फिर से इस क्षेत्र को विशेष व्यवहार के लिए चुना गया।

इसके अलावा पेट्रोलियम शोधन क्षेत्र के लिए आयात को भी सीमाशुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क से भी मुक्त रखा गया। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के इस विशेष क्षेत्र के साथ विशेष व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इस बात का निर्णय कौन करता है कि बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का एक विशेष क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? कृपया इस पर सावधानीपूर्वक विचार करें। इस बात की गम्भीर आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि एक विशेष औद्योगिक घराने के साथ विशेष व्यवहार किया जा रहा है।

बुनियादी ढांचागत क्षेत्र की बात करते समय अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि बुनियादी ढांचा सम्बन्धी विशेषज्ञ दल द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन में रेलवे की बात नहीं उठायी गई है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का रेलवे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा किया जाना चाहिए अपितु रेलवे को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मैं राजस्व प्रशासन के एक विशेष पक्ष उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार व्यक्त करने के लिए कुछ मिनट लूंगा। सरकार राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित करती है। इस लक्ष्यों की जानकारी प्रति माह और प्रत्येक तिमाही पर दी जाती है। पूरा विभाग लक्ष्यों को पूरा करने में तत्परता से जुटा रहता है। परन्तु आखिरी तिमाही में यह होता है कि जब राजस्व का संग्रहण अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है, जैसाकि पिछले दो वर्षों से नहीं हो रहा है, तो वर्ष के अन्त में अधिकाधिक राजस्व का संग्रहण करने के लिए आबकारी प्राधिकारियों पर दबाव डाला जाता है। पिछले दो वर्षों में सीमाशुल्क राजस्व में कमी आई है। वर्ष 1996-97 में सीमाशुल्क राजस्व में 700 करोड़ रुप्ये की कमी आई है। वर्ष 1997-98 में यह 4500 करोड़ रुपये तक कम हो गया। परन्तु अभी भी आप आशावादी है और कहते हैं कि यह 21 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। ठीक है परन्तु राजस्व संग्रहण अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? वर्ष के आखिर में उत्पाद-शुल्क अधिकारियों पर अधिकाधिक राजस्व संग्रहण के लिए दबाव पड़ेगा। आपके सामने विशेष चौथी तिमाही में उत्पाद शुल्क की वसूली में परेशानी होने की समस्या आएगी। उत्पाद शुल्क अधिकारी अवैध रूप से उद्योगों को माडवैट 'क्रेडिट' का उपयोग करने से रोकते हैं जोकि पिछले तिमाही में उन्हें देय हो गया था परन्तु वे उन्हें उत्पाद शुल्कों का नकद भुगतान करने के लिए बाध्य करते हैं ताकि राजस्व उगाही के आंकड़े बढ़ जाएं। यह बात सही है कि यह क्रेडिट पहली तिमाही में दिया जाता है। पहली तिमाही में नकद प्राप्तियां कम होती है परन्तु अन्तिम तिमाही में उगाही कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। इस उगाही के लिए उद्योगों को अत्यधिक परेशान किया जाता है। इस बात का कहीं कोई रिकार्ड नहीं होता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जिनमें उद्योगपतियों ने हमसे शिकायत की है कि उत्पाद-शुल्क अधिकारियों ने आर.जी.-23 रजिस्टरों को ही प्रयोग से हटा दिया है। जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे नहीं चाहते माडवैट क्रेडिट को उपयोग में लाया जाए। उन्हें तो नकद भुगतान चाहिए जिससे कि राजस्व उगाही लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। कृपया इस बात पर ध्यान दें। यह एक गम्भीर शिकायत है। चौथी तिमाही की उत्पाद-शुल्क उगाही की समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता है।

सीमाशुल्क के बारे में, जनवरी, 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने 'फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस स्कीम' चलाई थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल व्यापार तेजी से करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप सीमाशुल्क कार्यालय से माल शीघ्र नहीं छुड़ाते है तो आपको प्रतियोगितात्मक लाभ नहीं मिल पाएगा।

परन्तु इस योजना पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया और इस पर समुचित निगरानी नहीं रखी गयी और मेरे विचार से शायद इसे छोड़ दिया गया है। इसकी शर्तें इतनी जटिल हैं कि कई लोग इसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं। वित्त मंत्री कृपया इस पर ध्यान दें।

राजस्व प्रशासन के सामान्य पहलू के बारे में अब मैं कम्प्यूटरीकरण पर आता हूं। मैं वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को अनेक प्रोत्साहन दिए हैं उन्होंने विशेष अधिमान के लिए केवल सूचना प्रौद्योगिकी को चुना है यह बहुत अच्छा है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता है कि जैसे-जैसे हम 21वीं सदी में प्रवेश करने की ओर कदम उठा रहे है सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। किंतु वित्त मंत्री के अपने विभाग की क्या स्थिति है? उनके विभाग की कम्प्यूटरीकरण योजनाओं की प्रगति रूक-रूक कर हो रही है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टर चेंज योजना के कार्यान्वयन को ही लें। केवल दिल्ली में ही कुछ कामचलाऊ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज सुविधा उपलब्ध है। किंतु अन्य प्रमुख पत्तनों की क्या स्थिति है? मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई की क्या स्थिति है जहां पर इस योजना के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं है। कल कोई भी तब तक हमारे निर्यात-आयात प्रलेखों या अन्तर्राष्ट्रीय निविदा प्रलेखों को तब तक नहीं छुएगा जब तक वे इ.डी.ए. प्रारूप में न हों, जब तक वे कम्प्यूटर पर उपलब्ध न हो। कोई भी उनके पत्र दस्तावेजों को व्यवहार में नहीं लाएगा, जितनी जल्दी हम इस प्रणाली को अपनाएं, बेहतर होगा। अन्यथा, भ्रम बना रहेगा और हम इससे बाहर हो जाएंगें। किंतु प्रगति धीमी है। प्रगति धीमी क्यों है? क्योंकि कम्प्यूटरीकरण विभाग में ही इस योजना का विरोध हो रहा है। निहित स्वार्थ, उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभागों और यहां तक आयकर विभाग के मध्यम स्तर के अधिकारी कम्प्यूटरीकरण का विरोध कर रहे हैं। वित्तमंत्री सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में ऊंची-ऊंची बातें करते हैं और यह ठीक भी है। किंतु उनके अपने विभाग की क्या स्थिति है? कृपया अपने विभाग में कम्पूटरीकरण में तेजी लाएं।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के क्षेत्र में जब तक वे सीमाशुल्क प्रविष्टि पत्तनों (कस्टम एंट्री पोर्ट्स) को नेटवर्क से नहीं जोड़ते उत्पाद शुल्क का संग्रहण और कठिन हो जाएगा, जब तक उनका कम्प्यूटरीकरण न हो, जब तक देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिन आंकड़े कम्प्यूटर पर उपलब्ध न हों हम वास्तव में आधुनिकीकरण नहीं कर सकते है। उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते है।

[श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण]

आयकर के क्षेत्र में भी वित्त मंत्री ने स्थायी लेखा संख्यांक (पी.ए.एन.) प्रणाली शुरू की है और मैं इसका स्वागत करता हूं, वित्त संबंधी स्थायी समिति इसकी वर्ष-दर-वर्ष सिफारिश कर रही थी। स्थायी लेखा संख्यांक का कम्प्यूटरीकरण आवश्यक है मंत्री जी ने इसके लिए कुछ कदम उठाए हैं, यह बहुत अच्छा कार्य है। जब तक पूर्ण कम्प्यूटरीकरण न हो और जब तक वे उद्योग या व्यापार के प्रत्येक दस्तावेज पर स्थायी लेखा संख्यांक का उल्लेख न करे स्थायी लेखा संख्यांक का लाभ उन्हें तब तक नहीं मिलेगा। तभी दुतरफी जांच संभव होगी, यदि इसे वास्तव में लागू किया जाए तो इससे काले धन पर भारी आघात लगेगा। किंतु केवल यह कहने से कि कार खरीदने या मकान को खरीदने या बेचने के लिए स्थायी लेखा संख्यांक की आवश्यकता होगी इससे शायद कुछ उत्पीड़न ही होगा।

अब वित्त मंत्री जी ने विशेष कराधार विस्तार योजना में स्थायी लेखा संख्यांक को 45 शहरों में शुरू किया है। किंतु मैं चाहता हूं कि काले धन को रोकने की योजना के पीछे की भावना का [illegible] धिकारियों द्वारा दुरूपयोग न किया जाए जब कोई व्यक्ति [illegible] खरीदता या बेचता है या कार खरीदता है, यदि किसी [illegible] पास स्थायी लेखा संख्यांक न हो तो मुझे आशा है उसका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मुझे आशा है कि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आसानी से दिया जाएगा। मुझे आशा है कि इस सारे तर्क को प्रत्येक व्यक्ति के समक्ष स्पष्ट किया जाएगा। क्योंकि लोग पहले ही कह रहे हैं कि यदि वे बैंक खाता खोलना चाहते हैं तो उन्हें स्थायी लेखा संख्यांक की आवश्यकता होगी जो लोगों का उत्पीड़न है। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि जब तक संभवत: सरकार द्वारा सभी आर्थिक क्रियाकलापों पर दुतरफी जांच न हो काले धन का अभिशाप समाप्त नहीं हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटरीकरण पर काफी बल दिया गया है। किंतु वित्त मंत्री के समक्ष इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले सक्षम अधिकारियों की कमी की गंभीर समस्या भी है। क्योंकि जब हम कागज विहीन व्यापार या टर्मिनल आधारित लेन-देन करते हैं तो धोखाधड़ी की व्यापक गुंजाइश रहती है, उन्हें अधिक इलेक्ट्रॉनिक और कम्प्यूटर इंजीनियरों की भर्ती करनी होगी उन्हें आयकर अधिकारी, सीमाशुल्क अधिकारी और उत्पादशुल्क अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करना होगा, अधिकारियों की कमी है। उनके यहां विशेष प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए जहां पर वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाए।

कराधार विस्तार योजना का मैं सामान्यत: स्वागत करता हूं। किंतु मेरे विचार से चार शर्तों में से दो अच्छी हैं अन्य दो उतनी अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि जो व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य बन रहा हो और 25,000 रुपये अदा करता है उसके पास पहले से टेलीफोन और कार होंगे और शायद वह विदेश यात्रा कर चुका होगा, किंतु इसकी भावना समझी जा सकती है। अब वित्त मंत्री ने इस योजना का विस्तार 45 शहरों तक कर दिया है किंतु मैं उन्हें और आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद, दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में 40 लाख टेलीफोन और 30 लाख कारें हैं।

किंतु पिछले वर्ष की कराधार विस्तार योजना के अन्तर्गत केवल 33,000 अतिरिक्त निर्धारिती शामिल किए गये। ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं है। मुम्बई में केवल 10000 अतिरिक्त निर्धारिती इस योजनान्तर्गत शामिल किए गए। तथापि श्री चिदम्बरम ने कहा था कि उन्हें आशा है कि कर निर्धारितियों की संख्या पांच करोड़ तक पहुंच जाएगी, मुझे विश्वास है कि पांच करोड़ लोग कर दे सकते है, जब तक कुछ किया नहीं जाता इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त करना बहुत कठिन है।

मैं अनुसंधान और विकास योजनाओं के लिए चिन्ताजनक कटौती के बारे में एक बात कहता हूं। धारा 35(2)(कख) को निकाल दिया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि ऐसा क्यों किया गया क्योंकि हम सभी देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन और सहायता देना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुन: गौर करें।

विशिष्ट क्षेत्रों के कराधान प्रस्तावों पर आते हुए सबसे पहले मैं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ही बात करता हूं। आपने इस क्षेत्र के लिए बहुत सी रियायतों की घोषणा की है और कहा कि आप निर्धारित समय से पूर्व ही विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का पालन कर रहे है, यह अच्छा है किंतु आज सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष मूल समस्या विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क है। उन्होंने व्यापारियों को इसकी परिधि से बाहर रखा है। अब सभी कल पुर्जों और कच्चे माल पर सात, आठ या नौ प्रतिशत की दर से विशेष शुल्क लगेगा। रुपये के अवमूल्यन के कारण वे पहले ही अधिक महंगे हो गए हैं। किंतु बने-बनाए कम्प्यूटर, बने-बनाए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आदि व्यापार द्वारा शुल्क मुक्त आ रहे है और इससे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वास्तव में चिंतित है। हर कोई बने-बनाए बोर्डों का आयात कर रहा है। प्रौद्योगिकी में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि स्थानीय लोगों को इसे यहां जोड़ना बहुत कठिन है। मैं चाहता हूं आप इस पहलू पर गौर करें।

आपने कहा कि आप ब्रांड नामों के कारण उत्पन्न हुई भ्रांति के बारे में विचार करेंगे। मैं मिठाई की बात नहीं कर रहा हूं, 'ब्रांड नाम' की परिभाषा के अनुसार यह रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत

हो सकता है। यह समस्या पैदा कर रहा है। इंस्पेक्टर कहर बरपा रहे है। इसलिए आपको 'मिठाईवालों' को परिभाषा की परिधि से बाहर रखना होगा। वस्तुतः आपको उन लोगों का स्वागत करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए जो ब्रांड नाम के उत्पादों का उत्पादन करने जा रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना कर रहे है अर्थात् किसी छोटे शहर का 'हलवाई' या 'भुजिया' विक्रेता बड़ा नाम कमाकर अपने उत्पाद का व्यापारिक नाम रख रहा है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, मेरे विचार से अधिक लोगों को ऐसा करना चाहिए। हम तभी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं। आप उन्हें दंडित क्यों कर रहे हैं?

ब्रांड नाम की समस्या एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् डेयरी क्षेत्र में भी भ्रांति पैदा करेगी। अब आपने पहली बार पाउडर दूध, मक्खन और घी पर उत्पाद शुल्क लगाया है, यदि आप नामी ब्रांड वाले मक्खन टेबल बटर जिसका उपभोग धनाढ्य वर्ग द्वारा किया जाता है, पर शुल्क लगाते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती किंतु आपने मक्खन कहा है और जब आप इस ब्रांड नाम वाले मक्खन से जोड़ देते हैं, पाउडर दूध और मक्खन का उत्पादन करने वाले लघु उद्योगों से जोड़ देते हैं तो फिर यह उन उद्योगों को बरबाद कर देगा। आप अच्छी तरह जानते है दुग्ध अर्थव्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। दूध की प्रचुरता के मौसम में जब उसको लेने वाले ग्राहक नहीं होते तो उसकी कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए लोग तरल दूध को सूखे (पाउडर) दूध में बदल देते है। दूध की कमी के दौरान पाउडर दुग्ध को पुनः तरल बनाया जाता है और तरल दूध तैयार किया जाता है। लोगों को उचित कीमत पर तरल दूध उपलब्ध कराने और किसानों का लाभ बनाए रखने का यह एक अभिन्न हिस्सा है। यदि आप पाउडर दूध को उत्पाद शुल्क की परिधि में लाते हैं तो यह भारतीय डेयरी उद्योग को बरबाद कर देगा। आपको डेयरी उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। भारतीय डेयरी उद्योग में विश्व बाजार में प्रतियोगिता करने की क्षमता है। आपको इसे प्रोत्साहन देना चाहिए न कि इस तरह हतोत्साहित करना चाहिए।

अब मैं दुग्ध मशीनों पर लगाए गए उत्पाद शुल्क पर आता हूं। डेयरी उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। दुग्ध मशीन एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो संपूर्ण डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण करती है। अब आप इस पर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं।

एक बार फिर यह कोई अच्छा कदम नहीं है। कृपया इस पर पुनः विचार करें। भारतीय दुग्ध उद्योग अभी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। उन्हें आत्मनिर्भर होने दीजिए और जब दुग्ध उत्पादन इतना अधिक हो जाएगा कि हम इसका निर्यात करने लगेंगे और यह उद्योग समृद्ध हो जाएगा, तब हम इस पर विचार कर सकते हैं। परन्तु अभी यह न करें। जैसा कि मैंने कहा है भारतीय दुग्ध उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा की काफी संभावनाएं है परन्तु पहले उन्हें आत्मनिर्भर होने दें। साथ ही देश में विशेषकर मेरे क्षेत्र पश्चिमी महाराष्ट्र में, डेयरियां किसानों के लिए एक नियमित आय का ऐसा स्रोत है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि डेयरी उद्योग से देश के उस भाग को कितना लाभ हुआ है। मेरी इच्छा है कि वैसा दुग्ध उद्योग, वैसा दुग्ध संवर्धन देश के अन्य भागों में भी हो।

कागज के क्षेत्र में कृषि आधारित कागज़ मिलों ने अभ्यावेदन दिया है। उनकी विशेष मांग रद्दी कागज की व्याख्या के संबंध में है। रद्दी कागज़ की स्पष्ट व्याख्या के अभाव में इस कागज़ पर गलत लेबल लगाने तथा इसकी तस्करी की काफी संभावना है। कागज़ उद्योग के लिए अब शुरू की जाने वाली शुल्क संरचना से —मैं अखबारी कागज़ उद्योग के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है अतः उन्हें शुल्क-मुक्त कागज़ लेने दें - वास्तव में वे छोटे कागज़ संयंत्र खत्म हो रहे हैं जिनकी कृत्रिम सीमा 15,000 टन प्रति वर्ष है। मैं विस्तार में बात करके आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। वे यह जानते हैं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है। कृपया कागज़ उद्योग से होने वाले लाभों की ओर ध्यान दें।

बजट में, अल्युमिनियम सर्किल के बारे में कुछ असामान्यता संभवतः यह कुछ समय के लिए हो, दिखाई पड़ती है। यह उन लोगों से संबंधित है जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अल्युमिनियम के बर्तन भांडे बनाते हैं। अब लघु उद्योग को दी जाने वाली छूट इस विशेष क्षेत्र को नहीं दी जा रही है। अगर प्रेशर कूकर के निर्माताओं को यह छूट नहीं दी जाती तो मुझे चिन्ता नहीं थी क्योंकि वे बड़े विनिर्माता हैं परन्तु अल्युमिनियम के बर्तनों के छोटे निर्माताओं को जो गरीब लोगों के उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं यह छूट मिलती रहनी चाहिए जो इस समय उन्हें दी जानी बंद कर दी गई है इसका कारण मैं नहीं जानता कि ऐसा अनजाने में किया गया है या अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है।

एक अन्य बात जो वित्त मंत्रालय के कार्य क्षेत्र से बाहर रही है वह शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के बारे में है। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई स्कीम कुछ समय पहले तब शुरू की गई थी जब देश में आपात शुल्क दर काफी अधिक थी, और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों का चुनाव करना ही एक सही मार्ग रह गया था। परन्तु बाद में, जब समग्र आयात शुल्क दर कम हो गई तो लोगों के लिए एक अन्य रास्ता भी खोल दिया गया था। शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्कीम को शून्य प्रतिशत ई.पी.सी.जी. स्कीम में बदला जा सकता था। इसकी अनुमति दे दी

[श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण]

गई है। व्यापार नीति इसकी अनुमति देती है, वाणिज्य मंत्रालय इसकी अनुमति देता है परन्तु वित्त मंत्रालय की अधिसूचना न मिलने के कारण इसे लागू नहीं किया गया है। मैं वित्त मंत्री से वह अधिसूचना जारी करने का अनुरोध करूंगा जिससे वे शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां, जो शून्य प्रतिशत ई.पी.सी.जी. स्कीम अपनाना चाहती है, उस स्कीम का लाभ उठा सकें।

मैं इन शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों से संबंधित भट्ठी तेल (फरनेंस ऑयल) के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। कुछ समय पहले, सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया था कि भट्ठी तेल (फरनेंस ऑयल) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय दरों पर उपलब्ध होगा। अब, प्रशासनिक मूल्य तंत्र चरमरा गया है शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को बिना निर्यात शुल्क दिए भट्ठी तेल नहीं मिल रहा है। इस संबंध में कुछ गलतफहमी लगती है। मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी का पता लगाया जाना चाहिए और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को उसी दर पर भट्ठी तेल दिया जाए जिसे ९8 से पहले ले रहे थे।

महोदय, इस्पात के क्षेत्र में, विशेषकर होट रोल्ड स्टील सीट और कोल्ड रोल्ड स्टील सीट के विनिर्माताओं ने भी वित्त मंत्री से संपर्क किया है। उनकी मांग है कि होट रोल्ड स्टील सीटों तथा कोल्ड रोल्ड स्टील सीटों के बीच सीमा शुल्क दर का अंतर दस प्रतिशत रहना चाहिए। इस समय यह अंतर पांच प्रतिशत है, जिसके कारण स्थानीय उद्योगों को खतरा पैदा हो गया है। हमें स्थानीय उद्योग को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए वे कोल्ड रोल्ड कोयल्स के ऊपर शुल्क को 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं परन्तु यह अंतर दस प्रतिशत तक कायम रहना चाहिए।

महोदय, मैं प्रत्यक्ष करों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अमूर्त परिसम्पत्तियों का मूल्यहास एक अच्छी शुरूआत है। परन्तु मैं समझता हूं कि उपहार कर के मामले में दाता से प्राप्ता पर पड़ने वाले कर भार पर बहस हो रही है। मुझे विश्वास है माननीय वित्त मंत्री वित्त विधेयक का जवाब देते हुए इस मुद्दे पर बोलेंगे।

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा घोषित रियायतों से, विशेषकर यूरिया के मामले में तथा शुल्क के आठ से घटकर चार प्रतिशत हो जाने से राजस्व में काफी घाटा हो जाएगा। वित्तीय घाटा जिसकी परिकल्पना 5.6 प्रतिशत की गई थी, वास्तव में अगर पेंशनों को भी शामिल किया जाता है तो यह 5.9 प्रतिशत था। यूरिया के मूल्य तथा सीमा शुल्क में कमी से वित्तीय घाटा कम से कम और दो दशमलव तक बढ़ जाएगा। इस प्रकार यह पहले की ही तरह सकल घरेलू उत्पाद का 6.1 प्रतिशत है और मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था में समग्र मंदी से हमें वित्तीय घाटे को नियंत्रण न करने जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास में धीमापन आने से मुझे इस दिशा में कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिखते - राजस्व में कमी होगी और पूरे राजस्व प्रशासन को ही सुदृढ़ बनाना होगा।

महोदय, समग्र कराधान नीतियों के संबंध में मैं पूर्णतः यह महसूस करता हूं कि पोखरण-॥ ने अच्छा अवसर प्रदान किया है। सरकार कोई अलोकप्रिय, कड़ा परन्तु आवश्यक निर्णय ले सकती थी। देश उसका समर्थन ही करता। परन्तु सरकार ने आणविक परीक्षण के क्षेत्र में की गई उपलब्धि की पुष्टि करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव के महत्व को भी कम कर दिया है तथा यह भी बताया है कि उन्होंने एक बड़ा अवसर खो दिया है। अनिर्णय की स्थिति, पीछे लौटना तथा घुटने टेकने जैसी प्रतिक्रियाओं से यह संकेत मिलते हैं कि सरकार को अपने ऊपर विश्वास नहीं है और इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण की क्षमता नहीं है तथा यह केवल लोकप्रिय होना चाहती है और आसान निर्णय लेना चाहती है जबकि अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।

महोदय, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में काफी जोर देकर उत्कृष्ट विचारों वाले 10 उद्देश्यों को रखा था। परन्तु जो स्कीम उन्होंने रखी है उससे वित्त मंत्री के कहे अनुसार औद्योगिक विकास को गति दे पाना संभव नहीं होगा। निर्यात में बढ़ोत्तरी नहीं होगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित नहीं होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति पहले ही आठ प्रतिशत पहुंच गई है। इससे केवल नौकरशाहों के लिए कठिनाइयां ही पैदा होंगी। पांच प्रतिशत की स्वीकृति न देने और विशेष शुल्क इत्यादि से उत्पाद कराधान की पूरी स्कीम जटिल हो गई है और इससे कागजी कार्रवाई और अधिक जटिल हो जाएगी। शुल्कों की दर घटने की बजाय बढ़ रही है। शुरू की गई कई नई स्कीमों से नौकरशाहों की कठिनाईयां बढ़ रही हैं। इसलिए यह बजट न तो, जैसा कि उनका कहना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा न ही बहुत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा और न ही नौकरियों के अवसर बढ़ाएगा।

महोदय, भा.ज.पा. ने अपने राष्ट्रीय एजेन्डा में वृद्धि की समग्र दर सात से आठ प्रतिशत तक करने का वचन दिया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत हो गई थी। परन्तु सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर दुर्भाग्यवश, गत दो वर्षों से घट रही है। अब यह लगभग पांच प्रतिशत है। मुझे लगता है कि सरकार का यह पहला 'हिन्दुत्व' बजट देश को वापिस फिर उसी दर पर ले जाएगा। इसलिए, मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र ने फाईनेंस बिल का विरोध किया है। ...*(व्यवधान)* मैं इसे सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)* मैं इसका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा। मेरे मित्र ने अभी जो बात कही, उसकी शुरूआत यहां से की थी कि बजट प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। उन्हें आइडियोलोजिकल कमिटमेंट का भी कुछ खतरा नजर आया और साथ-साथ जो ड्यूटी घटाई गई, उसके बारे में भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की। मैं नहीं समझ पाया कि यह दोमुंही बात आखिर कैसे चल रही है। उन्होंने यूरिया पर जो दाम घटाये, जिसमें सत्ताधारी पक्ष के लोग भी और अन्य लोगों की भी एक आम राय थी कि किसानों के प्रयोग में आने वाली फर्टिलाइजर के पैसे नहीं बढ़ाये जाने चाहिए। या तो वे खुलकर कहें कि हम इसका विरोध करते हैं, यूरिया के दाम बढ़ाये जाने चाहिए थे। कस्टम की जो ड्यूटी बढ़ गई है, एस.ए.डी. आठ परसेंट की जगह चार परसेंट की गई, वे उसका विरोध करें। लेकिन विरोध भी नहीं करते और यह भी कहते हैं कि बजट में घाटा होगा। बजट के जो टार्गेट्स हैं, वे पूरे होंगे, मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा। इस समय बजट के चलते जो स्थिति देश में पैदा हुई थी, उसमें उन्होंने बड़ा हटकर और बचकर चलने की कोशिश की है। उन्होंने इसे स्वीकार किया था, बल्कि दो वर्षों में जो बजट में डायरैक्ट टैक्सिज़ के टार्गेट्स थे, वे पूरे नहीं हो सके।

उसके साथ ही उन्होंने जी.डी.पी. की बात भी कह दी और कहा कि उसमें भी वृद्धि गिरी है, लेकिन वे शायद यह भूल गये कि उन्हीं के बल पर वह सरकार चल रही थी, जिसके कारण ऐसी आर्थिक दुर्दशा हुई है। उससे पहले के इतिहास की बात कहें तो 1947 से लेकर अब तक क्या हुआ? दो साल पहले तक, आठवीं पंचवर्षीय योजना तक तो इतिहास के पन्नों की बात तो हो जायेगी, लेकिन जिसकी अर्थव्यवस्था से सीधी प्रासंगिकता है, वह पिछले दो वर्षों का मामला है, जिसको उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है। आज स्थिति यह बन गई कि टैक्सेज़ का 40 हजार करोड़ रुपया लिटिगेशन में, पांच लाख मुकदमों में इन्वोल्व है। जिस इंसपैक्टर राज की वे शिकायत कर रहे थे, 12 हजार करोड़ रुपया एक्साइज़ और कस्टम का लिटिगेशन में है और 12 हजार करोड़ रुपया पिछली सरकार की लीगेसी के मामले हुए, गवर्नमेंट ओनड पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकदमे चला रखे हैं, उसमें लॉक्ड अप हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होता और सो-काल्ड इंसपैक्टर राज नहीं होता तो शायद आज यह दुर्दशा देखने को नहीं मिलती।

इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को और प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश को एक नई दिशा का बजट दिया है, जिसमें कहा गया है कि कागजी जगलरी से काम नहीं चलेगा, इंसपैक्टर राज से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें बैठकर समाधान करना पड़ेगा। इसमें समाधान की योजना इस प्रकार की योजना है कि जहां टैक्स कलैक्शन की कमी है, वह समाधान की योजना से पूरी होगी। उन्होंने प्रक्रिया सरल बनाने की बात कही है। यह भी बहुत अच्छा कदम है, जिससे कि लायर्स पैराडाइज़ न रहे और इसपैक्टर राज से करदाता बच सके। करदाता को जिस सम्मान की बात वे कहते हैं, उस सम्मान की अभी रूप-रेखा तो सामने नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की खिचड़ी की हंडिया जो पकती है, उसका एक चावल निकालकर देखा जाता है। आपकी सरल और समाधान आशावर्धक योजनाएं हैं वहीं निश्चित रूप से सम्मान देने की दिशा में भी जो योजना बनकर आयेगी, सारे डिटेल्स आयेंगे, वे निश्चित रूप से करदाता को चोर कहने के स्थान पर सम्मान प्रदान करेंगे।

जिस हिन्दुत्व बजट की बात वे कर रहे थे, वैसे हिन्दुत्व का यह बजट नहीं है, लेकिन मैं उनका ध्यान कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि करदाता को सम्मान देना चाहिए, उसको चोर नहीं समझना चाहिए, इंसपैक्टर राज से बचाकर रखना चाहिए। इसलिए अगर सम्मान की बात कही गई है, अगर वे किसी आदमी को, किसी करदाता को सम्मान देना हिन्दुत्व समझते हैं तो वे इसे हिन्दुत्व का बजट समझें अन्यथा यह इंसानियत का बजट है। हिन्दुत्व सब को सम्मान प्रदान करता है, यह हिन्दुत्व का बेसिक टीनेट है और इसलिए इस देश की जो एन्सेस्ट्रल लीगेसी है कि करदाता को भी चोर-उचक्का न समझकर सम्मान दीजिए, उस दिशा की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर जो उद्देश्य रखे गए थे, उसमें छः उद्देश्य थे, एम्प्लायमेंट जेनरेशन, इम्प्रूवमेंट आफ एन्वायरमेंट, अपलिफ्टिंग आफ वूमैन, रोड सेफ्टी, कोआपरेटिव को बढ़ावा देना, मेडिकल एक्सपैंसिज़ और वैल बीइंग आफ हैंडिकैप्ड। सामाजिक व्यवहार और सामाजिक उदारता का इस बिल में जो प्रावधान है, ये उद्देश्य इस दिशा की ओर हमें ले जा रहे हैं। एम्प्लायमेंट जेनरेशन के मामले में यह कहा गया है कि फैक्टरीज या कम्पनीज एडीशनल 30 प्रतिशत स्थानों का सृजन करेंगी और उन्हें 30 प्रतिशत व्यय करने की छूट मिलेगी तो इससे रोजगार सृजन होगा, बेरोजगारी घटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस बजट के माध्यम से एम्प्लायमेंट जेनरेशन का प्राइवेट सेक्टर में प्रयास किया गया है, यह अनुकरणीय है। इससे बेरोजगार नौजवान जो यह देख रहे थे कि इस बजट के वित्त विधेयक में क्या मिलने वाला है,

[श्री भगवान शंकर रावत]

उनको आशा की किरण जगी है। चाहे टेक्नीकल और नॉनटेक्नीकल लोग हो या पढ़े-लिखे या बेपढ़े-लिखे खाली मजदूर या कर्मचारी हों, जिनके हाथ खाली थे, उन खाली हाथों को काम मिलने की आशा की किरण इससे जगी है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर गम्भीरता से कोशिश की गई तो निश्चित रूप से एम्प्लायमेंट जेनरेशन में लाभ मिलेगा।

लघु उद्यमियों और व्यापारियों को भी इसमें राहत दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि बी.जे.पी. व्यापारियों की पार्टी है।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वित्त विधेयक संख्या 2, 1998 माननीय वित्त मंत्री ने इसमें खंडवाइज जितने कर से सम्बन्धित हैं, वह सबका एक साथ समावेश किया है, उसकी मैरिट पर बोलना चाहिए, जबकि ये बजट पर बोल रहे हैं।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं बजट पर नहीं, वित्त विधेयक पर ही बोल रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें।

श्री यशवन्त सिन्हा : सभापति जी, अगर आपकी अनुमति हो ना मैं हाउस से पांच मिनट के लिए एबसेंट होना चाहता हूं, मुझे वोट डालने जाना है, मेरे साथी वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री भगवान शंकर रावत : मैं समझा कि आप पाइंट आप आर्डर पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, लघु उद्यमियों को और व्यापारियों को इस वित्त विधेयक के माध्यम से राहत देने की कोशिश की गई है। एकाउंट बुक्स रखने का जो प्रावधान था, उसमें तय किया गया था कि 40 हजार रुपये तक जिनका व्यापार है या पांच लाख रुपये से अधिक का टर्न ओवर है, उन्हें एकाउंट बुक रखनी पड़ेगी। उसको अब उदार बना दिया गया है और अब 1 लाख 20 हजार रुपये तक का व्यापार या दस लाख रुपये तक की जिनकी टर्न ओवर होगी, उनको किसी एकाउंट बुक की आवश्यकता नहीं होगी। लोगों के ईमान, सम्मान और अधिकार के आधार पर वह बात को रखेंगे और इंस्पैक्टर आकर व्यवधान नहीं डाल सकेंगे। इससे आदमी का सम्मान रहेगा और वह ठीक से काम भी कर सकेगा।

इस वित्त विधेयक के माध्यम से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। लघु उद्योगों की सीमा जो 30 लाख रुपये तक थी, उसको बढ़ा कर 50 लाख रुपये तक का कर दिया गया है। जो 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये की मार्जिनल यूनिट थीं।

अपराह्न 4.04 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उनमें पांच प्रतिशत फ्लैट नॉमिनल रेट एक्साइज का रख दिया गया है। इससे लोगों को इंस्पैक्टर राज से मुक्ति मिलेगी, जिनका अभी तक वे शोषण करते थे। यह जो छूट दी गई है, यह एक अच्छा प्रयास है।

मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। आयकर की सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने से वार्षिक आय के करदाताओं को सीधा एक हजार रुपये का लाभ मिलेगा, क्योंकि 50 हजार रुपये न्यूनतम कर योग्य राशि कर दी गई है। वित्त मंत्री जी सदन में नहीं है, मैं राज्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, उन्होंने आयकर सीमा 50 हजार के स्थान पर 60 हजार की होती, तो बहुत अच्छा रहता। इससे सीमित आमदनी वाले लोगों को अधिक राहत मिलती। मेरा विश्वास है कि सरकार इस मामले में विचार करेगी और आयकर सीमा को 60 हजार तक बढ़ाने का प्रयास करेगी।

उपहार-कर समाप्त करके सरकार ने अच्छा काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि उपहार-कर के नाम पर बहुत सी चोरियां हुआ करती थीं। मैनेजमेंट के डिवीजन में एक षडयंत्र होता था। माइनर बच्चों को जो मिलता था, वह गार्जियन की इनकम में जुड़ने के कारण कर मिल जाता था। इसलिए इसमें भी एक पारदर्शिता आएगी और कार्य ठीक प्रकार से चलेगा तथा काले धन के सृजन के अवसर भी कम मिलेंगे। इससे अनिवासी भारतीयों को लाभ मिलेगा। ऐसे अनिवासी भारतीय, जो लम्बी अवधि तक विदेशों में रहने के बाद भारत आते थे और नौ वर्ष भारत में इन्वैस्ट करते थे, उनको लाभ मिलता था। वास्तव में जो व्यक्ति जहां रहता है, उसका लाभ-हानि वहीं होना चाहिए।

जहां तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का सवाल है, इसमें आपने एक लाख तक 33.3 परसेंट, यानी 20 हजार रुपये के स्थान पर 25 हजार, जो भी कम हो, छूट देने की कोशिश की है। इससे भी वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, उनको राहत मिलेगी। उपचार व्यय में भी छूट 10 हजार से 15 हजार की गई। इलाज महंगा हो रहा है। इसलिए इस कदम से भी जो करदाता के परिवार के लोगों को राहत प्रदान होगी। भवन सम्पत्ति की आय में भी छूट देने की कोशिश की गई है। जेठमलानी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने घोषणा की है कि 20 लाख मकान हर साल बनायेंगे। यह कदम भी उनकी उद्घोषणा के पूरा करने का प्रयास है। इसके अलावा एन्युअल वैल्यु का 1/5 भाग मरम्मत के लिए मिलता था, वह अब 1/4

कर दिया गया है। इससे लोगों को मकान बनाने में इन्सैन्टिव मिलेगा। गृह निर्माण के कार्यों में गतिविधियां तेज होगी और आवास की समस्या के निराकरण में भी सरकार का यह प्रयास और योगदान होगा।

विकलांगों को राहत देने की भी घोषणा की गई है। पहले दो प्रकार के प्रावधान थे - एक इलाज कराने का और दूसरा उनके जीवन को सुरक्षित रखने का। लेकिन अब एक प्रावधान कर दिया गया है और इसे इन्सपैक्टर जगलरी से मुक्त किया गया है। एल.आई.सी. और यू.टी.आई. की योजना उनके रख-रखाव, भावी पालन-पोषण के लिए ठीक कदम है। चालीस हजार रुपए प्रतिवर्ष उपचार या भावी जीवन के लालन-पालन और रख-रखाव के लिए व्यवस्था अच्छा कदम है। इससे विकलांगों के लिए धीरे-धीरे व्यवस्था होती जाएगी। इसमें सरकारी अंशदान तथा सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का कवच यानी अंब्रेला की देश को आवश्यकता है। पिछले पचास साल की नीतियों के कारण हिन्दू अनडिवाइडेड सिस्टम चरमरा गया था। उसमें भी राहत मिलेगी और सरकार द्वारा उठाया गया यह भी एक अच्छा कदम है।

विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थायें - इनके लिए भी प्रावधान किया गया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। इससे उन संस्थाओं को, जिन्हें सरकार या पंजीकृत संस्थायें चलाती हैं, राहत मिलेगी। हालांकि इसके बारे में मेरे जो सुझाव हैं, वे मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले दूंगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाईकोर्ट में बहुत से मामले लटके हुए हैं, जिसका उल्लेख भी किया गया है। इतनी विपुल धनराशि मुकदमों में लटकी हुई है। उसमें भी जो परिवर्तन किया गया वह ठीक किया गया है। अब ट्रिब्यूनल तथ्यों के आधार पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट में अपील कानूनी आधार पर होगी और कानूनी आधार पर होने से जल्दी फैसला होगा। उसकी रिवीज़न की भी टाइम-लिमिट तय कर दी गई है जिससे उसकी निगरानी हो जाएगी। धनराशि को ब्लॉक करने के लिए इंकम टैक्स के इंस्पेक्टर या अधिकारी और करदाता के बीच में जो संधि हो जाती थी और जिसके कारण शासन को नुकसान पहुंचता था, उससे बचत होगी।

महोदय, मैंने जैसे शुरू में कहा कि यह समाधान की योजना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मामले में एक वरदान सिद्ध होगी। मुकदमों में जितना रुपया लगा हुआ है उसमें वसूली आदि होगी और उसके बाद हमारे बजट के टारगेट पूरे होंगे। टैक्स रिटर्न को जिस तरह सरल किया गया है, यह बहुत अच्छा कदम है। हालांकि मेरे कुछ मित्रों ने और कुछ इंटल्लेक्चुअल्स ने कहा है कि इसका मतलब यह न हो जाए कि लोगों को टैक्स इवेज़न में सरलता मिल जाए, लेकिन मैं यह मान कर चलता हूं कि इससे छोटे-छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करना और जो आय की सीमा में नहीं आता, उसको भी वकील करना पड़ता है, चार्टर्ड एकाउंटेंट रखना पड़ता है और इन सारे गलियारों में होकर इंकम टैक्स के आफिसर तक जाना पड़ता है, जहां वह बार-बार फिसलता है और उसे सहारे की आवश्यकता पड़ती है कि कही उसका पैर न फिसल जाए, अब सरल व्यवस्था हो जाने से निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा और इससे उत्पीड़न समाप्त होगा।

महोदय, बजट में कोशिश की गई है कि टैक्स कलेक्शन का जो एरियर है उसको किस तरह से वसूला जाए और टैक्स बेस का एनलार्जमेंट किया जाए। उसके बाद भी अगर कोई शरारत होती है तो रिगरस इनफोर्समैंट टैक्स की वसूली के लिए किया जाए। ये सारी चीजें, 1991 के बाद जो देश की नई अर्थनीति बनी है उसे ही आगे बढ़ाने की योजना हैं। इसमें कोई ऐसा ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इस समय जो देश के अंदर उदारीकृत अर्थनीति का कंसेंसस बना हैं उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। इसमें सब समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई है। लौंग टर्म स्टेबिलिटी टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रहे, इनक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी रहे और लोगों को वालंटरी कम्पलायंस रहे, एनहांसमेंट ऑफ टैक्स नेट हो, इन चारों चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। चेलैया कमेटी ने टैक्स नेट को बढ़ाने की रिकमेंडेशन की थी, एक बाई छह की स्कीम इसी के तहत बनाई गई है। इसके अंदर जो स्पेशल थर्स्ट एग्रीकल्चरल रूरल डेवेलपमेंट इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी गई है मैं उसकी सराहना करता हूं। हालांकि मेरे मित्र कह रहे थे कि रिफायनरीज़ पर बहुत बल दिया गया हैं, फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा पावर पर भी दिया गया है। अगर देश का इनफ्रास्ट्रक्चर डेवेलप करना है तो आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या पैट्रोलियम प्रोडक्ट की है उसके लिए जितना भारी बर्डन हमारे फोरन एक्सचेंज पर आयात करने के लिए पड़ रहा है, यह इस समय देश के लिए चुनौती है कि हम किस तरह से ऊर्जा का सृजन अपने देश में कर पाएं। इसलिए चाहे रिफायनिंग का मामला हो, पावर सैक्टर का मामला हो, इन पर सबसे ज्यादा बल देने की आवश्यकता है, अन्यथा आने वाली शताब्दी में हम लोग जैसी अपेक्षा कर रहे हैं वैसी स्थिति नहीं होगी। मुझे लगता है कि ऊर्जा के मामले में वह शताब्दी भी अंधेरे का एहसास करा रही है कि देश में जो बिजली की मांग है, जो हम बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं उसमें इतना बड़ा गैप रह जाएगा और एक बड़ा भारी संकट खड़ा हो जाएगा।

महोदय, चाहे कोई भी वित्त मंत्री हो, चाहे वर्तमान हो या पिछली सरकार का हो, मुझे ऐसा कोई बैड मोटिव नहीं दिखता, जिस ढंग से कहा गया है, लेकिन ऊर्जा के मामले में हमें इस

[श्री भगवान शंकर रावत]

पर बल देना ही होगा। यह अवश्य है कि जो पावर और पैट्रोलियम के इन्फ्रास्ट्रक्चरल सैक्टर हैं इन पर और ज्यादा ताकत लगानी चाहिए। इसमें जो ड्रिलिंग का काम है उसे देश में और तेजी से बढ़ाना चाहिए। ऊर्जा के हमारे देश में अच्छे सोर्सेस मौजूद हैं, उनके दोहन के लिए भी हमें सुविधाएं मुहैया करनी चाहिए। मेरे एक मित्र राज्य सभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक बार राज्य सभा में बताया था कि समुद्र की तरंगों से भी बिजली बनाई जा सकती है जो बहुत सस्ती पड़ेगी।

लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस पर ज्यादा बल नहीं दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि उसको भी करना चाहिए जिससे सस्ती ऊर्जा मिल सके। सरकार अपने टैक्स स्ट्रक्चर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उसको राहत प्रदान करे।

मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो डीम्ड एक्सपोर्ट का धारा 80 का मामला है। इसके अंदर जो कारीगर टूरिस्ट सेंटर्स पर विदेशियों को माल बेचते हैं और विदेशी मुद्रा में पैसे लेते हैं, धारा 80 एच(एस) के अन्तर्गत उनकी आमदनी को छूट नहीं दी जाती है। लेकिन अगर होटल के अंदर डालर से पेमैंट किया जाए या किसी अन्य विदेशी मुद्रा में पेमैंट किया जाए तो उसको इस धारा के अन्तर्गत राहत दी जाती है। इस कंट्राडिक्शन को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे कर्मचारियों, कारीगरों और दस्तकारों का जो नुकसान हो रहा है वह नुकसान समाप्त होगा तथा कुटीर-उद्योग इससे प्रोत्साहित होंगे।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह बीकानेरी भुजिया, नमकीन या पेठा की है। भुजिया बेचने वाला कहता है कि एक्साइज बढ़ रही है, इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है तो उसकी मिर्चें मुंह को जलाने लगती हैं। आगरे का पेठा दुनियाभर में मशहूर है। लेकिन पेठा बेचने वाला कहता है कि मेरे पेठे की मिठास नौकरशाही की योजनाओं की वजह से कुछ फीकी पड़ रही है। इसलिए जो लघु उद्योगों में छोटे-छोटे यून्टिस् हैं, जिनको गरीब कारीगर बनाते हैं, इस तरह के उद्योगों को, चाहे भुजिया हो, नमकीन हो, मिठाईयां हों, इनको एक्साइज़ के परिजाल से मुक्त किया जाना चाहिए।

इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी को इस संदर्भ में मैंने एक ज्ञापन भी दिया था कि अगर पूरा साफ्टवेयर किट आयात कर लिया जाए तब तो वह सस्ता पड़ता है और अगर उसके पार्ट्स आयात किये जाएं और यहां देश में उनको असेम्बल किया जाए तो उसके वैल्यू एडीशन करने पर उससे देश में लोगों को काम भी मिलता है लेकिन वह कुछ महंगा पड़ता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस मामले को देखे कि वैल्यू एडीशन करने पर देश के मजदूरों को काम मिलता है लेकिन अगर वह महंगा पड़े और आयातित पूरी किट सस्ती पड़े तो यह देश की उद्योग-नीति के खिलाफ होगा।

मार्बल गुड्स के उत्पाद पर भी इसी प्रकार एक्साइज का झंझट चल रहा है। यह भी श्रम और कला-साध्य काम है। कारीगर पत्थर के अंदर भगवान को रख देते हैं और हमें एक से एक कारीगरी का नमूना देखने को मिलता है, उस पत्थर के अंदर जैसे जान आ जाती है। मार्बल गुड्स को भी इस एक्साइज के नेट से बचाया जाना चाहिए और उन्हें भी इससे राहत मिलनी चाहिए।

अभी एक चार्टेड एकाउंटेंट्स का सम्मेलन हुआ था। चार्टेड एकाउंटेंट्स और वकीलों का काम एक सा ही है। इन्कम टैक्स के केसेज में एकाउंटेंट्स और वकील दोनों जाते हैं प्लीड दोनों करते हैं लेकिन चार्टेड एकाउंटेंट्स को सर्विस टैक्स के नेट में, परव्यू में ले लिया गया है। यह भी एक ऐसा प्रोफैशन है जो एडवोकेसी से मिलता-जुलता है। इसलिए सर्विस टैक्स के नेट से इसे निकाला जाना चाहिए।

लघु उद्योग के क्षेत्र में जूता-उद्योग में बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जो मेरी जानकारी में आए हैं। उनका कहना है कि बड़ी कंपनियों के लिए ब्रान्ड नेम के जूते बनाकर हम सप्लाई करते हैं तो उनको एस.एस.आई. यूनिट की दरों पर एक्साइज ड्यूटी न लगाकर बड़ी कंपनियों पर जो एक्साइज के रेट्स लगे हैं वे ही दरें लगाई जाती हैं। एस.एस.आई. यूनिट की डैफिनेशन में जो यूनिट्स आते हैं, अगर उत्पाद की मात्रा उतनी हुई तो उनको भी छूट मिलनी चाहिए। ब्रान्ड नेम के जूते बनाकर देने का आर्डर मिलने पर उन पर कोई एडीशनल पैनल्टी न लगे, ऐसा मेरा आग्रह है।

चैरिटेबल और रिलीजियश संस्थाएं या शिक्षण संस्थाएं जो चिकित्सालय चलाती हैं या समाज के लिए अन्य उपयोगी प्रकल्प चला रही हैं। उनको राहत दी जानी चाहिए। मैंने इस संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट की थी। दयालबाग जैसी धार्मिक, सामाजिक और समाज सेवी संस्था जो कि चिकित्सालय चला रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसे विद्यालयों, महाविद्यालयों को इस नैटवर्क के कारण कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। उनकी आमदनी पर टैक्स लगाने की बात चल रही हैं। इस एनॉमली को दूर किया जाए। हालांकि वित्त मंत्री ने अपने कार्यालय में बैठ कर सहमति जाहिर की थी कि सरकार की मंशा ऐसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को टैक्स के परव्यू में लेने की नहीं है लेकिन जैसा हमारे मित्र चव्हाण साहब कह रहे थे कि इंस्पैक्टर राज में मंत्री की कम चलती है, इलाके में इंस्पैक्टर की ज्यादा चलती है। इसलिए इसकी बड़ी साफ सुधरी व्यवस्था होनी चाहिए। देश में सैंक्शन्स लगे हैं। इसके बाद भी आमदनी बढ़ाने की बात कही गई है। स्वाभिमानी

स्वावलम्बी और स्वदेशी भारत के निर्माण में जो चुनौतियां मिल रही हैं, उनका सामना करने के लिए वित्त मंत्री ने टैक्स प्रपोजल्स बनाए हैं। वह देश को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। इससे स्वाभिमानी, स्वदेशी और स्वावलम्बी भारत का निर्माण होगा। मैं 4 परसैंट काउंटर वेलिंग ड्यूटी को उसी रूप में देखता हूं। भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जो बजट बनाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। विदेशों द्वारा अर्थव्यवस्था पर आने वाला जो संकट देश में खड़ा किया गया है, मुझे विश्वास है कि फाइनैन्स बिल के माध्यम से वह उसका सामना करेगा। मैं वित्त मंत्री को बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और फाइनैन्स बिल के प्रावधानों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट का विरोध करते हुए मैंने इसे अमीर समर्थक और गरीब विरोधी बजट कहा था। इसमें कई कमियां है। वर्तमान परिस्थिति में देश को श्री यशवन्त सिन्हा द्वारा 1 जून, 1998 को पेश किये गए बजट प्रस्तावों से कभी भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। जिन्हें मैंने उस दिन कहा था। मैं अपने आप को वित्त विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों तक ही सीमित रखूंगा और कुछ मेरे मित्र मेरे द्वारा कही बातों में और बातें जोड़ेगे।

पहला, यह राष्ट्रीय मत है कि हमारे देश में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के ढांचों में बुनियादी पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है। पुनर्गठन का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि कर ढांचे को सरल बनाया जाए, कई प्रकार की रियायतों और दरों में कमी लाई जाए और इनसे जुड़ी अन्य सभी बातों पर भी गौर किया जाए बल्कि हमारे देश में गत कई वर्षों से चले आ रहे कर ढांचे पर नए सिरे से दृष्टिपात भी किया जाए।

महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत की मुश्किल से एक प्रतिशत जनसंख्या, हो सकता है अब यह एक प्रतिशत से कुछ ज्यादा हो गया हो, आय कर अदा करती है।

कई विदेशी भारत आ रहे हैं। समयाभाव के कारण मैं अधिक उदाहरण नहीं दूंगा। जब मशहूर नोम चाम्स्की दिल्ली आए तो उन्होंने अत्यन्त उल्लेखनीय टिप्पणी की कि भारत के धनी, संभ्रांत लोगों की व्यय क्षमता अमरीका के धनी लोगों से, जैसाकि मैंने वहां देखा है, बहुत अधिक है। यह अपने आप में एक जबरदस्त टिप्पणी है। नोम चाम्स्की ने यह कहा था। मैं नवीन धनाढ्य लोगों की विशेषता नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसके बारे में अभी विवाद है। सुधारों के शुरू के दिनों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने 20 करोड़ अथवा इसी प्रकार की सीमा तक निर्धारित की थी। आखिरकार उन्हें उपभोक्ताओं के बारे में अधिक अनुमान लगाने के कारण हानि उठानी पड़ी और वे पुन: अध्ययन कर रहे हैं। चाहे यह कुछ भी हो, चाहे 15 करोड़ अथवा 20 करोड़ अथवा 25 करोड़ रुपये हो भारत की लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या की इतनी आय है कि वह उस पर आयकर अदा कर सकती है। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं क्योंकि उनके इस वर्तमान मानदंड "छ: में से एक" से कर के दायरे में कुछ सीमा तक विस्तार करने में सहायता मिलेगी। लेकिन ऐसे कई और अधिक क्षेत्र है कई सीमाएं एवं मानदण्ड है जिनसे कराधान के दायरे को बढ़ाया जा सकता है।

मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें भारतीय आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है इसमें कहा गया है कि ग्रामीण धनी धनाढ्य लोगों, बड़े-बड़े किसानों के पास काफी धन है कुल क्षेत्रों में वाणिज्यिक पूंजी औद्योगिक पूंजी से अधिक है हालांकि देश के सभी भागों में ऐसी स्थिति नहीं है। यह ग्रामीण धन सम्पत्ति कर के दायरे में नहीं आती। कुछ ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिससे कम से कम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऐसे लोग जिनके पास सेल्यूलर फोन मारूति जिप्सी आदि गाड़ियां और ट्रैक्टर हैं, को आयकर के दायरे में लाया जाए। अत: पुनर्गठन का अर्थ केवल आयकर प्रपत्र को सरल बनाने मात्र से नहीं है जिसे नए रूप में "सरल" कहा जाए अथवा उन रियायतों और कटौतियों की संख्या में कमी लाने मात्र से नहीं हैं। कर के दायरे को बढ़ाने के लिए भी कुछ नेक प्रयास किए जाने चाहिए।

कई आम माफी योजनाओं के बावजूद हमारे देश में काले धन का सृजन और उसका बढ़ना कभी नहीं रूका है। कई रियायतें दिये जाने और कई आय माफी योजनाओं की पेशकश किए जाने के बावजूद यह बढ़ता ही जा रहा है। हमें आय की स्वैच्छिक घोषणा करने संबंधी योजना का अनुभव हुआ है जिसमें बेईमान लोगों की खातिर ईमानदार करदाताओं को परेशानी उठानी पड़ी। आखिरकार क्या हुआ? ईमानदार करदाताओं को अधिक रियायतें प्राप्त करने के लिए विशेष रास्ता अख्तियार करना पड़ा। योजना के अनुपालन में यही बात सामने आई।

पहले यह कहा जाता था कि दर जितनी कम होगी उसका अनुपालन उतना ही अधिक होगा। लेकिन यदि आप भारतीय धनी लोगों की मानसिकता को देखते हैं तो यह सत्य नहां है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून में जो कोई भी त्रुटि रह जाती है, भारतीय अमीरों की मानसिकता यह है कि वे उसका फायदा उठाने से नहीं चूकते और वह ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भिन्न नाम से एक और आममाफी योजना का प्रस्ताव किया गया है इसे "कर विवाद समाधान" से नाम से जाना जाएगा। प्रत्यक्ष कर के रूप में 40,000 करोड़ रु. और अप्रत्यक्ष कर के रूप में 12,000 करोड़ रुपये मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं। "इसमें एक मुश्त" निपटारा का एक प्रस्ताव है। मैं माननीय वित्त

[श्री रूपचन्द पाल]

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस निपटारे के पश्चात् सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है क्या यह देनदारियों को समाप्त करने का निपटारा मात्र है अथवा उन संसाधनों को एकत्र करने का साधन है जिसका बेईमान लोगों ने अपवंचन किया है और इस प्रकार उस राशि को प्राप्त करने का प्रयास है जो सरकार को मिलनी चाहिए थी।

मैं नहीं जानता कि "कर विवाद समाधान" योजना के अन्तर्गत विवादग्रस्त आय को किस प्रकार दर्शाया जाएगा अथवा परिभाषित किया जाएगा। क्या किसी व्यक्ति को जो मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है लेकिन उसने पूरी राशि का भुगतान किया है कोई रियायत दी जाएगी? अथवा उस व्यक्ति को जिसने कोई राशि का भुगतान भी नहीं किया है लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर देंगे तो इस बात का स्पष्टीकरण देंगे।

माननीय मंत्री महोदय ने 6 पर एक (वन बाई सिक्स) योजना आयकर रिटर्न भरने की योजना में वर्तमान चार मानदण्डों दो मानदण्ड और जोड़ दिए है। क्लब सदस्यता का विवरण क्लब से भी किया जा सकता है लेकिन इसका उल्लेख प्रपत्र में करने की आवश्यकता नहीं है।

हमें स्वतंत्रता सेनानियों सहित उन वरिष्ठ लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनके पास टेलीफोन है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी इसे स्पष्ट करे क्या उन्हें भी इस "छ: पर एक" योजना के दायरे के अन्तर्गत लाया जाएगा। इन वरिष्ठ लोगों को निशुल्क अथवा रियायती दर पर टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त हुए है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करें।

हमें आश्वासन दिया गया था कि अप्रत्यक्ष करों पर अधिक बल देकर कर ढांचे को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया है को महत्वपूर्ण समितियों की सिफारिशों के आधार पर उसमें संशोधन किया जाएगा, सुधार किया जाएगा जिससे अप्रत्यक्ष करों को नीचे लाया जाए और प्रत्यक्ष करों पर अधिक बल दिया जाए। लेकिन इस वर्ष के स्वदेशी बजट में हम देखते है कि मक्खन घी जैसी जन उपयोग की और ब्रांड वाली अनेक खाद्यान्न चीजों पर समान रूप से 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगा दिया गया है। हमने इस सरकार को चेतावनी दी है कि आवश्यक चीजों पर उत्पाद शुल्क में ऐसी वृद्धि का प्रपाती असर पड़ेगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी और मूल्यों में वृद्धि होगी ऐसा हुआ और पिछले 6-7 हफ्तों के दौरान मूल्य में भारी वृद्धि हुई है।

मेरी अगली बात वित्त विधेयक के खण्ड 114 से संबंधित है जो मोटर वाहन चालन से संबंधित है जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के मूल्यों में कमी आ रही है और जब हम विश्व व्यापी अर्थव्यवस्था से और अन्य कई बातों से अपने आप को जोड़ रहे हैं तो हमें यहां देखने को मिलता है कि पैट्रोल पर एक रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मैं हिसाब किताब में हेराफेरी करने और बाद में उस वृद्धि को वापस लेने पर प्रश्न चिह्न नहीं लगा रहा हूं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। मैं तो कहना चाहता हूं कि पैट्रोल केवल आयातित और आराम देह मोटर कारों में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि तिपहिया वाहनों में भी इस्तेमाल होता है। इसके परिणामस्वरूप मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। इसलिए मेरी मांग है कि इस शुल्क को हटाया जाना चाहिए। हमें पथकर और अन्य उपकर लगाने का अनुभव है। मुझे भारी सन्देह है कि सड़कों के विकास के लिए इसमें से कितनी धनराशि खर्च की जाएगी। खण्ड 114 में प्रस्तावित उत्पाद शुल्क के अलावा खण्ड 115 में आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाली खाद्य और दुग्ध उत्पादों सहित सभी महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है।

चायपत्ती के मूल्य बढ़ गए है। बजट प्रस्तुत किये जाने से पहले ही चाय के मूल्य बढ़ गए है। इससे इस देश के आम लोगों पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसे वापस लिया जाना चाहिए।

जहां तक "मॉडवॉट" का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूं कि इसका कुछ दुरूपयोग हुआ है। कुछ बेईमान लोगों द्वारा इस प्रावधान का दुरूपयोग करने के कारण अन्य दूसरे लोगों को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। दुरूपयोग को रोकने के लिए बेहतर सूचना और फीड बैक के लिए बेहतर तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए "मॉडवॉट" में 5 प्रतिशत की सीमा शामिल करने से कई इकाईयां प्रभावित हो रही है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करे।'

जहां तक सेवा कर का संबंध है स्थायी समिति के चिकित्सा और शिक्षण व्यवसाय को भी शामिल करने का सुझाव दिया था।

यहां मैं इस बी.जे.पी. सरकार के छिपे हुए एजेन्डे के संबंध में एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। मैं वित्त विधेयक से पढ़ना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> "पंजीकृत वध शाला द्वारा सेवा कर गोजातीय पशुओं का वध करने के संबंध में किसी व्यक्ति को दी गई सेवा के लिए लगाया जाएगा।"

मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं। कृपया इसे हटा दीजिए।

हम सीमा शुल्क के बारे में पूरी कहानी जानते हैं। किसी बात से पीछे हटना वर्तमान सरकार की अद्भुत विशेषता है। मैं इस पर

आगे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यह लॉबी आधारित और चयनात्मक स्थिति है। कुछ ''लॉबी'' इस सरकार को प्रभावित करने में काफी सफल रही है और कुछ नहीं। विभिन्न मदों पर शुल्क लगाने के संबंध में समानता होनी चाहिए।

यदि आप में जरा सी भी स्वदेशी भावना है तो आप उन छोटे उद्योगों के बारे में सोचिए जो निर्माण के लिए कच्चे सामान का आयात कर रहे है। आपके द्वारा लगाए गए सीमा शुल्क से न तो स्वदेशी उद्यमों को ही लाभ पहुंच रहा है न ही छोटे उद्योगों को लाभ पहुंच रहा है।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। मैंने कुछ संशोधनों का भी प्रस्ताव किया है जिन्हें मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री शान्तिलाल चपलोत (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट इस सदन में पेश किया है, उस प्रकार का बजट पहले कभी पेश नहीं किया गया। जिस तरीके से कनसेशन ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को दिये गए हैं, जो राशि पहले दी जाती थी, डेढ़ गुना राशि स्प्रिंकलर सिस्टम में दी गई है। इसी तरीके से इरीगेशन परपजेज के लिए भी काश्तकारों को ध्यान में रखते हुए काफी राशि दी गई है। ट्रैक्टरों पर जो राशि लगती थी, उसमें भी काफी छूट दी गई है। इस बजट में सर्व विकास हो - सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, माकश्चित दुखन भाग भवेत। सभी लोग सुखी हों, सभी लोक निरोगी हो, सभी लोग अच्छे हो, चराचर के सुख की कल्पना करके यह बजट पेश किया गया है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आखिर हमें यह तो देखना पड़ेगा कि आज से पांच हजार साल पहले इस देश के क्या हालात थे, आज से ढाई हजार साल पहले इस देश के क्या हालात थे। इस देश में महापद्मानन्द नाम का व्यक्ति हुआ है। उसका नाम महापद्मानंद इसलिए पड़ा चूंकि उसके पास पदमों रुपये थे। जो आज के हिन्दुस्तान में अगर बांटे जाएं तो 20 लाख रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बंटेंगे। इस ढाई हजार साल के पश्चात्, देश की आजादी के पश्चात् देश के क्या हालात हो गये। देश में पहली पंचवर्षीय योजना बनी, हम कर्जदार हो गये। दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी, हम कर्जदार हो गये और आज सन् 1998 में देश पर देशी और विदेशी कर्जा लगभग दस लाख करोड़ रुपये का हो गया है। प्रति व्यक्ति कम से कम बारह हजार रुपये का कर्जा हो गया है। इस कर्जदारी से मुक्ति दिलाने के लिए ग्रामों में रोजगार पैदा करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है। इन्होंने कहा है कि ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जायेगा। आज से चार सौ साल पहले 35 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हुआ करते थे, लेकिन आज 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर आधारित हो गये हैं। खेती पर भार बढ़ता चला जा रहा है, उस भार को कम करने के लिए, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए उन्होंने बजट में पूरी व्यवस्था की है, उसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इसी तरह से शहरों में जिस प्रकार से झुग्गी-झोपड़ियां डेवलप हो रही है, उनको देखते हुए 20 लाख मकान शहर में और 20 लाख मकान गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत बनाने का जो प्रावधान इन्होंने किया है, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का प्रावधान किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

इस देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आज इस देश में कम से कम दस करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। उन लोगों को जिस तरह से कंसेशंस दिये गये हैं, चाहे वे फैक्टरियों में काम करने वाले हो या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले हों, उनके लिए इस बजट में कंसेशंस देने का उन्होंने प्रावधान किया है, उसके लिए वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय जाया नहीं करना चाहता हूं। इस देश में सवा करोड़ लोग विकलांग हैं। देश में प्रति सौ में डेढ़ व्यक्ति विकलांग हैं, उनके लिए इन्होंने बजट में अलग से प्रावधान किया है, उसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। देश में सवा करोड़ लोग अंधे हैं। प्रति सौ में से डेढ़ व्यक्ति अंधे हैं, उनके लिए भी वित्त मंत्री जी बजट में प्रावधान किया है, मैं उसके लिए भी इनको बधाई देता हूं। इस देश में प्रति सौ में से 15 व्यक्ति टी.बी. के मरीज हैं, जो कि गरीब लोग हैं, वे कुपोषण का शिकार हैं। देश में न्यूट्रीटिव वैल्यू का भोजन नहीं मिल पाता है, गांवों में न्यूट्रीटिव वैल्यू का भोजन मिले, उसके लिए भी इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, उसके लिए भी मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक चार्वाक हुआ है। चार्वाक ने कहा है:-

यावेत जीवेत सुखम जीवेत,

ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत,

भस्मीभूतस्य दैहस्य, पुनरागमन कुतः

[श्री शान्तिलाल चपलोत]

अर्थात् जब तक जीओ, सुख से जीओ, कर्जा करके घी पीओ, यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है, यह भस्मीभूत होने वाला है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किया है कि हम कर्जधारी नहीं करेंगे, देश को स्वाभिमानयुक्त बनायेंगे, देश को गौरवान्वित बनायेंगे, कर्जमुक्त हिंदुस्तान बनायेंगे, दूसरों के सामने भीख मांगने वाला हिंदुस्तान अब हम नहीं बनने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के इस बजट का संकल्प है। मैं उसके लिए वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने चाहा है कि हम किसी भी हिसाब से दूसरे देशों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे वे किसी भी प्रकार के बैन लगाना चाहें, सी.टी.बी.टी. से संबंधित बैन लगाना चाहें और चाहें किसी भी प्रकार का बैन या आर्थिक पाबंदी लगाना चाहें, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। हम किसी के सामने झुकने के बनिस्पल अपना सर कलम कराना अच्छा समझेंगे। चाहे अमरीका हो, इंग्लैंड हो या सैंक्शन लगाने वाला कोई भी देश हो, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार का संकल्प इस बजट के ‾ किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

‾न)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : आप एम.पीज. का वेतन बढ़ाने की बात बोलिये, अपनी तरह से बोल रहे हैं, लेकिन यह बात नहीं बोल रहे हैं।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं ऐसी डिमांड क्यों करूंगा। ...(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गहलोत (शाजापुर) : वित्त विधेयक पर बोलना चाहिए, वेतन वृद्धि विधेयक पर नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने 20 लाख मकान बना कर देने का जो प्रावधान किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान की स्थिति बहुत विशेष है। जितना हिन्दुस्तान का एरिया है उसका 1/10 हिस्सा राजस्थान का हिस्सा है जिसमें साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर भू-भाग आता है। राजस्थान का आधा हिस्सा रेगिस्तान में माना जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि वहां स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से चलाई गई, लेकिन वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती है, तो सारा राजस्थान हरियाली से लहलहा उठेगा। सारा का सारा रेगिस्तान खुशहाल हो जाएगा। राजस्थान में आर्थिक संसाधन बहुत कम हैं और वहां पर केन्द्रीय धन भी बहुत कम लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले 10-12 साल से कोई निवेश नहीं हुआ है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि पिछले तीन सालों में केन्द्र सरकार का कितना निवेश राजस्थान में हुआ, तो मुझे परसों ही जवाब मिला है हिन्दुस्तान के सब प्रदेशों में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है उसमें से राजस्थान में मात्र 10 करोड़ रुपए से भी कम निवेश हुआ है। यह पिछली सरकारों के कार्यों और उनकी उदासीनता का परिणाम है। राजस्थान की आबादी को यदि पूरे हिन्दुस्तान की आबादी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो 1/20वां हिस्सा बैठता है और यदि एरिया के हिसाब से देखते हैं, तो 1/10वां हिस्सा बैठता है। यदि केन्द्र सरकार के कुल धन का एरिया के हिसाब से 1/10वां धन राजस्थान में लगना चाहिए या आबादी के हिसाब से देखें तो 1/20वां केन्द्र के धन का हिस्सा राजस्थान को जांना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जिससे राजस्थान की प्रगति में बाधा पैदा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं जल्दी ही खत्म करूंगा। राजस्थान में ग्रेनाइट एस.एस.आई. यूनिट मानी जाती है। उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है। 1994 में 10 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। 1994 में उसको बढ़ाकर 20 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर कर दिया गया और गत वर्ष चिदम्बरम साहब की मिनिस्ट्री ने उसको 30 रुपए कर दिया। मुझे विश्वास है कि अब आप उसको घटाएंगे। इस वर्ष भी गलती से ही सही, लेकिन उसको 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रु. 4.50 प्रति स्क्वेयर फुट एक्साइज और अन्य टैक्स रु. 2.50 प्रति स्क्वेयर फुट, इस प्रकार कुल मिलाकर रु. 7.00 स्क्वेयर फुट टैक्सेशन है और 12 रुपए प्रति फुट मार्बल बिक रहा है। वहां पर कोटा स्टोन से भी सस्ता बिक रहा है। इस व्यापार में 15 लाख परिवार यानी एक करोड़ लोग राजस्थान में लगे हुए हैं। हिन्दुस्तान में जितना मार्बल पैदा होता है उसका 95 प्रतिशत उदयपुर, राजसमुंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर, सिरोही, नाहौर के मकराना में और जयपुर जिले में आंधी और सिरोही आदि स्थानों पर मार्बल पैदा होता है। मकराना का मार्बल तो विश्व प्रसिद्ध है। इसमें एक करोड़ लोग काम करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज अब समाप्त करिए।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्बल पर एक्साइज ड्यूटी कम की जाए। उसे एस.एस.आई. यूनिट में माना जाए। जिस हिसाब से भी इसके ऊपर एक्साइज हटाई जा सके, उस हिसाब से हटाया जाए। नहीं तो राजस्थान की सारी इकनौमी शैटर हो जाएगी। राजस्थान में मार्बल और मिनरल की बहुत खदानें हैं। वहां फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में लागू हुआ, उसकी वजह से माइनिंग नहीं हो पाती है।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का प्रोविजन करवाया जाये कि अगर वह 20 पेड़ लगाये तो उसे माइन्स दी जायेगी या जितनी माईन्स का एरिया दिया जा रहा है, वह उससे डबल फॉरेस्ट का काम करेगा। इस प्रकार से 30 से 40 हजार माईन्स राजस्थान में बिल्कुल मरणासन्न जैसी हो गयी हैं।

दूसरे, जो राजस्थानी भुजिया है जैसा अभी भगवान शंकर रावत जी कह रहे थे कि राजस्थान में भुजिया महिलायें बनाती हैं और वह भी विधवा महिलायें बनाती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बीकानेरी भुजिया पर जो एक्साइज या और टैक्स लगाये गये हैं, उन्हें समाप्त करने का कष्ट करें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक नम्बर दो पर जो बहस चल रही है, उसमें मैं अपनी पार्टी की राय व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं। मैं इस वित्त विधेयक की कटु निंदा, घोर निंदा और कड़ी आलोचना करना चाहता हूं क्योंकि वित्त विधेयक में जिस प्रकार के कर प्रावधान हैं, जिस प्रकार के प्रस्ताव हैं, माननीय मंत्री जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था, उसके पहले जब अनुपूरक अनुदान की मांगें रखी थीं उससे पिछले साल जिस तरह की संभावनायें थीं, जिस तरह के प्रस्ताव थे, उस अनुपात में न तो उत्पाद कर की उगाही हो पाई थी और न ही सीमा शुल्क में अपेक्षाकृत जितने अनुमान थे, उसके अनुसार उगाही हो पाई थी। लेकिन इस बार जिस तरह के कर प्रस्ताव हुए, पिछले साल के मुकाबले और भी बुरी हालत होने वाली है, ऐसी मुझे आशंका है। जिस तरह के कर प्रावधान हैं उससे देश में मुद्रा स्फीति बढ़ेगी और आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। जो टैक्स चोर हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और जो सही ढंग से टैक्स देने वाले हैं उनके कारखाने घाटे में जायेंगे, बंद हो जायेंगे, ऐसी मुझे आशंका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब पेट्रोल कम्पनियों ने चार रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये, उस पर संसद का दबाव हुआ, मंत्री जी के निर्देश हुए तो तीन रुपए दाम पेट्रोल के कम कर दिये गये, उसी प्रकार जो एक रुपया रोड टैक्स के नाम पर था वही वसूला जाने लगा। उससे देश में इन्होंने एक वातावरण बनाने की कोशिश की कि सरकार ने अपनी तरफ से तेल के दाम नहीं बढ़ाये हैं। लेकिन यदि कर प्रस्तावों को ठीक से पढ़ा जाये, मोटर स्प्रिट के ऊपर उत्पाद कर बढ़ा है, उसके चलते जितने दिनों तक संसद चल रही है, उतने ही दिनों तक पेट्रोल के दाम रुके हुए हैं। जिस दिन संसद का अधिवेशन समाप्त होगा, तेल कम्पनियां इस बात के लिए मजबूर होंगी कि वह तेल के दामों में वृद्धि करें। यदि इस बात को मंत्री जी ने अभी से नहीं सोचा तो यह देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, ठगी होगी।

माननीय मंत्री जी ने इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया है कि इन उत्पाद करों से, मोटर स्प्रिट की दर में वृद्धि से कम्पनियों को घाटा होगा, तेल पूल में जो घाटा होगा, सरकार उसकी सबसिडी के जरिये भरपाई करेगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे कहां से उसकी भरपाई करेंगे? उनके पास एक ही रास्ता है कि वह पेट्रोल के दामों में वृद्धि करे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिक्री कर में वृद्धि कर दी और आज उत्तर प्रदेश में, यही बगल के नोएडा और गाजियाबाद में छोटे स्कूटर वालों को 28 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। जिस दिन 10 फीसदी उत्पाद कर बढ़ा है, उसके चलते मोटर स्प्रिट में तीन रुपए और दाम बढ़ेंगे। इसके बारे में मंत्री जी को सफाई देना होगा कि वह तीन रुपए क्यों बढ़े थे? आपके डंडा चढ़ाने से जो दाम रुके हैं, वे तात्कालिक आधार पर रूके हैं। वह अस्थायी रूप से रूके हैं। इसकी सफाई हमको मिलनी चाहिए।

एक बात हम यह भी कहना चाहते हैं कि उत्पाद करके मामले में आपने एक सैटलमैंट कमीशन बनाने की बात कही है। उत्पाद कर कोई आय कर नहीं है, यह इनडायरैक्ट टैक्स नहीं है डायरैक्ट टैक्स है, उत्पादन के ऊपर तत्काल टैक्स है। इसमें सैटलमैंट के मायने क्या होते हैं। इसमें सैटलमैंट के क्या यही मायने होते हैं कि जितना आपने उत्पादन किया है, उस पर टैक्स मत दीजिए, बाद में इंस्पैक्टर राज खत्म करने के नाम पर विभाग से बात कीजिए या एक सैटलमैंट कमीशन में आइए और जितना टैक्स था, उसका एक-चौथाई, आधा, कुछ हिस्सा लेकर हम आपके साथ सैटलमैंट करें और उस टैक्स को फोरगो कर दिया जाए। इस सैटलमैंट कमीशन के मायने क्या हैं? उत्पाद कर के क्षेत्र में इसे बिठाने की पहली बार कोशिश क्यों हो रही है। ...*(व्यवधान)* केवल जो सेवा निवृत्त होने वाले उत्पाद कर विभाग के अधिकारी हैं, उनको नया रोजगार मुहैया करने और सेवा निवृत्ति के बाद फिर से वे किसी एक पद पर बैठकर रोजगार में रहें, उनकी कमाई का एक रास्ता खुले, इसके अलावा मुझे और कोई चीज इसमें नजर नहीं आती। इसलिए इसे खत्म करना चाहिए।

भारत में फूड प्रोसैसिंग पर टैक्सेशन नहीं था। उस उद्योग को हमने जानबूझकर अलग रखा क्योंकि उसे साधारण लोग करते हैं। जैसे ऐग्रीकल्चर को हमने आय कर से अलग रखा था, वैसे ही फूड प्रोसैसिंग को भी उत्पाद कर से अलग रखा था, साधारण इन्वैस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि दूरदराज गांवों में भी फूड प्रोसैसिंग के जरिए सामान्य ग्रामीण आदमी को रोजगार मिल सके। इस मंशा से इसे हमने अलग किया था। धीरे-धीरे आपने इस बात के प्रस्तावों के जरिए उस दिशा में हाथ बढ़ाने की कोशिश की और डेरी उद्योग पर पहली बार हाथ डाला है। डेरी पर टैक्स लग गया, घी पर टैक्स लग गया, मक्खन पर टैक्स लग गया, चॉकलेट खाने वालों पर टैक्स लग गया, मिठाई भी फूड

[श्री मोहन सिंह]

प्रोसैसिंग का ही एक हिस्सा है, उसके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया यानी आपने इन कर प्रावधानों के जरिए एक नए विचार में परिवर्तन लाने की कोशिश की।

अपराह्न 4.57 बजे

[श्री वी. सत्यमूर्ति *पीठासीन* हुए]

मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या जो बढ़े हुए हाथ हैं, जो सिलसिला है, वह फ्रूटीकल्चर, फ्लोरीकल्चर सब दिशा में जाने वाला है क्योंकि जिस व्यापक पैमाने पर उसका निर्यात हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यदि आपने इस सिलसिले को जारी रखा, हमने अपनी पार्टी की ओर से संशोधन भी दिए हैं और हमारी मांग है कि डेरी उद्योग से संबंधित जितनी चीजों पर आपने नए कर लगाए हैं, उन्हें वापिस लीजिए। आपने चाय कर पर टैक्स बढ़ा दिया। हम बार-बार कहते हैं कि चाय आम आदमी का पेय है। हम कहते हैं कि साधारण आदमी चाय के जरिए शरीर में जो मज्जा है, क्रोमोसोम में वृद्धि होती ...क्टरों का कहना है कि वह इससे रुकती है। उस पर आपने ...स लगा दिया, बाजार में चाय के दाम बढ़ने लगे। आपने दस रुपये पर अस्सी पैसे बढ़ाए, उन्होंने उसका बहाना लेकर दस रुपये की पीछे तीन रुपये वृद्धि कर दी। ऐसी साधारण चीजों पर टैक्सेशन करने से ओवरॉल इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। आज की तारीख में इन्फ्लेशन की दर सात फीसदी से अधिक हो गई है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। लोग अब इसी आधार पर भविष्यवाणी करने लगे हैं कि इस वर्ष के अंत तक इन्फ्लेशन की दर दो अंकों के ऊपर पहुंच जाएगी। जिसे पांच साल पहले अर्थ नीति के चलते खत्म किया गया था, उस पांच साल पुरानी चीज को आपने नए सिरे से बढ़ाने का इंतजाम कर प्रावधानों के चलते कर दिया है। हम उसे वापिस करने के बारे में मांग करेंगे।

मोटर गाड़ी चालने की जो बैटरी है, हम कहते हैं कि धुएं से प्रदूषण बढ़ रहा है, बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ी बनाने वाले लोग प्रदूषण को रोकने के लिए एक प्रयोग कर रहे थे, उस पर टैक्सेशन हो गया, उसमें कर वृद्धि हो गई, चश्मे के लैंस पर टैक्सेशन हो गया, उसमें वृद्धि हो गई। प्रदूषण यंत्र की खरीद पर टैक्सेशन में वृद्धि हो गई। जो जीवन आरक्षक चीजें हैं जिसके चलते आज के वातावरण को विषाक्त होने से, वायुमंडल को प्रदूषित होने से रोकने की दिशा में सरकार की ओर से बहुत जोर दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस पर रोजाना एक न एक आदेश निकालते रहते हैं, उस पर आपने कर प्रावधानों में वृद्धि की हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

उसमें हम कमी करने का एक आग्रह आपसे करना चाहते हैं।

इन्हीं चीजों के साथ-साथ कुछ अन्य चीजें सुझाव के तौर पर कहना चाहते हैं, जैसे 86 हजार करोड़ रुपया, हमारे मित्र कह रहे थे कि "ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत", लेकिन आज तो आपने ऐसे घी के ऊपर टैक्स लगा दिये कि घी को ऋण लेकर भी आदमी पीने के लायक हिन्दुस्तान में न रहे, ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है। हम यह साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि यदि आप संकल्प कर लें कि सैंक्शन ईयर में कि दुनिया के हमारे ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं, हम अपने विकास के कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उसका एक इलाज है, यदि आप इससे कुछ सबक सीखे। उसका इलाज सादगी के मार्ग पर चलने का हैं।

आपने पे कमीशन की एक संस्तुति मान ली कि राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल कर दी जाये, उसको आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी के साथ-साथ दूसरी संस्तुति थी कि जो क्लास वन आफिसर्स हैं, आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, उनकी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है, पे कमीशन ने उसी के साथ-साथ कहा कि आज ही की तारीख में एक तिहाई संख्या क्लास वन आफिसर्स की, आई.ए.एस. की कम की जा सकती है, कम की जानी चाहिए, उस पर उसका जोर था। आई.पी.एस. आफिसर्स की संख्या एक तिहाई कम की जानी चाहिए, यह पे कमीशन का जोर था, लेकिन खर्चा बढ़ाने वाली जो उसकी संस्तुति थी, उनका वेतन आपने बढ़ा दिया, 35 हजार रुपये कर दिया, 40 हजार रुपये कर दिया, देना चाहिए। वे कहते थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई, एक लाख रुपये वेतन देने लगीं। भारत का जो सबसे मजबूत ब्रेन है, वह आई.ए.एस. होता है और आई.पी.एस. होता है, वे 15 हजार रुपये माहवार पर अपनी गुजर नहीं कर सकते ब्रेन ड्रेन होगा और वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास चला जायेगा, इसलिए हमारे वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। आपने 35 हजार रुपये वेतन दे दिया, 40 हजार रुपये दे दिया, वेतन आयोग की संस्तुति को आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। रिटायरमेंट की उम्र आपने 60 साल कर दी, अच्छी बात है। 37 लाख लोग हर साल सरकारी सेवाओं में खपाये जाते थे, वे सभी 37 लाख लोग दो साल तक सड़क पर कट्टा लेकर इन्तजार करेंगे, लोगों को मारने का काम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ-साथ बात थी कि इन आफिसरों की संख्या एक तिहाई आज की तारीख में कम की जानी चाहिए, इस इन्तजाम को आपने नहीं स्वीकारा क्यों नहीं स्वीकारा?

मैं कहना चाहता हूं कि नेताओं की निजी सुरक्षा और खास तौर से एस.पी.जी. की सुरक्षा पर आधा दर्जन से कम लोगों की

सुरक्षा के ऊपर 125 करोड़ रुपया हमारे बजट का खर्च हो रहा है। एक-एक आदमी के ऊपर 18-18 करोड़ रुपया एक साल में खर्च हो रहा है और उसमें से दो लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि हमको इस तरह की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम कैदखाने में हैं। हम कहना चाहते हैं कि यदि ये लोग भारतीय समाज के लिए अति विशिष्ट हैं तो उनकी सुरक्षा का एक उपाय है कि तिहाड़ जेल जैली एक जेल बनाइये और इन सभी लोगों को वहां एक जगह पर स्थापित कर दीजिए। ये भारत की जनता से टेलीवीजन के जरिए बातचीत करते रहें। इनको 115 करोड़ रुपये की सुरक्षा की क्या जरूरत है, हम इसके बारे में पूछना चाहते हैं? उसमें भी ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं कि इस सुरक्षा में हम घुटन महसूस करते हैं, इसको हटा लिया जाये। क्या इन चीजो के ऊपर आप सोच नहीं सकते? निजी सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा में जब से हमने निजी सुरक्षा के ऊपर बल दिया, सार्वजनिक सुरक्षा नाम की चीज खत्म होती चली जा रही है। इसके ऊपर भी अंधाधुंध व्यय हो रहा है। सादगी की दिशा में पहल करने के ये सब कुछ उपाय कर सकते हैं. उसके बारे में हम सोचने की दिशा में क्यों नहीं बढ़े। इन कर प्रावधानों में इसके बारे में सोचना जाना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। जिन लोगों को इस तरह सी सुरक्षा दी जाती है, उनका भी इस सुरक्षा व्यवस्था में कुछ योगदान हो और जो राजनैतिक दल अपने राजनेताओं की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, केवल पब्लिक एक्सचैकर से उनकी सुरक्षा होती रहे, यह मैं कोई बहुत शुभ बात नहीं मानता हूं। इसके बारे में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को सोचने की आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ राज्यों को आप सुविधाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है. लेकिन राज्यों में प्रतियोगिता चल रही है कि ओवरड्राफ्ट लेकर अपना काम चलाओ और अपनी प्रसिद्धि के लिए जितनी करों के ऊपर छूट दे सकते हो, वह छूट देने का वे अपनी तरफ से इन्तजाम कर रहे हैं। समान कर व्यवस्था हो, सभी राज्यों में इसके बारे में एक सहमति स्थापित होनी चाहिए। एक ही चीज पर व्यापार कर की दर उत्तर प्रदेश में कुछ है, बिहार में कुछ है, महाराष्ट्र में कुछ है. दिल्ली में कुछ है और उसके चलते जो इण्टरनल समगलिंग होती है, यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में मंत्री जी सोचें। सभी राज्यों की इच्छा से एक आम सहमति, जो राज्यों के कर हैं, उन राज्यों के करों में एक समन्वय और संतुलन होना चाहिए। भारत सरकार इस पर सभी राज्यों की एक बैठकर बुलाकर सहमति बनाने की कोशिश करे, यह मैं सुझाव देना चाहता हूं।

मेरी तरफ से वित्त विधेयक के कर प्रस्तावों पर संशोधन हैं, जिन पर मैं कल बल दूंगा। लेकिन अभी मैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आपने नियम बना दिया कि 25 हजार रुपये तक का भी लेनदेन बैंक के जरिए हो तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स का नम्बर बैंक को दिखाना पड़ेगा। अगर कोई खरीददार अपने वास्ते पांच लाख रुपये या दस लाख रुपये की सम्पत्ति खरीदना चाहता है तो उसे इनकम टैक्स क्लियरेस लानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप इंस्पैक्टर राज खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बाते करने से तो इंस्पैक्टर राज और मजबूत होगा।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि मेरे प्रस्तावों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसको पहले लाएं और तब वह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यह एक दुष्प्रचार देश में चल रहा है, जिसको यहीं समाप्त करना आवश्यक है इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं। अगर आप इनकम टैक्स टैबस के असेसी हैं, आपके पास परमानेट एकाउंट नम्बर है या जी.आई.आर. नम्बर है तो उसको कोट कर दें, अगर वह नहीं है तो कह दें कि मैं असेसी नहीं हूं, तब भी आप खरीद-फरोख्त कर सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है।

श्री मोहन सिंह : मंत्री जी की बात बिलकुल दुरुस्त है, लेकिन व्यवहार में ठीक उल्टा है। उल्टा यह है कि सभी खरीदारों से इनकम टैक्स की क्लियरेंस की बात हो रही है। उस तरह के इनकम टैक्स के प्रमाण पत्र को अर्जित करने के लिए एक लाख रुपयें की अगर सम्पत्ति है तो पांच हजार रुपये की घूस आयकर विभाग के इंस्पैक्टर को देने के लिए आम आदमी मजबूर है। जिस बात को आपने आज यहां कहा, यदि उसको प्रपत्र के जरिए या उसको अखबारों के जरिए देश की जनता तक पहुंचाया जाए तो शायद उसकी विशेष सफाई होगी। लेकिन आम धारणा लोगों में यह नहीं है। अपने घर के ऊपर टैक्स लगा दिया, कोई भी सरकारी सेवा से निवृत्त व्यक्ति नौकरी के समय कर्जा लेकर छोटा सा घर बनाकर रह रहा है, उसकी 65 साल की उम्र हो गई है, इनकम टैक्स के हिसाब से एल्डरमैन है, लेकिन आपने कर प्रस्तावों का दायरा बढ़ाकर घर को भी शामिल कर लिया, तो इसके बारे में एक सुनिश्चित सोच आपकी तरफ से, जब आप जवाब देंगे, आनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कल जब वित्त विधेयक के कर प्रावधानों पर हमारे कटौती प्रस्ताव आएंगे, तो मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए कुछ अपनी बात कहूंगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सभापति जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं तथा मैं मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं, उन पर पुनर्विचार करते हुए आगे चलकर कुछ कहेंगे।

[अनुवाद]

***श्री रामराजन्** (तिरूचेंदूर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की महा-सचिव तथा अपनी प्रिय पुरातच्छी थल्लवी (क्रांतिकारी नेता) का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं हाल ही में सम्पन्न हुए बारहवीं लोक सभा के चुनावों में तिरूचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार विजयी उम्मीदवार के रूप में उभर कर आया। मैं फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ हूं और अब मैं जन प्रतिनिधि हूं। मैं उनका आभारी हूं।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस सम्माननीय सभा में आने का अवसर दिया। मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मुझे इस सभा में पहली बार अपना भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज श्री के. कामराज का जन्मदिन है। श्री कामराज भारत के उन महान् नेताओं में से एक हैं जिन्होंने तमिलनाडु में जन्म लिया। यह एक एतिहासिक दिन था जबकि संसद के प्रांगण में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था और इसी अविस्मरणीय अवसर पर मुझे इस सभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक बार पुनः अपनी प्रिय नेता डा. पुरातच्छी थल्लवी (क्रांतिकारी नेता) का तहेदिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अद्वितीय अवसर प्रदान किया।

उन लोगों के बीच जो फिल्म जगत के कलाकारों का मज़ाक [illegible] और इस देश के शासन संचालन में उनकी क्षमता पर [illegible]यक्त करते थे, हमारी संस्थापक नेता पुरातच्छी थेलिवार (क्रांतकारी नेता) एम.जी.आर. मजबूत जनादेश के साथ उभर कर आए और तीन कार्यकालों लम्बे समय तक (तीन कार्यकाल) तमिलनाडु के शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने राज्य को एक सुदृढ़ और कुशल प्रशासन दिया। हमारे संस्थापक नेता के पद चिह्नों पर चलते हुए हमें एक गतिशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए उनकी सही उत्तराधिकारी के रूप में हमारी प्रिय पुरातच्छी थल्लवी सामने आईं। मुख्य मंत्री के रूप में उनका पांच वर्ष का शासन स्वर्ण काल की शुरूआत थी।

लेकन आज हम तमिलनाडु में देखते हैं कि वहां डी.एम.के. का शासन है। तमिलनाडु के लोग अनेक कठिनाईयों और अनगिनत यातनाओं से गुजर रहे हैं। मैं विशेष रूप से अपने तिरूचेंदूर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा झेली जा रही कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मछुआरा समुदाय का है। अनेक वर्षों से इन सैंकड़ों मछुआरों को रियायती दरों पर मिट्टी का तेल मिलता था। यह मिट्टी का तेल उनके मत्स्य व्यवसाय में उपयोग में लाया जाता था। मत्स्य उद्योग से सम्बन्धित विभिन्न मशीनों के प्रयोग के लिए इस ईंधन की आवश्यकता थी। बाद में राज-सहायता वापस ले ली गई और अब उन्हें इसके लिए काफी अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। इससे वहां के मछुआरों का जीवन तथा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। इस संकटमय स्थिति में मेरा माननीय वित्त मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वह मिट्टी के तेल पर राजसहायता देना पुनः आरम्भ करें ताकि मछुआरे अपनी छोटी-छोटी नावों से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कार्यों को जारी रखने के लिए प्रतिमाह 100 लीटर मिट्टी का तेल प्राप्त कर सकें। आप इस सामाजिक उपाय के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित कर सकते हैं। समुद्री तट के साथ रह रहे अनेक मछुआरे अभी भी झोपड़ियों में रह रहे हैं और उनके पास पक्के घर नहीं है जिनमें कि वे भलीभांति सुरक्षित ढंग से रह सकें। उनमें अनेक लोग गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। उन्हें आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप पर्याप्त धनराशि का नियतन करें।

कतिपय समुदाय द्वारा स्थापित तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक अब दूसरे हाथों में चला गया है। इसे पूर्वावस्था में ही लाना होगा। अर्थात् इसका संचालन उन्हीं लोगों को सौंपना होगा जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस संस्थापक समुदाय के हाथों में सौंपने की आवश्यकता को हमारी प्रिय पुरातच्छी थल्लवी ने अच्छी तरह समझा और वह एक प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय प्रधान मंत्री के पास आई और उनके समक्ष अपना मामला प्रस्तुत किया। इस मामले को माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में भी लाया गया है। माननीय प्रधान मंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया है कि इस बैंक का संचालन वापस उसके संस्थापकों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक के संस्थापकों समुचित की सही मांगों को पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दूंगा।

हम कहते हैं, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। हम यह भी जानते हैं कि कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण पर्यटक तथा तीर्थ स्थल है। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में ऐसा जाना जाता है। वहां के लिए वायुसेवा आरम्भ करने के लिए हमें वहां एक हवाई-पट्टी बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही टयूटीकोरिन में लगभग 100 करोड़ की लागत से बनी हवाई-पट्टी पर अभी तक कोई वायु सेवा आरम्भ नहीं की गई है। अतः टयूटीकोरिन हवाई-पट्टी पर वायु सेवा आरम्भ करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यदि तत्काल ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है तो जल्दी से जल्दी कन्याकुमारी के लिए वायु-पट्टी निर्माण का निर्माण किया जाना चाहिए।

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लघु उद्योग विशेषकर कि कुटीर उद्योग की भरमार है। इन लघु औद्योगिक एककों के श्रमिक वर्ग में अधिसंख्य मजदूर गरीब बीड़ी श्रमिक हैं। इन गरीब बीड़ी मजदूरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उदार शर्तों पर ऋण देने का अनुरोध करता हूं ताकि वे बिना किसी रूकावट के अपना व्यवसाय कर सकें। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इनकी मांगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें।

मैं केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछड़े क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखने तथा उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करने की घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारे क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों के अलावा आप सिनेमा उद्योग की दशा पर भी पर्याप्त ध्यान दें।

बम्बई में जो चलचित्र बनाए जाते हैं, उनका बाजार काफी फैल गया है। देश के बड़े हिस्से में प्रदर्शित किए जा रहे चलचित्रों के अलावा विश्व के अनेक भागों में भी उनका प्रदर्शन होता है। भारत के आधे राज्यों में चलचित्रों का निर्माण अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होता है लेकिन केवल तमिलनाडु फिल्म उद्योग कभी-कभी एक अथवा दो पड़ोसी राज्यों को छोड़कर तमिलनाडु के अलावा किसी अन्य राज्यों में अपने चलचित्रों का प्रदर्शन न करवा पाने की समस्या का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार ने पहले ही फिल्म उद्योग को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा देने का निर्णय ले लिया हैं। इसलिए फिल्म निर्माताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार का कर्त्तव्य बन जाता है। अत: मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह फिल्म उद्योग को विशेषकर कि तमिल फिल्म उद्योग को उदारतापूर्ण ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वित्तीय सहायता दी जाएगी। अत: मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आप फिल्म निर्माताओं को ऋण देने में उदार होने तथा तमिल फिल्म निर्माताओं के प्रति अधिक उदारतापूर्ण रवैया अपनाने की अपनी बात पर अटल रहें। इसके साथ ही इस वित्त विधेयक को अपना समर्थन देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक पर विपक्ष के सदस्यों ने आलोचना की और सत्ताधारी लोगों ने समर्थन किया है। मैं इसमें कोई ज्यादा आलोचना और भाषण नहीं करना चाहता हूं।

आजादी के पचास वर्षों के बाद जो भी सरकारें सत्ता में आईं, उन सभी ने बच-बचकर, छुप-छुपकर और अपने-अपने तरीके से कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां-कहां खर्च किया जाएगा, सदन में बजट प्रस्तुत किए हैं। जिन लोगों ने आलोचना की या समर्थन किया, उनके विचार किताब की शकल में लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आज देश अलग-थलग पड़ा हुआ है और आर्थिक सैंक्शन की चर्चा भी हो रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

महोदय, देश के सर्वहारा के ऊपर गरीबी, भूख और बेरोज़गारी का जो आलम है, हम यह नहीं कहते कि आप जिस दिन से आए हैं उसी दिन से यह हो गया, यह भी मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा यह कहना है कि इस रोग का इलाज क्या है? हमारी समझ में यह नहीं आता कि जो वित्त प्रबंधन हैं, आप जो टैक्स लगा रहे हैं, इस देश में जो आमदनी है, मंत्री जी सहमत होंगे कि जो पिछड़े राज्य हैं – जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है, पूरा नार्थ-ईस्ट है, इनकी पर केपिटा इंकम दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। आजादी के बाद जो प्लानिंग केपीशन की योजना बनी वे इन राज्यों को कितनी कम है। जो राज्य आगे बढ़े उनकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो राज्य आपकी नीतियों की वजह से पीछे छूट गए, पिछड़े रह गए उनके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि दूसरों के समकक्ष हम उनको कैसे लाएं। ये जो सारें प्रबंधन हैं-चाहे आप टैक्स माफ करेंगे या लगाएं और जो लगाए हैं, क्योंकि आप जिस दल में बैठे हैं वहां बहुत प्रेशर आने वाला है, जैसे अमुक जगह से कर हटा दो, ये सब बातें चलेंगी, लेकिन गाडगिल फार्मूले के आधार पर संसाधनों का बंटवारा हो, पापुलेशन और बैकवर्डनैस के नाम पर न तो मंत्री जी कुछ दे सकते हैं, न प्रधान मंत्री जी दे सकते हैं और न ही जसवंत सिंह जी कुछ कर सकते हैं। गाडगिल फार्मूले के तहत जो आमदनी है और जो एस्टीमेट है, जो आपका प्रस्तावित कर और सारा प्रबंधन है तथा जो लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं। आप घाटे में जाएंगे या आपकी क्या हालत होगी, यह मैं नहीं जानता। इस सरकार का क्या प्रश्न होगा, यह भी मैं नहीं जानता और मैं बताना भी नहीं चाहता। आप पूरे स्वरूप को देखें कि हमारे देश की क्या हालत है। आपको दो-दो बार वित्त मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय मनमोहन जी, चिदम्बरम जी और जो-जो हमारे वित्त मंत्री रहे वे सब कहीं न कहीं आलोचना के शिकार हुए।

महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश के ऊपर कितना कर्जा है। प्रत्येक हिन्दुस्तानी पर वर्ल्ड बैंक या विदेश का कितना कर्जा है और उस कर्जे को लौटाने की बात तो दूर रही बल्कि सूद-दर-सूद इंटरस्ट लौटाने में भारत का आम आदमी और जो आपका प्रबंधन है, हिसाब-किताब है, जो आपकी आमदनी है इसको तो यह समाज तिलचट्टे की तरह खा रहा है, खत्म कर रहा है। चाहे आप हड़तालों को ले लें या किसी और चीज को ले लें, जो आम आदमी है, सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब है उसके लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? यह देश कर्जे के बोझ से डूबा हुआ है। फाइनेंस कमीशन ने पिछली बार राज्यों से कहा था और आपने भी माना है कि जो केन्द्रीय कर की वसूली आप करते

[श्री लालू प्रसाद]

हैं उसे 27 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत राज्यों को दिया जाएगा।

अब कई राज्यों के बजट बनने वाले हैं और कहीं-कहीं असैम्बली बैठी हुई हैं। योजना आयोग से योजना का कार्य तय होने वाला है। हम यह जानना चाहेंगे यशवंत बाबू से कि 27 से बढ़ाकर बिहार को 450 करोड़ का जो हमारा हिस्सा बनता है, इसमें क्या संवैधानिक अड़चन है और अगर संवैधानिक अड़चन है तो आप संविधान में संशोधन करने का, इस अड़चन को दूर करने का कौन सा उपाय कर रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, उस संशोधन विधेयक को कल ही मैंने इस सदन में पेश कर दिया है और क्योंकि सब लोगों की सहमति है इसलिए पास कर देने में, इस सदन में या दूसरे सदन में कोई कठिनाई होने की आशंका नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी सत्र में हम इसे पास करा लेंगे।

श्री लालू प्रसाद : अच्छी बात है, यह जल्दी हो जाना ... दूसरी बात गाडगिल फॉर्मूले के बारे में है। बिहार को, यू.पी. को, उड़ीसा को या पूरे नार्थ-ईस्ट को आप देखें। जब-जब डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई तो हमने इस सवाल को रखा, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री भाग लेते रहे हैं। आज देश कर्ज में डूबा हुआ है और उस कर्ज को लौटाने की स्थिति में हम नहीं हैं और उस पर सूद दे रहे हैं और उसको भी हम लौटा नहीं पा रहे हैं। हमारी योजना का कार्य अकार्य बनकर रह जाता है। इसका इंसाफ आपको और संसद को करना पड़ेगा। जो कोयला उत्पादन राज्य हैं, जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां कोयला आमदनी का स्रोत हैं लेकिन उस कोयले का मालिक आज दिल्ली बन गयी है। उत्तर बिहार में जहां वाटर-लॉगिंग है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नदियां आती हैं, हम उसके मालिक हैं, बिहार सरकार उसकी मालिक है लेकिन छोटा नागपुर का इलाका जहां आमदनी होती है, कुदरत ने जहां माइन्स, मिनरल्स, वैल्थ दी है, उसका मालिक कौन है? बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार खानों और खनिजों में समृद्ध है लेकिन बिहार की जनता गरीब है। इसको मैं अपमान मानता हूं। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आज अपने ही राज्य के मालिक नहीं हैं। ऐसी खतरनाक नीति बनाई गयी है और इस चतुराई से बनाई गयी है कि जिसके पास आमदनी है वहां माइन्स-मिनरल्स रैगुलेशन एक्ट बनाकर दिल्ली में बैठे ब्यूरोकैट लोग उसके मालिक बन गये हैं। आज हमें मिलता क्या है? पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार को आज मिलता क्या है? हम सैस लगाते थे लेकिन वह भी हमें हारना पड़ा। न्यायालयों से कंपनियों ने कहा कि सैस लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं है। राज्यों को कौन इंसाफ देगा? कैसे भेदभाव मिटेगा और कैसे गरीबी मिटेगी? कैसे हमारे भाई राष्ट्रीय स्तर पर आगे आयेंगे? कोल-कंपनियां कोल की मालिक हैं। इस पर लड़ाई हुई और वे हमें रायल्टी देते हैं लेकिन उसका रेट कम है। अगर उत्पादन हुआ और कोल डिपार्टमेंट में हड़ताल हुई या कोल माइन्स में आया और उत्पादन नहीं हुआ तो इस तरह से ये राज्य सफर कर रहे हैं। हम लोग लगातार कोल उत्पादन राज्यों पर दबाव देते रहे हैं कि कोल का दाम बढ़ता रहना चाहिए, वैल्यू पर यह होना चाहिए। बिहार में साईकिल, कपड़ा, दवा, लालटैन हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन महोदय रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी ने राज्यों का गला रेतने का काम किया है। बिहार से हम स्टील और लोहा भेज रहे हैं लेकिन आज लोग बोलते हैं कि बिहार में मत जाना, वहां महिलाएं बाहर घूम नहीं सकती हैं। क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था खराब है। मेरा सुझाव है कि कोयले की रायल्टी ऐड वेलॉरम होनी चाहिए। इस मामले को केबिनेट में क्यों लटका रहा है? आप हमारा कोयला बेच रहे है, इससे हमारी आमदनी नीचे जा रही है। हमें आशा है कि वित्त मंत्री इस मामले में दबाव डालेंगे। इस बारे में कमेटी ने अनुशंसा की है। आपने कहा था कि बैकवर्ड स्टेट्स को ऊपर उठाने के उपाय किए जाएंगे। आपने उन राज्यों को ऊपर उठाने के कौन से प्रयास किए? मेरे दो सुझाव हैं। मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। आप एम.पीज. को कार एडवांस के लिए 50 हजार रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं? क्या 50 हजार में कार आती हैं? इसके ऊपर 15 परसैंट इंटरस्ट ले रहे हैं। अगर देना ही है तो कार के पूरे दाम दीजिए और उस पर दो-चार परसैंट इंटरस्ट लीजिए। ब्रेन आफ दी सोसायटी किस ने तैयार की? गरीब की कमाई ने इस देश को आई.ए.एस. और आई.पी.एस. दिए। हमने गरीब के पैसे से स्कूल बनाए। आपने बड़े-बड़े अफसरों की 40 हजार रुपए तनख्वाह कर दी। कार खरीदने के लिए हमें फ्री लोन मिलना चाहिए। आप जब चाहें बिहार से बड़े-बड़े अफसरों को यहां डैपुटेशन पर भेज देते हैं। अगर प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ऐतिहासिक पुरुष बनना चाहते हैं तो वह देश को ऊपर उठाने के लिए कुछ काम करे। आपने कहा था और जनसंघ का भी यह नारा था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी दिया जाएगा। सी.पी.आई. और सी.पी.एम. के लोग यहां से चले गए। इनका नारा था कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया ज़माना आएगा। इन्होंने नारा दिया ''लैंड टू टिल्लर''। आज बड़े-बड़े जमीदारों ने बेगूसराय में कोठी के आगे लाल झंडा गाढ़ दिया है, आप इसको देखें। आप दो चीज करिए, कोई भीख नहीं मांगेगा। आप अमेरिका से न डरे और न ही किसी राज्य पर निर्भर रहें। मोरारजी भाई के समय फंडामैंटल राइट्स से 'राइट टू प्रॉपर्टी' वाला अधिकार हटाने की बात हुई थी। कितना धन कौन रखेगा, यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। जमीन की सीलिंग की बात कही गई थी लेकिन कुछ नहीं किया गया। आज घुल-मिल कर धन बनाया जा रहा है जिस की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इस देश में करप्शन और लूट हो रही है। आप अगर ऐतिहासिक पुरुष

बनना चाहते हैं तो लैंड सीलिंग कीजिए, फंडामैंटल राइट्स से 'राइट टू प्रापर्टी' को हटाया जाए और लैंड टू टिल्लर किया जाए। प्रधान मंत्री और यहां बैठे लोग एक बार हिम्मत करके ऐलान करें और कानून बनाएं। पूरे मुल्क में जो खेती लायक जमीन है, सरकार उसे टेक ओवर करे और दोबारा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। जो जोतने वाला है, जो मेहनत करने वाला है, जो मजदूर दौलत पैदा कर रहा है चाहे वह पंजाब का हो या बिहार का हो, आप उसके हाथ में हल दीजिए, ट्रैक्टर दीजिए। इससे देश आत्मनिर्भर होगा।

आपका समता मूलक समाज लाने का नारा था और राम राज्य लाने का सपना था, यदि ये दो काम आप करना चाहते हैं तो पुरुषार्थ दिखाईये नहीं तो जिसके पास जमीन है वह नौकरी में है और जो नौकरी में है वह नगरपालिका में है। महोदय, यदि इन कामों को कराना है तो सी.पी.आई., सी.पी.एम. और बी.जे.पी. सारे काम छोड़कर इस संसद में एक कानून बना दें कि जो हल चलायेगा, जो जोतेगा, जो बोएगा, वही ज़मीन का मालिक होगा। इस से सारी जाति टूट जायेगी। हम बिहार में चीफ मिनिस्टर रहे और हमारा भाई खेत में काम करता था तो उसमें हमारा हिस्सा इसलिये रहा कि मैं उसका भाई हूं। वह हिस्सा चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं है। इससे जाति टूटेगा, क्लास टूटेगा लेकिन क्रांग्रेस पार्टी ने इस काम को नहीं किया। राजे-महाराजे और ज़मीदार उस पार्टी में थे जो आज बी.जे.पी. में शिफ्ट कर गये हैं और वहां बैठे हुये हैं। ये कभी नहीं होने देंगे। ये यशवंत बाबू का गला पकड़ेंगे कि टैक्स हटा दो, मिठाई और मार्बल्स पर टैक्स हटा दो। इनका गला दबा-दबाकर एक भी काम नहीं होने देंगे।

सभापति जी, आपके जिम्मे बिहार सरकार का पैसा बकाया है। बिहार सरकार का 1722 करोड़ रुपया केन्द्रीय उपक्रमों का बाकी है। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन, बरौनी का 87 करोड़ रुपया, टी.पी.सी. में 7 लाख रुपया, के.एम.पी.सी.एल., धनबाद में 24 लाख रुपया, आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर में 2.49 करोड़ रुपया, सी.सी.एफ.एल. में 164 करोड़ रुपया, भारत कोकिंग कोल में 1092.67 करोड़ रुपया, ईस्टर्न कोलफील्ड लि. में 201 करोड़ रुपया बकाया है। बिजली बोर्ड का पैसा सेंट्रल असिस्टेंस के लिये देते हैं, वह पैसा लोटाईये। आप गॉडगिल फार्मूले में परिवर्तन करें और बिहार के बैकवर्ड ऐरियाज के विकास के लिये प्रबंधन करें। उस राज्य को बराबरी में लाईये। खाली ऐसा नहीं कि टेक्नीकल तरीके से कह दिया और बढ़ा दिया। इसका नतीजा यह है कि आपने दिखाने के लिये टैक्स बढ़ाया। यूरिया का दाम बढ़ाया, पैट्रोल पर बढ़ाया। लेकिन कहां लगता है कि आपने बढ़ाया। आपने बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। यह दाम घटा नहीं। जो आपने हिम्मत करके पैट्रोल पर बढ़ाया था, उसे वापस ले लिया लेकिन अब संसद के बाहर कोई न कोई निर्णय लेने वाले हैं। इसलिये इस बात में भेदभाव न करें।

सभापति महोदय, बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है। इसके कोयले का रायल्टी दीजिये। आप लैंड टू टिलर करें, पूरी जमीन टेक ओवर कीजिये। फंडामेंटल राइट्स की बजाय जमीन की सीलिंग करे और लैंड लार्ड को रिट करने से मना करिये। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उग्रवाद बढ़ेगा, हिंसा बढ़ेगी और चारों तरफ तबाही मचेगी। इस सब की जिम्मेदारी आप पर होगी। आप तो पेंसिल से लिखते रहिएगा और आपने लिख दिया। हमने देख लिया है। बिहार असेम्बली में आप हम पर दबाव डालते थे, हम यहां आप पर दबाव डाल रहे हैं और आप जवाब देने की स्थिति में हैं। इन दोनों मामलों पर आपने कहा था कि एक साथ मिलकर हम लोग दिल्ली में लड़ेंगे। अब आप खुद मंत्री बन गए हैं। आप भारत की लक्ष्मी हो गए हैं। ...*(व्यवधान)* मुनीम कैसे हो गए? आप लक्ष्मी हैं और उधर हम लोग कुबेर बैठे हुए आपसे हिसाब ले रहे हैं। जल्दी से इसका फैसला करिये। मगर आपसे कुछ होने वाला नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फाइनेन्स बिल का विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)* एम.पीज़. का वेतन बढ़ाइए, नहीं तो आगे से बजट पास नहीं हो सकेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसाराव़पेट) : माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक पुर:स्थापित करते समय अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "अंधेरी रात के सितारे डूब रहे हैं। पूरा आकाश तुम्हारा है।"

उन्होंने यहां जो पंक्तियां उद्धृत की है वह किसी विख्यात लेखक की हैं। यदि कोई बजट प्रस्तावों पर नजर डाले उसे कोई खुशी महसूस नहीं होगी। जिन अनेक सदस्यों ने पहले बोला है उन्होंने माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों को उठाया है। इसलिए मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा अथवा एक बार फिर दोहराने की कोशिश भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री तथा भारत सरकार से भी एक अनुरोध के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा कि वे इन गंभीर समस्याओं पर विचार करें। मैं यह नहीं कहता कि यह समस्याएं पिछले एक अथवा दो महीनों में ही

[श्री कोनिजेटी रोसैया]

उत्पन्न हुई हैं। ये समस्याएं पिछले कुछ समय से चलीं आ रही हैं। लेकिन एक न एक दिन हमें इन जटिल समस्याओं का उपयुक्त हल ढूंढ़ना ही होगा। अन्यथा देश में कोई प्रगति नहीं हो पाएगी जन कल्याण नहीं हो पाएगा।

महोदय, जैसाकि माननीय वित्त मंत्री तथा हम सब जानते है कि आज केन्द्र में और राज्य में घाटे की अर्थव्यवस्था है। यह रोज का क्रम बन गया है। राज्य इस घाटे की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए केन्द्र की ओर देख रहे हैं। केन्द्र राज्यों की ओर देखता है और राज्यों पर ही जिम्मेवारी डालने की कोशिश करता हैं। यह एक गंभीर समस्या बन गई है।

माननीय वित्त मंत्री के प्रस्तावों के अनुसार इस वर्ष के दौरान 91,025 करोड़ रु. वित्तीय घाटे का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि यह यहीं नहीं रूकेगा। अब, इस सरकार तथा इस देश की समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए डाक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इसके समाधान के लिए हमें धनराशि की आवश्यकता है और धनराशि के बिना इस जटिल समस्या का कोई हल नहीं है। इस तरह से, अनेक अन्य मुद्दे हैं जिन पर बजट प्रस्ताव तैयार करते समय विचार नहीं किया गया।

समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस पर वित्त मंत्री जी ने कर न लगाए हों। जैसा कि मेरे सहयोगियों ने बताया है कि उन्होंने डिब्बा बंद चाय, ब्राण्ड वाले मक्खन, पनीर, घी, सिलाई मशीन, मसालें और पाउडर दूध आदि पर कर लगाया है। उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर कर न लगाया गया हो।

निर्वाह-खर्च बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि आप भी जानते हैं कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि कुछ राज्यों में भी किसी भी सब्जी का मूल्य आज 60 रु. प्रति किलो के लगभग है। अत: मूल्य में वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटे के कारण मूल्यों में वृद्धि हो रही है। कई राज्य अपनी समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से आवश्यक वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली की ओर अर्थात् भारत सरकार की ओर देख रहे हैं।

वित्त मंत्री जी को 1998-99 के बजट में राज्यों से 28000 करोड़ रुपये तक प्राप्त होने का अनुमान है। आप भली भांति जानते है कि राज्यों को अपने ऋण ब्याज के साथ ही अदा करने पड़ते है इसलिए भारत सरकार को राज्यों से प्राप्त होने वाली राशि जो इस वर्ष दिल्ली में आएगी अनुमानत: 28000 करोड़ रुपये के लगभग है। दिल्ली से राज्यों को मिलने वाली राशि इससे अधिक नहीं है। असल बात यह है कि यदि आप इन्हीं आंकड़ों को देखते है तो राज्यों से दिल्ली में आने वाली धनराशि दिल्ली से राज्यों को मिलने वाली 112 करोड़ रु. राशि से अधिक है। हम किस प्रकार राज्यों से विकास की आशा कर सकते है? केन्द्र को कर लगाने की बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं। कर राजस्व सह वितरण भी अत्यन्त विचित्र है। फार्मूला बहुत पुराना हैं। वे इसमें संशोधन करने का प्रयास भी नहीं कर रहे है। अत: आज राज्यों को अपर्याप्त धनराशि के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग सभी राज्यों में वित्तीय घाटे की स्थिति विद्यमान है। मैं नहीं समझता कि कोई राज्य इससे बचा है। लगभग 25-30 वर्ष पहले ऐसे राज्य थे जहां वित्तीय घाटे की स्थिति नहीं होती थी लेकिन आजकल यदि आप विभिन्न राज्यों के बजट पर नजर डाले तो आपको पता चलेगा कि वे भारी ऋण बोझ के नीचे दबे हुए हैं और धन के अभाव को झेल रहे हैं।

आप जानते हैं कि भारत सरकार गाडगिल फार्मूला के तहत वार्षिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की सहायता करेंगी। मेरा निवेदन है कि यह फार्मूला अब बहुत पुराना हो गया है। यह गाडगिल फार्मूला इस देश में काफी लम्बे समय तक चला है। अब, भारत सरकार को एक नया तरीका तैयार करना चाहिए। वे आयोग अथवा ऐसी कोई अन्य चीज़ का गठन कर सकते है। इस पर विस्तार में जाने की आवश्यकता है। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि केन्द्र को राज्यों की वार्षिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कुछ और धन देने पर विचार करना चाहिए अथवा राज्यों के लिए इन्हें कार्यान्वित करना अत्यन्त कठिन होगा।

जैसाकि आप जानते हैं कि भारत सरकार काफी हद तक विदेशी सहायता और ऋणों पर निर्भर कर रही है। इसी प्रकार राज्य सरकारें भी विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जापानी एजेंसियों तथा अन्य संस्थाओं से ऋण ले रही हैं। बाह्य सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों में एक तरह से होड़ लगी हुई हैं हम जानते है वित्त मंत्री जी इस तथ्य को लोक सभा में स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं लेकिन वह जानते है वह कितने चिन्तित थे जब पोखरन परीक्षण के कारण आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्हें कितनी रातों तक नींद नहीं आई थी। राज्य आज विकास कार्यों के लिए काफी हद तक ऋण पर निर्भर कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश जहां का मैं निवासी हूं का बकाया ऋण 20430 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1998-99 में आन्ध्र प्रदेश विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से अन्य 10,000 करोड़ रु. की सहायता की अपेक्षा

कर रहा है। हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश राज्य को विश्व बैंक से 2200 करोड़ रु. की सहायता प्राप्त हुई है। आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि यहां भी उनके मित्रों ने विश्व बैंक से 2,000 करोड़ रु. की सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार की गुणगान करना शुरू किया है। मैं नहीं समझता कि विदेशी सहायता प्राप्त करना कोई बड़ी बात है। फिर भी, इस उपलब्धि के बारे में बढ़ चढ़कर बोलने में यहां इनके मित्रों को आनन्द आता है।

महोदय, वर्ष 1998-99 में, आन्ध्र प्रदेश राज्य को 2,722 करोड़ रुपये ऋण राशि पर लगे ब्याज के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इस 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण राशि को जोड़ते हुए यह ब्याज राशि 4,000 करोड़ हो जाएगी। मैं अपने राज्य के आंकड़ों के बारे में जानता हूं और इसीलिए मैं इन आंकड़ों को उद्धृत करने का प्रयास कर रहा हूं। अन्य राज्यों और दिल्ली में भी स्थिति लगभग एक समान ही है। यदि ऋण पर ब्याज में इसी प्रकार वृद्धि होती रही तो विकास के लिए कहां गुंजाइश रह जाती है? विकासात्मक गतिविधियों पर व्यय करने के लिए धन कहां से आएगा?

महोदय, हाल ही में मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री अथवा अन्य किसी मंत्री ने - मुझे याद नहीं है - कहा था कि अन्य देशों से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए कुछ मार्ग निर्देश हैं और भारत सरकार उनका कड़ाई से अनुपालन कर रही है। मार्ग निर्देश हो सकते है लेकिन जहां तक मुझे पता है, उनका पालन नहीं किया जा रहा है यदि इस प्रकार ऋण बढ़ते ही जाएंगे तो अन्ततः क्या होगा? इसलिए मैं वित्त मंत्री को सकारात्मक सुझाव देना चाहता हूं कि वे कृपया काले धन जो इस देश में व्याप्त है को बाहर निकालने के बारे में सोचें। कई अनुमान और सर्वेक्षण कराए गए है और वे इस देश में काले धन के बिस्मित करने वाले आंकड़े दे रहे है। वित्त मंत्री और भारत सरकार के लिए समस्या है कि इस काले धन का परिचालन किस प्रकार किया जाए। सरकार को इस धन के परिचालन के लिए कोई रास्ता खोजना चाहिए और यदि यह हो जाता है तो हम इस धन का उचित उपयोग कर सकते है इसे देश के विकास कार्यों और देश के हित के लिए प्रयोग कर सकते है। अन्यथा इस देश के लोग जिनके पास काला धन है इस देश में समान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। इसलिए वित्त मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जब भा.ज.पा. 18-19 दलों के गठबंधन से सत्ता में आई तो मैंने सोचा कि वे एक बड़े दल के रूप में स्थायी सरकार प्रदान करेंगी। मैं यह समझने में असफल रहा हूं कि क्या वास्तव में स्थायित्व की सम्भावना है यह विचार न केवल मेरा है जो विपक्ष में बैठा है बल्कि सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों का भी यही विचार है। यहां स्थायी सरकार नहीं है और दिल्ली में स्थायी सरकार के अभाव में 100 करोड़ की आबादी वाले ऐसे बड़े देश में, प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश की कल्पना हम किस प्रकार कर सकते हैं?

महोदय, उदाहरण के लिए विद्युत के क्षेत्र को ही लीजिए। हमें विद्युत की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों को अब विद्युत कमी का सामना करना पड़ा है और परिणामस्वरूप औद्योगिकीकरण की भी कमी रही है और नवयुवकों को कम नौकिरयां उपलब्ध कराई जा सकी है। हमारे देश में पर्याप्त नदी का जल है। मैंने पहले भी इस पर गहनता से विचार किया है और इस सन्दर्भ में कुछ तर्क भी दिये थे कि नदी को राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और भारत सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के साथ-साथ जल विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के बारे में भी सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में हमें पर्याप्त जल उपलब्ध है। जल नीचे की ओर बह रहा है और वहां जल विद्युत तैयार की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए स्वयं पर्याप्त पूंजी निवेश करने में अक्षम हैं। असल बात यह है कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर है उनके पास फालतू बिजली है। लेकिन केन्द्र विद्युत उत्पादन के लिए जहां इसकी सम्भावना है निवेश करने के बारे में सोच सकता है और ऐसी विद्युत अन्य राज्यों में जहां इसकी कमी है वितरण कर सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है। कृपया इसके बारे में सोचिए।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि कर आधार को विस्तृत किया गया है। मैं नहीं समझता कि यह अच्छा कदम है। केवल कर आधार को व्यापक बनाना बहुत अच्छा कदम नहीं माना जा सकता।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस सरकार से बहुत अधिक अपेक्षाएं थीं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार हमें पोखरण युग में वापस ले जा रही है। हमने

[श्री कोनिजेटी रोसैया]

रेल मंत्री जी के भाषण को सुना। अपने उत्तर में उन्होंने कहा था कि वे हमें चाय, दूध और दही मिट्टी के बर्तनों में उपलब्ध कराएंगे। क्या यह नयी पद्धति है? क्या इस कदम से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है? मुझे लगता है कि यह सरकार हमें पाषाण युग में वापस ले जाएगी। इसलिए मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

अपराह्न 5.52 बजे

विशिष्ट दर्शक दीर्घा से एक दर्शक द्वारा सभा की अवमानना किए जाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसा कि सभा को ज्ञात है कि आज अपराह्न करीब 2.45 बजे एक दर्शक, जिसने अपना नाम लवली आनन्द पत्नी श्री आनन्द मोहन बताया हैं, ने विशिष्ट दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और कुछ पर्चे फेंके। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया और उनसे पूछताछ की। दर्शक ने बयान दिया परन्तु अपने कृत्य के लिए खेद व्यक्त नहीं किया।

मैंने इस मामले से सभा को अवगत करा दिया है और ऐसी कार्रवाई करने के लिए कहा है, जो सभा उचित समझे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा प्रस्ताव करती है कि स्वयं को लवली आनन्द पत्नी श्री आनन्द मोहन, संसद सदस्य बताने वाली महिला, जिसने आज अपराह्न करीब 2.45 बजे विशिष्ट दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और कुछ पर्चे फेंके तथा जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया, ने एक गंभीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना करने की दोषी है।
>
> कि यह सभा यह भी प्रस्ताव करती है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह संसद की भूतपूर्व सदस्य हैं इसलिए उन्हें आज सभा के उठने पर छोड़ दिया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : आप उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दीजिए और आगे से गैलरी में सिक्यूरिटी व्यवस्था टाइट कर दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : वह डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स गैलरी है और वहां एक्स एम.पीज., एक्स चीफ मिनिस्टर आते हैं। अगर वहां भी सिक्यूरिटी टाइट कर दी गयी तो फिर क्या होगा। वह एक्स एम.पी. हैं।

श्री लालू प्रसाद : आप उन्हें छः बजे बाद छोड़ दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : ठीक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा प्रस्ताव करती है कि स्वयं को लवली आनन्द पत्नी श्री आनन्द मोहन, संसद सदस्य बताने वाली महिला, जिसने आज अपराह्न करीब 2.45 बजे विशिष्ट दर्शक दीर्घा से नारे लगाये और कुछ पर्चे फेंके तथा जिसे सुरक्षा अधिकारियों ने तुरन्त अभिरक्षा में ले लिया, ने एक, गंभीर अपराध किया है और वह सभा की अवमानना करने की दोषी है।
>
> कि यह सभा यह भी प्रस्ताव करती है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह संसद की भूतपूर्व सदस्य हैं इसलिए उन्हें आज सभा के उठने पर छोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.56 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1998 – *जारी*

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन में जो वित्त विधेयक रखा है, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कुछ प्रपोज़ल्स ऐसे रखे हैं जो पिछले पचास वर्षों में नहीं रखे गए। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कृषि के लिए विशेष रूप से 58 प्रतिशत खर्च करने का जो प्लान है, मैं समझता हूं कि ऐसा पिछले पचास वर्षों में कभी नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था जिसका यह नतीजा हुआ कि किसान आत्महत्या करने लगे थे। इन्होंने इस बारे में सोचा है, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं।

यह पहले वित्त मंत्री हैं जिन्होंने फर्टिलाईजर की बढ़ी हुई कीमतों को सौ प्रतिशत विदड्रा किया। कीमतें पहले भी बढ़ती रही, उनमें कटौती होती रही लेकिन सौ प्रतिशत कटौती कभी नहीं की गई थी। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं।

रूरल इम्प्लॉयमैंट के लिए, गांवों में जो सोशल ऐमीनिटीज दी गई है और उसके लिए पैसा रखा है, वह बहुत अच्छी बात है। इससे पहले गांवों के लोगों को आज तक किसी ने नहीं पूछा था। गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता, स्कूल नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, बेरोजगारी बहुत है। उन्होंने गांवों के लिए जो पैसा विशेष रूप से रखा है, वह बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मकान बनाने के बारे में जो प्रावधान किया गया है, पचास वर्षों के बाद पहली बार उनको भी लगेगा कि हम आजाद भारत में बस रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो कुछ किया गया है, वह बहुत नहीं है। गाड़ी को लीक पर लाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को बहुत गली-सड़ी अर्थ नीति मिली। पिछले पचास वर्षों में गरीबी, बेरोजगारी, अनपढ़ता जैसे भयानक रोग जो इस देश में लाए गए, उनसे निकलने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं यह भी समझता हूं कि यहां सब कुछ होते हुए भी देश गरीब है। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश में आज 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, उनको खाना मिलता, रहने को मकान नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। गरीब-गरीब होता गया, अमीर-अमीर होता गया। इसका कारण यह था कि जो लोग हुकूमत में रहे, उन्होंने अपना पेट पाला, देश के लोगों का पेट नहीं पाला। इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारी प्लानिंग अनप्लान्ड रहीं और अनप्रॉडक्टिव एक्सपैंसेस को किसी ने चैक नहीं किया।

अपराह्न 6.00 बजे

ऐसी जो अनप्लांड चीजें हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हमारे नजदीक पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में हाइडिल प्रोजैक्ट्स बन सकते थे, उससे पावर जैनरेट हो सकती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हाइडल प्रोजैक्ट लगाने के लिए पैसा खर्च नहीं किया गया। इसके बजाय थर्मल पावर प्लांट लगा दिये गये। बिहार से, पश्चिम बंगाल से होकर उनमें कोयला आता था, गाड़ियां नहीं मिलती थीं, कोयला रूक जाता था, थर्मल पावर प्लांट बन्द हो जाते थे तो पावर नहीं मिलती थी। ऐसी अनप्लांड इकोनोमी चली। इसी तरह अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज हुए।

एफ.सी.आई. ने इस वर्ष 12 मिलियन टन के करीब अनाज स्टाक किया है, खरीदा है और 5-6 मिलियन टन के करीब लास्ट ईयर का बचा हुआ है। इसकी जरूरत क्या है? सात मिलियन टन की पी.डी.एस. के लिए जरूरत है और पांच मिलियन टन बफर स्टाक की जरूरत है, जैसे इनके आंकड़े बताते हैं, लेकिन फिर भी व्हीट इम्पोर्ट किया गया और इसके लिए ज्यादा दाम दिये गये। हमारे गोडाउन अभी भी भरे पड़े हैं, पंजाब में सारे गोडाउन व्हीट और पैडी से भरे पड़े हैं और वहां डैमेज हो रही है। वहां जो डैमेज्ड राइस और व्हीट है, उसको सस्ते दाम पर आक्शन कर रहे हैं। ऐसे अनप्रोडक्टिव और अनप्लांड एक्सपेंसेज होते रहे, इसलिए यह देश अमीर होते हुए भी गरीब होता गया।

इसी तरह इन्दिरा आवास योजना, नेहरू रोजगार योजना पर खर्च हुआ। इसके ऊपर कोई कण्ट्रोल नहीं है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। इसके लिए जहां पैसा जाता है, उसकी कोई मोनेटरिंग करने वाला नहीं है। इसी तरह जो सब्सिडी किसान के नाम पर दी जाती है, वह दी गई, मगर उसका लाभ इण्डस्ट्रियल उठाते रहे। इसी तरह कंज्यूमर के नाम पर सब्सिडी दी गई और उसका लाभ कुछ व्यापारी लोग उठाते रहे। सब्सिडीज डायरैक्ट होनी चाहिए थी। जिन लोगों के लिए सब्सिडी थी, उनको उसका लाभ नहीं पहुंचा, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अनप्लांड सिस्टम था, उसके कारण देश अमीर होते हुए भी गरीब हुआ और गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे भयानक रोगों की गिरफ्त में आया।

आपको जो गली-सड़ी अर्थव्यवस्था मिली, इसको कैसे सुधारना है, मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी बात इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिए सैण्टर स्टेट रिलेशन्स को रिव्यू करने की है। जब तक सैण्टर स्टेट रिलेशन्स रिव्यू नहीं होंगे और सही रूप में जो इस देश का रियल फैडरल स्ट्रक्चर है, जिसे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उसको लागू नहीं किया जायेगा, यह देश आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे इस बात का खेद भी है कि हमारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने आज से 27 वर्ष पहले इस देश के लोगों को आनन्दपुर के मते के रूप में एक डाक्यूमेंट दिया था, जिसके तहत कहा था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को खुशहाल बनाना है तो सैण्टर स्टेट रिलेशन्स को रिव्यू करना होगा, मगर सैण्टर स्टेट रिलेशन्स को अगर रिव्यू नहीं किया गया और हमें बदनाम किया गया। उसमें बहुत कुछ हुआ, वह अलग कहानी है, मैं उसमें नहीं

[प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा]

जाना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने धर्मयुद्ध मोर्चा लगाया, उसमें एक एकार्ड हुआ, जिसे राजीव लोंगोवाल एकार्ड करते हैं। उसमें सरकारिया कमीशन को एक ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : प्रतिदिन हम रात्रि 8 बजे अथवा 10 बजे तक नहीं बैठे रह सकते हैं।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है कि 17 तारीख तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक सभा की कार्यवाही चलेगी।

श्री के. बापीराजू (नरसापुर) : आपने पहले कहा था कि आज सभा की कार्यवाही शाम 6 बजे तक चलेगी। आप प्रत्येक मिनट में इस प्रकार अपना निर्णय नहीं बदल सकते। आप हमें हर रोज देर तक बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति हमें प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक बैठने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि सभा कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो मैं सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. एस. गवई (अमरावती) : हम कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय : अब सभा कल 16 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, गुरूवार, 16 जुलाई, 1998/ 25 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/4/22/98 (एन०)
220

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।